दशम माला, खंड 10, अंक 29

सोमवार, 6 अप्रैल, 1992
17 चैत्र, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 10 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

63
7/4/93

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 6 अप्रैल, 1992/17 चैत्र, 1914 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
57	अंतिम पंक्ति	"6125" के स्थान पर "6126" पढ़िये।
104	2	"6137" के स्थान पर "6173" पढ़िये।
120	9	"शी" के स्थान पर "श्री" पढ़िये।
138	3	"श्री रामचन्द्रन घंगारे" के स्थान पर "श्री रामचन्द्र मरोतराव घंगारे" पढ़िये।
151	नीचे से 5	"विदेश राष्ट्रीय" के स्थान पर "विदेशी राष्ट्रिक" पढ़िये।
173	18	"(क) से (ख)" के स्थान पर "(क) से (ग)" पढ़िये।
193	3	"(घ)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
262	2	"(पंचा)" के स्थान पर "(पांच)" पढ़िये।
262	नीचे से 5	"1 92" के स्थान पर "1992" पढ़िये।

विषय-सूची

दसम माला, खंड 10, तीसरा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 29, सोमवार, 6 अप्रैल, 1992/17 चैत्र, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2—23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 552 से 554, 556, 558, 560 और 561	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	23—230
तारांकित प्रश्न संख्या : 555, 557 और 562 से 571	23—32
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6097 से 6124, 6126 से 6142 और 6144 से 6329	32—230
नागालेंड में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का निरसन किए जाने के बारे में	230—254
सभा पटल पर रखे गए पत्र	255—256 और 262
राज्य सभा से सन्देश	256
प्राक्कलन समिति	256
तेरहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत	
लोक लेखा समिति	256
पन्द्रहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
नियम 377 के अधीन मामले	257—261
(एक) मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में मिनिमाता हासदेव बंगो बहु-उद्देशीय परियोजना को पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री भवानी लाल वर्मा	257
(दो) महाराष्ट्र में स्थापित नए चीनी कारखानों को रियायतें दिए जाने की आवश्यकता	
श्री मती सूर्यकांता पाटिल	258
(तीन) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम के उत्पादों के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने तथा पर्याप्त संख्या में आर्डर दिलाए जाने की आवश्यकता	
श्री रामकृष्ण कोंताला	258

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ

(चार) लाटूर-मिराज छोटी लाइन को शीघ्र बड़ी लाइन में बदलने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले ... 259

(पांच) हरिद्वार, उत्तर प्रदेश के लिए स्थगित की गई रेलगाड़ियों को पुन: चलाए जाने की आवश्यकता

श्री चेतन पी० एस० चौहान ... 260

(छ:) सम्भल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न कस्बों में खाना पकाने की गैस की एजेंसियों की शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा० एस० पी० यादव ... 260

(सात) टूंडला और एटा के बीच रेल लाइन का फरुखाबाद/बरेली/अलीगढ़ तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेशानन्द स्वामी ... 261

मंत्री द्वारा वक्तव्य ... 261—262 और 299—300

(एक) 5 अप्रैल, 1992 को दक्षिण मध्य रेलवे के गुडुर-विजयवाड़ा बड़ी लाइन खंड पर 423 बिट्रागुंटा-विजयवाड़ा यात्री गाड़ी का एक मालगाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा जाना

श्री मल्लिकार्जुन ... 261

(दो) (i) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते तथा (ii) केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का जारी किया जाना ... 299

श्री शांताराम पोतदुखे ... 299

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93 ... 263—340

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी ... 263

श्री रमेश चेन्नितला ... 266

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम ... 270

श्री नवल किशोर राय ... 273

डा० कार्तिकेश्वर पात्र ... 277

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे ... 281

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ... 285

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये ... 290

विषय	पृष्ठ
श्री चेतन पी० एस० चौहान	295
श्री अमर रायप्रधान	300
श्री मोहन सिंह	303
श्री आनन्द अहिरवार	308
श्री सनत कुमार मंडल	311
श्री के० पी० रेड्डय्या यादव	317
श्री याइमा सिंह युमनाम	320
प्रो० रासा सिंह रावत	321
श्री सुधीर गिरि	323
श्री पी० सी० थामस	323
श्री राम प्रसाद सिंह	324
श्री अर्जुन सिंह	326
श्री फ्रैंक एन्थनी	338

लोक सभा

सोमवार, 6 अप्रैल, 1992/17 चैत्र, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को अपने एक भूतपूर्व साथी श्री जुल्फिकार अली खान के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री खान चौथी, पांचवीं, सातवीं, आठवीं और नवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने वर्ष 1967-70, 1971-77, 1980-84, 1984-89 और 1989-91 के दौरान उत्तर प्रदेश के रामपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पूर्व वह 1963-66 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। श्री खान संसदीय कार्यवाही में गहरी रुचि लेते थे। वह प्राक्कलन समिति सहित अनेक समितियों के सदस्य रहे।

श्री खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्य थे। श्री खान ने विदेशों का व्यापक भ्रमण किया और 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप शामिल हुए थे।

श्री खान के निधन से देश ने एक शिक्षाविद्, कृषक और एक प्रसिद्ध सांसद खो दिया है।

श्री खान को 5 अप्रैल, 1922 को हापुड़ के निकट एक सड़क दुर्घटना में गंभीर चोटें आई और उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हो गया। जिस समय श्री खान का निधन हुआ उस समय उनकी आयु 59 वर्ष थी।

हम इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे यकीन है कि शोकाकुल परिवार के प्रति सान्त्वना व्यक्त करने में यह सभा भी मेरे साथ है।

यह सभा अब दिवंगत आत्मा के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमान उतारने की सुविधायें

*552. श्री द्वारका नाथ दास : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वहां विमानों को सुरक्षापूर्वक उतारने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या-क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है;

(ग) वर्ष 1991 में इम्फाल में हुई विमान दुर्घटना के क्या कारण थे और यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(घ) क्या करीमगंज में एक हवाई अड्डे के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारूख) : (क) और (ख) पर्वतीय भू-भागों के कारण विमानों के अवतरण के सम्बन्ध में कुछ परिसीमाएं पैदा हो सकती हैं । अतः अवतरण संबंधी प्रक्रियाएं भौगोलिक परिस्थितियों, हवाई अड्डों के अनुरूप अवतरण संबंधी साधनों आदि को ध्यान में रखते हुए, तैयार की जाती हैं ताकि विमान सुरक्षात्मक ढंग से उतर सकें । ये प्रक्रियाएं प्रकाशित की जाती हैं और ये अनिवार्य होती हैं ।

(ग) जांच अदालत की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

(घ) से (च) जी, नहीं । करीमगंज से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर सिल्चर में पहले से ही एक हवाई अड्डा है ।

श्री द्वारका नाथ दास : महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में वहां की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण विमानों के उतरने के लिए तीन बातें परमावश्यक हैं । ये तीन बातें हैं—रेडियो नेविगेशनल सुविधा, यातायात नियंत्रण सेवा तथा भौगोलिक अवस्था । महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी हवाई अड्डों पर ये तीनों बातें मौजूद हैं अथवा नहीं । इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इस समय इस क्षेत्र में जो विमान उड़ानें भर रहे हैं, वे इस क्षेत्र के लिए पूर्णतया उपयुक्त हैं अथवा नहीं ।

श्री एम० ओ० एच० फारूख : महोदय, इन क्षेत्रों में उड़ान भर रहे विमान-परिवहन की दृष्टि से पूर्णतया उपयुक्त हैं । जहां तक इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का संबंध है, प्रत्येक हवाई-अड्डे को अलग-अलग सुविधाएं प्राप्त हैं । यदि माननीय सदस्य किसी विशेष हवाई अड्डे को मुहैया कराई गई सुविधाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो वह इसके बारे में हमें बता सकते हैं और मैं उनको इसका उत्तर दूंगा ।

श्री द्वारका नाथ दास : मैं रेडियो, नेविगेशनल सुविधाओं, यातायात नियंत्रण सेवाओं, भौगोलिक अवस्थाओं आदि के बारे में पहले ही कह चुका हूं ।

महोदय, करीमगंज जिला सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से करीमगंज में एक छोटा हवाई अड्डा होना चाहिए।

दूसरे, वाणिज्य की दृष्टि से भी करीमगंज देश के पूर्वांचल में एक अच्छा व्यापारिक केन्द्र है।

तीसरी बात यह है कि मानसून के दौरान करीमगंज कई दिनों तक देश के अन्य भागों से पूर्णतया अलग-थलग हो जाता है।

और चौथी बात यह है कि चूंकि यहां पर रेल सुविधा भी अपर्याप्त है, इसलिए करीमगंज का आसाम की राजधानी गुवाहाटी तथा कलकत्ता के साथ सीधा संपर्क होना चाहिए

महोदय, ऐसी परिस्थितियों में क्या नागर विमानन मंत्री करीमगंज में एक हवाई-अड्डे की स्थापना के बारे में विचार करेंगे।

श्री एम० ओ० एच० फारूख : महोदय, मैंने पहले भी बताया है कि करीमगंज सिल्चर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसलिए करीमगंज में एक नया हवाई अड्डा स्थापित करना कुछ समय तक तो संभव नहीं है।

माननीय सदस्य ने विमानों के उतरने के प्रयोजन से अन्य सुविधाओं का भी उल्लेख किया है। जो भी मूलभूत सुविधाएं इस सभी स्थानों के लिए अनिवार्य हैं, वे सभी इन्हें मुहैया कराई गई हैं। यदि माननीय सदस्य वास्तव में ही इनके बारे में जानकारी चाहते हैं तो मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी सोलह हवाई-अड्डों पर उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के बारे में उन्हें बताने के लिये तैयार हूं। इसके बारे में मैं उन्हें लिखित उत्तर भी दे सकता हूं।

श्री सतीश कुमार शर्मा : महोदय, प्रश्न यह है कि क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में उतरने वाले विमानों को वहां की विशिष्ट भौगोलिक स्थितियों के कारण कोई समस्या होती है।

इसमें कुछ विशिष्ट समस्याएं हैं। जहां तक मुझे ज्ञात है, जब कभी कोई विमान किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में उड़ान भरता है, भले ही वह पूर्वोत्तर में क्षेत्र हो, कश्मीर में हो अथवा हिमाचल प्रदेश में हो, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण कई बार वी० ओ० आर० तथा ए० डी० एफ० जैसे वायु-परिवहन सहायता संबंधी संकेत, जैसा कि हमारे देश में उपलब्ध हैं, पहुंच नहीं पाते क्योंकि उनकी सांकेतिक दूरी बहुत ही सीमित है। कई बार हम देखते हैं कि इन स्थानों पर विद्युत के व्यवधान के कारण भी विमान परिवहन संबंधी ऐसे उपकरण अपना कार्य नहीं कर पाते।

इस प्रकार से, एक पायलट को ऐसी व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। माननीय मंत्री महोदय को मेरा यही सुझाव है। आजकल यह सभी बहुत ही छोटे-छोटे निवेश हैं। आप वी० एल० एफ० ओमेगा का ही उदाहरण लीजिए। यह विमान के अंदर ही लगा एक उपकरण है। हवाई अड्डे की केन्द्रीय संचालन सुविधा से इसका कोई वास्ता नहीं है। यह भू-सुविधा से पूर्णतया मुक्त है। यह एक उपग्रह के माध्यम से लगाया जाता है। यह आजकल बहुत ही कम खर्चे पर उपलब्ध है।

मेरे विचार से इस क्षेत्र में उड़ान भरने वाले सभी विमानों में ऐसी प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। मुझे ज्ञात है कि ए-320 वायुयान में यह उपकरण लगा है। ए-320, बोईंग 737 और डोरनिअर विमानों में यह उपकरण नहीं लगा है। यदि हम इन विमानों का प्रयोग करना चाहते

हैं अथवा देश के इन पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रयोजन से किसी भी विमान का प्रयोग करते हैं तो उनमें वी० एल० एफ० ओमेगा उपकरण लगा हुआ होना चाहिए।

श्री एम० ओ० एच० फारूख : महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है। हम इस मामले की जांच कर यह पता लगायेंगे कि क्या हम इस सुझाव पर कार्यवाही कर पाते हैं अथवा नहीं।

श्री याइमा सिंह युमनाम : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सही है कि 1991 में इम्फाल में दुर्घटनाग्रस्त हुए हत-भाग्य विमान के पायलट ने अपने विमान को उतारने के लिए अनुमति मांगी थी किन्तु हवाई-अड्डे पर उस दिन कार्यरत ड्यूटी-आफिसर ने वायुयान को उतारने की अनुमति नहीं दी। क्या इम्फाल हवाई-अड्डे पर रात्रि के समय विमान उतारने हेतु कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई है ?

श्री एम० ओ० एच० फारूख : महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इम्फाल में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के बारे में एक न्यायिक जांच चल रही है। मैं इसके बारे में इस समय कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि इससे सारी प्रक्रिया निष्फल हो जाएगी। इसकी रिपोर्ट जल्दी ही मिलने वाली है। मेरे विचार से इस माह की 30 तारीख तक मिल जाएगी। तत्पश्चात् हम इसकी जांच करेंगे।

परन्तु जहां तक इम्फाल हवाई अड्डे पर रात्रि के समय विमान उतारने की सुविधा का संबंध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बारे में एक प्रक्रिया चल रही है। दिसम्बर, 1992 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है। इम्फाल और दीमापुर में जो भी पहाड़ियां अवरोध पैदा कर रही हैं और जिन पहाड़ियों में विद्युत संबंधी अवरोध आ रहे हैं, उनकी पहचान कर ली जाएगी।

श्री पीटर जी० मरबनियांग : शिलांग हवाई अड्डे के लिए कौन-कौन-सी विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं। सरकार शिलांग हवाई अड्डे पर इण्डियन एयर लाइन्स की उड़ानें कब शुरू करेगी।

श्री एम० ओ० एच० फारूख : शिलांग में इस समय वायुदूत द्वारा उड़ानें भरी जाती हैं। शिलांग में हमारे पास एल० डी० बी० और वी० एच० पी० हैं। चूंकि ये वायुदूत के लिए पर्याप्त हैं, इसलिए हम केवल वायुदूत का ही संचालन कर रहे हैं।

जब भी हम इनके स्तर को सुधारने पर विचार करेंगे तो हम इसमें अन्य उपकरण भी लगाने का प्रयास करेंगे। आप सभी भली-भांति जानते हैं कि हमारे पास संसाधनों का अभाव है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से प्रश्न "क" के सिलसिले में जानना चाहता हूं कि उत्तर पूर्वी सीमान्त अंचल में जो विशेष भौगोलिक स्थिति है, उसके कारण वहां बार-बार एेयर-क्रैस होते हैं, तो क्या मंत्री महोदय का ध्यान 1977-78 में तत्कालीन प्रधान मंत्री का जो प्लेन क्रैश हुआ था, उस ओर गया है जिसमें 3-4 पायलट मर गए थे और सौभाग्य से प्रधान मंत्री बाल-बाल बच गए थे, यदि हां, तो इस प्रकार के जो क्रैश हुआ करते हैं, ये बार-बार न हों इस बारे में कुछ किया गया है कि नहीं और जो 1977-78 का प्लेन क्रैश हुआ था, उसकी क्या जांच हुई है, यदि हुई है, तो उसका क्या नतीजा निकला है ?

[अनुवाद]

श्री एम० ओ० एच० फारूख : 1977-78 में यह दुर्भाग्यजनक घटना घटित हुई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, पूर्वोत्तर क्षेत्र पर्वतीय भू-भाग है; और मौसम व इसके साथ-साथ पहाड़ी रास्तों के कारण, इस क्षेत्र में हमें बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक दुर्घटना का संबंध है सभी स्थानों पर घटित दुर्घटनाओं और इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई तमाम सिफारिशों की पूरी सूची मेरे पास है। यह सूची मैं माननीय सदस्य को भेज सकता हूं।

[हिन्दी]

वर्षा-जल का उपयोग

*553. श्री राम पूजन पटेल :

श्री जगमीत सिंह बराड़ :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्षा-जल पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

देश में 4000 क्यूबिक किलोमीटर वार्षिक वृष्टि होती है, जिसमें से नदियों में उपलब्ध औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 1850 क्यूबिक किलोमीटर है। स्थलाकृतिक, जल-वैज्ञानिक और अन्य बाधाओं के कारण, वार्षिक पुनर्भरणीय भू-जल संसाधनों के अतिरिक्त, जो लगभग 450 क्यूबिक किलोमीटर है, उपयोज्य सतही जल का मूल्यांकन 690 क्यूबिक किलोमीटर किया गया है। राज्य सरकारें उपयोज्य जल का उपयोग बढ़ाने के लिए बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही हैं। उपयोज्य जल के उपयोग में वृद्धि करने के लिए कुओं से सिंचाई और लघु सिंचाई कार्यों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त, अब तक पूरे देश में कुल 263 बृहद सिंचाई परियोजनाएं और 1104 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। अब तक 83 बृहद परियोजनाएं और 777 मध्यम परियोजनाएं पूरी की गई हैं। इस समय, कुल 1140 क्यूबिक किलोमीटर उपयोज्य मात्रा में से 552 क्यूबिक किलोमीटर जल के उपयोग का निर्धारण किया गया है।

उपयोज्य जल की उपलब्धता को अधिकतम बढ़ाने के लिए, सरकार ने अधिशेष जल वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल के अन्तरण के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया है, जिसमें दो घटक अर्थात हिमालयाई नदी विकास घटक और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक

सम्मिलित किए गए हैं । राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, प्रत्येक घटक में वृहद नदियों का अन्तः सम्पर्क करने पर विस्तृत अध्ययन करने में लगा हुआ है । प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक में 17 जल अंतरण सम्पर्कों में से 7 जल अन्तरण सम्पर्कों पर अध्ययन पहले ही पूर्ण किए गए हैं और प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्टें संबंधित राज्य सरकारों को सहमति हेतु भेजी गई हैं । शेष जल अन्तरण सम्पर्कों के लिए अध्ययन आठवीं योजना में पूर्ण किए जाने का कार्यक्रम है । हिमालयायी घटक पर भी अध्ययन हाल ही में प्रारंभ किए गए हैं । जहां वर्षा होती है वहां उसका जल संरक्षित करने एवं उनका उपयोग करने के लिए जल-विभाजक विकास कार्यक्रम अलग से प्रारंभ किए गए हैं। किन्तु वाष्पीकरण और वनस्पति हानियों और नदी भू-भाग का अनुरक्षण करने के लिए नदी जल की कुछ मात्रा प्रवाहित करने की आवश्यकता के कारण वर्षा जल का पूर्ण उपयोग करना संभव नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री राम पूजन पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान उनके द्वारा सभा पटल पर रखे गए मेरे प्रश्न के उत्तर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, मंत्री जी ने बताया है कि हमारे देश में 4 हजार क्यूबिक किलोमीटर वार्षिक वृष्टि होती है और उसमें से केवल 25-30 परसेंट पानी का ही हम उपयोग कर पाते हैं । इस देश में पेयजल की भयंकर समस्या हमेशा बनी रहती है । मनुष्यों को तो क्या जानवरों तक को पीने का पानी नहीं मिल पाता है । इसलिए मेरा कहना है कि गांवों के लिए कोई वृहद् योजना होनी चाहिए । आपने अपने इस विवरण में बड़ी-बड़ी योजनाओं का जिक्र किया है जिनमें अनेक वृहद् योजनाओं और कुओं से सिंचाई और लघु सिंचाई को बढ़ावा देने की बात कही है । मैं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से प्रश्न तो कर रहा हूं लेकिन प्रश्न के साथ-साथ यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर पानी की जो समस्या है, वह आपकी इन योजनाओं से शायद दूर नहीं हो पाएगी । मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में छोटे-छोटे तालाब खुदवाने के लिए आप योजना बनाएं और इन तालाबों को खोदने के लिए सरकार की ओर से धन सीधे लोगों को दिया जाए । सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से धन देने के फेवर में मैं नहीं हूं क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से यदि धन दिया जाएगा, तो फिर अनियमितताएं होंगी और वह पैसा बीच में ही खा जाएंगे और वास्तविक उपभोक्ता तक नहीं पहुंच पाएगा । जब इस प्रकार से छोटे-छोटे तालाब आप गांवों में खुदवाएंगे, तो किसान उनमें हैंडपम्प या नलकूप भी लगवा सकते हैं और इस प्रकार से उनको पानी का लेवल काफी ऊंचाई पर मिल जाएगा और अनेक प्रकार से गांवों के लोगों को फायदा होगा । इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से पूछना यह है कि इस प्रकार से छोटे-छोटे तालाब खुदवाकर जो वर्षा का पानी इस देश में आता है, और बेकार चला जाता है, उसका उपयोग करने की कोई योजना मंत्रालय ने बनाई है, यदि हां, तो उस योजना को कब से प्रारंभ करेंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि लगभग 4 हजार क्यूबिक किलोमीटर पानी हमारे देश में आता है और इसमें से अधिकांश तो बर्फ के रूप में आता है । जो बहता हुआ पानी हमारे देश में है उसकी मात्रा 1850 क्यूबिक किलोमीटर है और उसमें भी जो उपयोग के हेतु काम में आ सकता है, उसकी मात्रा केवल 690 क्यूबिक किलोमीटर होती है । बाकी उसका जो हिस्सा है वह कुछ भाप बनकर उड़ जाता है, कुछ वनस्पति में चला जाता है, कुछ जमीन में चला जाता है । जो बहती हुई धाराएं हैं, उनको जो आंका गया है, उसके अनुसार

अभी जो बहता हुआ उपलब्ध पानी है वह 690 क्यूबिक किलोमीटर है। इसमें से लगभग आधे से कम का उपयोग अभी हम कर रहे हैं। आधे से अधिक का भी उपयोग करना अभी संभव है, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं।

माननीय सदस्य ने नलकूप की खुदाई इत्यादि के बारे में पूछा है। जहां तक जल संसाधन मंत्रालय का संबंध है, हम लोग पूरे देश में केवल इसकी खोजबीन करते हैं और पता लगाते हैं कि कहां-कहां भूमिगत जल उपलब्ध है, कितना उपलब्ध है, कहां कमी हो रही है, कहां उसका स्तर स्थिर है और उसके आधार पर फिर हम राज्य सरकारों को अपनी तरफ से योजनाएं बनाकर देते हैं और मिल-जुलकर राज्य सरकारें उन योजनाओं को क्रियान्वित करती हैं जिसके द्वारा नलकूप खोदे जाते हैं।

मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि उसमें बहुत-सी गड़बड़ी है जिसको सुधारना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि इसके बारे में जिस तरह से अभी आम राय बन रही है इससे सुधारने की दिशा में अच्छे प्रयास हो सकेंगे।

श्री राम पूजन पटेल : मंत्री जी ने बारीकी के साथ अपना जवाब दिया है। आपके उत्तर में जो दिया गया है, आपने कहा कि वाष्पीकरण और वनस्पति हानियों और नदी भू-भाग का अनुरक्षण करने के लिए नदी में जल की कुछ मात्रा प्रवाहित करने की आवश्यकता के कारण वर्षा जल का पूर्ण उपयोग करना संभव नहीं है। कोई भी आदमी पूरे जल का प्रयोग नहीं कर सकता है। लेकिन नदी के अनुरक्षण के लिए पानी का उपयोग न करना, यह जवाब समझ में नहीं आता है। पानी की रुकावट से जमीन की पैदावार बढ़ेगी और पेड़-पौधों की रखवाली भी होती है। कहीं-कहीं ज्यादा पानी भर जाता है तो पेड़ सूख जाते हैं यह सही बात है। लेकिन पेड़ों की रक्षा भी हो सकती है। मैंने जो प्रश्न किया था वह महत्वपूर्ण है। वह यह है कि इस देश में किसानों को फ्री बोरिंग की व्यवस्था की जाती है और वह बोरिंग का पैसा दुरुपयोग किया जाता है। निजी नलकूप लगाने के लिए उनको जो पैसा छूट में दिया जाता है तो यह प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप फलां जगह से ही मशीन खरीद सकते हैं। नतीजा होता है कि किसानों को अच्छी मशीनें नहीं मिल पाती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करें कि किसानों को सीधे पैसा देना चाहिए। बिचौलिए से ही भ्रष्टाचार और बेईमानी का जन्म होता है। मशीनें खराब होती हैं, किसान सिंचाई नहीं कर पाता है उससे उत्पादन कम होता है। यह राष्ट्रीय क्षति होती है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसानों को सीधे पैसा मिले। क्या सरकार ऐसा विचार कर रही है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा मैंने कहा कि यह व्यवस्था राज्य शासन के द्वारा होती है और जो शिकायतें हैं वह हमें भी मिली हैं। ये आधारहीन शिकायतें नहीं हैं, इनमें काफी सच्चाई है। इसके प्रति हमने विभिन्न राज्य शासनों का ध्यान आकर्षित किया है समय-समय पर। आज जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, हम दुबारा राज्य शासनों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करेंगे जिससे भूमिगत जल का समुचित उपयोग हो सके और किसानों को उसका लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न कुछ और नहीं बल्कि वर्षा के पानी का उपयोग करने के बारे में है। कृपया इस बात को ध्यान में रखिए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : माननीय मंत्रीजी के उत्तर से यह पता चलता है कि उपयोग किए जा सकने वाले जल के केवल 50 प्रतिशत का, यहां तक कि इससे भी कम जल का उपयोग हो रहा है। यह भी सत्य है कि हमारे द्वारा प्रतिवर्ष इस जल को नियंत्रित न कर सकने तथा उसका उपयोग न कर सकने के कारण हम बाढ़ तथा सूखे की वजह से 100 करोड़ रुपए के बराबर की फसल का नुकसान उठा रहे हैं। इन सब तथ्यों को देखते हुए क्या सरकार बहुत समय पहले स्वर्गीय डा० के० एल० राव द्वारा सुझाई गई योजना को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी जिसमें गंगा तथा कावेरी नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था, जहां उपलब्ध जल का बेहतर उपयोग किया जा सकता है जिससे यह देश समृद्धि की ओर बढ़ सके ? इसी के ही भाग के रूप में क्या सरकार आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तावित पोलावरम परियोजना को भी स्वीकृति प्रदान करेगी जिसमें वर्षा के जल के उपयोग के लिए गोदावरी तथा कृष्णा नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है ? ऐसी योजनाओं को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार किस तरह से राज्य सरकार की मदद करती है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, नदियों को जोड़ने के सुझाव विभिन्न रूपों में विभिन्न लोगों द्वारा दिए गए थे। हमारे एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैज्ञानिक तथा भूतपूर्व मंत्री डा० के० एल० राव ने एक सुझाव दिया था जिसकी विस्तृत जांच की गई थी। पत्पश्चात् इस योजना पर आने वाली बहुत ऊंची लागत को देखते हुए तथा विभिन्न भौगोलिक तत्वों के कारण इसे अव्यवहार्य पाया गया। लेकिन कम से कम विभिन्न नदियों की तलहटियों में जल की कमी को पूरा करने के लिए नदियों को जोड़ना ही एकमात्र जवाब है। इसलिए, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने पहले प्राय:द्वीपीय भारत में तथा फिर हिमालय की नदियों में नदी की तलहटी को जोड़ने का कार्य आरंभ किया है। हिमालय की नदियों को दक्षिण की नदियों के साथ तकनीकी दृष्टि से किन्हीं भौगोलिक कारणों के कारण जोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए इन पर दो पृथक् परियोजनाओं के रूप में कार्य किया गया है तथा मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम इन नदी तलहटियों को जोड़ने में सक्षम हो जायेंगे ताकि जल आधिक्य क्षेत्रों से जल को जल की कमी वाले क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जा सके।

जहां तक कि पोलावरम् परियोजना का संबंध है, यह एक ऐसी परियोजना है जो कि उपयोगी है तथा जो लागू होने जा रही है। हम उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं।

श्री पाला के० एम० मैथ्यू : महोदय, प्रत्येक राज्य में जिले से जिले में वर्षा के जल की उपलब्धता बहुत भिन्न-भिन्न है। केरल में विशेषकर कि इदुक्की के पहाड़ी तथा मैदानी जिले में अब अधिकतर क्षेत्रों में जल बिल्कुल नहीं है। क्या सरकार सूखाग्रस्त क्षेत्रों को और जल आधिक्य क्षेत्रों को जोड़ने की योजना पर विचार करेगी ? जिन क्षेत्रों में पानी की अधिकता है, उन क्षेत्रों में वर्षा के पानी को एकत्रित करने के लिए तथा उन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त क्षेत्रों से जोड़ने के लिए एक योजना बनाई जानी चाहिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह सच है कि केरल के कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है तथा कुछ क्षेत्रों में जल की कमी है। इसलिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को पूर्व की ओर मोड़ने के लिए एक अध्ययन किया गया था। यहां कुछ समस्याएं हैं, जिनका समाधान किया जा रहा है और जिन क्षेत्रों का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है उन पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को जिस विषय के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है, मैं उसके संबंध में प्रश्न पूछना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ऐसा बहुत बड़ा भू-भाग है ··(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : यह पूरे हिन्दुस्तान का प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष जी, मैं मूल प्रश्न पर आ रहा हूं। वर्षा का पानी रोक कर गांव का पानी गांव में रहने से वहां की सिंचाई व्यवस्था पहले से मजबूत रही है। क्या इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने के लिए भारत सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस विषय को सम्मिलित करने पर विचार करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, लघु सिंचाई योजनायें पूर्णरूपेण राज्य सरकारों का काम है। जहां-जहां हमारी राय और टेक्निकल सहायता की आवश्यकता पड़ती है या वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है, हम समय-समय पर और आवश्यकतानुसार उसे देते रहते हैं।

[अनुवाद]

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि तमिलनाडु केरल सीमा से अरब सागर में जाने वाले वर्षा के अतिरिक्त जल को उपयोग में लाने के लिए क्या सरकार का विचार कोयम्बटूर जिले, जहां पानी की कमी है, की सहायता के लिए कार्यवाही करने का है।

क्या गारलैंड नहर योजना अथवा किसी अन्य नई योजना के अन्तर्गत उत्तर के राज्यों से अतिरिक्त जल को तमिलनाडु की ओर मोड़ने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं पहले ही कह चुका हूं कि विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने के प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है और जैसे ही यह अध्ययन पूरा हो जाएगा, हम स्पष्ट रूप से इसके बारे में कुछ कह सकेंगे।

[हिन्दी]

दिल्ली में टेलीफोन उपकरणों की चोरी

***554. श्रीमती भावना चिखलिया :**
श्री रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में टेलीफोन-केबल और पी० सी० एम० उपकरण की चोरी होने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान ऐसी कितनी घटनायें हुईं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या हाल ही में दिल्ली पुलिस ने ऐसी चोरियां करने वाले अनेक व्यक्तियों को पकड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) इन घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल, 1991 से मार्च, 1992 तक ऐसी घटनाओं की संख्या एक सौ अड़सठ थी।

(ग) चोरी की उपरोक्त घटनाओं में सामग्री लागत के संबंध में रु० 19,82,662 की हानि हुई।

(घ) जी, हां।

(ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. महत्वपूर्ण केबल रूटों पर गश्त।
2. पी० सी० एम० कैबीनेटों पर बाहरी चेन और ताले का प्रबंध करते हुए मेनहोल ढक्कनों और बाहरी चेनों पर दो-दो ताले लगाना।
3. खुली पुलियाओं में कंकरीट में केबल बिछाना।
4. पुलिस प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ तालमेल।

विवरण

क्र० सं०	तारीख	चोरी की अवस्थिति	पकड़े गए व्यक्ति	पुलिस थाना	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	19-1-91	आई टी० ओ० पुल बैंक पोस्ट के निकट	2	शकरपुर	एम० टी० एन० एल० के दो कर्मचारियों द्वारा पकड़े गये।
2.	2-2-91	लक्ष्मीनगर एक्सचेंज के सामने	1	प्रीत विहार	शहिद नाम एक व्यक्ति को एम० टी० एन० एल० के दो कर्मचारियों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया।
3.	2^-8-91	वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र	2	अशोक विहार	श्री महेश चौकीदार ने अपराधियों को पकड़ा था।
4.	1-10-91	अशोक विहार	1	अशोक विहार	एम० टी० एन० एल० के कर्मचारी रवीन्द्र मोहन ने मुस्तफिक

1	2	3	4	5	6
					नामक एक अपराधी को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया।
5.	18-10-91	लाल किले के पीछे विद्युत शवदाह गृह के निकट	1	दरियागंज	एम० टी० एन० एल० के दो कर्मचारियों ने अभियुक्त विजय शर्मा को पकड़ा।
6.	18-10-91	आई० टी० ओ० पुल	2	शकरपुर	रमेश और राजू नामक दो व्यक्तियों को झुग्गी निवासियों द्वारा पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया।
7.	4-1-92	पंजाबी बाग क्लब के सामने	1	पंजाबी बाग	सैफुद्दीन नामक एक व्यक्ति को पकड़ कर पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया।
8.	4-1-92	केबल स्टोर पश्चिम विहार एक्सचेंज	5	पश्चिम विहार	तीन एम० टी० एन० एल० कर्मचारियों सहित पांच व्यक्तियों को एम० टी० एन० एल० के एक केबल निर्माण अधिकारी के कहने पर पकड़ा गया था।
9.	4-3-92	केशवपुरम पुलिस थाने के सामने लारेंस रोड फ्लाई ओवर के निकट	1	केशवपुरम	रोशन नामक एक व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा गया।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहती हूं कि दिल्ली में टेलीफोन केबल और पी० सी० एम० उपकरण चोरी होने की घटनाओं में वृद्धि हुई है तो हमारे हिंदुस्तान की राजधानी में जब यह हालत है तो पूरे हिन्दुस्तान में क्या हालत होगी, क्योंकि, हमने जो प्रश्न पूछा था, उसके उत्तर में भी बताया है कि 1991-92 में 20 लाख रुपये की हानि हुई है तो जितने लोग टेलीफोन केबल और पी० सी० एम० उपकरण

की चोरी में पकड़ना चाहते हैं, उनको पुलिस के हवाले करने से ही यह चोरियां कम नहीं होंगी, इसलिए सरकार इनके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने जा रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि इस प्रकार की चोरियों में वृद्धि हुई है और हमने इसे खुद अपने जवाब में माना है लेकिन पिछले दो-तीन महीने में कॉपर और एल्यूमिनियम का खास तौर से जब लोगों को पता लगा कि इन तारों में यह है तो उन्होंने दो तरीके से चोरी करने के प्रयास किए हैं। एक तो जब कभी मेनहाल या ड्रेनेज होती है। उसमें हमारे डिपार्टमेंट का कन्सर्न न होते हुए भी उस वक्त जो टेलीफोन के वायर उस ड्रेनेज में आ जाते हैं, उनको वह निकाल लेते हैं। हमने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि ड्रेनेज डिपार्टमेंट और एम० सी० डी० और जिस विभाग के अन्दर यह कांट्रेक्टर काम करते हैं या डिपार्टमेंट खुदाई करवाता है तो यह उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी। हमारे तार चोरी हुए तो वह डिपार्टमेंट उसको पे करेगा, एक तो सख्ती हमने यह की, जो हम कर सकते थे।

दूसरे, जैसा माननीय सदस्या ने कहा कि दिल्ली में यह हाल है तो अब चोरी का तो जहां तक सवाल है, यह कहीं भी हो, इससे राजधानी और दूसरी जगह में थोड़ा ही फर्क पड़ता है। इसमें मेरी जो अपनी राय है, उसमें कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से भी थोड़ी उन लोगों को जानकारी मिलती होगी कि तार यहां से जा रहा है और इसमें ऊपर से पुलिस ने भी थोड़ी ढील की है। हमने दोनों डिपार्टमेंट्स को सख्त चिट्ठियां लिखी हैं। हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी का जहां इन्वाल्वमैंट मिला है, थोड़ा बहुत भी, हमने बहुत सख्त कदम उनके खिलाफ उठाए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सख्त कदमों के बाद इसमें जरूर गिरावट आएगी और हम इस चोरी को बन्द कर पाएंगे।

श्रीमती भावना चिखलिया : माननीय अध्यक्ष जी, चोरी को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उसके बावजूद भी 1991-92 में भी चोरियां हुई हैं। मार्च, 1992 में भी चोरियां हुई हैं तो क्या माननीय मन्त्री जी यह जवाब देंगे कि जो कदम उठाए जा रहे हैं, या तो वह बिल्कुल कम हैं और उसमें जो चोरियां हुई हैं, उसमें एम० टी० एन० एल० के कर्मचारी भी शामिल हैं तो इन कर्मचारियों को कड़ी-से-कड़ी सजाएं देने के लिए कोई कदम आप उठाने जा रहे हैं ?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि कदम ज्यादा कारगर नहीं हुए, तो चोरी बढ़ी है। मैं आज इस बात को डिफेंड करने नहीं बैठा कि हमने तो बहुत सख्ती कर दी है। कुछ कारगर कदम नहीं हुए, तभी चोरी बढ़ी है। अगर कदम कारगर होते तो चोरी कम होती, इसलिए हमने उनमें सुधार करने की कोशिश की है। कर्मचारियों के जहां भी दो-तीन मामले हमें मिले, हमने सख्त-से-सख्त कदम उठाए हैं और आगे भी हम ऐसे सख्त कदम उठा रहे हैं जिससे डिपार्टमेंट में और बाहर भी यह संदेश पहुंचे कि अगर आप इस काम में कोई गलत काम करेंगे और तारों की चोरी करेंगे तो सरकार आपके खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। यह संदेश डिपार्टमेंट ने पहुंचाया है।

श्री रामकृष्ण कुसमरिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि करीब बीस लाख रुपये की हानि हुई है और उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि इसमें कर्मचारियों का भी हाथ है। जो चोरी का धन्धा चल रहा है, वह कर्मचारियों और चोरों द्वारा मिल

कर बड़े सुनियोजित ढंग से हो रहा है। यह धन्धा सारे हिन्दुस्तान में हो रहा है। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं, इसमें अगर कर्मचारी इन्वाल्व हैं, तो क्या इनके खिलाफ सी० आई० डी० की जांच कराई जाएगी, ताकि उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो सके और भविष्य में चोरियां रोकी जा सकें ? इसमें जो कार्यवाहियां बताई गई हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर आइए। क्या कड़ी-से-कड़ी कार्यवाही करने जा रहे हैं ? तेजी से जांच करवाना चाहेंगे।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य के मकसद को समझा है। सख्त से सख्त और ज्यादा कड़ी कार्यवाही करने के लिए, मैंने खुद ही संसद सदस्यों को भरोसा दिया है। जहां तक सी० आई० डी० की एन्क्वायरी की बात है, जब हमें महसूस हुआ कि हमारे डिपार्टमेंट में कहां-कहां रिवेल्यू का लीकेज हो रहा है और कहां-कहां ऐसी शिकायतें थीं तो हमने सबसे पहला कदम यह उठाया कि सी० बी० आई० को चिट्ठी लिखकर सारे डिपार्टमेंट्स सी० बी० आई० को सौंपे और उनसे कहा कि जहां आपको कोई गलती दिखे, जिस विभाग में भी दिखे, जिस सैक्शन में भी दिखे, उसकी इत्तिला आप सरकार को करें। उसके लिए हम सी० बी० आई० को पे भी कर रहे हैं, जिससे हमारा रिवेल्यू लीकेज बन्द हो। हमने कहा है, आप बतायें कि हमारे डिपार्टमेंट में कहां गलत काम हो रहे हैं। माननीय सदस्य के कहने से पहले ही हमने सी० बी० आई० से प्रार्थना की है और उन्होंने कुछ केसेज पकड़े भी हैं और कुछ सुधार नजर भी आ रहा है।

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि सबसे अधिक पूर्वी दिल्ली के अन्दर टेलीफोन लाइन्स की चोरी होती है। पिछले ग्यारह महीनों में मैंने लगभग 60 केसेज दर्ज करवाये हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह किसकी कान्स्टीचूयेंसी है ?

(व्यवधान)

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : महोदय, एल० जी० साहब का कहना है कि दिल्ली के अन्दर पुलिस फोर्स की कमी है जवानों की कमी है। मैं यह जानना चाहूंगा, राजधानी के अन्दर पुलिस की कितनी फोर्स है, क्योंकि विशेष रूप से एक-तिहाई हिस्सा जनसंख्या का पूर्वी दिल्ली में रहता है; वहां पर चोरी की मात्रा बहुत अधिक है ? अगर पुलिस फोर्स की संख्या कम है, तो आप उसको कब तक बढ़ा लेंगे, ताकि चोरियां कम हो सकें ?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, पहले जो उस इलाके के नुमाइन्दे थे, उनके जमाने में ज्यादा चोरी नहीं होती थीं और ये बढ़ी हैं। अगर मदन लाल खुराना जी और भाई प्रेम जी इसमें मदद कर दें, तो उससे ज्यादा फायदा होगा। ···(व्यवधान)···

श्री मदन लाल खुराना : पहले भगत जी की कान्स्टीचूयेंसी थी। आपके मित्र हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको यह गारंटी दे सकता हूं कि सदस्यों को इससे कुछ भी लेना-देना नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि इनके आने के बाद चोरी की घटनाओं में कमी आयी है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, मेरा मकसद यह है कि मैं इसमें प्रतिनिधियों की मदद मिले। जहां यह मालूम हो सके और उनका सहयोग लेकर इसको कम करें, लेकिन आप बतायें।

[अनुवाद]

दूरदर्शन कार्यक्रमों का आवंटन

*556. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन निर्माताओं के नाम क्या हैं, जो दूरदर्शन द्वारा आबंटित कार्यक्रम तैयार करके नहीं दे सके;

(ख) क्या यह सच है कि उन्हीं निर्माताओं को नये कार्यक्रम आबंटित कर दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) दूरदर्शन द्वारा उनमें से प्रत्येक निर्माता को दी गई अग्रिम धनराशि का ब्योरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने ऐसे प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) उन निर्माताओं का ब्योरा नीचे दिया गया है, जिन्हें दूरदर्शन द्वारा पहले दिए गए कार्यक्रम पूरा कर लौटाने से पूर्व, अतिरिक्त कमीशंड कार्यक्रम दे दिए गए और अग्रिम धनराशि भी दे दी गई :

निर्माता	कुल अग्रिम राशि (लाख रुपए)
1. श्री रवि टिक्कू	5.88
2. श्री सुनील नैय्यर	10.80
3. श्री राकेश श्रीवास्तव	6.40

अतिरिक्त कार्यक्रम, दूरदर्शन कार्यक्रम सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिए गए थे। इन कार्यक्रमों को पूरा कराने के लिए दूरदर्शन संबंधित निर्माताओं से संपर्क बनाए हुए है।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री महोदय से क्या कहा जाए। मैं यह

कहना चाहता हूं, जो डिफाल्टर्स थे, मंडी हाउस का मंडी बाजार कुख्यात है, यह सबको पता है कि कैसे आप इनको देते हैं। जो डिफाल्टर्स थे, इनको कितना एमाउन्ट एडवांस दिया है, जो अभी दिया है वह नहीं—पहले और डिफाल्टर्स के क्या रीजन्स थे, और इनकी ड्यू डेट्स क्या थीं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सूची लम्बी है या छोटी ? अगर लम्बी है तो इसे लिखित में भेज सकती हैं।

[हिन्दी]

कुमारी गिरिजा व्यास : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहती हूं कि उत्तर में भी डिफाल्टर शब्द नहीं है। किन्हीं कारणों से, चूंकि कुछ लोग उस क्षेत्र से संबंधित हैं, कुछ लोगों ने, जो हम चाहते थे, वे सीरियल केवल एक या दो लोगों ने दिये, इसलिए उनके कार्य पूरा होने से पहले ही उनको कुछ कार्य दे दिया। इसलिए पहले तो मैं सदस्य महोदय से यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो कुछ नाम दिये गये हैं वे डिफाल्टर्स नहीं हैं। जहां तक इनके दूसरे प्रश्न बी का सवाल है तो मैं इस संबंध मे निवेदन करना चाहती हूं, जैसा कि आपने इस संबंध में मुझे आदेश दिया है, बड़ी लिस्ट तो नहीं है लेकिन इसमें जहां तक पहले श्री रवि टिक्कू जी का सवाल है, इनके तीन सीरियल, डाकूमेंटरी सीरियल पहले से मंजूर थे जिनका 40 परसेंट पेमेंट हो गया है और उसका टेलीकास्ट अभी पेंडिंग है। दूसरा, जो बाद में दिया गया है, चिनार, उसका पेमेंट भी रिलीज हो गया है और वे टेलीकास्ट भी हो चुके हैं। तीसरा, जो लौट आओ है उसका फाइनल प्रोग्राम उन्होंने सबमिट कर दिया है और अभी तक उसका टेलीकास्ट होना बाकी है। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह वाघेला : पुराने वालों को कितना एडवांस दिया, जो एडवांस के बाद भी (व्यवधान) इन्होंने प्रोग्राम आपको नहीं दिए यह मैं पूछ रहा हूं।

कुमारी गिरिजा व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक पहले रवि टिक्कू जी का सवाल है, एक लाख पचास हजार एडवांस दिया था, दूसरा सोनिक इनफेंस का एक लाख पचास हजार, टोरनडो का एक लाख पचास हजार, चिनार का एक लाख पचास हजार, लौट आओ का तीन लाख पचास हजार पेमेंट हो चुका है और मैंने अभी निवेदन किया कि डिफाल्टर नहीं है, धीरे-धीरे करके कार्यक्रम दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह वाघेला : कौन-सी तारीख तक देना है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस तरह से नहीं करें। यह ऐसे नहीं जा सकता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी गिरिजा व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि पहले कमीशन कार्यक्रम के लिए कोई डेडलाइन निश्चित नहीं होती थी लेकिन अब नये कार्यक्रम में इसे और अधिक सुविधापूर्ण बनाने के लिए, डेडलाइन तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन अब एक अवधि

दी जाने लगेगी और उस अवधि तक इनको पूरा करके देना पड़ेगा। (व्यवधान) इसको और भी साउंड करने के लिए बैंक की गारंटी भी आवश्यक मानी गई है ताकि कोई भी डिफाल्टर न रहे और उस अवधि तक अपने कार्यक्रम पूरे करके दूरदर्शन को दे सकें।

श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष महोदय, जो बैंक की गारंटी की आपने बात की, तो कोई प्रोड्यूसर की बैंक की गारंटी, इसके हिसाब से क्या आपने रोक रखी है और सी० ए० जी० ने भी कहा है कि क्राइटेरिया और प्रोसिजर आप तय करेंगे, तो इसके बारे में कोई गाइडलाइन्स, क्राइटेरिया या प्रोसिजर कब तक तय करेंगे और डिफाल्टर्स है, बहुत अधिक है, इनके बैंक की गारंटी में से आपने रोक रखी है या गारंटी में से कुछ काटी है ?

कुमारी गिरिजा व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी निवेदन किया कि प्रारंभ में इससे पूर्व 1-1-1992 से पूर्व कोई भी गाइडलाइन, कमीशन प्रोग्राम से संबंधित नहीं थी। अभी नयी गाइडलाइंस 1-1-1992 को बनी हैं, जो 17-3-1992 को प्रकाशित हुई हैं, उसके बाद बैंक गारंटी, आवश्यक है, इसलिए अभी इसका और सरलीकरण होगा।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, व्यापारिक कंपनियों को जब दूरदर्शन पर समय आवंटित किया जाता है और उन्हें कुछ कार्यक्रमों को सह-निर्माता के रूप में पेश करने की अनुमति दी जाती है तो यह स्वाभाविक है कि वे अपने हित में अधिकाधिक इसका प्रयोग करेंगे ही। मैं माननीय मंत्री का ध्यान एक तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहती हूं, कुछ दिन पूर्व जब सत्यजीत राय की फिल्में दूरदर्शन पर दिखलायी जा रही थीं, तो उस कार्यक्रम के निर्माताओं ने यह संदेश प्रसारित करना जरूरी समझा कि वे उन फिल्मों या फिल्म के कुछ भागों को दूरदर्शन पर पेश कर रहे हैं और ये संदेश तस्वीर के ऊपर लिखे होने की वजह से दृश्य व चित्र सं में पूरी तरह नष्ट कर रहे थे। जब हम लोग सत्यजीत राय की फिल्म 'देवी' देख रहे होते हैं तो हम तस्वीर पर यह संदेश नहीं देखना चाहते कि अमुक कंपनी ने इसको दूरदर्शन पर पेश किया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि क्या उनका मंत्रालय इन व्यापारिक कंपनियों को यह निर्देश जारी करेगा कि वे इस प्रकार के सांस्कृतिक विकृति में संलग्न होने से बाज आयें।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : जहां तक मैं समझता हूं कि माननीय सदस्या का तात्पर्य प्रायोजकों से है न कि निर्माताओं से। फिल्म निर्माता तो सत्यजीत राय स्वयं ही हैं। प्रायोजकों का नाम इसलिए प्रसारित किया जाता है क्योंकि वे इसका खर्च वहन करते हैं। मैं निश्चित तौर पर यह देखूंगा कि प्रायोजकों का नाम इस प्रकार दिखाया जाना फिल्म के दृश्य को प्रभावित करता है, या नहीं। अगर ये कुप्रभावित करते होंगे तो इन्हें बन्द किया जाना चाहिए। वास्तव में यह दोष प्रायोजकों का न होकर हमारा ही है। यह कोई तकनीकी खामी है। नामों को इस रूप में छापा जाना चाहिए जिससे वे फिल्मों के दृश्यों को कुप्रभावित न करें। जब हम संसद के प्रश्नकाल को प्रसारित करते हैं, तो आपके निर्देशानुसार माननीय सदस्यों के नाम इस तरह अंकित करवाते हैं जिससे कि वे नाम उनके चेहरे और कार्यवाहियों को प्रभावित न कर सकें। मैंने माननीय सदस्या का उत्तम सुझाव नोट कर लिया है।

उड़ीसा में दूरदर्शन स्टुडियो कम्प्लैक्स

*558. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में भुवनेश्वर में दूरदर्शन स्टुडियो कम्पलैक्स के पूरा होने में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसे शीघ्रता से पूरा कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या आदिवासी संस्कृति संबंधी कार्यक्रम दिखाने के लिए राउरकेला में दूसरा कम्प्लैक्स स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो यह कम्प्लैक्स कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) भुवनेश्वर की स्टुडियो केन्द्र परियोजना के पूरा होने में कुछ विलब हुआ है। यह विलम्ब प्रारंभ में भवन निर्माण कार्य के लिए टेंडर दोबारा आमंत्रित करने की आवश्यकता के कारण और बाद में सीमेंट की अपर्याप्त सप्लाई के कारण हुआ। स्टूडियो की इमारत का निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है तथा वातानुकूलन और प्रकाश का काम चल रहा है। वर्तमान संकेतो के अनुसार इस स्टुडियो केन्द्र के 1992-93 के दौरान पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

कुमारी फ्रिडा तोपनो : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार को उड़ीसा और बिहार के आदिवासी नेताओं—बिरसा मुंडा, निरमल मुंडा, स्व० सिद्ध, स्व० कान्हू और सुरेन्द्र राय के नेतृत्व में हुई जनजातियों के महान क्रांति के बारे में जानकारी है। अगर जानकारी है तो मैं जानना चाहती हूं कि उन लोगों के कृत्यों पर अभी तक कोई भी वृत-चित्र क्यों नहीं तैयार करवाया गया ? सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाने जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : महोदय, इस बात का ताल्लुक इस प्रश्न से नहीं है। लेकिन उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान दर्शाते हुए, जिनके नामों का उल्लेख किया गया है, मैं कहना चाहूंगा कि इनमें से बिरसा मुंडा पर दूरदर्शन एक फिल्म निर्माण करने की कोशिश कर रहा है और जहां तक दूसरे नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों का संबंध है, उनके बारे में तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही मैं माननीय सदस्या को कोई जानकारी दे सकूंगा।

कुमारी फ्रिडा तोपनो : महोदय, क्या सरकार जानती है कि हमारी कुल जनसंख्या में खासकर उड़ीसा में जनजातियों का अच्छा खासा भाग है इसलिए उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ? मैं सरकार से यह भी जानना चाहती हूं कि जनजाति क्षेत्रों में जनजाति संस्कृति को उभारने के लिए दूरदर्शन स्टुडियो और केन्द्रों की स्थापना के क्या मापदंड हैं ?

श्री अजित पांजा : महोदय, पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों पर हम विशेष जोर दे रहे हैं। हम दो तरीके से यह राय करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो यह कि हम पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में सामुदायिक टेलीविजन सेटों की व्यवस्था करवा रहे है जिससे वहां के लोग भी जिनके पास टेलीविजन खरीदने की क्षमता नहीं है, इस इलेक्ट्रानिक मीडिया के कार्यक्रमों को देख सकें। उसके बाद जनजाति बहुत क्षेत्रों में उच्च और निम्न शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की स्थापना

जैसी दूसरी सुविधाओं का भी विस्तार कर रहे हैं। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रांसपोजरों की स्थापना भी करवा रहे हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है कि राऊरकेला में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। जबकि उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सम्भलपुर और जेपुर दूरदर्शन केन्द्रों के विस्तार का प्रस्ताव भेजा है और साथ ही उड़ीसा में दूरदर्शन के दूसरे चैनल की स्थापना की भी मांग की है। जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ीसा में दूरदर्शन का कवरेज सिर्फ 70 प्रतिशत ही है जबकि इसका राष्ट्रीय कवरेज 90 प्रतिशत से भी ज्यादा है। अतः वहां दूरदर्शन के शत-प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने के लिए सम्भलपुर और जेपुर केन्द्रों का विस्तार करना अति आवश्यक है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि उड़ीसा में शत-प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने के लिए सरकार आठवीं योजना के अन्तर्गत वास्तव में कौन से कदम उठा रही है ? उड़ीसा के लिए दूसरे चैनल के बारे में, क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अजित पांजा : जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, यह कहना सही नहीं है कि उड़ीसा राष्ट्रीय-प्रसारण के मामले में पीछे चल रहा है। दूरदर्शन के कार्यक्रम अभी देश के शत-प्रतिशत भाग तक नहीं पहुंचे हैं। मैं यह कामना करता हूं कि हम इस दिशा में प्रयास करेंगे। दूरदर्शन प्रसारण का क्षेत्र अभी देश का 72 प्रतिशत भाग ही है, वह भी कुछ क्लस्टरों से। यह दूरदर्शन के प्रसारण के क्षेत्र का प्रतिशत है, न कि आकाशवाणी का।

जहां तक उड़ीसा के प्रसारण क्षेत्र का संबंध है, यह लगभग संपूर्ण देश की औसत के बराबर है। वास्तव में, इस सरकार के बनने के पश्चात्, उड़ीसा पहला राज्य था, जिसे उपग्रह से जोड़ा गया है और समस्त उड़ीसा राज्य के लिए उपग्रह के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यक्रम—कटक—कार्यक्रम प्रसारित किए गए हैं। अब हमें इसका ढांचा तैयार करना है। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां अल्प शक्ति वाले अथवा उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर नहीं हैं। आठवीं योजना में हमने उनमें से कुछ को योजना आयोग के विचार के लिए रखा है। ज्यों ही उन्हें योजना आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया जायेगा, हम माननीय सदस्यों को प्रसारण क्षेत्र की प्रतिशतता के बारे में सूचित करने में सक्षम होंगे।

वास्तव में, जनसंख्या के हिसाब से प्रसारण की पहुंच फिलहाल 77 प्रतिशत जनता तक ही है और विद्यमान परियोजना के पूरा होने पर, जोकि संभवतः इस वर्ष के अन्त तक अथवा अगले वर्ष के शुरू में ही पूरी होगी, यह प्रतिशतता बढ़कर 83 प्रतिशत हो जायेगी।

जहां तक क्षेत्रवार प्रसारण प्रतिशत का संबंध है, वर्तमान में यह 71 प्रतिशत है। चल रहे कार्यक्रम के पूरा होने के अन्त में, भूगौलिक क्षेत्र प्रसारण 77 प्रतिशत हो जायेगा।

जहां तक दूसरे चैनल का संबंध है, वह मुद्दा बिल्कुल भिन्न है। पिछली सरकार ने दूसरे चैनल को केवल महानगरों के लिए ही सोचा था। यही कारण है कि इसे दूसरा चैनल एक गलत नाम दिया गया।

कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली में बाहर से आकर बसी विभिन्न प्रकार की जनता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यह कार्यक्रम संबद्ध नगर के 70 किलोमीटर तक के क्षेत्र

के लिए ही है। यदि यह बम्बई महानगर है, तो यह चैनल इस महानगर में 70 किलोमीटर दूर तक बसे विभिन्न भाषा समूहों, नगर में अजीविका कमाने, व्यापार और अन्यथा उद्देश्य से आए विभिन्न लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहा है।

जहां तक उड़ीसा का संबंध है, यहां क्षेत्रीय चैनल की योजना बनाई गई थी, जोकि चालू कर दी गई है। भारत के पूर्वी भाग में केवल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को ही क्षेत्रीय चैनल की सुविधा प्राप्त है। आठवीं योजना के अन्त तक हम सभी अन्य राज्यों तथा सात केन्द्र शासित-प्रदेशों में यह सुविधा प्रदान करने की सोच रहे हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में चल रही सिंचाई परियोजनायें

*560. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में चल रही सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए कोई दल भेजा है;

(ख) क्या इस दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

श्री अर्जुन सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई परियोजनाओं हेतु धन आवंटित किया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, जी हां, उनको पर्याप्त मात्रा में धन आवंटित किया गया है। जहां जैसे आवश्यकता पड़ती है उसको हम देखभाल करके धन देते रहते हैं।

श्री अर्जुन सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन्होंने धन तो आबंटित किया, लेकिन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में क्या बाधाएं आ रही हैं मानेटरिंग क्यों नहीं सुनिश्चित की गयी है ? क्या माननीय मन्त्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि इनकी जांच होती रहेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, जो योजनाएं हैं वे दो भागों में विभाजित की जाती हैं। कुछ ऐसी हैं जिनकी अनुमति यहां से दी जा चुकी है और कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनका बिना अनुमति के क्रियान्वयन हो रहा है। जहां तक ऐसी योजनाएं हैं जिनका काम केन्द्र के सहयोग से और केन्द्र की अनुमति से चल रहा है वहां पर समय-समय पर केन्द्रीय जल आयोग की टीम जाती रहती है उनके इंजीनियर भी यहां आते रहते हैं, उसका काम लगभग ठीक प्रकार से चल रहा है। पिछले साल जब उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्यों से मेरी बात हुई थी तो यह प्रश्न उठा था कि जिन योजनाओं को उत्तर प्रदेश सरकार ने चला रखा है, जिनमें केन्द्रीय अनुमति नहीं मिली है, उन योजनाओं का क्या होगा। तब मैंने कहा था कि एक केन्द्रीय जल आयोग की टीम को वहां भेजेंगे जो देखकर उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करेगी कि जिस प्रकार से धनराशि खर्च हो

चुकी है उसका सदुपयोग हो सके, किसी प्रकार से इस धनराशि का अपव्यय न हो। इसी तरह से इसके अनुसार हमने नवम्बर, 1991 में केन्द्रीय जल आयोग की टीम भेजी, जिसने वहां पर पहले तो सब मामले तय किए कि ठीक उसी प्रकार से उस काम को किया जायेगा और उन आधारों पर हमने फिर से काम शुरू किया है जिससे वह काम चल सके और जहां-जहां खामियां हैं, उनको दूर किया जा सके।

[अनुवाद]

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957

*561. **श्री अनिल बसु :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या खनन पट्टा (शर्तों में परिवर्तन) नियम, 1956 में संशोधन करने का विचार है ताकि गौण खनिजों को इन नियमों के अध्यधीन लाया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है।

विवरण

(क) से (ङ) सरकार विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों, फेडरेशन आफ माइनिंग एसोसिएशन्स एण्ड माइनिंग इंडस्ट्री (फीमी) से प्राप्त प्रस्तावों को ध्यान में रख कर, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने पर विचार कर रही है। जिन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है, उनमें खनन पट्टों/पूर्वेक्षण लाइसेंसों की अवधि में परिवर्तन करना, अधिनियम की प्रथम अनुसूची में संशोधन करना, जिसमें उन खनिजों की सूची दर्शाई गई है, जिनके बारे में खनन पट्टों/पूर्वेक्षण लाइसेंसों के अनुदान अथवा नवीकरण से पहले केन्द्र सरकार के अनुमोदन की अपेक्षा होती है, समुद्र तलीय खनिजों के खनन पट्टों को एक करने की सुविधा का समावेश है। इसके अलावा ऐसे संशोधन भी शामिल हैं, जिनसे अधिनियम में किसी प्रकार की अस्पष्टता को दूर किया जा सके तथा उनका कार्यान्वयन अधिक कारगर बनाया जा सके।

2. खनन पट्टा (शर्तों का उपान्तरण) नियम, 1956 में संशोधन करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अप्रधान खनिजों को इन नियमों के अन्तर्गत लाना है, ताकि अप्रधान खनिजों के लिए खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के लागू होने से पहले अनुदत्त पट्टों की शर्तों को यथा-संगत उपांतरित किया जा सके।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : जहां तक राज्यों की शक्तियों का संबंध वह एक बहुत नाजुक प्रश्न है।

मुझे लगा है कि केन्द्रीय सरकार ने अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है । पिछले सप्ताह खनिज वैधीकरण विधेयक के अन्तर्गत उपकर और अन्य करों पर चर्चा करते समय मन्त्री महोदय ने स्वयं कहा था, "मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खान और खनिज विकास अधिनियम अपने आप में ही एक विस्तृत विधेयक है. और इसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है ।" और आज एक सप्ताह के भीतर ही सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि वह खान और खनिज अधिनियम, 1957 में संशोधन करने पर विचार कर रही है । छः दिन पहले माननीय मन्त्री महोदय ने कहा था कि इस अधिनियम को संशोधित नहीं किया जा रहा है और छः दिन के बाद इसी सभा में, मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि सरकार अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है । "विचाराधीन प्रस्तावों में खनन पट्टों की अवधि में पूर्वेक्षण लाइसेंसों में परिवर्तन करना, अधिनियम की प्रथम अनुसूची में संशोधन करना" आदि सम्मिलित हैं । मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में यही कहा है ।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता है कि इस संशोधन से, जोकि सरकार इस विधेयक में इस सभा के समक्ष लाना चाहती है, क्या इससे राज्यों को लाभ पहुंचेगा और यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधन से राज्यों के कौन-कौन से क्षेत्र लाभान्वित होंगे ।

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट को क्या-क्या बेनीफिट होगा । स्टेट गवर्नमेंट की काफी दिनों से यह मांग थी कि जो माइनर मिनेरल्स है जिसमें ग्रेनाइट मारबल आता है, इसको मेजर मिनेरल्स में न लिया जाए । हमने इसमें फैसला ले लिया और मैंने राज्य सभा में कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स की भावनाओं को देखते हुए हम इसको भारत सरकार के मेजर मिनेरल्स के प्ररव्यू में नहीं लेना चाहते ।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : खनिजों से रायल्टी राज्य सरकारों की आय का एक प्रमुख स्रोत है । कुछ राज्य सरकारें खनिजों पर उपकर लगाती हैं, परन्तु बाद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इस आधार पर उपकर को समाप्त कर दिया कि राज्य सरकार को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है और यही कारण है कि सभा के समक्ष खनिज वैधीकरण विधेयक लाया गया था और पिछले सप्ताह इस सभा में इसे पारित कर दिया गया था । रायल्टी का प्रश्न एक बड़ा ज्वलन्त मुद्दा है । राज्य रायल्टी की ऊंची दर मांग रहे हैं, जिसे अस्वीकार कर दिया गया है । विद्यमान नियमों के अनुसार रायल्टी की दरों की हर चार वर्ष के पश्चात् समीक्षा की जानी चाहिए परन्तु ऐसा पिछले आठ-नौ वर्षों से नहीं किया गया है ।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रायल्टी मात्रा के आधार पर लगाई जाती है, न कि मूल्य आधार पर । राज्य सरकारें मांग कर रही थीं कि इन्हें मूल्यों के आधार पर लगाया जाना चाहिए । केन्द्रीय सरकार के मना करने का एक कारण यह भी है कि खनिजों की कीमतों में तेजी आ रही है । अतः, खनिज मूल्यों पर, जो कि बढ़ते-घटते रहते हैं, रायल्टी नहीं दी जा सकती ।

क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या सरकार मात्रा के आधार का बजाय मूल्यों के आधार पर रायल्टी निर्धारित करने पर विचार कर रही है । मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या वे रायल्टी पहलू की समीक्षा भी करना चाहेंगे; क्या वे खनिजों पर रायल्टी के बारे में कोई निर्णय लेने जा रहे हैं ।

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : अभी हाल ही में मिनरल्स की रायल्टी रिव्यू की जा चुकी है। जहां तक माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या आप मूल्य के आधार पर रायल्टी के रेट्स रखेंगे तो यह सम्भव नहीं है। 1967 से पहले इसके रेट्स मूल्य के आधार पर तय होते थे। बाद में एक स्टडी ग्रुप बनाया गया। उसमें सभी की राय ली गई और जो व्यावहारिक कठिनाइयां थीं उनको मद्देनजर रखते हुए 1967 में उस स्टडी ग्रुप ने यह फैसला दिया कि रायल्टी के रेट्स क्वालिटी के आधार पर तय किये जायें। अगर हम मूल्य के आधार पर रेट्स तय करते हैं तो मिनरल्स के मूल्य हर राज्य मे अलग-अलग होंगे। इसलिए राष्ट्रीय स्तर से निर्णय किया गया है। इसमें कई मिनरल्स ऐसे हैं जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा है और हम उनका निर्यात करते हैं। इसलिए मूल्य के आधार पर रेट्स तय करना उचित नहीं है।

श्री नीतीश कुमार : अभी जो मूल प्रश्नकर्ता ने इशारा किया उसमें नहीं जाते हुए मैं यह बात जानना चाहूंगा कि जब पिछले दिनों इस पर बहस चल रही थी उस समय हम लोगों ने यह मांग की थी कि माइंस एंड मिनरल्स डवलपमेंट ऐक्ट, 1957 में संशोधन किया जाये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार माइंस एंड मिनरल्स डवलपमेंट ऐक्ट, 1957 में जो संशोधन लायेगी ? उसमें यह भी विचार किया जाएगा कि राज्यों को फिर से सेस वसूल करने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि आपने रायल्टी की दर वजन के आधार पर निर्धारित की है न कि कीमत के आधार पर, इसके चलते मुख्य खनिज उत्पादन करने वाले राज्यों बिहार, उड़ीसा और बंगाल को नुकसान हो रहा है। बिहार को 350 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। लेकिन जो कम उत्पादन करते हैं उनको रायल्टी की इस दर से फायदा हुआ है। इस क्षति की पूर्ति करने के लिए क्या फिर से राज्यों को सेस वसूल करने का अधिकार आप उस संशोधन में समाहित करने जा रहे हैं या नहीं ?

श्री बलराम सिंह यादव : मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि जो मेजर मिनरल्स हैं और शिड्यूल्ड मिनरल्स हैं ये राष्ट्रीय महत्व के हैं। राज्यों को अधिकार देना उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि यदि हम अधिकार देंगे तो किसी राज्य में सौ रुपया, किसी में दो सौ और किसी में तीन सौ रुपया की दर निर्धारित होगी (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : बिहार की सरकार ने लिखा है कि सेस की राशि हम केन्द्र के परामर्श से तय करेंगे, मन्त्री जी गलत उत्तर दे रहे हैं। (व्यवधान) पूरा उत्तर नहीं आया।

श्री बलराम सिंह यादव : सेस लगाने की राज्यों को इजाजत नहीं दी जा सकती। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : यह बहुत ही गंभीर मामला है। आप इस मुद्दे पर राज्यों को अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं ? (व्यवधान)

डा० कृपासिन्धु भोई : महोदय, खानें और खनिज राष्ट्रीय संपत्ति हैं। मैं मन्त्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि वह खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने के लिए एक व्यापक विधेयक लाने जा रहे हैं। वह इसे संशोधित करने जा रहे हैं। इस बारे में पहले जो कानून है उसमें संशोधन होने जा रहा है। यह एक सामन्तवादी अधिनियम है। इसके साथ-साथ पूर्वेक्षण लाइसेंसों और खनन लाइसेंस देते समय आमतौर पर

अनुभव यह रहा है कि यह करोड़पतियों को दिए जाते हैं, क्योंकि उनके पास काफी अनुभव होता है, इसलिए उन्हें तरजीह दी जाती है। यदि आप इसे परिवर्तित कर सहकारी समितियों और खनन-स्नातकों को दें तो वे इन्हें स्वीकार कर लेंगे। इस अधिनियम में संशोधन के समय क्या आप इसके सूत्रीकरण हेतु तकनीकीविज्ञों और मौसम-वैज्ञानिकों तथा खनन अभियंताओं से परामर्श करेंगे। इसके साथ-साथ विपक्ष के माननीय सदस्य उपकर लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। राज्य सरकार उपकर नहीं लगा सकती। वे रायल्टी के लिए कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : समय बहुत थोड़ा है। कृपया घड़ी पर निगाह रखें।

डा० कृपासिन्धु भोई : मैं यह कहना चाहता हूं कि रायल्टी मूल्य के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए, क्योंकि खनिज देश की धरती में छिपे होते हैं। और देश की धरती को इससे लाभ नहीं होता, बल्कि दूसरे लोग इसका लाभ उठाते हैं। इन बातों के आधार पर मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे मूल्य के आधार पर रायल्टी निर्धारित करने के मेरे विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : मान्यवर, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि एड वलोरम रायल्टी फिक्स नहीं की जा सकती।

श्री श्रीकांत जेना : क्यों नहीं होगी ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दूरदर्शन द्वारा फिल्मों की खरीद

*555. **प्रो० के० वी० थामस** :
श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन विदेश स्थित कम्पनियों से फिल्म खरीदता रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों को अवहेलना करके किन्हीं विदेशी फिल्मों का आयात किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां। 1991-92 में दूरदर्शन ने मैसर्ज फेयरमोंट इंटरनेशनल प्रा० लि०, सिंगापुर से "दि गार्डन आफ अल्लाह" और "दि वाइल्ड हार्ट" नामक फिल्मों के प्रसारण अधिकार खरीदे थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

उत्तरी राज्यों में बिजली की सप्लाई भंग होना

*557. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उत्तरी राज्यों में बड़े पैमाने पर बिजली की सप्लाई भंग हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार से बिजली व्यवस्था भंग हो जाने की घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) हाल ही में 9 मार्च, 1992 और 31 मार्च, 1992 को उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली में भारी गड़बड़ी की दो घटनाएं हुई थीं जिनके परिणामस्वरूप उत्तरी क्षेत्र की अधिकांश संघटक प्रणालियों में विद्युत सप्लाई ठप्प हो गई थी ।

(ख) 9 मार्च, 1992 को ग्रिड सम्बन्धी गड़बड़ी, प्रकटतया उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के अनपारा ताप विद्युत केन्द्र के 400 के० वी० स्विचयार्ड में दोष उत्पन होने के परिणामस्वरूप प्रणाली में विद्युत सम्बन्धी अत्यधिक घटबढ़ के कारण हुई थी । 31 मार्च, 1992 को हुई ग्रिड सम्बन्धी गड़बड़ी, प्रकटतया तूफान एवं तड़ित की घटनाओं के परिणामस्वरूप अनपारा 400 के० वी० स्विचयार्ड के समीप प्रणाली में दोष आ जाने के कारण हुई थी ।

(ग) इन घटनाओं की जांच करने तथा सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है ।

[हिन्दी]

कानपुर में गंगा बराज

*562. श्री केशरी लाल :
श्री सुरेशानन्द स्वामी :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर में गंगा बराज परियोजना के बारे में संशोधित परियोजना रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेज दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने परियोजना का निर्माण करने के लिए एक समयबद्ध और चरणबद्ध कार्यक्रम को स्वीकृति दी है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग कितना-कितना खर्च उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस बराज को कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

डाक सेवाएं

*563. श्री डी० एम० सी० बालयोगी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण, तटीय और आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर डाक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु स्पीड पोस्ट जैसी कोई नई प्रणाली शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्तमान डाक प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए कोई नए कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जनजातीय, ग्रामीण और तटतीय क्षेत्रों सहित नए शहरों/कस्बों में स्पीड पोस्ट की शुरुआत करना उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, उपर्युक्त ट्रांसमीशन नेटवर्क की उपलब्धता और परियात तथा व्यावसायिक दृष्टि से इसकी व्यवहार्यता को मद्देनजर रखते हुए एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) आठवीं योजना में महानगरों में मेकेनाइज्ड सार्टिंग मशीनें लगाकर, डाकघरों में इलेक्ट्रानिक मनी ट्रांसफर और कम्प्यूटर पर आधारित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें लगाकर मौजूदा डाक प्रणाली को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है।

मुलवाड़ा और अपर तुंगा परियोजनायें

*564. श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने विश्व बैंक की सहायता के लिए मुलवाड़ा और अपर तुंगा परियोजनाओं संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इन परियोजनाओं से कितनी भूमि की सिंचाई करने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मुलवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम के अन्तर्गत सिंचाई प्रदान किए जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्र 29,500 हेक्टयर है तथा अपर तुंगा परियोजना के अन्तर्गत 94,698 हेक्टेयर है।

क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार

*565. श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी नई दिल्ली से हिन्दी को छोड़कर अन्य भारतीय भाषाओं में प्रसारित होने वाले समाचार केवल सम्बन्धित राज्यों में ही सुने जा सकते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राजधानी दिल्ली में रहने वाले अन्य क्षेत्रों के व्यक्तियों के लाभार्थ इन्हें आकाशवाणी दिल्ली से कम शक्ति के ट्रांसमीटरों के माध्यम से प्रसारित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) आकाशवाणी नई दिल्ली द्वारा 17 भारतीय भाषाओं में केन्द्रीय समाचार बुलेटिन तैयार किए जाते हैं जिन्हें संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा प्रसारित किया जाता है। इनमें उर्दू और पंजाबी के समाचार बुलेटिन दिल्ली केन्द्र से भी प्रसारित किए जाते हैं।

(ख) और (ग) क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों के स्थानीय प्रसारण के लिए दिल्ली में दो एफ० एम० ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में शामिल किया गया है। इस प्रस्ताव का कार्यान्वयन साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

[हिन्दी]

सिंचित भूमि

*566. डा० महादीपक सिंह शाक्य :

श्री एच० डी० देवगौडा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में सिंचित/कृषि योग्य भूमि का पता लगाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्य-वार कुल कितनी कृषि योग्य भूमि है;

(घ) अब तक राज्य-वार कुल कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो रही है;

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्य-वार, कुल कितने भू-क्षेत्र की सिंचाई करने का विचार है; और

(च) सरकार इस प्रयोजन हेतु 1992-93 के दौरान प्रत्येक राज्य में कितनी राशि खर्च करने का विचार कर रही है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग वर्ष दर वर्ष आधार पर भूमि प्रयोग सांख्यिकी प्रकाशित कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सिंचित भूमि, कुल फसली क्षेत्र, कुल कृष्य क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा शामिल है। वर्ष 1988-89 के अद्यतन उपलब्ध भूमि प्रयोग सांख्यिकी के अनुसार, 180109 हजार हेक्टेयर सकल बुआई क्षेत्र में से निवल सिंचित क्षेत्र 59329 हजार हेक्टेयर है जो सकल बुआई क्षेत्र का लगभग 33 प्रतिशत है।

(ग), (घ) और (च) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

(हजार हेक्टेयर में) (करोड़ रुपए)

क्र० सं०	राज्य का नाम	कुल कृषि योग्य क्षेत्र	1990-91 तक सिंचाई सुविधाओं के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र	1992-93 के लिए सभी क्षेत्रों के वास्ते अनुमोदित परिव्यय (कुल*)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	16186	6413.97	1669.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	290	59.33	245.00
3.	असम	3229	793.53	960.00
4.	बिहार	11181	8566.00	2202.73
5.	गोवा	222	28.72	152.50
6.	गुजरात	12336	3101.59	1875.00
7.	हरियाणा	3802	3593.30	830.00
8.	हिमाचल प्रदेश	809	136.66	486.00
9.	जम्मू तथा कश्मीर	1046	516.09	820.00
10.	कर्नाटक	12894	2833.87	1915.00
11.	केरल	2446	1192.87	913.00
12.	मध्य प्रदेश	22830	4865.40	2400.00
13.	महाराष्ट्र	21169	4506.10	3160.00
14.	मणिपुर	164	112.32	210.00
15.	मेघालय	1064	49.89	241.00
16.	मिजोरम	584	10.06	160.00

1	2	3	4	5
17.	नागालैण्ड	653	63.66	185.00
18.	उड़ीसा	8058	3035.42	1405.00
19.	पंजाब	4294	5941.59	1500.00
20.	राजस्थान	25682	4284.37	1400.00
21.	सिक्किम	114	24.07	110.00
22.	तमिलनाडु	8396	3385.41	1751.00
23.	त्रिपुरा	312	91.81	282.00
24.	उत्तर प्रदेश	20797	25190.00	3853.00
25.	पश्चिम बंगाल	5932	3854.88	1501.00
	संघ राज्य क्षेत्र	221	107.59	1290.95
	कुल	184711	82757.57	31507.88

*योजना आयोग द्वारा सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास के लिए अलग से क्षेत्र संबंधी परिव्यय को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

दक्षिणी जल-ग्रिड

*567. श्री अनन्त वेंकट रेड्डी :
कुमारी पद्मश्री कुडुमुला :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल संसाधन प्रबंधन विशेषज्ञों के जल का बेहतर उपयोग करने के लिए सरकार से "दक्षिणी जल ग्रिड" बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार को पेश की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया मांगी गई है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे संबंधित राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश को क्या लाभ होगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) समय-समय पर व्यक्तियों और संगठनों से दक्षिणी नदियों के अन्तः सम्पर्क समेत राष्ट्रीय जल ग्रिड हेतु सुझाव प्राप्त हुए हैं। उपलब्ध जल संसाधनों से इष्टतम् उपयोग के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा जल संसाधन विकास हेतु एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया गया था। इसमें जल से सम्पन्न बेसिनों से

जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल का अन्तरण करने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों के संपर्क की परिकल्पना की गई है।

जल संसाधन मंत्रालय के अधीन स्थापित राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने राष्ट्रीय परि-प्रेक्ष्य योजना का और विवरण तैयार करने के लिए (1) महानदी—गोदावरी सम्पर्क, (2) गोदावरी (इचमपल्ली)—कृष्णा (पुलिचिन्ताला) सम्पर्क, (3) गोदावरी (पोलावरम)—कृष्णा (विजयवाड़ा) सम्पर्क, (4) केन-बेतवा सम्पर्क, (5) पम्बा – अचनकोविल—वेगई सम्पर्क, (6) पार—तापी सम्पर्क, (7) कालीसिंध—चम्बल सम्पर्क की प्रारम्भिक व्यवहार्यता रिपोर्ट पहले ही पूर्ण कर ली हैं और आगे विचार करने और विस्तृत करने हेतु उन्हें उपयुक्त पाया।

(ग) बेसिनों/उपबेसिनों से संबंधित 7 व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्टें और 110 जल अवशेष अध्ययन बेसिन राज्यों को उनकी टिप्पणियों और प्रेक्षणों हेतु भेजे गए हैं। राज्य सरकारों ने कुछ अध्ययनों पर अपनी टिप्पणियां भेजी हैं।

(घ) राज्यों से प्राप्त उत्तर को ध्यान में रखने के पश्चात् (1) पार-तापी—नर्मदा सम्पर्क, (2) पम्बा—अचनकोविल—वेगई सम्पर्क और (3) केन-बेतवा सम्पर्क के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना प्रारंभ कर दिया गया है।

(ङ) महानदी—गोदावरी और गोदावरी—कृष्णा सम्पर्कों से निम्न लाभ प्राप्त होने की प्रत्याशा है:—

(एक) उड़ीसा के पुरी, कटक, फुलबनी और गंजम जिलों में मणिभद्र कमान में लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई।

(दो) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विशाखापत्तनम जिलों में 1.05 लाख हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई।

(तीन) आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में 2.23 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई।

(चार) आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में नागार्जुन सागर कमान में 1.18 लाख हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई।

(पांच) आंध्र प्रदेश के वारंगल और नालगोंडा जिलों में 3.20 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई।

कृष्णा पेन्नार—कावेरी वेगई के मध्य सम्पर्कों के शेष घटकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्ण किए जाने के पश्चात्, रायलसीमा के सूखा प्रवण क्षेत्रों और पेन्नार के जल की कमी वाले बेसिनों में लाभों के विवरणों का पता लगाया जाएगा।

ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

*568. श्री रामकृष्ण कोनाला: क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से कोई वित्तीय सहायता मांगी गई है;

(ख) क्या इन संस्थाओं द्वारा उक्त परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी वित्तीय संस्थाओं के नाम क्या हैं; और प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) उन विद्युत परियोजनाओं जिनके संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से बातचीत की जा रही है, की सूची नीचे दी गई है। उपर्युक्त बातचीत के पूरा होने के बाद ही प्रत्येक परियोजना के लिए सहायता राशि की मात्रा का पता चल सकेगा।

क्र० सं०	परियोजना का नाम/ क्षमता (मे० वा०)	क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी	वित्तीय संस्थान का नाम
1.	सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना (2 × 250 मे० वा०)	राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड	विश्व बैंक
2.	चन्द्रपुर ताप विद्युत परियोजना (यूनिट-7) (500 मे० वा०)	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	विश्व बैंक
3.	क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना (फरक्का-3)	एन० टी० पी० सी०	विश्व बैंक
4.	अम्गुड़ी संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना (360 मे० वा०)	असम राज्य बिजली बोर्ड	एशियाई विकास बैंक

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में शेयर

*569. श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस कर्मचारियों को इन संगठनों के शेयर देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन शेयरों का मूल्य निर्धारण करने के लिए कोई फार्मूला बनाया है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने तथा कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस बारे में कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। दोनों वायु निगमों, अर्थात् इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को प्रतिस्थापित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दो कंपनियां अर्थात् इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड और एयर इंडिया लिमिटेड निगमित किए जाने का इरादा है ताकि वे संवर्धन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूंजी जुटा सकें; कंपनियों की अंशधारिता में प्रथमत: कामगारों को तथा बाद में यदि

आवश्यक हो तो पारस्परिक निधियों, वित्तीय संस्थानों और आम जनता को सहभागिता के अवसर उपलब्ध कराये जा सकें। इस संबंध में दोनों वायु निगमों का पुनर्गठन किए जाने का प्रस्ताव है जिसके लिए संसद के विचारार्थ एक विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

पर्यटन का गैर-सरकारीकरण

*570. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :
डा० ए० के० पटेल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन का गैर-सरकारीकरण करने और कुछ स्थानों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने हेतु इन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ प्राइवेट पार्टियों के चयन के लिए क्या प्रक्रिया बनाई गई है;

(ग) क्या करकार का विचार इस हेतु विश्वव्यापी निविदायें आमंत्रित करने का है और यदि हां, तो इन निविदाओं में क्या-क्या शर्तें रखी जायेंगी;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ किन्हीं विशेष स्थानों का चयन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ङ) सरकार की नीति मुख्यतया गैर-सरकारी क्षेत्र में पर्यटन के विकास को प्रोत्साहन देने की रही है। हाल ही में, गैर-सरकारी पार्टियों से लक्षद्वीप तथा दिल्ली में होटलों और विहार-स्थलों की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। इन प्रस्तावों पर पूंजी-निवेश नीति, पर्यावरण संबंधी विनियमों और देश में पर्यटन आधारिक-संरचना तथा सुविधाओं का विकास करने की जरूरत से जुड़ी अन्य बातों के आधार पर विचार किया जाएगा।

ट्रांसपोंडर के पट्टे के लिए एशिया सैट से बातचीत

*571. श्री मोहन रावले :
कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए एशिया सैट के साथ उसके उपग्रह पर एक ट्रांसपोंडर के पट्टे के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ पिछली बार बातचीत कब की गयी थी;

(ग) ट्रांसपोंडर पट्टे पर देने के लिए एशिया सैट ने कितनी धनराशि की मांग की है; और

(घ) एशिया सैट को अब पट्टे की कितनी धनराशि का भुगतान किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) एशिया खंड से कोई प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही फिर से बातचीत की जा सकती है।

(ख) 13 दिसम्बर, 1991।

(ग) 17 लाख अमेरिकी डालर प्रति वर्ष।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

जापान और आस्ट्रेलिया को गोलियों (पैलेट्स) की सप्लाई

6097. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि० ने जापान को गोलियों की सप्लाई के लिए किसी ठेके पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि० ने आस्ट्रेलिया को गोलिया की सप्लाई के लिए एक लम्बी अवधि के ठेके पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां। कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि० ने वर्ष 1991 से 1995 की अवधि के दौरान 2.80 लाख टन पैलेट की निश्चित मात्रा में और 1.20 लाख टन ऐच्छिक मात्रा में वार्षिक रूप से सप्लाई करने के लिए जापानी स्टील मिल के साथ एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि० ने 1991-92 से 4 वर्ष के लिए 3 लाख टन पैलेट की निश्चित मात्रा में और 1.50 लाख टन ऐच्छिक मात्रा में वार्षिक रूप से सप्लाई करने के लिए आस्ट्रेलिया की एक पार्टी के साथ दीर्घावधिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

कलकत्ता दूरदर्शन में नैमित्तिक निर्माता

6098. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता दूरदर्शन उन नैमित्तिक निर्माताओं को दस दिन के पारिश्रमिक का भुगतान कर रहा है जो महीने में पच्चीस दिन कार्य करते हैं;

(ख) क्या अधिकारियों ने उनके पदनाम को नैमित्तिक निर्माण सहायक से बदलकर ग्राउंड वर्कर कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो भाग (क) और (ख) के संबंध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कलाकारों को विकास-कार्यों में शामिल करने तथा काम में उचित भागीदारी दिलाने के लिए क्या कार्रवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। दूरदर्शन महानिदेशालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नैमि-

त्तिक निर्माण सहायक का पदनाम बदलकर ग्राउंड वर्कर नहीं किया गया है। नैमित्तिक आधार पर बुक किए जाने वाले निर्माण सहायकों की संख्या बुकिंग के समय ग्रेड में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या तक सीमित होती है जो समय-समय पर भिन्न-भिन्न हो सकती है। ग्राउंडवर्करों को कार्यक्रमों की आवश्यकता के अनुरूप कुछ नैमित्तिक किस्म के कार्य के लिए रखा जाता है जबकि नैमित्तिक निर्माण सहायकों को बारी-बारी से एक माह में 10 दिन से अधिक के लिए बुक नहीं किया जाता। ग्राउंड वर्करों को कार्यक्रम के आधार पर बुक किया जाता है।

(घ) चूंकि, ग्राउंड वर्करों को कार्यक्रम के आधार पर नैमित्तिक कार्य करने के लिए रखा जाता है, अतः उनके द्वारा विकासात्मक कार्य और काम की भागीदारी नहीं हो सकती।

केन्द्रीय जल आयोग में गेज रीडर

6099. **श्री वायलल अवेविन :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल आयोग में कार्यरत गेज रीडरों को नियमित और कार्य प्रभारित कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का वर्गीकरण कब से लागू किया गया है;

(ग) गेज रीडरों का वर्ग बनाने में क्या मानदण्ड अपनाया गया था; और

(घ) इन श्रेणियों के गेज रीडरों के वेतनमान क्या हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) 22 अप्रैल, 1988 से पहले, केन्द्रीय जल आयोग में कार्यरत गेज रीडरों को नियमित और कार्य प्रभारित के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 22 अप्रैल, 1988 से, कार्य प्रभारित गेज रीडरों को खलासी की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है।

(घ) केन्द्रीय जल आयोग में नियमित स्थापना में गेज रीडरों का वेतनमान 775-1025 रुपए है। खलासी का वेतनमान जिसमें कार्य प्रभारित गेज रीडर शामिल हैं, का वेतनमान 750-940 रुपये है।

कलकत्ता और मद्रास के लिए दूरसंचार निगम

6100. **श्री आर० अनुबकोडी आदित्यन :**
श्री विजय नवल पाटील :
श्री पी० सी० नारायणन :
डा० असीम बाला :
श्री समत कुमार मंडल :
श्री रूपचन्द पाल :
श्री गोविन्दराव निकम :
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास, कलकत्ता तथा आंध्र प्रदेश दूरसंचार-मंडलों को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की भांति सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों में बदलने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये निगम कब तक करना शुरू कर देंगे ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडु) : (क) जी नहीं । तथापि दूरसंचार विभाग का पुनर्गठन करने पर आत्रेय समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है जिसमें इस आशय की सिफारिश की गई है कि दूरसंचार विभाग को नियंत्रक कम्पनी के रूप में भारतीय दूरसंचार प्रचालन निगम के नाम से 6 सार्वजनिक निगमों, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित मुख्यालयों वाले 4 क्षेत्रीय निगमों और हैदराबाद, स्थित मुख्यालय वाले एक लम्बी दूरी के निगम में पुनर्गठित कर दिया जाना चाहिए ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीराम सागर नहर, आंध्र प्रदेश

6101. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार आंध्र प्रदेश के करीम नगर और नालगोंडा जिलों की सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रीराम सागर उच्च स्तर नहर का कार्य शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कार्य शुरू करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग में वर्ष 1986 में 656.30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत को व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें अच्छे वर्षों के दौरान श्रीराम सागर जलाशय से उपलब्ध अधिशेष (बाढ़) प्रवाहों को निकालने और उन्हें आंध्र प्रदेश के करीमनगर, वारंगल और नालगोण्डा जिलों में उच्च भूमि क्षेत्रों के 89,000 हेक्टेयर की सिंचाई करने के लिए तीन संतुलन जलाशयों में संचित करने की परिकल्पना है । जांच करने के बाद, यह पाया गया कि उच्च पूंजी और प्रचालन लागत को देखते हुए निवेश दृष्टिकोण से तथा संतुलन जलाशयों में निहित वास्तविक जलमग्नता को भी देखते हुए परियोजना आकर्षक नहीं है । राज्य सरकार को जून, 1987 में तदनुसार सूचित किया गया । राज्य सरकार वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार करने में लगी हुई है ।

[हिन्दी]

बिजली परियोजनाओं की मंजूरी

6102. **श्री छेदी पासवान** : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कितनी बिजली परियोजनाएं मंजूर की गईं;

(ख) क्या उपर्युक्त परियोजनाओं को मंजूर करते समय बिहार की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1989-90, 1990-91 एवं 1991-92 के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 50 विद्युत परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है ।

(ख) और (ग) देश में विद्युत के विकास संबंधी स्कीमों को उनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर अनुमोदित किया जाता है जोकि संसाधनों एवं अन्य आवश्यक निवेशों की उपलब्धता पर निर्भर करती है ।

[अनुवाद]

बक्रेश्वर परियोजना

6103. श्री पीयूष तिरकी :
श्री समत कुमार मण्डल :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में स्थित बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना को सोवियत सहायता से अलग कर दिया गया है और जापान के ओवरसीज इकॉनामिक कोआपरेशन फंड (ओ० एफ० सी० एफ०) को येन ऋण सहायता हेतु हस्तांतरित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ओ० एफ० सी० एफ० के अधिकारियों ने इस प्रस्ताव की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) ओवरसीज इकोनोमिक कोआपरेशन फंड द्वारा परियोजना का अभी मूल्यांकन किया जा रहा है ।

मलयालम फीचर फिल्मों का दूरदर्शन प्रसारण

6104. श्री पी० सी० थॉमस :
श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क में प्रसारित की गई मलयालम फीचर फिल्मों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की तुलना में मलयालम भाषा में कम फिल्में प्रसारित की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार आगामी महीनों में राष्ट्रीय नेटवर्क में अधिक मलयालम फिल्में प्रसारित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) दिल्ली दूरदर्शन पर क्षेत्रीय भाषा में फिल्में प्रसारित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) सात (कूडेविडे, नोक्केताद्वरतू कन्नुम नट्टू, इलाक्कंगल, कोलंगल, नमुक्कू पारकान, मुन्तिरी तोपूकम, ओरिडतू, चेम्मीन)।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(घ) और (ङ) मलयालम सहित प्रादेशिक फीचर फिल्मों को बारी-बारी से प्रतारित किया जाता है और दूरदर्शन की मौजूदा व्यवस्था उपयुक्त लगती है। जो फिल्में निर्धारित पात्रता के मानदण्ड पूरा करती हैं और यदि निर्माता/अधिकारधारक द्वारा उनके प्रसारण के लिए प्रस्ताव किया जाता है तो दूरदर्शन द्वारा गुणवत्ता के आधार पर उन्हें प्रसारित करने पर विचार किया जाता है।

(च) राष्ट्रीय नेटवर्क पर फीचर फिल्में दिखाने के लिए पात्रता के मानदण्ड संलग्न विवरण में हैं।

विवरण

दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारण के लिए केवल उन्हीं क्षेत्रीय फीचर फिल्मों पर विचार किया जाता है जो निम्नलिखिखित मानदण्डों में से कोई मानदण्ड पूरा करती हों अथवा उन्होंने निम्नलिखित राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार को जैसी भी स्थिति हो, में से कोई पुरस्कार प्राप्त किया हो :

1. वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अथवा दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कुल मिलाकर सभी भाषाओं में।
2. किसी निदेशक की सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार।
3. लोकप्रिय एव स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार।
4. राष्ट्रीय एकता संबंधी सर्वोत्तम कथा-चित्र के लिए नर्गिस दत्त पुरस्कार।
5. परिवार कल्याण सर्वश्रेष्ठ फिल्म।
6. नशाबंदी, महिला तथा बाल कल्याण, दहेज विरोधी, नशीले पदार्थों की लत आदि जैसे अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म।
7. किसी भारतीय भाषा में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति का रजत कमल पुरस्कार प्राप्त।
8. राष्ट्रीय फिल्म समारोह में जिस फिल्म ने योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।
9. भारतीय पैनोरमा और किसी भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह/फिल्मोत्सव के मुख्य धारा अनुभाग में प्रविष्टि।
10. सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राज्य सरकार पुरस्कार।
11. सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए राज्य सरकार पुरस्कार।
12. जिस फिल्म ने कोई दो राज्य पुरस्कार (उपर्युक्त के अलावा) प्राप्त किये हों।

13. जिस फिल्म ने "रजत जयन्ती" (लगातार 25 सप्ताह) मनाई हो और जो "यू" प्रमाणपत्र प्राप्त हो।

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में पूंजी निवेश को कम करना

6105. **श्री राम नाईक :**
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में सरकारी पूंजी निवेश को कम करने की स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इन दोनों विमान कंपनियों में प्रदत्त पूंजी से कितना निवेश कम किया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) दोनों वायु निगमों, अर्थात् इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया को प्रतिस्थापित करने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत दो कंपनियां अर्थात् इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड और एयर इंडिया लिमिटेड निगमित किए जाने का इरादा है ताकि वे संवर्धन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूंजी जुटा सकें; कंपनियों की अंशधारिता में प्रथमतः कामगारों को तथा बाद में यदि आवश्यक हो तो पारस्परिक निधियों, वित्तीय संस्थानों और आगे जनता को सहभागिता के अवसर उपलब्ध कराये जा सकें। इस संबंध में समुचित विधायी उपाय करने का विचार है जिसके लिए संसद के विचारार्थ एक विधेयक पेश किया जाएगा।

बिहार में डाक व तार घर

6106. **श्री राम लखन सिंह यादव :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बिहार में डाकघरों, तारघरों और टेलीफोन एक्सचेंजों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तार घरों और डाकघरों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में नहीं है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान सरकार ने इनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(घ) भविष्य में इनकी संख्या में वृद्धि करने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडु) : (क) बिहार में इस समय, जिलावार, डाकघरों, तारघरों और टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण I, II और III में दिया गया है।

(ख) डाकघर :

डाकघर जनसंख्या, दूरी और आय संबंधी निर्धारित मानदंडों को ध्यान में रख कर खोले जाते हैं, जो इस प्रयोजन के लिए निश्चित किए गए हैं। जहां तक जनसंख्या का संबंध है, अखिल

भारतीय औसत की तुलना में बिहार में एक डाकघर द्वारा औसतन 6253 लोगों को सेवा प्रदान की जाती है जबकि तत्संबंधी अखिल भारतीय औसत 4607 है।

तारघर :

बिहार में तारघरों की संख्या प्रति एक लाख जनसंख्या पर 4.4 है जबकि तत्संबंधी राष्ट्रीय औसत 4.9 है, जिसकी तुलना में बिहार की स्थिति ठीक है।

(ग) और (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण IV में दिया गया है।

विवरण-I

29-2-92 की स्थिति के अनुसार बिहार में डाकघरों का जिलावार विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	औरंगाबाद	272
2.	भागलपुर	329
3.	बांका	170
4.	धनबाद	116
5.	बोकारो स्टील सिटी	132
6.	गिरिडीह	269
7.	हजारीबाग	253
8.	छपरा	83
9.	पलामू	265
10.	गढ़वा	82
11.	रांची	372
12.	गुमला	185
13.	लोहारडगा	41
14.	रोहतास	264
15.	भाबुआ	114
16.	बैजनाथ देवगढ़	159
17.	गोड्डा	103
18.	साहिबगंज	142
19.	दुमका	267
20.	जमशेदपुर	235

1	2	3
21.	चाईबासा	138
22.	गया	371
23.	जहानाबाद	136
24.	नवादा	201
25.	बेगूसराय	224
26.	खगारिया	131
27.	दरभंगा	302
28.	मधुबनी	418
29.	मुजफ्फरपुर	410
30.	समस्तीपुर	378
31.	सहरसा	152
32.	पूर्वी चम्पारण	406
33.	पश्चिमी चम्पारण	272
34.	मुंगेर	233
35.	जामुई	141
36.	सीतामढ़ी	320
37.	पूर्णिया	196
38.	कटिहार	80
39.	अरारिया	57
40.	किशनगंज	84
41.	सुपौल	52
42.	माधीपुरा	232
43.	सीवान	309
44.	गोपालगंज	193
45.	वैशाली	244
46.	पटना	413
47.	नालंदा	304

1	2	3
48.	भोजपुर*	291
49.	बक्सर	73
50.	सारण	366
	योग :	11,360

*इनमें दो डाकघर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के हैं जो बिहार के भोजपुर पोस्टल डिवीजन के अंतर्गत आते हैं।

विवरण-II

बिहार में तारघरों का जिलावार विवरण

क्र० सं०	जिले का नाम	तारघरों की संख्या
1	2	3
1.	अरारिया	87
2.	औरंगाबाद	64
3.	आरा	54
4.	बेगुसराय	82
5.	भागलपुर	54
6.	बोकारो स्टील सिटी	70
7.	मोतीहारी	109
8.	बेतिया	99
9.	छपरा	102
10.	धनबाद	93
11.	दुमका	75
12.	दरभंगा	122
13.	देवघर	48
14.	गया	77
15.	गिरिडीह	76
16.	गोड्डा	65
17.	गोपालगंज	92
18.	हजारीबाग	100
19.	जहानाबाद	102

1	2	3
20.	जमशेदपुर	84
21.	कटिहार	132
22.	खागना	94
23.	लोहारडगा	34
24.	माधोपुर	76
25.	मधुबनी	92
26.	मुंगेर	86
27.	मुजफ्फरपुर	278
28.	बिहार शरीफ	70
29.	नवादा	94
30.	पटना	53
31.	डाल्टनगंज	74
32.	पूर्णिया	97
33.	रांची	126
34.	सासाराम	49
35.	सहरसा	52
36.	सीवान	95
37.	समस्तीपुर	105
38.	सीतामढ़ी	104
39.	चाईबासा	45
40.	हाजीपुर	42
41.	बांकी	33
42.	बक्सर	36
43.	भाबुआ	38
44.	जमारी	41
45.	साहिबगंज	28
46.	सुपौल	23
47.	किशनगंज	30
48.	चतरा	28

1	2	3
49.	गढ़वा	27
50.	गुमला	28

विवरण-III

29-2-1992 की स्थिति के अनुसार बिहार सर्किल में जिलावार टेलीफोन एक्सचेंजों का विवरण नीचे दिया गया है

क्रम सं०	जिले का नाम	एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	भोजपुर	15
2.	पलामू	13
3.	रोहतास	12
4.	भागलपुर	29
5.	देवघर	06
6.	दुमका	12
7.	गोड्डा	06
8.	साहिबगंज	09
9.	मुंगेर	21
10.	पूर्वी चम्पारण	13
11.	पश्चिमी चम्पारण	17
12.	छपरा	12
13.	गोपालगंज	09
14.	सीवान	08
15.	बेगुसराय	10
16.	दरभंगा	07
17.	खगारिया	07
18.	मधुबनी	13
19.	सहरसा	10
20.	समस्तीपुर	15
21.	धनबाद	06
22.	औरंगाबाद	06

1	2	3
23.	गया	11
24.	जहानाबाद	04
25.	नवादा	04
26.	गिरिडीह	14
27.	हजारीबाग	16
28.	अरारिया	07
29.	कटिहार	09
30.	किशनगंज	04
31.	माधोपुरा	06
32.	जामुई	05
33.	मुजफ्फरपुर	15
34.	सीतामढ़ी	10
35.	वैशाली	12
36.	नालंदा	13
37.	पटना	18
38.	गुमला	03
39.	लोहारडगा	03
40.	रांची	14
41.	पूर्णिया	07
42.	सुपौल	04
43.	पूर्वी सिंहभूम	11
44.	बक्सर	04
45.	भाबुआ	04
46.	बोकारो	09
47.	छतरा	06
48.	बाढ़	04
49.	गढ़वा	02
50.	पश्चिम सिंहभूम	14
	कुल :	489

विवरण-IV

(ग) बिहार में 1990 के दौरान 91 नए डाकघर खोले गए तथा वर्ष 1991-92 के दौरान 29-2-92 तक 123 डाकघर खोले गए।

जहां तक तारघरों का संबंध है, राज्य में पिछले 2 वर्षों के दौरान 490 संयुक्त डाक-तारघर खोले गए।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और डाकघर खोलकर बिहार में डाक नेटवर्क का विस्तार करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि वे इस प्रयोजन के लिए निर्धारित आय, जनसंख्या और दूरी संबंधी मानदंड पूरे करें। उद्देश्य यह है कि एक डाकघर द्वारा जितनी जनसंख्या और जितने औसत क्षेत्र को सेवा प्रदान की जाती है, उसके संदर्भ में बिहार को उत्तरोत्तर अखिल भारतीय औसत के करीब लाया जाए।

जहां तक तारघरों का संबंध है, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में 150 संयुक्त डाक-तारघर खोलने की योजना बनाई गई है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन के दूसरे चैनल का विस्तार

6107. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली दूरदर्शन के दूसरे चैनल का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) सितम्बर, 1984 में चालू किए गए दिल्ली के 1 किलोवाट विकिरण शक्ति के दूसरे चैनल के ट्रांसमीटर को पहले ही नवम्बर, 1988 से 10 कि० वा० ट्रांसमीटर में बदल दिया गया है। फिलहाल, दिल्ली के दूसरे चैनल के ट्रांसमीटर की शक्ति को और बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

यात्रियों की सुरक्षा

6108. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री 17 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4245 के उत्तर के संबंध में यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 जनवरी, 1992 को मद्रास हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइन्स के ए-320 विमान और एयर इंडिया के बोइंग-747 विमान के बीच फिर से टक्कर होते-होते बची;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मामले की छानबीन की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) 10 जनवरी, 1992 के पश्चात् हुई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (घ) 10-1-1992 को, जब इंडियन एयरलाइन्स का एक विमान बम्बई हवाई अड्डे पर उतरने के बाद धावनपथ पर बैंक ट्रैकिंग कर रहा था तो धावनपथ के विपरीत छोर से एयर इंडिया के एक विमान ने उड़ान भरी। मामले की जांच चल रही है।

(ङ) ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

रेंगाली सिंचाई परियोजना के लिए सहायता

6109. श्री भाग्य गोवर्धन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार के रेंगाली सिंचाई परियोजना के कार्यान्वियन हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय सहायता संबंधी प्रस्ताव किस स्तर पर लंबित पड़ा है; और

(घ) इस प्रस्ताव के कब तक मंजूर किए जाने और अपेक्षित सहायता कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वर्ष 1990-91 के दौरान 1-4-1990 को 1475.529 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की रेंगाली परियोजना के शेष कार्यों को ओवरसीज इकनोमिक कोआपरेशन फण्ड, जापान की सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया था। तथापि, इस परियोजना को दाता अभिकरण द्वारा सहायता हेतु नहीं चुना गया। अधिक लागत को देखते हुए, ओवरसीज इकनोमिक को-आपरेशन फण्ड, जापान से सहायता के लिए इस परियोजनाओं को प्रस्तावों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

केरल में डाकघरों के लिए भवन

6110. श्री चाइल जॉन अंजलोज : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में, जनवरी, 1992 तक कितने डाकघर किराये के भवनों में चल रहे थे;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ इन डाकघरों के लिए कुछ नए भवनों का निर्माण करने का है;

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1992-93 के दौरान कितना वित्तीय आवंटन किया गया है ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडु) : (क) 31-1-1992 की स्थिति के अनुसार 1,268 डाकघरों के लिए विभागीय भवन नहीं थे।

(ख) जी हां। निर्धारित मानदंड और संसाधन उपलब्ध होने पर, विभागीय भवनों का निर्माण चरणबद्ध रूप से किया जाता है।

(ग) स्थानों सहित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) 1992-93 के आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

केरल में वर्ष 1992-93 में प्रस्तावित डाकघरों के नये भवन

जिले का नाम	डाकघर का नाम
कन्नानोर	1. फरमावम उप डाकघर
वायनाड	2. मीनागंगडी उप डाकघर
कालीकट	3. पुल्लपल्ली उप डाकघर
मल्लापुरम	4. कोट्टाकल उप डाकघर
	5. तिरूरांगड़ी उप डाकघर
पालघाट	6. श्रीकृष्णापुरम उप डाकघर
	7. वन्चीयावलम उप डाकघर
एरनाकुलम	8. खिजीलाम उप डाकघर
एल्लेप्पी	9. नूरनाड उप डाकघर
क्विलोन	10. पुयापल्ली उप डाकघर
	11. कल्लाड्डा पूर्व उप डाकघर
	12. सस्थामकोटा उप डाकघर
त्रिवेन्द्रम	13. विजिनझम उप डाकघर
	14. वनकोम उप डाकघर

बिसालपुर सिंचाई परियोजना

6111. **श्री राम नारायण बैरवा :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान की बिसालपुर परियोजना की संशोधित रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) 328 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की बिसालपुर परियोजना की संशोधित रिपोर्ट, जिसमें राजस्थान के अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, जयपुर और मार्गस्थ शहरों और गांवों को जल आपूर्ति तथा टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में 69290 हेक्टेयर कृष्य कमान क्षेत्र में सिंचाई की परिकल्पना है, नवंबर, 1991 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी।

(ग) हालांकि इसके जलविज्ञान संबंधी पहलुओं को स्वीकृति दे दी गई है लेकिन राज्य को अन्य मुद्दों, विशेषकर शहरी विकास मंत्रालय की टिप्पणियों को हल करना है, जिनकी अनुपालना से परियोजना को व्याप्ति में परिवर्तन होने की सम्भावना है। राज्य सरकार को पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति भी प्राप्त करनी है।

[हिन्दी]

बैलाडिला परियोजना

6112. श्री काशी राम राणा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जनवरी, 1992 के जनसत्ता में बैलाडिला परियोजना में बड़े पैमाने पर धन के अवैध परितोषण के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कराई गई जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि दिनांक 28 जनवरी, 1992 के "जनसत्ता" में इस प्रकार का कोई समाचार प्रकाशित हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

6113. डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में जलगांव और भुसावल में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इनकी क्षमता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त एक्सचेंज अधिष्ठापित किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इन्हें कब तक अधिष्ठापित किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) जलगांव : 4000 लाइनें (इलैक्ट्रानिक)।

भुसावल : 2500 लाइनें (इलैक्ट्रानिक)।

(ग) जी, नहीं।

(घ) आशा है कि जलगांव में प्रस्तावित इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज 1993-94 में और भुसावल में 1994-95 में चालू हो जाएगा।

[हिन्दी]

दुर्गापुर ताप विद्युत परियोजना की मरम्मत

6114. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर घाटी निगम के अन्तर्गत दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र के दो एकक पिछले कई वर्षों से बन्द पड़े हैं;

(ख) इन एककों की मरम्मत करने तथा इन्हें पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार किया गया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इसे स्वीकृति देने तथा इसके लिए धनराशि प्रदान करने हेतु प्रबंध किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां । दामोदर घाटी निगम के दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र के यूनिट 1 एवं 2, 23 अक्तूबर, 1985 से प्रचालन में नहीं हैं क्योंकि वे आग लगने के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे ।

(ख) इन यूनिटों को टर्न-की आधार पर पुनः चालू करने के सन्दर्भ में एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है ।

(ग) और (घ) जी, नहीं ।

[अनुवाद]

कावासाकी स्टील कारपोरेशन के साथ सहयोग

6115. श्री सनत कुमार मंडल : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान अग्रणी कावासाकी स्टील कारपोरेशन समूह का कम्पनियों ने भारतीय कम्पनियों के साथ सहयोग करने में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कम्पनी लोहा बनाने की नई प्रक्रिया लेकर सामने आई है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विमान यात्रा सुविधाएं

6116. श्री माणिक राव होडल्या गावीत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान देशी हवाई मांगों तथा देश में प्रस्तावित पूरक सेवाओं के लिए विमान बेड़े में वृद्धि करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो देश में और अधिक विमान यात्रा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1993 और 1994 में 12 एयरबस ए-320 विमानों को इंडियन एयरलाइंस के बेड़े में शामिल करके इस बेड़े में वृद्धि की जा रही है । इसके अलावा हवाई टैक्सी प्रचालक देश में अनुसूचित परिचालनों के लिए उपलब्ध सभी हवाई अड्डों के लिए परिचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

विभिन्न प्रकार के लोहे और इस्पात का एकत्र किया जाना

6117. श्री बी० देवराजन : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न इस्पात संयंत्रों में विभिन्न प्रकार के लोहे और इस्पात के भारी मात्रा में एकत्र होने के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मदवार एकत्रित मात्रा कितनी-कितनी है;

(ग) इसके कारण क्या हैं और इनके एकत्र होने से कितनी धनराशि फंसी हुई है; और

(घ) इन एकत्रीकरण के कारण केवल ब्याज के रूप में कितनी धनराशि की हानि हुई है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) विभिन्न इस्पात संयंत्रों में विभिन्न प्रकार के लोहे और इस्पात की भारी मात्रा में एकत्र होने के संबंध में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ख) से (घ) "सेल" के संयंत्रों में लोहे और इस्पात का और स्टाक सीमा के भीतर ही रहा है और वर्ष 1991-92 में सेल के संयंत्रों में स्टाक रखने का अनुपात औसत उनके कुल प्रेषण का केवल 2.8 प्रतिशत बैठता है ।

पाटर्न विद्युत परियोजना

6118. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में स्थित पॉटर्न विद्युत परियोजना को 1987 से कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय होगी;

(ग) इसका निर्माण होने पर कुल कितनी भूमि की सिंचाई होने की संभावना है; और

(घ) इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) जी हां, उड़ीसा सरकार की पोट्टेरू जल विद्युत परियोजना को योजना आयोग द्वारा अप्रैल, 1987 में स्वीकृत किया गया था।

(ख) उड़ीसा सरकार द्वारा बताए अनुसार इस विद्युत परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 13.64 करोड़ रुपए है।

(ग) पोट्टेरू सिंचाई परियोजना के पूरा हो जाने के बाद कुल 1.0988 लाख हैक्टेयर सिंचाई शक्यता उत्पन्न की जायेगी।

(घ) इस विद्युत परियोजना को 1994-95 में चालू किए जाने की आशा है। सिंचाई परियोजना को आठवीं योजना में पूरा किए जाने की आशा है बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा क्षमता का उपयोग

6119. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा मार्च, 1991 के अन्त तक उपयोग की गई क्षमता का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उच्च लागत उत्पादन और घटिया इस्पात उत्पादित करने के क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की अपरिष्कृत इस्पात क्षमता उपयोग में सुधार होता रहा है। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है :—

संयंत्र	मार्च, 1991	मार्च, 1992
भिलाई इस्पात संयंत्र	88%	94%
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	76%	76%
राउरकेला इस्पात संयंत्र	86%	85%
बोकारो इस्पात संयंत्र	70%	85%
इस्को	95%	107%
सेल	80%	88%

(ख) इस्पात के उत्पादन की तुलनात्मक रूप से उच्च लागत कई कारणों से है जैसे कि आदानों की उच्च लागत और पूंजी से सम्बन्धित परिवर्तन, कच्चे माल आदानों की घटिया क्वालिटी, उच्च उत्पादकता, संयंत्र और उपकरणों का पुराना पड़ जाना तथा करों और लेवियों का अधिक होना।

सेल घटिया क्वालिटी के इस्पात का उत्पादन नहीं करता। सेल 88 प्रतिशत से अधिक विक्रय इस्पात का उत्पादन भारतीय मानक ब्यूरो की विशिष्टियों के अनुरूप करता है, शेष 12 प्रतिशत उत्पादन में वाणिज्यिक परीक्षित/ऑफ ग्रेड/दोषयुक्त शामिल हैं।

छोड़े गए दूरदर्शन धारावाहिक

6120. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री 16 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 275 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रंथों/नावलों के आधार पर छांटे गए धारावाहिकों की संख्या कितनी है तथा उन ग्रंथों/नावलों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में विषयों के संक्षिप्त ब्यौरे सहित ऐतिहासिक/सांस्कृतिक धारावाहिकों की संख्या कितनी है; और

(ग) छांटे गए वर्तमान 432 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने हेतु दूरदर्शन द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) अनन्तिम रूप से छांटे गए धारावाहिकों को दूरदर्शन की कार्यक्रम अपेक्षाओं के अनुसार प्रसारण के लिए प्रत्येक श्रेणी में प्राथमिकतावार रखा जाएगा ।

भारत और वियतनाम के बीच विमान सेवा

6121. **श्री गोविन्द राव निकाम** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत और वियतनाम के बीच विमान सेवा आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त विमान सेवा कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992 के अन्त तक अन्य देशों के साथ सीधी विमान सेवा आरंभ करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त विमान सेवाएं कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इस समय एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स दोनों की वियतनाम के लिए परिचालन शुरू करने की कोई योजना नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) से (च) एयर इंडिया दक्षिण अफ्रीका के लिए परिचालन करने की संभावना की जांच कर रहा है जबकि इंडियन एयरलाइन्स वर्ष 1992 के अन्त तक क्वालालम्पुर के लिए परिचालन करने पर विचार कर रही है ।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

6122. **श्री शशि प्रकाश** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में, विशेषकर मिन्टो रोड क्षेत्र में 1987 तक पंजीकृत सभी व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह कनेक्शन कब तक दिए जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) से (ग) दिल्ली के सभी एक्सचेंजों में 1-3-92 को प्रतीक्षा सूची तथा निपटान की तारीख जो स्वत: स्पष्ट है विवरण के रूप में संलग्न है।

मिन्टो रोड क्षेत्र में 1987 तक पंजीकृत सभी आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिए हैं परन्तु 20 मामले अलग हैं जिनमें केबिल पेयर उपलब्ध न होने के कारण टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिए जा सके हैं। ये 20 कनेक्शन मई, 1992 के अंत तक दे दिए जाएंगे।

विवरण

महानगर टेलीफोन निगम लि०, नई दिल्ली : 1-3-92 की प्रतीक्षा सूची तथा निपटान की तारीख

स्तर	एक्सचेंज	ओ वाई टी श्रेणी में दिए गए कनेक्शन	प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की सं०	ओ वाई टी विशेष श्रेणी में दिए गए कनेक्शन	प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की सं०	एस एस श्रेणी में दिए गए कनेक्शन	प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की सं०	'विशेष' श्रेणी में दिए गए कनेक्शन	प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की सं०	सामान्य श्रेणी में दिए गए कनेक्शन	प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31, 34, 35	जेपी	18-7-91	92	18-7-91	29	4-7-91	8	4-7-91	23	19-12-88	1364	1516
61, 69, 462	जेबी	30-6-91	342	30-6-91	82	30-6-91	22	30-6-91	55	31-12-84	6450	6951
331, 332, 371	केबीएन	30-6-91	457	30-6-91	96	30-6-91	22	30-6-91	38	15-9-87	3118	3731
38, 378	आरपी	31-10-91	11	14-11-91	30	25-7-91	18	23-7-91	7	31-1-91	372	438
301, 379	एसबीएम	30-6-91	24	30-6-91	56	30-6-91	20	30-6-91	2	08-11-85	522	624
36 (लोदी रोड)	पीआरएक्स	30-6-91	7	30-6-91	62	30-6-91	—	30-6-91	2	25-3-88	159	230
उत्तर-720	एएलपी	30-6-91	17	30-6-91	—	30-6-91	—	30-6-91	3	12-4-89	803	823
729	बीडीएल	10-10-91	178	31-12-91	—	31-12-91	1	31-12-91	7	14-3-88	2094	2280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23, 251 252, 291, 292, 293	टीएच	4-12-91	519	4-12-91	5	15-11-91	2	15-12-91	23	19-7-88	8478	9027
711, 712, 721, 722, 723, 724	एसके	31-12-91	—	31-12-91	—	31-12-91	—	31-12-91	—	31-12-84	41897	41897
728	एनजार एल	30-11-91	25	30-11-91	—	29-02-92	—	29-02-92	—	29-01-90	1015	1040
718	एस डब्ल्यूआर	30-06-91	301	30-06-91	11	30-06-91	15	30-06-91	47	31-12-84	4953	5327
727	आर एचएन	30-06-91	859	30-06-91	41	30-06-91	21	30-06-91	160	31-12-84	25424	16505
पूर्व												
327, 326, 328	डीजी	30-11-91	267	30-11-91	8	30-11-91	2	30-11-91	65	15-02-85	9780	10122
51; 52, 72; 73, 783	आई बी	30-11-91	660	30-11-91	6	31-01-92	2	31-11-91	81	04-05-87	13697	14446
220, 221 222, 224	एल एक्स आर	30-06-91	1671	30-06-91	68	30-06-91	95	30-06-91	292	22-08-85	36679	38805
227	वाई वीआर	30-06-91	364	30-06-91	9	30-06-91	2	30-06-91	77	31-12-84	6714	7196

228, 229	एसएच आर	05-07-91	643	31-12-91	5	31-01-91	3	30-06-91	156	08-05-85	10524	11361
225	एमबी आर	17-12-91	86	31-12-91	7	31-01-91	—	31-12-91	18	29-07-86	4279	4390
दक्षिण												
60, 67, 687	सीएच बाई	30-6-91	464	30-06-91	93	30-06-91	170	30-06-91	98	30-10-86	9433	10308
65, 66, 685, 686	एसके	08-08-91	508	08-08-91	56	31-08-91	57	28-08-91	106	24-03-87	10372	10899
641, 642, 643, 644, 646	एनपी	30-06-91	1543	30-06-91	273	30-06-91	115	30-06-91	247	07-05-86	22095	24173
589	बीके ओ	30-06-91	202	30-06-91	30	30-06-91	40	30-06-91	44	20-09-89	3169	3485
580	सीपी आर	06-08-91	419	06-08-91	12	28-08-91	4	28-08-91	22	19-01-89	1075	1532
53, 683, 684	ओके एच	30-06-91	526	30-06-91	64	30-06-91	50	30-06-91	149	07-12-87	9933	10722
681	टीके एच	30-06-91	54	30-06-91	21	30-06-91	2	30-06-91	13	07-12-87	645	725
पश्चिम												
329	कैंट	29-02-92	—	29-02-92	—	29-02-92	—	29-02-92	—	05-07-88	1351	1351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
550, 555, 559	जेके पी	30-06-91	1047	30-06-91	74	30-06-91	79	30-06-91	168	31-12-84	15034	16422
58, 571, 572, 573, 575	केबी	31-12-91	429	31-12-91	11	31-12-91	3	31-12-91	32	15-03-89	7104	7579
5562	एनजे एफ	29-02-92	—	29-02-92	—	29-02-92	—	29-02-92	—	26-02-88	1560	1560
547	एनजी एल	30-06-91	201	30-06-91	4	31-12-91	—	30-06-91	27	31-03-87	3037	3269
50, 53, 59, 541, 543, 544, 545,	आर जी	30-06-91	1976	30-06-91	59	30-06-91	74	30-06-91	288	31-12-84	34038	36435
570	एसपी आर	30-06-91	96	30-06-91	3	30-06-91	1	30-06-91	11	18-80-89	1517	628
558	पीबी आर	30-06-91	486	30-06-91	26	30-06-91	23	30-06-91	79	31-12-84	7849	8463
3295	पालम	31-08-91	10	31-08-91	—	31-08-91	1	31-08-91	3	31-08-91	29	43
5452	एन आईटीसी	31-08-91	1	31-08-91	2	31-08-91	—	31-08-91	—	31-08-91	10	13
556	एसएम एल	30-06-91	2	30-06-91	2	30-06-91	—	30-06-91	—	31-12-84	497	501
	कुल योग्य		14487		1135		852		2343		2,97,000	3,15,817

[हिन्दी]

राज्यों में डाकघर

6123. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाकघर खोलने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान विभिन्न राज्यों में गांवों में कितने डाकघर खोले गए ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाकघर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित लक्ष्य, धनराशि की उपलब्धता तथा जनसंख्या, आय और दूरी संबंधी मानदंडों को मद्देनजर रखते हुए खोले जाते हैं । सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जनसंख्या का मानदंड एक ग्राम समूह की जनसंख्या 3000 है । आय लागत का 33-1/3 प्रतिशत और नजदीकी डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि० मी० होनी चाहिए, तथापि, जनजातीय रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों के मामले में आय और जनसंख्या संबंधी उदार मानदंड लागू होते हैं । ये उदार मानदंड हैं—न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 15 प्रतिशत तथा एक गांव की जनसंख्या 500 या गांवों के एक समूह की जनसंख्या 1000 । इसके अलावा, यद्यपि विभागीय उप-डाकघर आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होने अपेक्षित हैं, परन्तु सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में प्रति वर्ष 2400 रु० तक और पहाड़ी, पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों के मामले में प्रति वर्ष 4800 रु० के घाटे की अनुमति दी जाती है ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

केरल के लिए विमान सेवा

6124. श्री बाला के० एम० मैथ्यू : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में कोवालम और बेकाडी को हवाई मानचित्र में लाने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से वर्तमान स्थिति में, वायुदूत या इंडियन एयरलाइन्स के लिए किसी नए स्टेशन को विमान सेवा से जोड़ना संभव नहीं है ।

[हिन्दी]

दरभंगा, बिहार में टेलीफोन एक्सचेंज

6125. श्री भोगेन्द्र झा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में दरभंगा तथा लहरिया सराय में इस समय कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं, उन्हें कब स्थापित किया गया तथा उनकी क्षमता कितनी है;

(ख) क्या 1992 के दौरान इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) बिहार के दरभंगा और लहरिया सराय में इस समय कार्यरत एक्सचेंजों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

एक्सचेंज का नाम	क्षमता	स्थापना-वर्ष
दरभंगा	900	1966
लहरिया सराय	800	1966

(ख) से (घ) पुराने प्रकार के उपरोक्त दो मौजूदा एक्सचेंजों के स्थान पर दरभंगा में 1993-94 में 2000 लाइनों का सी-डाट टाइप का इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

नूडल, सूप और कोला ड्रिंक्स का दूरदर्शन पर विज्ञापन

6127. **डा० आर० मल्लू** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संदिग्ध पौष्टिकता वाले अनेक उत्पादों तथा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नूडल, सूप और कोला ड्रिंक्स जैसे पदार्थों के विज्ञापनों का दूरदर्शन पर प्रसारण जारी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) दूरदर्शन द्वारा केवल उन विज्ञापनों के प्रसारण की अनुमति दी जाती है जो देश के कानूनों और विशेषतया दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता के अनुरूप हों।

उड़ीसा में इस्पात संयंत्र

6128. **श्री अनादि चरण दास** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में दैतारी में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य सरकार ने उड़ीसा में दैतारी के निकट एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए उसने 1 नवम्बर, 1991 को ब्रिटेन के कापरो ग्रुप के डा० स्वराज पाल के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है।

असम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

6129. श्री प्रबीन डेका : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम सरकार से उस राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के बारे में कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय की 1991-92 की वार्षिक योजना स्कीमों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकार के माध्यम से असम पाल्ट्री एवं पशुधन निगम लिमिटेड के तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्रस्तावों और 1991-92 में दी गई सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	स्थान एवं क्षमता	दी गई अनुदान की धनराशि 1991-92
1.	असम पशुधन एवं पॉल्ट्री निगम लिमिटेड द्वारा बकरी पालन कार्य सहित भेड़ बकरी मांस प्रसंस्करण संयंत्र की गुवाहाटी में स्थापना।	गुवाहाटी, क्षमता प्रतिदिन 1500-2000 बकरी और भेड़।	50.00 लाख रुपए इक्विटी और 40.00 लाख रुपए अनुदान सहायता और 50,000 रुपए रिपोर्ट तैयार करने के लिए।
2.	असम पशुधन एवं पॉल्ट्री निगम लिमिटेड द्वारा पॉल्ट्री प्रसंस्करण संयंत्र, असम की स्थापना।	गुवाहाटी क्षमता एक दिन में 400 मुर्गियां।	62.5 लाख रुपए इक्विटी, 25.00 लाख रुपए ऋण और 50,000 रुपए रिपोर्ट तैयार करने हेतु।
3.	असम पशुधन एवं पॉल्ट्री निगम लिमिटेड द्वारा सूअर प्रसंस्करण संयंत्र, गुवाहाटी की स्थापना।	गुवाहाटी क्षमता एक दिन में 100 सूअर	100.00 लाख रुपए इक्विटी के रूप में 50,000 रुपये रिपोर्ट तैयार करने हेतु।

लोक सेवा संचार परिषद् द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम

6130. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सेवा संचार परिषद् द्वारा विभिन्न कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परिषद् के कार्यक्रम राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किए जाते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) लोक सेवा संचार परिषद् के लोगों (चिह्न) के अंतर्गत दूरदर्शन द्वारा प्रसारित की गई लघु फिल्मों/दृश्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विवरण

लोक सेवा संचार परिषद् के लोगों (चिह्न) के अन्तर्गत प्रसारित किए जा रहे जन संदेश

1. टार्च कैपसूल : फ्रीडम रन
2. बुद्ध की अभिलाषा
3. गांधी जी
4. एंटी बर्न्स
5. हैल्प दि म्यूनिसिपैलिटी, हैल्प यू।
6. एंटी ड्रग्स (डिस्को)
7. स्टार कैबर—ड्रग्स दि डैड एंड
8. ड्रग्स डोंट इवन ट्राई देम······रिफ्यूज दि फर्स्ट टाइम एवरी टाइम।
9. एक ट्यून (एक सुर)
10. राष्ट्र गान
11. [illegible]
12. वाटर कंजरवेशन (टैप)
13 वाटर कंजरवेशन मेन शेविंग एण्ड चाइल्ड ब्रशिंग दी टीथ)
14. एंटी स्मोकिंग
1६. हैल्मेट सेफ्टी
16. रागमेक
17. डीसि एण्ड ड्रट
18. सिलेक्टिड क्लासिकल पीसिज आफ रागमेक
19. डा० एस० राधाकृष्णन

20. इनवाइरनमेंटल पोल्यूशन

21. अल्कोहलिज्म

22. स्टिक यूनिटी

23. कार एक्सिडेंट

केरल में पर्यटक गृहों, होटलों तथा यात्री निवासों का निर्माण

6131. प्रो० सावित्री लक्ष्मन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ सरकार के पास पर्यटक गृहों, होटलों तथा यात्री निवासों के निर्माण के संबंध में केरल सरकार के जो प्रस्ताव लंबित पड़े हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में केरल को वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दी गई है तथा वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के दौरान होटलों और यात्री-निवासों के निर्माण के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने हेतु कोई प्रस्ताव अभिनिर्धारित नहीं किया गया था । तथापि, पथिरामनाल में द्वीप विहार-स्थल वेली में पर्यटक कुटीर तथा ओचिरा में जलस्थ सुख-सुविधा जैसी तीन स्कीमें विचाराधीन रखी गई क्योंकि पूरे परियोजना प्रस्तावों के अभाव में वर्ष के दौरान उनको स्वीकृत नहीं किया जा सका ।

(ग) राज्य सरकारों को उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर धन की उपलब्धता, प्रस्तावों के गुण-दोष और पारस्परिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता दी जाती है । वर्ष 1991-92 के लिए केरल में पर्यटन परियोजनाओं के लिए 305.49 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं । वर्ष 1992-93 के लिए, वित्तीय सहायता उपर्युक्त मानदण्डों के आधार पर दी जाएगी ।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को घाटा

6132. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) इसे घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(घ) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

बनसागर परियोजना

6133. श्री जगमीत सिंह ब्रार : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973 के त्रिपक्षीय अंतर्राज्य बनसागर परियोजना समझौते के अनुसार बाठा सागर बांध की क्षमता 4 एम० ए० एम० निर्धारित की गई थी और क्या इसके लाभ तथा लागत को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच 2 : 1 : 1 के अनुपात में बांटा जाना था;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राज्य बनसागर परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है और इसके लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) योजना आयोग ने वर्ष 1978 में 91.3 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर बाणसागर अंतर्राज्यीय परियोजना को निवेश स्वीकृति दी है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बिहार में सौर ऊर्जा का उत्पादन

6134. श्री ललित उरांव :
श्री रामदेव राम :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में सौर ऊर्जा के उत्पादन की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना में जिलावार कितने गांवों को शामिल किया गया है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) सरकार सौर प्रकाशवोल्टीय मार्ग तथा सौर तापीय मार्ग के जरिए सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। पहले मामले में सौर प्रकाशवोल्टीय सेलों का प्रयोग करके सौर ऊर्जा को बिजली में रूपान्तरित किया जाता है और दूसरे मामले में, विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा को ताप ऊर्जा में रूपान्तरित किया जाता है। ये कार्यक्रम बिहार राज्य सहित संपूर्ण देश में राज्य नोडल अभिकरणों के जरिए कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ख) बिहार राज्य में स्थापित प्रणालियों की सूची संलग्न विवरण-I तथा II में दी गई है।

विवरण-I

बिहार राज्य में 31 दिसम्बर, 1992 तक स्थापित सौर तापीय प्रणालियों की जिलेवार संख्या

(क) सौर जल तापन प्रणालियां

क्र० सं०	जिला	प्रणालियों की संख्या
1.	पटना	16
2.	रांची	13
3.	सासाराम	1
4.	चाईबासा	6
5.	हजारीबाग	11
6.	सीतामढ़ी	1
7.	हाजीपुर	2
8.	मुंगेर	2
9.	जहानाबाद	1
10.	खगड़िया	2
11.	नालन्दा	1
12.	गया	3
13.	जमशेदपुर	4
14.	दरभंगा	1

(ख) सौर कुकर

बिहार राज्य में लोगों को अब तक [illegible]66 सौर कुकर बेचे जा चुके हैं।

विवरण-II

बिहार राज्य में दिसम्बर, 1991 तक सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की जिलावार स्थापना

क्रम संख्या	जिले का नाम	सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां				
		सड़क प्रकाश प्रणालियां	जल पम्पन प्रणालियां	सामुदायिक प्रकाश	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के लिए प्रकाश	सामुदायिक टेलीविजन
1	2	3	4	5	6	7
1.	जमशेदपुर	77	—	—	—	—
2.	सिंहभूम	100	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
3.	सहरसा	15	2	—	—	—
4.	हजारीबाग	20	2	—	—	—
5.	रांची	17	6	1	15	1
6.	नालन्दा	12	6	—	—	—
7.	समस्तीपुर	—	2	—	—	—
8.	दुमके	12	3	—	—	—
9.	गुमला	—	1	—	48	—
10.	जहानाबाद	—	1	—	—	—
11.	पटना	10	3	—	—	—
12.	गोड्डा	—	1	—	—	—
13.	मुजफ्फरपुर	—	1	—	—	—
14.	गया	21	—	1	—	—
15.	मुंगेर	10	—	—	—	—
16.	छपरा	10	—	—	—	—
17.	देवघर	10	—	—	—	—
18.	धनबाद	12	—	—	—	—
19.	गिरीडीह	15	—	—	—	—
20.	पश्चिम चम्पारन	10	—	—	—	—
21.	बेगुसराय	—	—	—	60	—
22.	मधुबनी	—	—	—	25	—

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में आकाशवाणी और दूरदर्शन योजनाएं

6135. श्री अन्ना जोशी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में महाराष्ट्र में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के संबंध में विभिन्न योजनाओं हेतु क्या प्रावधान किया गया है और इसमें कितना व्यय अन्तर्विष्ट है; और

(ख) ये योजनाएं फिलहाल किस चरण में हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन की सातवीं योजना स्कीमों का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है, जिसमें अनुमोदित लागत, उसके खर्च तथा स्कीमों की प्रगति भी बतायी गयी है।

विवरण

(क) आकाशवाणी

क्रम सं०	स्थान	स्कीम	व्यय अनुमोदित लागत	फरवरी, 92 के अंत तक किया गया व्यय (लाख रुपए में)	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	कोल्हापुर	2 × 3 कि० वा० एफ० एम ट्रांस०, बहुउद्देशीय स्टूडियो सहित नया रेडियो स्टेशन	356.75	273.72	तकनीकी रूप से तैयार
2.	नासिक	2 × 3 कि० वा०एफ० एम० ट्रांस०, बहुउद्देशीय स्टूडियो सहित स्थानीय रेडियो स्टेशन	302.88	254.57	पूरा होने ही वाला है।
3.	अहमदनगर	—तदैव—	253.00	212.82	चालू कर दिया गया है।
4.	धूले	"	270.54	233.77	तकनीकी रूप से तैयार
5.	बीड़	"	251.00	214.14	चालू कर दिया गया है।
6.	चंद्रपुर	"	291.40	235.38	तकनीकी रूप से तैयार
7.	नांदेड़	"	259.00	255.28	चालू कर दिया गया है।
8.	अकोला	"	312.20	237.94	तकनीकी रूप से तैयार
9.	उसमानाबाद	"	294.35	223.08	स्थापना कार्य प्रगति पर है।
10.	यवतमाल	"	266.75	226.19	तकनीकी रूप से तैयार
11.	सतारा	"	331.85	258.74	तकनीकी रूप से तैयार

1	2	3	4	5	6
12.	बम्बई	50 कि० वा० मी० वे० ट्रांम० के स्थान पर 100 कि० वा० मी० वे० ट्रांस०	323.35	290.11	चालू कर दिया गया है।
13.	बम्बई	10 कि० वा० मी० वे० ट्रांस० के स्थान पर 100 कि० वा० मी० वे० ट्रांस०			
14.	बम्बई	10 कि० वा० शा० वे० ट्रांस० के स्थान पर 50 कि० वा० शा० वे० ट्रांसमीटर	374.62	362 57	स्थापना कार्य प्रगति पर है
15.	बम्बई	2 × 5 कि० वा० एफ० एम० ट्रांस० सहित मल्टीट्रैका तथा स्टीरियो ट्रांसमिशन	104.75	72.26	आंशिक रूप से चालू
16.	बम्बई	स्टूडियो का आधुनिकीकरण तथा पुन: सुसज्जन	168.70	207.77	स्थापना कार्य प्रगति पर है
17.	पुणे	1 कि० वा० मी० वे० ट्रांम० के स्थान पर 2 × 3 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर	143.02	134 79	चालू कर दिया गया है।
18.	पुणे	स्थायी टाइप-4 स्टूडियो	293.90	321.80	चालू कर दिया गया है।
19.	नागपुर	1 कि० वा० मी० वे० ट्रांम० के स्थान पर 2 × 3 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर	145.70	111.16	चालू कर दिया गया है।
20.	परभणी	टाइप-1 (बार०) स्टूडियो	188.45	192 55	तकनीकी रूप से तैयार
(ख)	दूरदर्शन				
1.	बम्बई	दूरदर्शन केन्द्र का विस्तार	2018.10	1074.99	मुख्य उपकरणों के लिए आदेश दे दिए

1	2	3	4	5	6
					गए हैं । सिविल कार्य आरंभ कर दिए गए हैं ।
2.	बम्बई	1 कि० वा० के स्थान पर दूसरा चैनल ट्रांसमीटर (10 कि० वा०)	102.15	118.69	चालू कर दिया गया है ।
3.	नागपुर	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर —शक्ति बढ़ाना	319.65	305.88	*चालू कर दिया गया है ।
4.	पुणे	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर —शक्ति बढ़ाना	120.00	111.85	चालू कर दिया गया है ।
5.	औरंगाबाद	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	350.15	283.02	-तदैव-
6.	अंबाजोगई	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	340.10	323.57	-तदैव-
7.	बीड़	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	25.03	22.63	-तदैव-
8.	बुलढाणा	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	25.03	21.83	-तदैव-
9.	गढचिरोली	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	26.06	21.62	-तदैव-
10.	रत्नागिरि	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	25.03	21.42	-तदैव-
11.	सतारा	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (अनुरक्षण केन्द्र सहित)	7.10**	8.50	चालू कर दिया गया है
12.	यवतमाल	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	26.79	15.77	-तदैव-
13.	पुसद	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	34.85	14.46	-तदैव-
14.	इच्छलकरंजी	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	39.55	30.96	-तदैव-
15.	उस्मानाबाद	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	40.54	31.91	-तदैव-
16.	अचलपुर	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	37.50	32.96	-तदैव-
17.	अमालनेर	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	37.50	31.80	-तदैव-
18.	बर्शी	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	44.98	37.49	-तदैव-
19.	करोड	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	37.50	32.36	-तदैव-
20.	मनमाड़	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	44.98	40.69	-तदैव-
21.	नन्दूरबार	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	32.44	28.27	-तदैव-
22.	महाड	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	37.50	29.69	-तदैव-
23.	वर्धा	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	44.98	39.30	-तदैव-

1	2	3	4	5	6
24.	किन्नवट	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	37.50	23.40	चालू कर दिया गया है।
25.	डिगलूर	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	44.98	36.43	-तदैव-
26.	चालीसगांव	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	45.41	42.22	-तदैव-
27.	पंढरपुर	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	45.41	40.56	-तदैव-
28.	हिंगोली	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	38.61	36.49	-तदैव-
29.	बम्बई	दूरदर्शन केन्द्र में उपकरण को बदलना	499.00	546.13	बदलने का कार्य पूरा हो चुका है।

*इस राशि में कार्यक्रम निर्माण (जनरेशन) सुविधा की लागत/खर्च शामिल है।

**इस राशि में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के लिए उपकरण की कीमत शामिल नहीं है, क्योंकि उपकरण की व्यवस्था स्थानांतरण द्वारा की गयी।

[हिन्दी]

उड़ान समय सारणी में परिवर्तन

6136. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और हैदराबाद के बीच की उड़ानों को समय सारिणी में परिवर्तन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संसद सदस्य और अन्य यात्रियों को दूरस्थ स्थानों पर पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, सरकार का विचार पूर्व समय-सारिणी को बहाल करने के लिए क्या कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) जी हां। इस सैक्टर में विमान क्षमता में वृद्धि किये जाने के परिणामस्वरूप, उड़ान समयावलि में परिवर्तन किया गया था।

(ग) से (ङ) यात्री जनता को पेश आ रही कठिनाइयों के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तथापि, समयावलि संबंधी अवरोधों के कारण इंडियन एयरलाइंस फिलहाल उड़ान समयावलि में परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं है।

[अनुवाद]

मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में एस० टी० डी० की सुविधा

6137. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिला के नन्दीग्राम और तमलुक में राष्ट्रीय नेटवर्क के अंतर्गत एस० टी० डी० की सुविधाओं वाले स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने के बारे में अब तक क्या प्रगति की गई है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) (I) सरकार की नीति के अनुसार जिस स्थान पर 10 या इससे अधिक प्रवत्त मांगें पंजीकृत हो जाती हैं, वहां नया टेलीफोन एक्सचेन्ज खोला जाता है।

नंदीग्राम में इस समय कोई प्रवत्त मांग पंजीकृत नहीं हैं।

(II) तमलुक में एक मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज पहले कार्य कर रहा है जिनके स्थान पर 1992-93 के दौरान एस० टी० डी० सुविधायुक्त एक इलैक्ट्रानिक आटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाने की योजना बनाई गई है।

स्पंज लोहे का उत्पादन

6138. श्री गुरुदास कामत : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्पंज लोहे का उत्पादन कम हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) 1990-91 में स्पंज लोहे का उत्पादन बढ़कर लगभग 8.5 लाख टन हो गया है जबकि वर्ष 1989-90 में यह 3 लाख टन था।

1991-92 के दौरान स्पंज लोहे का उत्पादन 10 लाख टन से अधिक होने की संभावना है।

[हिन्दी]

डाक-टिकट जारी करना

6139. श्री रामदेव राम :
श्री अखिलेश सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन महान व्यक्तियों की स्मृति में कितने और कितने मूल्य के डाक-टिकट मुद्रित किए गए हैं; तथा वे टिकट किन-किन तारीखों को मुद्रित किए गए हैं;

(ख) डा० बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म शताब्दी की स्मृति में एक रुपए के कुल कितने डाक-टिकट जारी किए गए थे;

(ग) क्या इन टिकटों की कोई कमी पाई गई थी;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) डॉ० बी० आर० अम्बेडकर पर 100 पैसे मूल्य वर्ग की 6,00,000 डाक टिकटें मुद्रित कराई गई थीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पर्याप्त मात्रा में डाक टिकटें मुद्रित कराई गई थीं।

विवरण

उन विशिष्ट व्यक्तियों की सूची जिन पर गत तीन वर्षों के दौरान स्मारक डाक टिकट जारी किए गए

क्रम संख्या	व्यक्तित्व का नाम	मुद्रण आदेश	जारी करने/मुद्रण की तारीख	मूल्य वर्ग
1	2	3	4	5
	1989			
1.	हरे कृष्ण महताब	10,00,000	2-1-1989	60
2.	अम्मायु पद्मनाभन	10,00,000	2-1-1989	60
3.	बलदेव रामजी मिर्धा	10,00,000	17-1-1989	60
4	डॉन बास्को	20,00,000	31-1-1989	60
5.	बी० जी० खेर	10,00,000	8-3-1989	60
6.	शहीद लक्ष्मण नायक	10,00,000	29-3-1989	60
7.	राव गोपाल सिंह	10,00,000	30-3-1989	60
8.	राजकुमारी अमृत कौर	10,00,000	13-4-1989	60
9.	एस० डी० किचलू	10,00,000	13-4-1989	60
10.	विष्णु राम मेधी	10,00,000	24-4-1989	60
11.	आसफ अली	10,00,000	11-5-1989	60
12.	डॉ० एन० एस० हर्डीकर	10,00,000	13-5-1989	60
13.	शंकराचार्य	15,00,000	17-5-1989	60
14.	मुस्तफा कमाल अतातुर्क	5,00,000	30-8-1989	500
15.	डॉ० एस० राधाकृष्णन	10,00,000	11-9-1989	60

1	2	3	4	5
16.	डॉ० पी० सुब्बारायन	10,00,000	30-9-1989	60
17.	श्यामजी कृष्ण वर्मा	10,00,000	4-10-1989	60
18.	सयाजीराव गायकवाड़-III	10,00,000	6-10-1989	60
19.	नमक्कल कविगर	10,00,000	19-10-1989	60
20.	पंडिता रमाबाई	10,00,000	26-10-1989	60
21.	आचार्य नरेन्द्र देव	10,00,000	6-11-1989	60
22.	आचार्य कृपलानी	10,00,000	11-11-1989	60
23.	जवाहर लाल नेहरू	10,00,000	14-11-1989	100
24.	गुरुनाथ वेबूर	10,00,000	20-11-1989	60
25.	बालकृष्ण शर्मा नवीन	10,00,000	8-12-1989	60
	1990			
26.	डॉ० एम० जी० रामचन्द्रन	10,00,000	17-1-1990	60
27.	हो चि मिन्ह	10,00,000	17-5-1990	200
28.	चौधरी चरण सिंह	10,00,000	29-5-1990	100
29.	खुदीराम बोस	10,00,000	11-8-1990	100
30.	के० कलपन	10,00,000	24-8-1990	100
31.	पंडित सुन्दरलाल शर्मा	10,00,000	28-9-1990	60
32.	ए० के० गोपालन	10,00,000	1-10-1990	100
33.	महाकवि सूर्यमल मिश्राण	6,00,000	19-10-1990	200
34.	भक्त कनकदास	6,00,000	26-12-1990	100
	1991			
35.	जगन्नाथ शंकरसेठ	6,00,000	15-2-1991	200
36.	बाबू जगजीवन राम	6,00,000	5-4-1991	100
37.	डॉ० बी० आर० अम्बेडकर	6,00,000	14-4-1991	100
38.	अरियाकुडी रामानुज आयंगार	6,00,000	18-5-1991	200
39.	कर्पूरी ठाकुर	6,00,000	30-5-1991	100
40.	श्री राम शर्मा आचार्य	8,00,000	27-6-1991	100
41.	के० शंकर पिल्लै-व्यंग्य चित्र	10,00,000	31-7-1991	400
42.	के० शंकर पिल्लै-व्यंग्य चित्र	10,00,000	31-7-1991	650

1	2	3	4	5
43.	श्री प्रकाश	6,00,000	3-8-1991	200
44.	गोपीनाथ बारदोलाई	6,00,000	5-8-1991	100
45.	राजीव गांधी—भारत के लिए समर्पित जीवन	5,10,620	20-8-1991	100
46.	जैन मुनी मिश्रीमलजी	6,00,000	24-8-1991	100
47.	महादेवी वर्मा	6,00,000	16-9-1991	200
48.	जयशंकर प्रसाद	6,00,000	16-9-1991	200
49.	कमला देवी चट्टोपाध्याय कठपुतली	6,00,000	29-10-1991	650
50.	कमला देवी चट्टोपाध्याय हथकर्घा	6,00,000	29-10-1991	100
51.	चित्र तिरूनाल बालराम वर्मा	6,00,000	7-11-1991	200
52.	माजार्ट	6,00,000	5-12-1991	650
53	असित कुमार हल्दर	6,00,000	23-12-1991	200

[अनुवाद]

तमिलनाडु में केन्द्रीय सहायता से पर्यटन विकास

6140. श्री के० वी० तंगकाबालू : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्यटन के विकास संबंधी उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो इस समय केन्द्रीय सरकार की सहायता से तमिलनाडु में चल रही हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : पर्यटन के विकास के लिए मुख्यतया राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। फिर भी, राज्य सरकारों को विशिष्ट परियोजनाओं के लिए, उनके गुण-दोष, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। उपरोक्त मानदण्ड और तमिलनाडु की राज्य सरकार के विशिष्ट अनुरोध पर, 1991-92 के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने पर्यटन संबंधी आधारभूत सुविधाओं के संवर्धन के लिए 74.04 लाख रुपए की सात परियोजनाओं/स्कीमों को स्वीकृति दी है जिन पर कार्य चल रहा है।

[हिन्दी]

फीचर फिल्मों का दूरदर्शन प्रसारण

6141. श्री बसवन्तराव पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी फीचर फिल्मों का प्रसारण किया जा रहा है जिन्हें पहले प्रसारण के अयोग्य घोषित किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या फिल्मों के प्रसारण के लिए पहले अपनाई गई वर्ष-क्रम पद्धति को अभी लागू नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पहले निश्चित किए गए क्रम में फिल्मों का प्रसारण करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) दूरदर्शन की फिल्म चयन समिति द्वारा प्रसारण के लिए अनुपयुक्त पाई गई फीचर फिल्मों को बाद में प्रसारित किया जा सकता है बशर्ते अपील किए जाने पर पूर्वावलोकन समिति द्वारा उन्हें उपयुक्त पाया गया हो।

(ग) प्रादेशिक भाषाओं की फिल्में राष्ट्रीय नेटवर्क पर सामान्यतया वर्षक्रम के अनुसार प्रसारित की जाती हैं।

(घ) और (ङ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

दूरदर्शन के कार्यक्रमों के लिए दिशा-निर्देश

6142. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के कार्यक्रम मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार बनाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विवरण

दूरदर्शन की कमीशंड कार्यक्रम स्कीम के संबंध में दिनांक 17 मार्च, 1992 के संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों की मुख्य बातें :

1. कमीशंड कार्यक्रम अनिवार्य रूप से दूरदर्शन का कार्यक्रम होगा लेकिन दूरदर्शन द्वारा उसकी अवधारणा तथा अन्य अनिवार्य सीमाओं का अनुमोदन कर दिए जाने के बाद कार्यक्रम का वास्तविक निर्माण बाहरी निर्माता द्वारा किया जाएगा जिसे कार्यपालक निर्माता कहा जाएगा।

2. कार्यपालक निर्माता द्वारा, दूरदर्शन के विचारार्थ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिसके साथ संबद्ध ब्यौरा और 2,000 रुपये का मांग ड्राफ्ट होगा।

3. स्कीम के परिचालन के प्रयोजन के लिए, दूरदर्शन द्वारा विख्यात निर्माताओं-निर्देशकों का उनके निरन्तर अच्छे रिकार्ड के आधार पर पैनल बनाया जाएगा।

4. इस पैनल में महानिदेशक के अनुमोदन से निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर नाम जोड़े जा सकते हैं :—

(क) माध्यम का विगत अनुभव,

(ख) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे, फिल्म और टेलीविजन संस्थान; मद्रास के डिप्लोमाधारी,

(ग) जामिया मिलिया के स्नातक और नेशनल स्कूल आफ ड्रामा के डिप्लोमाधारी।

5. किसी विषय विशेष पर प्राप्त प्रस्तावों पर मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जाएगा। मूल्यांकन समिति द्वारा उन कार्यक्रमों के बारे में विचार किया जाना जरूरी नहीं है, जिनकी एक दो कड़ी हो और जिनकी अवधि 30 मिनट से अधिक न हो अथवा जो सामायक विषयों के कार्यक्रम हों।

6. मूल्यांकन समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे :

(क) विषय विशेष से संबद्ध उप-महानिदेशक,

(ख) उप-महानिदेशक (केन्द्रीय वाणिज्यिक यूनिट),

(ग) 3 गैर-सरकारी विशेषज्ञ,

(घ) मुख्य निर्माता/उप-मुख्य निर्माता (केन्द्रीय वाणिज्यिक यूनिट)—समिति का संयोजक।

7. मूल्यांकन समिति निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर प्रस्ताव की स्वीकार्यता के बारे में निर्णय लेगी :—

(क) कथा/विषय की दूरदर्शन की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रासंगिकता,

(ख) विषय का प्रतिपादन,

(ग) प्रसारण संहिता के प्रति अनुरूपता,

(घ) निर्देशक, कार्यपालक निर्माता, तकनीकी दल का विगत रिकार्ड।

8. मूल्यांकन समिति द्वारा कड़ियों की संख्या और धारावाहिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के मामले में प्रत्येक कड़ी की अवधि का भी निर्णय लिया जाएगा।

9. मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव लागत समिति के समक्ष रखे जाएंगे। लागत समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे :

(1) विभिन्न श्रेणियों के कार्यक्रमों को कमीशन करने से सम्बद्ध उपमहानिदेशक,

(2) अपर महानिदेशक (प्रशासन)/उप महानिदेशक (वित्त)/निदेशक (वित्त),

(3) संबद्ध मुख्य निर्माता/उप मुख्य निर्माता,

(4) मुख्य निर्माता (केन्द्रीय वाणिज्यिक यूनिट) -- संयोजक/सदस्य सचिव।

10. लागत समिति, मूल्यांकन समिति की सिफारिशों, निर्देशक आदि के विगत रिकार्ड,

फिल्मों के प्रमाणीकरण के लिए निर्धारित दूरदर्शन के मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा बजट की युक्तियुक्तता के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव की स्वीकार्यता के बारे में निर्णय लेगी।

11. लागत समिति प्रस्ताव को रद्द करने के कारण स्पष्ट करेगी और उसके द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों के बारे में कुल बजट का तर्क भी बतायेगी।

12. लागत समिति, आवश्यकतानुसार, कार्यपालक निर्माता के अधिकारों की भागीदारी के बारे में भी निर्णय लेगी।

13. लागत समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिए महानिदेशक के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी।

14. दूरदर्शन द्वारा कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार, एक ही विषय पर एक से अधिक कार्यक्रम आबंटित किए जा सकते हैं। साथ ही एक ही कार्यपालक निर्माता को, एक ही समय, एक से अधिक कार्यक्रम आबंटित किए जा सकते हैं।

15. दूरदर्शन द्वारा भुगतान की विधि इस प्रकार होगी :—

करार पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद	40 प्रतिशत
शूटिंग शुरू होने पर	20 प्रतिशत
रफ कटों के अनुमोदन पर	20 प्रतिशत
अंतिम प्रिंट के अनुमोदन पर	20 प्रतिशत

16. कार्यपालक निर्माता द्वारा उसे अग्रिम के रूप में दी गई राशि के लिए करार के साथ अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी प्रस्तुत की जायेगी। जब तक करार का पूरी तरह से निष्पादन नहीं हो जाता तब तक बैंक गारंटी का यथासमय नवीकरण किया जाना होगा।

17. दूरदर्शन द्वारा आयकर की राशि सम्बद्ध अनुदेशों के अनुरूप स्रोत पर काट ली जाएगी।

18. सामाजिक विषयों के कार्यक्रमों अथवा 30 मिनट तक के कार्यक्रमों के लिए बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी।

19. कार्यपालक निर्माता द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम के रफ कटों का पूर्वावलोकन, एक पूर्वावलोकन समिति द्वारा किया जायेगा।

20. पूर्वावलोकन समिति द्वारा सुझाये गये संशोधन कार्यपालक निर्माता द्वारा निष्पादित किए जाएंगे और उनके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

21. कार्यक्रम करार में निर्दिष्ट समय सूची के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए। लिखित कारणों के साथ अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध महानिदेशक द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।

22. यदि करार की किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो करार को समाप्त कर दिया जायेगा। दूरदर्शन द्वारा बैंक गारंटी का सहारा लिया जायेगा और अग्रिम के रूप में दी गई समस्त राशि 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूल करने के लिए कार्रवाई शुरू की जायेगी।

23. किसी प्रकार का मतभेद होने की सूरत में, सूचना और प्रसारण सचिव एकमात्र मध्यस्थ होंगे।

24. प्रादेशिक केन्द्रों के लिए कार्यक्रमों के मामले में यही मार्गदर्शी सिद्धांत इसी संशोधन के साथ लागू होंगे कि मूल्यांकन समिति के सदस्य केन्द्र निदेशक, दो अधिकारी और दो गैर-सरकारी व्यक्ति होंगे।

दूरदर्शन पर समय का आवंटन

6144. श्री राम विलास पासवान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू जन्म शताब्दी के दौरान पंडित जवाहर लाल नेहरू के संबंध मे राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम पर कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए 25 घंटे आवंटित किए गए थे जबकि डा० अम्बेडकर की जन्म शताब्दी के दौरान डा० अम्बेडकर के बारे में केवल सात घंटे आवंटित किए गए; और

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) दूरदर्शन द्वारा ऐसे कार्यक्रमों के लिए पहले से कोई समय आवंटित नहीं जाता। फिर भी, ऐसे मामलों में आंकड़ों की तुलना करना ठीक नहीं है क्योंकि दूरदर्शन द्वारा व्यक्तियों पर प्रसारित कार्यक्रमों की कुल अवधि की तुलना करके संबंधित व्यक्तित्वों की महत्ता के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

[अनुवाद]

"डेसू" द्वारा दोषपूर्ण बिल भेजा जाना

6145. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

डा० वसंत पवार :

श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "डेसू" द्वारा दोषपूर्ण और त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल भेजने में कोई विलंब नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) गत छः महीनों के दौरान इस संबंध में "डेसू" को कितनी शिकायतें मिलीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) भविष्य में त्रुटिपूर्ण और अनियमित बिलों को जारी होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) डेसू द्वारा लगभग 17 लाख उपभोक्ताओं से संबंधित अधिसंख्या बिजली के बिल जारी किए जाने को मद्देनजर रखते हुए मानवीय चूकों, मीटरों की रीडिंग नोट करने अथवा

कम्प्यूटर में आंकड़े फीड करने में हुई भूल-चूक के कारण कुछ दोषपूर्ण बिल भेजे जाने के मामले हो सकते हैं। बिजली के बिलों में होने वाली अनियमितताएं सितम्बर, 1991 में 2.40 प्रतिशत से घटकर फरवरी, 1992 में 2.15 प्रतिशत रह गई है। त्रुटिपूर्ण तथा अनियमितता वाले बिलों को जारी किए जाने की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों में मीटर रीडिंग सम्बन्धी पर्यवेक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, दोषपूर्ण मीटरों को बदलना, उपभोक्ताओं के बिजली कनैक्शनों की संख्याओं की गणना करना, कम्प्यूटर केन्द्र में एक केन्द्रीय शिकायत कक्ष खोलना तथा बिल संबंधी कार्यों की गहन प्रबोधन करना शामिल हैं। उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त होने पर बिलों की अनियमितताओं का शीघ्र निराकरण करने के लिए भी कार्यवाही की जाती है।

राष्ट्रीय आटोमोबाइल नीति

6146. श्री जीवन शर्मा : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरों में बसों के निर्माण एवं जन परिवहन डिजाइन पर राष्ट्रीय आटोमोबाइल नीति तैयार करते समय पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है;

(ख) क्या इसके कारण संसाधनों का अधिकांश भाग कारों और दुपहिया वाहनों के निर्माण पर लगा है; और

(ग) यदि हां तो शहरों में जन परिवहन के लिए बसों के निर्माण एवं डिजाइन में सुधार करने के लिए उनके मंत्रालय का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) आटोमोबाइल क्षेत्र के विकास के लिए एक समेकित राष्ट्रीय नीति का विकास करने सम्बन्धी प्रश्न सरकार के साथ सक्रिय विचाराधीन रहा है। तथापि, वर्तमान उदार लाइसेंस नीति के अन्तर्गत कारों को छोड़कर शेष सभी आटोमोबाइल को लाइसेंस की सूची में रखा गया है। अतः शहरी परिवहन हेतु बसों के उत्पादन तथा डिजाइन सम्बन्धी कार्य निजी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

दिल्ली में भाटी खानों में अवैध खनन

6147. श्री नवल किशोर राय : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भाटी खानों में खनन पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन किया जाना जारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) क्या प्रतिबंध का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों का एक निगरानी आयोग बनाये जाने की संभावना है जिसमें वे गैर-सरकारी संगठन शामिल होंगे जो श्रमिकों और पर्यावरण की सुरक्षा करने में अग्रणी रहे हैं ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) भूतपूर्व भाटी खानों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को दिल्ली प्रशासन की दिनांक 15-4-1991 की अधिसूचना

संख्या एफ-2/19/डी० सी० एफ०/90-91/1382-91 द्वारा वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत वन्य प्राणी शरण-स्थल घोषित किया गया है।

अवैध खनन की जिन शिकायतों की जांच की गई है, उन्हें निराधार पाया गया है।

(ग) जी, नहीं।

राज्यों में यात्री निवास

6148. श्री भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्य-वार कितने यात्री निवास हैं;

(ख) यात्री निवास बनाने के संबंध में सरकार की क्या नीति है; और

(ग) यात्री निवास में किस टाइप का आवास उपलब्ध कराया जाता है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) स्वीकृत यात्री निवासों की (राज्य-वार) संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) पर्यटन का विकास करने की मुख्य जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग विशिष्ट प्रस्तावों के लिए उनके गुण-दोष, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए, राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

उपर्युक्त मानदण्ड के आधार पर केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने मध्यम वर्ग के पर्यटकों को सस्ता आवास मुहैया कराने के लिए पर्यटक अभिरुचि के स्थानों पर यात्री निवासों के लिए स्वीकृति प्रदान की है।

विवरण

राज्य	स्वीकृत यात्री निवासों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	1
असम	1
गुजरात	1
गोवा	1
हरियाणा	1
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू व कश्मीर	3
केरल	5
कर्नाटक	1

1	2
मेघालय	2
मध्य प्रदेश	2
महाराष्ट्र	2
मिजोरम	1
नागालैंड	1
उड़ीसा	3
पंजाब	1
सिक्किम	1
त्रिपुरा	2
तमिलनाडु	2
उत्तर प्रदेश	4
पश्चिम बंगाल	2
कुल	58

हरियाणा का मसाणी बांध

6149. राव राम सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा के रिवाड़ी जिले में मसाणी बांध का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर अब तक कुल कितना धन खर्च हुआ है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार द्वारा पानी न छोड़ने के कारण इस बांध का अभी तक उपयोग नहीं हुआ है; और

(घ) मसाणी जल बांध का उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु समझौते को अंतिम रूप देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) द्वारों और गियरिंग लगाने को छोड़कर परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

(ख) अब तक 43.00 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है।

(ग) राजस्थान सरकार ने मसाणी बराज के प्रतिप्रवाह पर न तो किसी भंडारण का निर्माण किया है अथवा न ही निर्माण करने का कोई विचार है, जिसमें मसाणी बराज के लिए निर्मुक्तियों की परिकल्पना की गई हो।

(घ) मसाणी बराज परियोजना केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार की गई साहिबी बेसिन

की समेकित मास्टर योजना का एक भाग है । केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य (आर० एम०) की अध्यक्षता में साहिबी पर एक स्थायी समिति गठित की गई है ताकि संबंधित राज्यों के परामर्श से समेकित मास्टर योजना के सभी तत्वों के क्रियान्वयन का निरीक्षण किया जा सके तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी संबंधित राज्यों के हित में नियंत्रण स्थानों पर प्रवाह का विनियमन किया जा सके।

जामा मस्जिद क्षेत्र, दिल्ली में गन्दगी

6150. श्री मुमताज अंसारी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद क्षेत्र के साथ लगे मांस तथा मछली बाजार में अस्वास्थ्यकर हालातों के कारण पर्यटकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (घ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग को इस आशय की कोई शिकायत नहीं मिली है कि दिल्ली की जामा मस्जिद की यात्रा करने वाले पर्यटकों को साथ लगी मार्किट में अस्वास्थ्यकर हालात के कारण असुविधा होती है।

फिल्मों में देवताओं को गलत ढंग से प्रदर्शित करना

6151. श्री राजेश कुमार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और अभिनेताओं की अपने फिल्मों में देवताओं को गलत ढंग से प्रदर्शित करने की प्रवृति है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ङ) देश में फीचर फिल्मों का निर्माण मुख्यतया निजी क्षेत्र में है । भारत में प्रदर्शन के लिए अभिप्रेत सभी फिल्मों को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित कराना होता है । बोर्ड द्वारा फिल्मों की जांच चलचित्र अधिनियम और इसके अंतर्गत जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार की जाती है : इन मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रमाणन के लिए फिल्मों की जांच करते समय बोर्ड अन्य बातों के साथ-

साथ वह सुनिश्चित करता है कि फिल्मों में ऐसे दृश्य या शब्द न हों जिनसे किन्हीं जातियों, धर्मों या अन्य समूहों का अपमान होता हो।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

हरियाणा में तीर्थ स्थानों का विकास

6152. श्री नारायण सिंह चौधरी : नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हरियाणा सरकार से विभिन्न तीर्थ स्थानों का विकास करने और ज्योतिसर, ब्रह्मा सरोवर सन्निहित सरोवर के नवीकरण व सौंदर्यकरण का काम पूरा करने, गीता केन्द्र की स्थापना करने; श्री कृष्ण संग्रहालय का विकास करने और यात्रियों व पर्यटकों को सुविधाएं मुहैया करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) तीर्थ-स्थानों सहित पर्यटन का विकास करने की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग विशिष्ट प्रस्तावों के लिए उनके गुण-दोष, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस मानदण्ड के आधार पर वर्ष 1991-92 के दौरान, हरियाणा राज्य में नो स्थानों पर सस्ते आवास, एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट, प्रचार सहायता और दो पर्यटक परिसर स्वीकृत किए गए हैं। तथापि, ज्योतिसर, ब्रह्मा सरोवर, सन्निहित सरोवर का नवीकरण/सौन्दर्यकरण करने और श्री कृष्ण संग्रहालय का विकास करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार से नहीं मिला है।

दक्षिणी क्षेत्र में नये पर्यटन मार्ग

6153. श्री श्रीकनाडीश्वर राव वाड्डे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विजयवाड़ा, कोंडापल्ली, अमरावती, नागार्जुनसागर तथा हैदराबाद को पर्यटन मार्ग के रूप में विकसित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) पर्यटक केन्द्रों का विकास करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने इस क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए हैदराबाद-नागार्जुनसागर-तिरुपति परिपथ को अभिनिर्धारित किया है।

[हिन्दी]

ताप विद्युत संयंत्र की राख से एल्यूमीनियम निकालना

6154. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

श्री राम बदन :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान द्वारा ताप विद्युत संयंत्र को बेकार राख से एल्यूमीनियम निकालने के संबंध में कोई सफल शोधन किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस शोध के आधार पर कोई कार्यक्रम तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलोर ने लाईम सोडा सिनटर प्रक्रिया के सनुपयोजन से प्रयोगशाला में अल्यूमीना को सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया है, इस प्रक्रिया का इस समय पोलैण्ड में परीक्षण किया जा रहा है । एक किलो प्रतिदिन की क्षमता वाला एक पाईलेट संयंत्र, परीक्षण के तौर पर प्रचालन किए जाने के लिए मार्च, 1993 तक तैयार हो जाने की आशा है । सी० पी० आर० आई० में बैंच संयंत्र परीक्षणों के परिणामों के आधार पर भावी कार्यक्रमों की सम्भावना है ।

[अनुवाद]

भारत और नेपाल के बीच पन-बिजली परियोजनाओं का विस्तार

6155. **श्री राजवीर सिंह :** क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991 के दौरान भारत और नेपाल के बीच पनबिजली परियोजनाओं के विस्तार के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन बड़ी और छोटी पन-बिजली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर इस प्रयोजनार्थ विचार किया गया था; और

(ग) इन संयंत्रों को किन-किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) नेपाल के प्रधान मंत्री के दिसम्बर, 1991 में भारत के दौरे के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ निम्न मुद्दों पर सहमति हुई थी :—

—नेपाल में महाकाली नदी पर करनाली परियोजना (18,800 मेगावाट) के लिए तकनीकी पहलुओं को अंतिम रूप देने के साथ-साथ अन्य मुद्दों पर भी विचार-विमर्श की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए;

—भारत-नेपाल सीमा पर शारदा नदी पर पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना (3000 मेगावाट) के लिए व्यापक परियोजना रिपोर्ट संयुक्त रूप से अक्तूबर, 1992 तक तैयार की जाए;

—नेपाल में कोसी नदी पर कोसी उच्च बांध (3000 मेगावाट) के लाभों के बारे में अन्वेषण संबंधी कार्यों और मूल्यांकन सम्बन्धी पद्धतियों की रूपात्मकताओं को अंतिम रूप देना;

—बुरही गंडकी जल विद्युत परियोजना (600 मेगावाट) के लिए संयुक्त रूप से जून, 1992 तक फील्ड सर्वेक्षण कार्य किए जाने । व्यापक परियोजना रिपोर्ट को 1994 तक तैयार किया जाना;

—उत्तर प्रदेश में टनकपुर जल विद्युत परियोजना के बारे में भारत सरकार द्वारा (1) ईस्ट-वेस्ट हाइवे पर महेन्द्रनगर को बैराज के साथ जोड़ने वाली सड़क के बारे में अन्वेषण कार्य, (2) समझौते के अनुसार बैराज से जल सप्लाई, (3) बाएं प्रवाह बंध पर तत्काल विचार करने, और (4) भारत प्रतिवर्ष नेपाल को 10 मिलियन यूनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध कराएगा, हाथ में लाए जायेंगे ।

—नेपाल, कमला और बागमती जलाशय की स्कीम के लिए 1993 तक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करेगा ।

कृषि आधारित उद्योगों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की सहायता

6156. **श्री प्रताप राव बी० भोंसले :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में कृषि आधारित उद्योगों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की सहायता करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ऐसी योजनाएं बनाने के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों, उप-राज्यपालों और प्रशासकों से अनुरोध किया था कि वे अपनी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों में आठवीं योजना अवधि में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए उपयुक्त स्कीमें तैयार करें और आवश्यक वित्तीय प्रावधान करें । राज्य-सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुरोध किया गया था कि वे अपनी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टरों में निवेश करने के लिए उपयुक्त नीति उपाय, प्रशासनिक समर्थन उपाय तैयार करें और प्रक्रिया को सरल बनाएं । राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को आधार संरचना के विकास के लिए सरकारी सेक्टर में आवश्यक निवेश करने और उन क्षेत्रों में जहां निजी निवेश आसानी से नहीं किया जा रहा, सरकारी सेक्टर में आवश्यक निवेश करने की भी सलाह दी गई । कुछ राज्य सरकारों ने उपर्युक्त पत्र पर कार्रवाई की और सूचित किया कि वे इस संबंध में उपयुक्त कदम उठा रही हैं ।

खाद्य प्रसंस्करण एककों को सहायता

6157. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में खाद्य प्रसंस्करण एककों की उत्पादन क्षमता में सुधार करने हेतु उन्हें सहायता प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आठवीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए सहायता देने हेतु अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना करने या उनमें वृद्धि करने, किसानों के साथ पिछड़े सम्पर्कों को विकसित करने, विपणन समर्थन, सूअर, पोल्टरी और अन्य मांस प्रसंस्करण सुविधाओं, टूना और अन्य मछली प्रसंस्करण सुविधाओं, समुद्री मात्स्यिकी और प्रसंस्करण, कोल्ड चेन की स्थापना करने, खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग में अनुसंधान और विकास तथा आवश्यक सैक्टरों में जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकार के संगठनों/सहकारी समितियों/स्वैच्छिक एजेन्सियों/संयुक्त सेक्टर/सहायता प्राप्त सेक्टर के यूनिटों को सहायता देना शामिल है।

कर्नाटक में उच्च शक्ति के टी० वी० ट्रांसमीटर की स्थापना

6158. श्री [illegible] शिवप्पा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में धारवाड़ बगलकोट, पावगढ़, रायचुर और मैसूर में उच्च शक्ति के टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) जहां धारवाड़ के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर 1992 के दौरान चालू हो जाने की आशा है वहां बगलकोट और पावगढ़ में एक-एक अर्थात् कुल दो अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटरों के 1993 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है। साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए रायचूर और मैसूर में एक-एक उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने का भी कार्यक्रम है। प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि इस तरह की परियोजनाओं के पूरा होने में परियोजना स्थल पर सिविल निर्माण कार्य आरंभ होने के पश्चात् लगभग 4 वर्ष का समय लग जाता है।

[हिन्दी]

बिजली की मांग और पूर्ति

6159. श्री सुखदेव पासवान :
डा० लाल बहादुर रावल :
डा० कालीराम राणा :
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न भागों में बिजली की मांग और आपूर्ति में अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान ऊर्जा की कमी का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं—नई विद्युत उत्पादन क्षमता शीघ्र चालू करना, लघु निर्माण अवधि वाली विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाना, मांग प्रबंधन एवं ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपायों को कार्यान्वित करना और अधिक ऊर्जा वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत की सप्लाई की व्यवस्था करना।

विवरण

वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 के दौरान ऊर्जा की कमी का राज्यवार ब्यौरा

(आंकड़े प्रतिशत में)

राज्य/प्रणाली का नाम	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4
चंडीगढ़	0	0	0
दिल्ली	0.6	1.5	0.7
हरियाणा	3.9	5.0	2.9
हिमाचल प्रदेश	0.5	0	1.1
जम्मू और कश्मीर	20.8	11.4	10.8
एन० एफ० एफ० सहित पंजाब	1.5	1.4	1.1
राजस्थान	2.2	2.8	2.1
उत्तर प्रदेश	10.6	10.6	10.6
गुजरात	1.5	3.4	4.1
मध्य प्रदेश	3.4	1.4	2.5
महाराष्ट्र	3.0	2.7	3 9
गोवा	0	0	0
आंध्र प्रदेश	9.7	9.8	7.9

1	2	3	4
कर्नाटक	26.9	23.6	22.9
केरल	12.8	8.6	0.5
तमिलनाडु	6.7	9.1	6.4
बिहार	8.0	13.2	28 7
दामोदर घाटी निगम	13.0	17.8	18.1
उड़ीसा	18.7	22.3	22.0
पश्चिम बंगाल	7.0	7.9	9.2
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	3.2	3.0	4.6
अखिल भारत	7.7	7.9	7.9

[अनुवाद]

सी-डाट का कार्य निष्पादन

6160. श्री दिग्विजय सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी-डॉट की स्थापना के बाद इसके कार्य-निष्पादन का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार दूरसंचार के क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय प्रगति में तेजी से हो रहे परिवर्तन को प्राप्त करने हेतु सी-डॉट के साथ किसी अन्य संयुक्त अनुसंधान तथा विकास परियोजना पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का तथा उसकी सहयोग-कम्पनियों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) सी-डॉट के कार्य-निष्पादन, प्रगति और गतिविधियों का प्रबोधन और मूल्यांकन इसके परियोजना बोर्ड, संचालन समिति और शासी परिषद् द्वारा किया जाता है। पिछले सात वर्षों में, निम्नलिखित विभिन्न सांविधिक निकायों द्वारा भी मूल्यांकन किए गए हैं :—

1. श्री बी० एम० सुन्दरम, सदस्य (टीडी) की अध्यक्षता मे मई, 1986 में गठित आंतरिक विभागीय पुनरीक्षा समिति।

2. श्री बी० एम० सुन्दरम, सदस्य (टीडी) की अध्यक्षता में जनवरी, 1988 में गठित आंतरिक विभागीय समिति।

3. जनवरी, 1990 में गठित नाम्बियार समिति।

4. जनवरी, 1990 में सीएजी।

(ग) सी-डॉट सरकार द्वारा वित्त पोषित अपने आपमे एक संगठन है, अतः इसका प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऊपर (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, इसका प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए क्षेत्रों का पता लगाना

6161. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए क्षेत्रों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(ग) क्या सरकार को इस क्षेत्र के लिए विदेशी निवेशकों और अनिवासी भारतीय से निवेश संबंधी योजनाएं प्राप्त हुई हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, हां। बीयर और पेय एल्कोहल तथा कुछ अन्य उत्पादों को छोड़ कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अब प्राथमिकता वाले उद्योग निर्धारित किया गया है। मन्त्रालय ने प्रसंस्कृत फल एवं सब्जी उत्पादों, मांस और पोल्टरी प्रसंस्करण, समुद्री मात्स्यिकी और मछली प्रसंस्करण, चावल हलरों का आधुनिकीकरण, सोया पर आधारित उत्पादों और अनाज/गेहूं पर आधारित उत्पादों आदि को विकास के लिए बल देने वाले क्षेत्र निर्धारित किया है।

(ग) सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तार समीक्षा समिति

6162. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी** :
डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तार समीक्षा समिति ने टेलीफोन टेप किए जाने के माध्यम से "राष्ट्रीय सुरक्षा" के हितों की सुरक्षा करने हेतु बने तार अधिनियम में किए गये उपबंध के दुरुपयोग के विरुद्ध समुचित सुरक्षोपाय करने पर विशेष बल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के अन्य सुझाव क्या हैं तथा सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बद्ध धारा सहित भारतीय तार अधिनियम, 1885 के सभी उपबंधों की समीक्षा करने तथा उपयुक्त संशोधनों की सिफारिश करने के लिए समिति का गठन किया गया है। रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

विदेशों को भेजे गए सरकारी प्रतिनिधि मंडल

6163. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या संसदीय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान विदेशों को कितने सरकारी प्रतिनिधिमंडल भेजे गए; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए प्रतिनिधिमण्डल-वार कितनी धनराशि मंजूर की गई?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इस्पात क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

6164. श्री एम० रमन्ना राय : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योग लाभ अर्जित कर रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार भारत में इस इस्पात उद्योग में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को प्रवेश करने की अनुमति देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण और ब्यौरा क्या है?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) अधिकांश प्राथमिक उत्पादक लाभ कमा रहे हैं। गौण क्षेत्र में यह स्थिति इकाई-दर-इकाई भिन्न-भिन्न है।

(ख) और (ग) नई औद्योगिक नीति में पैलेटीकरण सहित कच्चा लोहा, लोह मिश्र तथा स्पंज लोहे को उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है ताकि इन उद्योगों के संवर्धन को प्रोत्साहित किया जा सके। ऐसे उद्योगों के मामले में 51 प्रतिशत तक विदेशी ईक्विटी के निवेश को स्वतः अनुमति का प्रावधान है। बशर्ते विदेशी ईक्विटी पूंजीगत माल के आयात के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा को सन्निहित करता हो। जहां तक लोहे और इस्पात क्षेत्र की अन्य इकाइयों का सम्बन्ध है, विदेशी ईक्विटी की भागीदारी के लिए सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है।

[हिन्दी]

बाक्साइट पिघलाने वाली भट्ठियां

6165. डा० परशुराम गंगवार : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाक्साइट पिघलाने वाली भट्ठियों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा एल्यूमिनियम के संबंध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) की क्षमता बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। ब्यौरा इस प्रकार है :—

	यूनिट	से	तक
बाक्साइट खान	मिलियन टन प्रतिवर्ष	2.4	4.8
एल्यूमिना रिफाइनरी	मिलियन टन प्रतिवर्ष	0.8	1.35
एल्यूमिनियम स्मेल्टर	मिलियन टन प्रतिवर्ष	0.218	0.345

(ग) इस समय देश एल्यूमिनियम के बारे में आत्मनिर्भर है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में टी० वी० रिले केन्द्र

6166. डा० पी० वल्लल पेरूमान : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के दक्षिण अर्काट जिले में चिदम्बरम में टी० वी० रिले केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) रिले केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) इस समय तमिलनाडु के दक्षिण अर्काट जिले के चिदम्बरम में टी० वी० रिले केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि साधनों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए कुम्बकोणम में एक उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने का कार्यक्रम है। इस ट्रांसमीटर के सेवा के लिए चालू हो जाने पर चिदम्बरम में संतोषजनक दूरदर्शन सेवा प्राप्त होने की आशा है।

(ग) दूरदर्शन द्वारा ट्रांसमीटरों के स्थान के बारे में निर्णय लेते समय जिन मापदंडों का अनुसरण किया जाता है उनमें अन्य बातों के साथ-साथ, कवर न हुए क्षेत्रों में कवरेज का प्रावधान करने, परिणामी कवरेज की सीमा, पहाड़ी, पिछड़े, जनजातीय दूरदराज के संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए कवरेज की व्यवस्था कार्यक्रम निर्माण और लिंकेज सुविधाओं तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता शामिल है। इसके अलावा, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है।

दूरसंचार केन्द्र

6167. श्री बलराज पासी :
श्री चेतन पी० एस० चौहान :
श्री अन्ना जोशी :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में कितने दूरसंचार केन्द्र मंजूर किए गए हैं;

(ख) इनमें से कितने केन्द्र प्रत्येक राज्य में खोले गये;

(ग) शेष केन्द्र कब तक खोले जायेंगे; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इनमें से प्रत्येक राज्य में से कितने केन्द्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) से (घ) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र० सं० राज्य का नाम	1991-92 के दौरान स्वीकृत किए गए दूर-संचार केन्द्रों की संख्या	1991-92 में वास्तविक रूप से खोले गए दूरसंचार केन्द्रों की संख्या	शेष दूरसंचार केन्द्र खोले जाने का संभावित समय	आठवीं पंचवर्षीय योजना (*) के दौरान खोले जाने वाले केन्द्रों का लक्ष्य
1. उत्तर प्रदेश	97	75	1992 के दौरान	250
2. गुजरात	19	19	लागू नहीं	25
3. बिहार	10	10	लागू नहीं	75
4. राजस्थान	8	6	उपयुक्त स्थान उपलब्ध होने पर	10
5. महाराष्ट्र	10	5	उपयुक्त स्थान उपलब्ध होने पर	10
6. आंध्र प्रदेश	25	25	लागू नहीं	90
7. मध्य प्रदेश	25	25	लागू नहीं	100

* दूरसंचार केन्द्र मांग और व्यवहार्य होने पर खोले जाएंगे ।

भूजल स्रोतों का खारा होना

6168. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :
श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां पर भूजल स्रोतों के खारेपन का स्तर बहुत अधिक पाया गया है;

(ख) क्या इस खारेपन के जिम्मेदार, आस-पास की सिंचाई योजनाओं का पता लगा लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि इन क्षेत्रों में खारेपन के कारण फसलों की क्षति हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो खारेपन की समस्या को हल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भूजल में उच्च लवणता स्तरों द्वारा प्रभावित विभिन्न राज्यों के क्षेत्र संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) और (ग) सिंचाई कमानों में अवैज्ञानिक जल प्रबन्ध और अपर्याप्त जल निकास प्रणाली लवणता की समस्या के लिए जिम्मेदार है ।

(घ) लवणता और जल-जमाव इन घटनाओं से प्रभावित क्षेत्रों में फसलों की उत्पादकता के स्तर को कम कर रहे हैं ।

(ङ) आन-फार्म शिक्षा और प्रशिक्षण के जरिए कुशल जल प्रबन्ध और कारगर जल निकास प्रणाली जैसी पद्धतियां कुछ उपाय हैं जो लवणता की समस्या को हल करने के लिए किए जा रहे हैं ।

भूजल स्त्रोतों में खारेपन वाले क्षेत्र (जहां खारापन 4000 माइक्रो सीमेंस से अधिक है) ।

राज्य	जिले के भाग
1	2
आंध्र प्रदेश	अनन्तपुर चित्तूर, कुडप्पा, गोदावरी पूर्व, गुन्टूर, प्रकाशम
गुजरात	अमरेली, जूनागढ़, कच्छ
हरियाणा	भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, जींद, करनाल, महेन्द्रगढ़, रोहतक, सिरसा, सोनीपत
कर्नाटक	बीजापुर, बेल्लारी, कोलार
केरल	त्रिवेन्द्रम
पंजाब	भटिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर

1	2
राजस्थान	अजमेर, बारमेड, भरतपुर, बीकानेर, चुरू, गंगानगर, जयपुर, जयसलमेर, जालौर, झुंझनु, जोधपुर, नागौर, कोटा, सीकर
तमिलनाडु	धरमपुरी, पेरियार, दक्षिणी आरकट, सलेम, त्रिचुरापल्ली कमराजार, वी० ओ० चिदम्बरनार
उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, फतेहपुर, मथुरा, हमीरपुर

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में दूरदर्शन प्रसारण-क्षेत्र

6169. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सभी जिले दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र में आते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे जिलों के नाम क्या हैं जो इस क्षेत्र में अब तक शामिल नहीं किये गये हैं;

(ग) क्या इन जिलों को माइक्रोवेव प्रणाली से जोड़ने की प्रक्रिया आरंभ की गई है; और

(घ) यदि हां, तो दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण सभी जिलों में कब से आरंभ किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) इस समय महाराष्ट्र राज्य के सभी जिलों में, दूरदर्शन सेवा पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से प्राप्त होती है ।

(ग) महाराष्ट्र में प्रादेशिक सेवा के प्रसारण के लिए माइक्रोवेव लिंकेज की बजाए उपग्रह लिंकेज प्रणाली अपनाई गई है । प्रादेशिक सेवा के कार्यक्रम रिले करने के लिए महाराष्ट्र के विभिन्न उच्च शक्ति और अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटरों को उपग्रह के जरिए दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई से जोड़ा गया है ।

(घ) महाराष्ट्र में लगाए जा रहे/परिकल्पित विभिन्न ट्रांसमीटरों के चालू हो जाने पर वहां के 10 जिलों में दूरदर्शन सेवा में सुधार होने की उम्मीद है ।

[अनुवाद]

बिसरा स्टोन लाइम लिमिटेड

6170. **श्रीमती चिल कुमारी भंडारी** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिसरा स्टोन लाइम लिमिटेड बन्द होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके कार्यकरण में सुधार लाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सरकार कंपनी के कार्य निष्पादन का ध्यानपूर्वक प्रबोधन कर रही है। विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें वित्तीय सहायता देना, विपणन संतुलन, उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार आदि शामिल हैं। गत दो महीनों में इसके कार्य निष्पादन में सुधार के लक्षण दृष्टिगोचर हुए हैं।

[हिन्दी]

गंगा-यमुना से राजस्थान को जल

6171. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान को जल की सप्लाई 1957 में किए गए समझौते के अनुसार की जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो समझौता करने के पैंतीस वर्ष बाद भी राजस्थान को उसके हिस्से का जल सप्लाई न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राजस्थान को गंगा-यमुना जल की सप्लाई कराने हेतु हस्तक्षेप करने का है; और

(घ) यदि हां, तो राजस्थान के भरतपुर, सवाई-माधोपुर और अलवर जिलों को गंगा-यमुना नदियों के जल की कब तक सप्लाई किए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राजस्थान को गंगा यमुना से जल की आपूर्ति के संबंध में वर्ष 1957 में किसी ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) बेसिन राज्यों के बीच उपलब्ध यमुना जल का आबंटन अभी तय किया जाना है। तथापि, राजस्थान लगभग 11 करोड़ घन मीटर यमुना जल का पहले ही उपयोग कर रहा है। जहां तक गंगा जल का संबंध है, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने जल संसाधनों के विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हाल में हिमालयी नदी विकास घटक का व्यापक अध्ययन शुरू किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गंगा नदी और इसकी पूर्वी सहायक नदियों से अधिशेष मानसून जल राजस्थान के जल की कमी वाले क्षेत्रों में भी अपवर्तित करने की परिकल्पना है। उनकी रिपोर्ट आठवीं योजना के अन्त तक उपलब्ध हो जाने की आशा है।

[अनुवाद]

राज्यों में विद्युत परियोजना का निर्माण

6172. मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री राम टहल चौधरी :
श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री काशीराम राणा :
श्री सुखदेव पासवान :
श्री श्रीकांत जैना :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा गुजरात में कुछ विद्युत उत्पादन एकक निर्माणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या प्रस्तावित योजना के अनुसार इन एककों का निर्माण कार्य प्रगति पर है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात में क्रियान्वयनाधीन ताप तथा जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। यद्यपि सभी परियोजनाओं का निर्माण कार्य सोपान रूप से प्रगति पर है तथापि कुछ अपरिहार्य विलम्ब हुआ है जिसके बारे में कारणों का ब्यौरा भी संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की विद्युत विभाग तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी० ई० ए०) द्वारा सघन रूप से मानीटरिंग की जाती है। जब कभी भी आवश्यक होता है उपस्कर तथा सामग्री आदि की सप्लाई में बाधाओं को दूर करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों की समयानुसार सहायता की जाती है। इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना प्राधिकारियों, उपस्कर के निर्माताओं और ठेकेदारों के साथ संयुक्त समन्वित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना/यूनिट/स्वीकृति की तारीख तथा स्थल	क्षमता (मे० वा०)	चालू किए जाने की मूल कार्य सूची	चालू किए जाने की प्रत्याशित कार्य सूची	विलम्ब के कारण
1	2	3	4	5	6
	ताप विद्युत परियोजनाएं				
	राज्य क्षेत्र				
	बिहार				
1.	तेनूघाट चरण-1 (टीवीएनएल) 3/79				
	यूनिट-1	210	6/85	10/92	(क) भूमि अधिग्रहण करने में विलम्ब (ख) भेल के साथ टर्न-की आधार पर ठेका दिए जाने को अंतिम रूप देने में विलंब।
	यूनिट-2 (जिला गिरिडिह)	210	6/85	6/93	(ग) निधियों की कमी। (घ) कार्यस्थल पर कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या। (ङ) स्टार्ट अप पावर की उपलब्धता में विलंब।
2.	तेनूघाट चरण-2 (टीवीएनएल) 2/89				
	यूनिट-3	210	9/94	*	वित्तीय सुनिश्चितता को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।
	यूनिट-4	210	3/95	*	
	यूनिट-5 (जिला गिरिडिह)	210	12/95	*	

1	2	3	4	5	6
	केन्द्रीय क्षेत्र				
1.	कहलगांव एसटीपीपी (एनटीपीसी) 2/87				
	यूनिट-1	210	1/91	3/92	(क) यू० एस० आर० एस० के साथ ठेके को अंतिम रूप देने में विलंब ।
	यूनिट-2	210	7/91	3/93	(ख) यू० एस० एस० आर० द्वारा मुख्य संयंत्र एवं उपस्कर को सप्लाई करने में विलंब ।
	यूनिट-3	210	1/92	11/93	
	यूनिट-4	210	7/92	6/94	
	(जिला भागलपुर)				
2.	बोकारो "ख" विस्तार (डीवीसी) 6/81				
	यूनिट-3	210	86-87	6/92	(क) विभिन्न सिविल कार्यों के क्रियान्वयन में विलम्ब । (ख) परियोजना के लिए अनियमित कैश फ्लो । (ग) ए० बी० एल० द्वारा सप्लाई तथा बायलर के उत्थापन कार्य में विलम्ब । (घ) विद्यमान यूनिट के लिए यू०-3 सामग्री की अंगोपयोगिता ।
	उत्तर प्रदेश				
	राज्य क्षेत्र				
1.	टाण्डा टीपीपी				
	यूनिट-4	210	3/85	9/92	(क) निधियों की कमी

3/79 (जिला फैजाबाद)				(ख) भेल द्वारा उपस्कर की सप्लाई में विलंब । (ग) प्रचालन एवं अनुरक्षण कर्मचारियों की तैनाती ।
2. अनपारा "ख" (टीपीपी)				
यूनिट-4	500	86-87	7/93	(क) निधियों की कमी ।
यूनिट-5	500	87-88	6/94	(ख) भेल द्वारा उपस्कर की सप्लाई में विलंब ।
9/81 (जिला सोनभद्रा)				(ग) बायलर उत्थापन कार्य की गति धीमी होना ।
केन्द्रीय क्षेत्र (एन० टी० पी० सी०)				
1. ऊंचाहार टीपीपी विस्तार (2/89**)				
यूनिट-3	210	12/93		(क) निधियों की कमी
यूनिट-4 (जिला रायबरेली)	210	6/94		(ख) मुख्य संयंत्र एवं उपस्कर के लिए आर्डर को अंतिम रूप देना ।
2. एन सीटीपीपी (3/87)				
यूनिट-2	210	5/92	9/92	(क) टी० जी० उत्थापन
यूनिट-3	210	11/92	3/93	(ख) भेल द्वारा उपस्कर की सप्लाई में विलम्ब ।
यूनिट-4 (जिला गाजियाबाद)	210	5/93	9/93	
3. दादरी में गैस आधारित संयुक्त साईकिल परियोजना 6/89				भेल से बाई पास डक्टिंग/स्टेक तथा एक्सपेंशन पी० सी० एस० प्राप्त होने में विलम्ब ।

**परियोजना 2/89 में स्वीकृत की गई थी लेकिन रा० ता० वि० नि० द्वारा 2/92 में क्रियान्वयन के लिए हाथ में ली गई ।

1	2	3	4	5	6
	गैस टर्बाइन				
	यूनिट-3	131	1/92	6/92	
	यूनिट-4	131	3/92	9/92	
	भाप टर्बाइन				
	यूनिट-1	146.5	9/92	5/93	भाप टर्बाइन यूनिटों के लिए भेल द्वारा डब्ल्यू० एच० आर० बी० हेतु उपस्कर सप्लाई।
	यूनिट-2	146.5	1/93	8/93	
	(जिला गाजियाबाद)				
1.	एन० सी० टी० पी० पी० (ओ० पी० जी० सी०) 4/87				
	यूनिट-1	210	3/92	9/93	(क) वित्तीय बाधाओं के कारण यूनिट-1 और 2 से संबंधित बायलर तथा टी० जी० के लिए आर्डर दिये जाने में विलंब।
	यूनिट-2	210	9/92	4/94	
	यूनिट-3	210	3/93	*	(ख) वित्तीय सहायता को सुनिश्चित करने में विलंब।
	यूनिट-4 (जिला सांबलपुर)	210	9/93	*	
2	एम० टी० पी० एस० (एम० ओ० पी० सी०) यूनिट-1	500	2/94	4/94	
	यूनिट-2 (जिला ढेनकैनाल)	500	2/95	3/95	
	जिला विस्तार 2/88 यूनिट-2	120	6/92	12/92	(क) निधियों की कमी

(जिला) जामनगर)				(ख) टी० जी० हाल को तैयार करने में विलंब।
5. संयुक्त साईकिल गैस भारित संयंत्र 3/90				(ग) भेल के बायलर एवं टी० जी० उपस्कर की सप्लाई में विलंब।
टर्बाइन				
यूनिट-1	33	3/91	1/92([illegible])	(क) भेल द्वारा उपकरणों की सप्लाई में विलंब।
यूनिट-2	33	5/91	3/92([illegible])	(ख) परियोजना हेतु निवेश की उपलब्धता में विलंब।
यूनिट-3	33	7/91	8/92	(ग) गैस की अनुपलब्धता।
भाप टर्बाइन				
यूनिट-1 (जिला सूरत)	45	9/91	12/92	—
1. कच्छ लिग्नाइट विस्तार 12/88 यूनिट-3 (जिला कच्छ)	70	95-96	*	
केन्द्रीय क्षेत्र				
1. केवास गैस आधारित संयुक्त साइकिल 2/87				
गैस टर्बाइन				
यूनिट-1	106	6/89	3/92 (वास्तविक)	मुख्य संयंत्र और उपस्कर के लिए आर्डर को अन्तिम रूप दिए जाने में विलंब।
यूनिट-2	106	8/89	7/92	
यूनिट-3	106	19/89	9/92	

* चूंकि मुख्य संयंत्र एवं उपस्कर के लिए आर्डर अभी दिया जाना है, अतः चालू किए जाने संबंधी कार्यक्रम की प्रत्याशा करना संभव नहीं है।

1	2	3	4	5	6
	यूनिट-4	106	12/89	12/92	
	भाप टर्बाइन				
	यूनिट-1	110	6/90	5/93	
	यूनिट-2	110	10/90	8/93	
बिहार					
जल विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत/निर्माणाधीन					
1.	कोयलाकारो जिला रांची गुमला सिंघभूम 7/82 (संशोधित) स्वीकृत 11/91	4×172.5+1×20	88-89	2, 5, 8, 11/99 एवं 2/99	निधियों संबंधी बाधाएं और भूमि अधिग्रहण।
2.	पूर्वी गंडक नहर पश्चिमी चम्पारन 9-6-83	3×5	87-88	9, 12/92, 3/92	विद्युत चैनल के सिविल कार्यों में विलंब।
3.	सोन पश्चिमी नगर जिला रोहतास 10-3-84	4×1.65	88-89	7, 8, 10, 12/92	भेल की सप्लाई मे विलंब
4.	सोन पूर्वी नगर जिला औरंगाबाद 30-6-64	2×1.65	89-90	4, 6/93	कैस फ्लो में समस्या तथा सिविल कार्यों में विलंब।
5.	चांडिल जिला सिंघभूम 14-4-87	2×4	90-91	6, 8/94	कैस फ्लो संबंधी समस्याएं।
6.	उत्तरी कोयल जिला पलामू 10-3-84	2×12	87-88	1, 3/94	टेल रेस सुरंग तथा पॉवर हाउस के सिविल कार्यों में विलंब।

उड़ीसा				
जल विद्युत परियोजनाएं				
स्वीकृत/निर्माणाधीन परियोजनाएं				
1. रेंगाली चरण-2 जिला ढेनकनाल 1-11-85	3×50	यूनिट-1 चालू हो गई यूनिट-2 चालू हो गई यूनिट-3 चालू हो गई	8/89 3/90 6/92	सिविल कार्यों में विलंब। भेल द्वारा सप्लाई में विलंब।
2. अपर कोलाब चरण-2 जिला कोरापुट 12-9-84	1×80	3/90	5/92	भेल द्वारा सप्लाई में विलंब।
3. अपर इन्द्रावती जिला कलाहांडी	4×150	9/86 3, 9/87 एवं 3/88	9/93 1, 5, 9/94	सिविल कार्यों में देरी तथा कोफरडेम में दरार आ जाने के कारण विद्युत घर का जलमग्न हो जाना।
उत्तर प्रदेश				
जल विद्युत परियोजनाएं				
स्वीकृत/निर्माणाधीन परियोजनाएं/जिला				
1. टिहरी चरण-1 केन्द्रीय क्षेत्र (टी० एच० डी० सी०) जून, 72 (4 × 150 मे० वा० क्षमता के लिए)	4×250	1981-82	1996-97	कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, सिविल कार्यों को देने में देरी, निधियों संबंधी बाधाएं।
2. मनेरी भाली, चरण-2 (उत्तर काशी) जनवरी, 1981 (3 × 52 मे० वा० क्षमता के लिए)	4×76	1989-90	1996-98	निधियों संबंधी बाधाओं एवं अपर्याप्त परिव्यय के कारण सभी कार्यों का ठप्प होना। राज्य सरकार द्वारा निम्न प्राथमिकता प्रदान किया जाना।

1	2	3	4	5	6
3.	श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल जनवरी, 1988	6×55	1991-92	1997-98	भूमि अधिग्रहण तथा विद्युत चैनल संबंधी कार्य के लिए ठेका देने में विलंब, 1-4-91 से विश्व बैंक सहायता के निलंबन के कारण निधियों संबंधी बाधाएं।
4.	लखवार व्यासी देहरादून जनवरी, 76 (540 मे० वा० क्षमता के लिए)	3×100 +2×60	1989-90	1996-97	निधियों संबंधी बाधाएं।
5.	विष्णु प्रयाग, चमोली जुलाई, 76 4×65 मे० वा०	3×120 +1×120	1984-85	9वीं योजना	पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय द्वारा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परियोजना को अस्वीकार कर दिया गया है।
6.	धौलीगंगा/केन्द्रीय क्षेत्र (एन० एच० पी० सी०) पिथौरागढ़ अप्रैल, 91	4×70	1998-99	1998-99	—
7.	सोबला पिथौरागढ़ अक्तूबर, 88	2×3	1993-94	1992-93	—
8.	राजघाट (उ० प्र०/ म० प्र० की संयुक्त परियोजना) ललितपुर और गुना, अगस्त, 91	3×15	1995-96	1994-95	—

गुजरात

जल विद्युत परियोजनाएं

स्वीकृत/निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं

1. कडाना पी० एस० एस० एस० चरण-2 जिला पंचमहल 26-6-72	2 × 60	1985-86	9/95, 3/96	जी० ई० बी०/गुजरात सरकार के साथ निधियों संबंधी बाधाओं के कारण परियोजना को प्राथमिकता प्रदान नहीं की गई थी।
2. सरदार सरोवर आर० बी० पी० एच० जिला भड़ोच 5-10-88	6 × 200	1994-97	9, 10, 11, 12/95 3 और 7/96	बेचिंग संयंत्र के लिए विदेशी मुद्रा मुहैया कराए जाने के कारण मुख्य बांध के कंक्रीट कार्य में विलंब, टी० जी० सैटों के लिए ओ० ई० सी० एफ० के ऋण की दूसरी किश्त मुहैया कराये जाने में भी समस्या आई है।
3. नहेर हैड पम्प हाउस 5-10-88	5 × 50	1994-96	8, 9, 10, 11/95 2/96	

बोकारो इस्पात संयंत्र का परियोजना परिव्यय

6137. **श्रीमती रीता वर्मा** : क्या **इस्पात मंत्री** यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए 10 मिलियन रुपये का परियोजना परिव्यय तैयार किया गया था और तदनुसार कार्यशाला, कूलिंग प्लांट, अस्पताल की स्थापना तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की योजना बनायी गयी थी,

(ख) क्या प्रतिवर्ष अथवा हर दूसरे वर्ष एक मिलियन टन अतिरिक्त इस्पात का उत्पादन करने का कार्यक्रम था;

(ग) क्या सरकार ने अब इसकी विस्तार योजना को त्याग दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार 10 मिलियन टन की योजना के मूल उद्देश्य को अपनाने का है; और

(च) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) बोकारो इस्पात संयंत्र में 40 लाख टन वार्षिक अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन की निर्धारित क्षमता के प्रारम्भिक परिव्यय के व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी। इसे प्राप्त कर लिया गया है। 40 लाख टन क्षमता से अधिक के लिए संयंत्र तथा उपक्रमों और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए प्रावधान नहीं रखा गया था। तथापि, संयंत्र, बस्ती तथा अन्य सम्बद्ध सुविधाओं पर अधिक विस्तार की गुंजाइश है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) बोकारो इस्पात संयंत्र के संबंध में विस्तार योजना को रद्द नहीं किया गया गया है। तथापि, इस समय संयंत्र की क्षमता 100 लाख टन वार्षिक करने की कोई योजना नहीं है।

(ङ) और (च) इस समय सरकार बोकारो इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार को 45 लाख टन द्रव इस्पात करने पर विचार कर रही है। सरकार चरणबद्ध रूप से बोकारो इस्पात संयंत्र की क्षमता बढ़ाना तथा विस्तार कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व वर्धित क्षमता के प्रत्येक चरण पर उत्पादन का स्थिरीकरण करना चाहेगी।

[हिन्दी]

लखनऊ के साथ एस० टी० डी० सम्पर्क

6174. **श्री राजेंद्र कुमार शर्मा** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में शहर अभी तक लखनऊ के साथ एस० टी० डी० सुविधा से जुड़े हुए नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन शहरों को वर्ष 1992-93 के दौरान लखनऊ और दिल्ली के साथ एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) उत्तर प्रदेश में एस० टी० डी० सुविधा रहित (जनगणना पुस्तिका, 1991 के अनुसार 1,00,000 से अधिक की आबादी वाले) शहरों के नाम, सम्भल, अमरोहा और हल्द्वानी एवं काठगोदाम हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) शेष तीन शहरों को 1992-92 के दौरान एस० टी० डी० से जोड़ने की योजना बनाई गई है।

[अनुवाद]

दक्षिण कन्नड़ टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट में टेलीफोन कनेक्शन

6175. **श्री बी० धनंजय कुमार :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण कन्नड़ टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट में टेलीफोन कनेक्शनों की, एक्सचेंज-वार वर्तमान संख्या क्या है;

(ख) क्या टेलीफोन कनेक्शन पाने के लिए आवेदन-पत्र बड़ी संख्या में लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) लम्बित आवेदन-पत्रों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) 29-2-92 की स्थिति के अनुसार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) संलग्न विवरण में दी गई प्रतीक्षा सूची में शामिल आवेदकों में से 5000 से अधिक आवेदकों को मार्च, 1992 के दौरान टेलीफोन कनेक्शन दे दिया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे के निम्नलिखित उद्देश्यों के अनुसार शेष आवेदकों को आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाने की आशा है।

—ग्रामीण और जन-जातीय क्षेत्रों में मांग होने पर व्यावहारिक रूप से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना।

—विस्तृत टेलीफोन प्रणालियों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा अवधि दो वर्ष से अधिक न हो।

विवरण

क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम	चालू कनेक्शन	प्रतीक्षा सूची		
			ओवाईटी	विशेष	सामान्य
1	2	3	4	5	6
	मंगलौर उप मंडल				
1.	बाजपे	466	12	3	203

1 2	3	4	5	6
2. बाईकामवड़ी	1604	1	7	97
3. गुरपुर	182	1	4	151
4. कन्नूर	87	9	25	230
5. कारनीरे	57	—	—	9
6. किन्नीगोली	330	—	2	99
7. किन्नीकाम्बला	279	4	—	140
8. कोनाजे	278	7	4	116
9. कृष्णापुर	655	25	2	399
10. कुप्पेपडाव्	58	—	—	52
11. मल्लूर	71	—	—	58
12. मंगलौर	13231	770	555	4867
13. मुल्की	666	2	3	3
14. उल्लाल	982	7	22	454
बांटवाल उप मंडल				
15. अड्यानडका	60	2	8	53
16. अल्दांगड़ी	36	3	—	62
17. अलीपाड़े	36	—	1	42
18. बादागाबेल्लूर	68	—	—	29
19. बालगाड़ी	22	—	—	26
20. बांटवाल	844	15	16	260
21. बोयारगाड़ी	293	8	10	100
22. धर्मस्थल	84	—	—	54
23. डिबुपे	20	—	—	23
24. पांरगीपेट	87	—	13	204
25. मक्काटे	11	—	—	11
26. गोलधामजालू	57	2	5	76
27. काकीजे	39	1	7	78
28. कलयाना	39	1	6	49

1	2	3	4	5	6
29.	कोलनाड	37	—	—	57
30.	कुरनाड	78	—	10	95
31.	मची	82	—	1	94
32.	मानी	88	1	4	135
33.	पाडनमाडी	25	—	1	60
34.	पेरूवई	47	—	4	86
35.	पुंचा	56	4	2	62
36.	पुंजलकाटे	87	1	4	80
37.	साजीपनाडू	59	—	—	46
38.	सिद्दाकाटे	45	—	1	61
39.	सोरनाड	26	1	—	45
40.	उली	39	—	1	35
41.	वामापाडवू	41	1	1	80
42.	विट्टाल	296	6	5	77
43.	वोग्गा	37	—	—	37
करकाला उप मंडल					
44.	अजेकर	44	—	1	31
45.	बाजागोली	31	1	2	41
46.	बाईलूर	143	—	—	44
47.	बेलवी	86	1	1	63
48.	हीरगाना	23	—	1	17
49.	हाऊमार	42	—	—	25
50.	इन्ना	41	—	2	59
51.	करकाला	855	17	17	222
52.	केदिन्जा	89	3	3	132
53.	करवासे	21	—	—	6
54.	कोत्रेपाडवू	45	—	—	30
55.	कुकूजे	14	—	—	17

1	2	3	4	5	6
56.	माला	20	—	—	22
57.	मिजार	35	1	—	37
58.	मूडबियारी	580	14	18	139
59.	मुनियाल	45	—	—	24
60.	नाकरे	36	—	1	10
61.	निडोडी	43	—	—	58
62.	पाडुबिदरी	382	2	7	137
63.	पलाडका	42	—	—	16
64.	पेरिंजे	25	—	—	57
65.	पिलार	90	1	1	69
66.	रेनजाला	5	—	—	—
67.	सचेरीपेठ	84	—	—	62
68.	शिरथाडी	83	1	1	68
69.	ताकोंडे	35	1	—	16
70.	तेल्लार	14	—	—	—
71.	वन्नूर	34	—	2	35
	कुंडापुर उप मंडल				
72.	आमसेबाली	35	—	1	6
73.	आमपुर	28	—	—	21
75.	आरडी	38	—	—	9
75.	बसरूर	89	—	4	62
76.	बेलवे	70	—	—	23
77.	बिन्दुर	193	—	2	54
78.	बिजूर	44	—	—	54
79.	गांगुली	189	—	2	83
80.	गुडेनगाडी	43	—	—	17
81.	हल्लीहोले	40	—	1	10
82.	हेमाडी	31	—	1	28
83.	होसानगाडी	31	—	1	4

1	2	3	4	5	6
84.	हुंसेमाक्की	73	—	1	56
85.	जनाडी	34	—	—	8
86.	कम्बाडकोने	46	—	2	52
87.	कारकुंजे	83	—	1	17
88.	कोल्लुर	72	—	—	13
89.	कुंडापुर	1171	3	18	236
90.	मारवये	89	1	—	24
91.	शंकरनारायण	79	—	1	19
92.	शिरूर	88	—	2	123
93.	सिद्दापुर	45	—	2	30
94.	टेक्काटे	87	2	1	80
	पुत्तूर उप मंडल				
95.	असंकार	44	—	—	23
96.	अरासीनमक्की	40	—	—	4
97.	बाडागम्नूर	66	—	2	55
98.	इरडे	66	2	—	28
99.	ईश्वरमंगल	89	4	2	90
100.	कदाबा	87	1	5	44
101.	कंचन बाजापुर	40	—	—	10
102.	कनियार	61	—	1	60
103.	केडिला	54	—	—	15
104.	कोडिम्बाडी	33	—	—	11
105.	कोइला	59	—	1	16
106.	कूला	88	—	1	28
107.	नेल्लयाडी	61	—	—	31
108.	नेट्टाना	22	—	—	7
109.	पानाजी	89	1	3	46
110.	पेरने	56	—	—	12
111.	पुठिला	27	—	—	20

1 2	3	4	5	6
112. पुल्लूर	1506	7	34	288
113. संतयार	64	1	2	53
114. सावनूर	62	—	3	36
115. शांतिगोड	36	—	—	19
116. शिशिला	30	—	—	4
117. धिगलाडी	75	1	2	43
118. उडाने	17	—	—	19
119. उप्पिनानगेडी	245	1	—	89
120. उरवाबू	54	—	—	15
121. वोलावाडा	18	—	—	17
सुलिया उप मंडल				
122. एवरनाडू	45	—	—	22
123. अजवारा	22	—	2	35
124. बेलारे	230	—	2	33
125. डोडाघोटा	101	—	3	75
126. गुठिगर	77	1	—	33
127. एस० एच० फलीयाडका	42	1	—	35
128. जलसूर	82	4	—	30
129. कलमावका	33	—	2	12
130. कोलछार	21	—	—	20
131. कुरलावका	17	—	—	20
132. मदाप्पादी	21	—	1	12
133. मधाबू	23	—	—	19
134. मर्केकोल	27	—	—	20
135. मनकज्जो	15	—	—	30
136. पांजा	94	—	1	64
137. पेरलामपेदी	55	—	—	44
138. सम्पाजे	86	—	4	48

1	2	3	4	5	6
139.	सुब्रामनिया	79	—	—	20
140.	सूलिया	476	2	11	114
141.	थोडीकाना	31	—	1	5
142.	येडेमंगला	23	—	—	29
उडुपी उप मंडल					
143.	उडुपी	3939	157	222	2180
144.	उछसादी	32	—	--	26
145.	अवरंसे	24	—	—	13
146.	ब्रह्मावार	472	6	16	158
147.	बेरकांडी	76	—	1	39
148.	हुंगनकट्टा	69	—	—	32
149.	हुबरी	108	3	13	114
150.	हरंगा	123	—	5	117
151.	हिरियाडका	126	--	2	38
152.	कौप	356	11	3	159
153.	केम्मन्नू	89	15	9	296
154.	कोकरला	44	—	1	38
155.	कोल्लागिरी	77	1	—	37
156.	मन्दारवी	89	—	—	29
157.	मनीपूरा	42	2	3	68
158.	मूडीबेले	89	5	3	106
159.	पल्ली	33	—	1	10
160.	पनिपुर	45	—	1	53
161.	पेरडूर	76	1	1	45
162.	सेलीग्राम	294	2	1	68
163.	सांथकट्टे	14	—	1	13
164.	शंकरपुर	132	9	3	114
165.	शिरियारे	49	—	—	34

1	2	3	4	5	6
166.	शिरवा	210	11	5	145
167.	शिवपुरा	27	--	1	21
168.	येदेहेडी	22	—	3	33

तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

6176. श्री के० तुलसिऐया वान्डायार : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान तमिलनाडु में नये खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त किए गए प्रस्ताव का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) मैसर्स हीरो फूड्स प्रा० लिमिटेड से उत्तरी अर्काट जिले में और मैसर्स सिट्रस प्रोडक्टस लिमिटेड से तमिलनाडु के चिंगलपेट जिले में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इन प्रस्ताओं के लिए आशय-पत्र जारी किए गए हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना के लिए मैसर्स तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से प्राप्त एक प्रस्ताव भी औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय द्वारा दर्ज किया गया है।

केरल के दूरदर्शन धारावाहिकों की स्वीकृति

6177. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में दूरदर्शन केन्द्र की स्वीकृति के लिए कितने दूरदर्शन धारावाहिक लम्बित पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

प्रमुख मार्गों पर गैर-सरकारी विमान कम्पनियां

6178. श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के भीतर प्रमुख मार्गों पर यात्रियों को ले जाने के लिए गैर-सरकारी कम्पनियों को अनुमति प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) पर्यटन विकास को बढ़ावा देने, वर्तमान अनुसूचित प्रचालनों द्वारा प्रदान की जाने वाले सेवाओं में वृद्धि करना और कुछ प्रतिस्पर्धा का तत्व शामिल करके सेवाओं में सुधार करने और आवश्यकता होने पर विमानों का बेड़ा उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्ष 1986 में हवाई टैक्सी परिचालनों की योजना लागू की गयी थी। हवाई टैक्सी सेवाएं ऐसे किसी भी विमान क्षेत्र के लिए परिचालित की जा सकती है जहां अनुसूचित सेवाओं का परिचालन किया जाता है। परिचालित किए जाने वाले विमान के प्रकार और वसूल किए जाने वाले किरायों के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है।

रोहिणी, दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन

6179. **श्री राम प्रकाश चौधरी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोहिणी और वेस्ट एनक्लेव पीतमपुरा, दिल्ली में कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाने की स्वीकृति दी गई है;

(ख) क्या ये टेलीफोन लगा दिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ये टेलीफोन कब तक लगा दिए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) रोहिणी एक्सचेंज में 1991-92 के दौरान 259 पी० सी० ओ० संस्थापन के लिए मंजूर किए गए हैं। रोहिणी एक्सचेंज रोहिणी और वेस्ट इनक्लेव पीतमपुरा को भी सेवा प्रदान करता है। इसमें से 143 पी० सी० ओ० अब तक संस्थापित किए जा चुके हैं।

(ग) शेष 116 पी० सी० ओ०, जो कि तकनीकी कारणों से लंबित हैं, को 30 जून, 1992 तक उत्तरोत्तर रूप से संस्थापित किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना

6180. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में इस समय कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इन सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदल दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो शेष एक्सचेंजों को कब तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदल दिए जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) रायपुर जिले में 31-3-92 को 60 टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। कुल 60 टेलीफोन एक्सचेंजो में से 24 नॉन इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हैं। सामान्यतया किसी एक्सचेंज को कार्यकाल समाप्त होने पर बदला जाता है। इसके अतिरिक्त, आठवीं योजना में दूरसंचार विभाग के मसौदा प्रस्तावों में मार्च, 1994 तक सभी मैनुअल एक्सचेंजों को तथा आठवीं योजना के अन्त तक छोटे आकार के इलेक्ट्रामेकेनिकल एक्सचेंजों (एम० ए० एक्स० III तथा लाइन फाइंडर टाइप के एम० ए० एक्स० II) को इलेक्ट्रानिक

एक्सचेंजों द्वारा बदलने का प्रस्ताव है। अतः एक्सचेंजों को बदलने का काम उत्तरोत्तर रूप से किया जाएगा।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

6181. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी जिला-वार ब्यौरा क्या है और वे कहां-कहां स्थित हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) (i) सभी जिलों में समस्त मैनुअल एवं छोटे इलैक्ट्रो-मकैनिकल एक्सचेंजों को आठवीं योजना के दौरान उत्तरोत्तर रूप से इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों से बदलने की योजना बनाई गई है, बशर्ते कि यह कार्य तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हो और इसके लिए संसाधन उपलब्ध हों।

(ii) अन्य इलैक्ट्रो-मकैनिकल एक्सचेंजों को भी, उत्तरोत्तर रूप से उनकी मियाद समाप्त होने पर, इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों से बदल दिया जाएगा।

तमिलनाडु में ताप विद्युत परियोजना

6182. श्री सी० श्रीनिवासन :
श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन :
डा० वी० राजेश्वरन :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में वर्ष 1992-93 के दौरान ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई विदेशी कंपनी राज्य में ताप विद्युत परियोजनाओं में पूंजी-निवेश करने और इनके कार्यान्वयन के लिए आगे आयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां। नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा तमिलनाडु में नेवेली द्वितीय माइन कट चरण-2 यूनिट-6 (210 मेगावाट) को वर्ष 1992-93 के दौरान चालू किए जाने की प्रत्याशा है।

(ग) और (घ) जी हां, सरकार द्वारा अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

गुजरात में आकाशवाणी केन्द्र

6183. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय कितने आकाशवाणी केन्द्र हैं और वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं तथा इनकी क्षमता कितनी है;

(ख) गुजरात में उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां वर्ष 1991-92 के दौरान टी० वी० ट्रान्समीटर स्थापित किए गए हैं; और

(ग) राज्य में कम शक्ति के ट्रान्समीटरों को अधिक शक्ति के ट्रान्समीटरों में कब तक बदल दिए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित 6 आकाशवाणी केन्द्रों का ब्यौरा दिया गया है :

स्थान		क्षमता
1. अहमदाबाद	—	(i) 200 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर
		(ii) 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (विविध भारती वाणिज्यिक)
2. बड़ोदा	—	1 किलो वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (विविध भारती वाणिज्यिक)
3. भुज	—	10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर
4. गोधरा (स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र)	—	6 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर
5. राजकोट	—	(i) 300 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर
		(ii) 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (विविध भारती वाणिज्यिक)
		(iii) 1000 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (विदेश सेवा)
6. सूरत (स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र)	—	6 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान गुजरात में कोई टी० वी० ट्रांसमीटर चालू नहीं किया गया है।

(ग) भुज में स्थापित वर्तमान अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है। इस उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के 1994-95 में चालू किए जाने की योजना है। दूरदर्शन ने बड़ोदरा और सूरत के वर्तमान अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटरों के स्थान पर उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने की भी योजना बनाई है। लेकिन यह साधनों की वास्तविक उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए ही किया जाएगा। इस प्रकार की परियोजनाओं के पूरा होने में आम तौर पर परियोजना स्थल पर सिविल कार्य शुरू होने के बाद लगभग 4 वर्ष का समय लग जाता है।

जहां तक आकाशवाणी का सम्बन्ध है अहमदाबाद के 1 किलोवाट मीडियम वेव विविध भारती वाणिज्यिक ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने की अनुमोदित स्कीम है। जिसके अंतर्गत 2 × 5 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटर लगाया जाएगा। इस स्कीम की 8वीं योजना की अवधि में पूरा हो जाने की परिकल्पना की गई है।

महाराष्ट्र में गांवों के टेलीफोन उपभोक्ताओं की परेशानियां

6184. **प्रो० राम कापसे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के ठाणे जिले में ग्रामीण टेलीफोन उपभोक्ताओं की परेशानियों के बारे में सरकार को नवम्बर, 1991 में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है!

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) इस अभ्यावेदन में शिकायतों का निवारण करने हेतु तारीख और स्थान का उल्लेख करके उचित प्रचार करते हुए ठाणे दूरसंचार जिले के लिए नियमित अंतरालों पर खुला दरबार (ओपन हाउस सेशन) और टेलीफोन अदालत लगाने का सुझाव दिया गया है।

(ग) 5-3-1992 को पालघर में खुला दरबार आयोजित किया गया था। जी० एम० दूरसंचार कल्याण, इसके पश्चात् नियमित अंतरालों पर विभिन्न स्थानों पर खुला दरबार और टेलीफोन अदालतें लगाएंगे।

बिजली के पारेषण और वितरण में क्षति

6185. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव :**
श्री गंगाधारा सानीपल्ली :
श्री जगमीत सिंह बरार :
कुमारी उमा भारती :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कई वर्षों के दौरान बिजली के पारेषण और वितरण में हो रही क्षति 20.4 प्रतिशत से बढ़कर 23 प्रतिशत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो बिजली में होने वाले क्षति का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का तकनीक में सुधार लाने तथा बिजली की क्षति को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) देश में पारेषण तथा वितरण (टी० एण्ड डी०) हानियों की मात्रा 22 प्रतिशत से 23 प्रतिशत के बीच रही है। पारेषण एवं वितरण हानियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए विभिन्न तकनीकी तथा प्रशासनिक उपाय किए गए हैं। जिनमें ये शामिल हैं :—

(1) भारी हानियों के लिए उत्तरदायी प्रणालीगत घटकों का पता लगाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत विभागों द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा आयोजित करना;

(2) ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए प्रणाली सुधार स्कीमें तैयार करना;

(3) कैपेसिटरों की स्थापना करना, राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत विभागों की विद्युत प्रणालियों में ऊर्जा लेखा परीक्षा की शुरूआत करना;

(4) बिजली की चोरी को एक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है; और

(5) पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए प्रोत्साहन स्कीमें लागू करना।

विवरण

राज्य बिजली बोर्डों में परिणमन प्रतिशतता, पारेषण तथा वितरण हानियां (बिजली चोरी जैसे वाणिज्यिक घाटों सहित)

क्षेत्र	राज्य बिजली बोर्ड	1988-89	1989-90	1990-91*
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र	1. हरियाणा	26.62	29.19	27.59
	2. हिमाचल प्रदेश	22.88	18.74	17.51
	3. जम्मू एवं कश्मीर	41.46	49.46	46.16
	4. पंजाब	18.32	18.09	19.00
	5. राजस्थान	25.34	24.39	24.89
	6. उत्तर प्रदेश	27.41	26.10	26.08
पश्चिमी क्षेत्र	1. गुजरात	19.61	22.09	22.05
	2. मध्य प्रदेश	22 07	19.48	18.76
	3. महाराष्ट्र	15.77	17.60	15.52
	4. गोवा	25.61	25 22	24.58
दक्षिणी क्षेत्र	1. आंध्र प्रदेश	19.35	20.20	19.60
	2. कर्नाटक	21.29	20.48	19.60
	3. केरल	25.23	22.54	21.02
	4. तमिलनाडु	17.66	18.51	18.40
पूर्वी क्षेत्र	1. बिहार	23.96	21.50	21.00
	2. उड़ीसा	27.52	23.96	23.00
	3. सिक्किम	21.38	23.36	22.92
	4. पश्चिमी बंगाल	23.23	22.69	21.90

1	2	3	4	5
उत्तर-पूर्वी	1. असम	24.98	21.58	21.00
क्षेत्र	2. मणिपुर	35.71	20.83	20.50
	3. मेघालय	9.60	10.90	11.35
	4. नागालैंड	29.00	20.93	22.00
	5. त्रिपुरा	30.57	30.00	29.00
	6. अरुणाचल प्रदेश	24.89	27.55	20.00
	7. मिजोरम	29.66	29.00	28.00
अखिल भारत	(यूटिलिटीज)	22.31	22.88	22.90

*अनन्तिम ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के रायगढ़ में दूरदर्शन केन्द्र

6186. श्री भवानी लाल वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रायगढ़ में स्थापित किया गया दूरदर्शन केन्द्र अपनी स्थापित क्षमता के अनुसार कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्र की स्थापित क्षमता कितनी है;

(ग) उक्त प्रसारण केन्द्र द्वारा कितने क्षेत्र में प्रसारण किया जाता है; और

(घ) प्रसारण क्षमता में कब तक वृद्धि किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) वी० एच० एफ० बैंड में प्रचालित एक अल्प शक्ति (100 वाट टी० वी०) ट्रांसमीटर रायगढ़ में मार्च, 1989 से कार्य कर रहा है । बताया जाता है कि यह ट्रांसमीटर संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है और करीब 700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा प्रदान कर रहा है । इसमें किनारे के वे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां संतोषजनक सेवा प्राप्त करने के लिए डिश एंटीना और बूस्टरों की आवश्यकता होती है ।

(घ) यद्यपि, इस समय रायगढ़ के मौजूदा टी० वी० ट्रांसमीटर की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, फिर भी इस जिले में अंबिकापुर में लगाए जाने के लिए परिकल्पित उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर के चालू हो जाने पर दूरदर्शन सेवा में सुधार होने की उम्मीद है । इस परियोजना का कार्यन्वयन इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त साधनों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा ।

[अनुवाद]

ट्यूबवेल्स प्रोजेक्ट के संबंध में नीदरलैंड के साथ समझौता

6187. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए नीदरलैंड के साथ कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में इन्डो-डच ट्यूबवेल्स प्रोजेक्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है;
(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) इस संबंध में नीदरलैंड सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ख), (ग) और (ङ) जल संसाधन क्षेत्र में नीदरलैंड के साथ हस्ताक्षर किए गए करारों का ब्यौरा निम्नवत है :--

क्र० सं०	परियोजना का नाम	करार की तारीख	मिलियन डच गिल्डर में आबंटन
1	2	3	4
(एक)	उत्तर प्रदेश नलकूप परियोजना	27-8-87	90.000
(दो)	उत्तर प्रदेश नलकूप परियोजना (तकनीकी सहायता)	29-7-91	2.100
(तीन)	राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना का प्रशिक्षण घटक	4-10-89	7.800
(चार)	जल प्रबंध में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	18-8-89	5.588
(पांच)	तुंगभद्रा सिंचाई परियोजना	13-12-85	1.477
(छः)	तुंगभद्रा चाक जल प्रबंध अनुसंधान परियोजना	10-8-89	2.300
(सात)	महाराष्ट्र खारलैण्ड विकास परियोजना (सोपान-दो) में लवणीय भूमि पुनरुद्धार कार्यक्रम	12-3-92	3.500

(घ) इस परियोजना में 750 नए नलकूपों का निर्माण, 125 पुराने मानक नलकूपों का आधुनिकीकरण, 200 पुराने मानक नलकूपों का सुधार तथा उन्हें समर्पित पोषकों के साथ जोड़ना शामिल है। परियोजना की 139 करोड़ रुपए की अनुमानित संशोधित लागत के मुकाबले दिसम्बर, 91 तक इस पर 91.75 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। 75,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने के लक्ष्य के मुकाबले दिसम्बर, 91 तक उपलब्धि 44,700 हेक्टेयर थी।

उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्रों का विस्तार

6188. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से आकाशवाणी के और अधिक केन्द्रों के विस्तार संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने आकाशवाणी केन्द्रों का निर्माण करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) आकाशवाणी की योजना स्कीमें संबंधित राज्यों में रेडियो कवरेज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती हैं। राज्य सरकारों से उनके राज्यों में रेडियो कवरेज के विस्तार के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं किंतु आकाशवाणी की योजनाएं तैयार करने के लिए राज्य सरकारों से विस्तृत प्रस्ताव नहीं मांगे जाते।

एस्बेटास फाइबर का आयात

6189. **श्री ए० प्रताप साय :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार एस्बेस्टॉस खनन उद्योग को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एस्बेस्टॉस फाइबर का आयात किया जा रहा है; यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इसका प्रत्येक वर्ष कुल कितने टन आयात किया गया और उसका मूल्य कितना था; और

(घ) देश में इस समय कितने एस्बेस्टॉस खनन यूनिट हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) वर्ष 1988-89 से 1990-91 के दौरान एस्बेस्टस के आयातों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	एस्बेस्टस मात्रा (टन)	जोड़ मूल्य (हजार रु०)	एस्बेस्टस मात्रा (टन)	फाइबर कच्चा मूल्य (हजार रु०)
1988-89	101,345	63,57,35	99,777	62,45,37
1990-91	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
1990-91 (अनंतिम)	77,885	72,45,76	77,234	71,83,16

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान 73 एस्बेस्टस खानें उत्पादन कर रही थीं।

नदी बोर्ड की स्थापना

6190. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**
श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाढ़ और सूखे की समस्या को अधिकतम सीमा तक हल करने के लिए देश की प्रमुख नदियों को जोड़ने हेतु एक नदी बोर्ड गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का गठन वर्ष 1982 में किया गया है। इसने अन्य बातों के साथ-साथ अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल अन्तरण हेतु प्रायद्वीपीय तथा हिमालयी क्षेत्र में बड़ी नदियों को जोड़ने के वास्ते अध्ययन शुरू किए हैं। इससे देश के जल संसाधनों के समेकित विकास से बाढ़ तथा सूखे की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

मुंबई और खजुराहो के बीच विमान सेवा

6191. कुमारी उमा भारती : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुंबई से खजुराहो के लिए विमान सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस ने 1-11-92 से बंबई-औरंगाबाद-भोपाल-खजुराहो सैक्टर पर सप्ताह में तीन बार की बी-737 सेवा के परिचालन की घोषणा की है।

[अनुवाद]

जलधारा योजना

6192. श्री भेरू लाल मीणा :
श्री ललित उरांव :
श्री रामदेव राम :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान "जलधारा योजना" के अंतर्गत राज्यवार कितने कुएं खोदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी धनराशि आवंटित की है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त आवंटित राशि में से खर्च की गई राशि का जिलावार ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) 13 राज्यों में पता लगाए गए सूखा-बहुल क्षेत्रों के छोटे किसानों को एक साथ पम्पसैट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने 1988-89 में "जलधारा योजना" आरंभ की थी। इस

योजना के लिए 23 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था तथा 50,000 पम्पसैटों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसकी तुलना में वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान 9320 पम्पसैट उपलब्ध कराए गए थे। लक्ष्यों की प्राप्ति तथा निधियों के समुपयोजन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अप्रयुक्त धनराशि भारत सरकार को वापस कर दी गई है। यह स्कीम अब लागू नहीं है।

विवरण

पिछले 3 वर्षों—1988-89 से 1990-91 तक के दौरान जलधारा कार्यक्रम के अधीन वितरित की गई अनुदान राशि

क्र० सं०	राज्य	वितरण की गई राशि (लाख रुपयों में)	अर्जित किए गए पम्पसैट
1.	आन्ध्र प्रदेश	235.615	5610
2.	मध्य प्रदेश	2 916	81
3.	उड़ीसा	142.554	3099
4.	राजस्थान	24.380	530
		405.465	9320

सरदार सरोवर परियोजना के लिए जापान से सहायता

6193. **श्री अवध कुमार पटेल :** क्या जल संसाधन मंत्री 12 सितंबर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6827 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान से सरदार सरोवर के लिए दूसरा ऋण लेने के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) जापान से इस संबंध में अब तक कितनी धनराशि जारी की है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा काफी प्रयास करने के बावजूद, सरदार सरोवर परियोजना के लिए ऋण की दूसरी किस्त प्रदान करने के वास्ते ओवरसीज इकनोमिक कोआपरेशन फंड, जापान अब तक सहमत नहीं हुआ है।

कर्नाटक में दूरदर्शन सुविधाओं में वृद्धि करना

6194. **श्री ओस्कर फर्नांडीज :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में दूरदर्शन सुविधाओं के प्रसार हेतु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) कर्नाटक

राज्य में दूरदर्शन सुविधाओं का विस्तार करने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं। गुलबर्गा में एक कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र तकनीकी रूप से बनकर तैयार है और अपेक्षित स्टाफ के तैनात हो जाने पर यह केन्द्र चालू कर दिया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान वर्ष में धारवाड़ में एक उच्च शक्ति (10 किलो वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर के चालू किए जाने की भी आशा है। अपेक्षित स्टाफ उपलब्ध होने पर धारवाड़ में एक कैमरा दल के तैनात किए जाने की भी परिकल्पना की गई है। जहां गंगावती, मंडया, बागलकोट, पावागडा और रामदुर्ग में एक-एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर लगाने का काम विभिन्न चरणों में चल रहा है वहां दूरदर्शन ने रायचूर और मैसूर में वर्तमान अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटरों के स्थान पर एक-एक उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने की भी योजना बनाई है। लेकिन यह इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

कलकत्ता में प्रदूषण मुक्त गैस विद्युत संयंत्र

6195. डा० असीम बाला : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने त्रिपुरा की गैस से प्रदूषण मुक्त विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

न्यायालय का दिल्ली टेलीफोन के विरुद्ध निर्णय

6196. श्री राम टहल चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली टेलीफोन प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में कितने मुकदमे दायर किए गए; और

(ख) दिल्ली टेलीफोन के विरुद्ध दिए गए निर्णयों की संख्या कितनी है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली टेलीफोन्स के कर्मचारियों द्वारा न्यायालय/अधिकरण में 86 मामले दायर किए गए और अभी तक निर्णीत 39 मामलों में से आठ मामलों में दिल्ली टेलीफोन्स के विरुद्ध निर्णय दिए गए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के अधीन चालू विद्युत परियोजनाएं

6197. श्री गंगाधरा सानीपल्ली : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के अधीन चालू विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं के लिए कोई सहयोग किया गया है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि० (एनटीपीसी) द्वारा क्रियान्वित की जा रही विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

एनटीपीसी द्वारा क्रियान्वित की जा रही विद्युत परियोजनाएं

क्र० सं०	परियोजना	राज्य जिसमें स्थित है	क्षमता (मे० वा०)
	(क) कोयला आधारित		
1.	फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-2	पश्चिम बंगाल	1000
2.	फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-3	पश्चिम बंगाल	500
3.	कहलगांव सुपर ताप विद्युत केन्द्र	बिहार	840
4.	राष्ट्रीय राजधानी ताप विद्युत परियोजना	उत्तर प्रदेश	840
5.	तलचेर सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-1	उड़ीसा	1000
6.	ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना चरण-2	उत्तर प्रदेश	420
	(ख) गैस आधारित		
7.	कवास गैस विद्युत परियोजना	गुजरात	645
8.	दादरी गैस विद्युत परियोजना	उत्तर प्रदेश	817
9.	गंधार गैस विद्युत परियोजना	गुजरात	650

(ख) क्रियान्वयनाधीन विद्युत परियोजनाओं में से किसी भी परियोजना के संबंध में एनटीपीसी द्वारा सहयोगात्मक समझौते नहीं किए गए हैं।

दिल्ली और गोरखपुर के बीच विमान सेवाएं

6198. **श्री हरि केवल प्रसाद :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और गोरखपुर के बीच विमान सेवाएं रद्द करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार गोरखपुर के लिए विमान सेवा पुनः आरम्भ करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) इंडियन एयरलाइंस से क्षमता अवरोधों के कारण दिल्ली और गोरखपुर के बीच अपनी सेवाएं बन्द कर दी थीं। इस सेवा को बहाल करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु कंपनियों के प्रस्ताव

6199. डा० रमेश चन्द तोमर :

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को विद्युत परियोजनाओं के स्थापना हेतु सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य संस्थानों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां उक्त विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जानी हैं; और

(ग) उक्त परियोजनाएं केन्द्र सरकार की अनुमति हेतु कब से लंबित पड़ी हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने के लिए सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य संस्थानों से आवेदन पत्र प्राप्त नहीं करती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निजी संगठनों द्वारा खनिजों का विकास

6200. प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :

श्री राजेश कुमार :

श्री मुख्तार अंसारी :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र में खनिज उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एककों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार तथा मदवार ब्यौरा क्या है ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) औद्योगिक नीति-संकल्प के अनुसार, खनिजों का शोधन सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है। अतः प्राइवेट उद्यमी तथा प्राइवेट सेक्टर कंपनियां भी खनिज शोधन उद्योगों की स्थापना कर सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर में खनिज उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यूनिट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सेक्टर के प्रोन्नति और वित्तीय संस्थान तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान अर्थक्षम खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को सहायता देते हैं।

आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान में नलकूपों के लिए विश्व बैंक से सहायता

6201. श्री देवी बक्स सिंह :
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश और राजस्थान में विशेषकर भरतपुर में विश्व बैंक की सहायता से नलकूप लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व बैंक द्वारा क्रमशः आंध्र प्रदेश और राजस्थान को उपलब्ध कराई गयी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान इस सहायता से आंध्र प्रदेश और राजस्थान में कितने सार्वजनिक नलकूप लगाए गए;

(ङ) क्या राज्य में नलकूप लगाने में कोई विलम्ब हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्रीय सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

ऊर्जा बचत अभियान

6202. श्री आर्का फर्नांडीज : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष शुरू किए गए ऊर्जा बचत अभियान को अधिक सफलता न मिल पाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्रमुख विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत बचाने तथा उपलब्ध ऊर्जा के बेहतर प्रबन्ध हेतु एक पद्धति का अनुसरण करने के लिए राजी करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले वर्ष चलाया गया ऊर्जा संरक्षण अभियान बहुमुखी क्रियाकलापों से संबंधित है जिसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ सप्लाई यूटिलिटियों द्वारा अपने हित में ऊर्जा दक्ष पद्धतियों को अपनाने तथा यूनिट स्तर पर ऊर्जा प्रबंधन सुविधा के लिए अपेक्षित सेवाओं का प्रावधान करना भी शामिल है। यह अभियान जोर पकड़ रहा है और इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा उपभोक्ताओं में और जागरूकता आयी है। ऊर्जा संरक्षण के बारे में हाल ही में किए गए अध्ययन कार्य अभियान में भी इस तथ्य की पुष्टि की है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निदर्शन परियोजनाएं, ऊर्जा लेखा परीक्षा तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के निर्धारित समूहों के ज्ञानवर्धन के लिए विशेष रूप से उद्योग क्षेत्र के बृहत विद्युत उपभोक्ता क्षेत्रों और कृषि के ज्ञानवर्धन के लिए जागरूकता अभियान चलाना शामिल है ताकि इनको ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता और महत्व से अवगत कराया जा सके। इन उपायों में ऊर्जा संरक्षण निवेश के लिए मांग का सृजन करना तथा वित्तीय प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन का प्रावधान भी शामिल है। औद्योगिक यूनिटों के ऊर्जा दक्ष कार्यनिष्पादन के लिए प्रतिस्पर्धात्मक सुधार को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार की स्थापना की गई है।

विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र का कार्यनिष्पादन

6203. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में विभिन्न एककों में आने वाली तकनीकी खराबियों के कारण 1991-92 के दौरान अनुमानित बिक्री बुरी तरह प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तकनीकी खराबियों तथा इसके परिणामस्वरूप हुए घाटे का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनकी पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) विशाखापट्टनम इस्पात परियोजना के चरण-1 की उत्पादन इकाइयां क्रमिक रूप से मार्च, 1990 से अक्तूबर, 1991 के बीच चालू की गयी थी। ये इकाइयां अभी स्थायीकरण की प्रक्रिया में हैं। प्रारंभिक चरण के दौरान आने वाली सामान्य समस्याओं को दूर करने के लिए प्रबंधन कार्यकारी एजेंसियों के परामर्श से आवश्यक उपाय कर रहा है। उत्पादन को इष्टतम स्तर तक बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास किए गए हैं।

एअर टैक्सियों का प्रचालन

6204. श्री शरत् चन्द्र पटनायक :
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :
श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री अभय कुमार पटेल :
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जिन लोगों को एअर टैक्सियां चलाने की अनुमति दी गयी है उनका ब्यौरा क्या है और स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी याचिकाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित की गई शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश एअर टैक्सी चालक पुराने विमानों का प्रयोग करेंगे;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या गोवा के लिए अन्य स्थानों से एअर-टैक्सी सेवाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इस समय 7 पार्टियों को देश में हवाई टैक्सी के परिचालन की अनुमति दी गयी है (विवरण-I संलग्न है।) इसके अतिरिक्त 24 पार्टियों को "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जारी किए गए हैं (विवरण-II संलग्न है।) इन पार्टियों द्वारा अभी हवाई टैक्सी परमिट जारी करने के लिए विभिन्न अपेक्षाओं/औपचारिकताओं को पूरा किया जाना है।

(ख) हवाई टैक्सी परिचालन परमिट जारी करने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए जाते हैं :—

(1) प्रार्थी भारतीय राष्ट्रिक हों अथवा अनिवासी भारतीय हो।

(2) प्रार्थी के पास अपना एक विमान हो चाहे वह खरीदा हुआ हो अथवा पट्टे पर लिया गया हो ।

(3) प्रार्थी के पास नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा विधिवत् लाइसेंसयुक्त रख-रखाव और मरम्मत संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था हो।

(4) उड़ान कर्मीदल सदस्य और विमान इंजीनियर नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा विधिवत् रूप से लाइसेंस-युक्त हो।

(5) प्रार्थी की वित्तीय स्थिति अच्छी हो और वह अच्छी साख वाला हो।

(6) प्रार्थी हवाई टैक्सी सेवाएं आरंभ करने के कारण निर्दिष्ट करे और आर्थिक साध्यता के संदर्भ में अपने प्रस्तावों का औचित्य सिद्ध करे।

(7) प्रार्थी अपने मुख्य कार्यालय और अपने परिचालन बेस की अवस्थिति और पता नागर विमानन महानिदेशालय को सूचित करे।

(ग) और (घ) विमान के आयात के बाद, नागर विमानन महानिदेशालय यह सुनिश्चित करता है कि उड़ान योग्यता संबंधी भारतीय प्रमाणपत्र जारी करने से पहले विमान सभी पहलुओं से उड़ानयोग्य है।

(ङ) और (च) हवाई टैक्सी सेवाओं का परिचालन किसी भी विमान क्षेत्र के लिए किया जा सकता है जहां अनुसूचित सेवाएं परिचालन करती हैं।

विवरण-I

हवाई टैक्सी परमिट धारकों की सूची

क्र० सं०	आपरेटर का नाम और पता	परमिट जारी करने की तारीख	परिचालन बेस	परमिट में पृष्ठांकित विमान
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड, अवनाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-1	28-2-1992	दिल्ली	(1) एच एस-125 पंजीकरण वीटी-ईक्यूजेड 7 सीटों वाला (2) बेल जेट रेंजर 206 बी-111 वीटी-ईपीक्यू 14 सीटों वाला
2.	मैसर्स दिल्ली गल्फ एयरवेज सर्विसेज प्रा० लि० सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-3	8-3-1990	दिल्ली	(1) एक्यूरेल एएस-350 वीवीटी ईएचपी 4 सीटों वाला (2) एलोटी-111, वीटी-इएचआर 4 सीटों वाला
3.	मैसर्स यू० बी० एयर प्रा० लि०, पी-44 ए सांउथ एक्स० पार्ट 1, नई दिल्ली-49	30-3-1990	बम्बई	(1) बेल 47 जी वीटी-डी जेड एन 2 सीटों वाला
			बंगलौर	(2) डोर्नियर-228 वीटी-इपीवी 19 सीटों वाला
4.	मैसर्स ट्रांस भारत एविएशन प्रा० लि० 201, लक्ष्मी भवन, 72, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19	28-2-1991	दिल्ली	बीचक्राफ्ट-99 वीटी-ईआरपी 15 सीटों वाली
5.	मैसर्स काम्टीनेंटल एयर प्रा० लि०, 3-4/130, एरेरा कालोनी, भोपाल (मध्य प्रदेश)	17-6-1991	भोपाल	बोइंग 720 वीटी-ईआरएस 161 सीटों वाला

1	2	3	4	5
6.	मैसर्स जमना एयरलाइंस, 12-ई, वन्दना बिल्डिंग, 11, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-1	10-10-1991 (15-3-92 की सीमित अवधि के लिए अस्थायी परमिट)	दिल्ली	डोर्नियर-228 ए 5-आरजीसी 18 सीटों वाला
7.	मैसर्स ईस्ट वेस्ट ट्रैवल्स एण्ड ट्रेड लिंक्स, सिलवर अपार्टमेंट्स, दादर, बम्बई-28	26-2-1992	बम्बई	बोइंग 737 125 सीटों वाला

विवरण-II

एयर टैक्सी परिचालन के लिए जारी किए गए अनापत्ति पत्र सहित पार्टियों के संबंध में स्थिति की रिपोर्ट

क्र० सं०	आपरेटर का नाम और पता	अनापत्ति प्रमाणपत्र की वैधता की तारीख	प्रस्तावित विमान	विमान की प्राप्ति का माध्यम
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स चेरान एयरलाइन्स प्रा० लिमिटेड, 6/125, आर्ट्स कालेज रोड, कोयम्बतूर-13	5-3-1992	—	लीज फाइनेंस मॉडल
2.	मैसर्स दीक्षा होल्डिंग प्रा० लिमिटेड, 491, वर्ल्ड ट्रेड टावर, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली	5-3-1992	बीचक्राफ्ट किंग एयर सी-890 वीटी-ईएफपी	—
3.	मैसर्स एच० टी० एम० टूर्स प्रा० लिमिटेड, 9-एच, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001	5-3-1992	—	प्रोजेक्ट फाइनेंस मॉडल

4. मैसर्स ट्रिनटी इन्टरनेशनल लिमिटेड, 501, लक्ष्मी भवन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	18-6-1992	फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट	प्रोजेक्ट फाइनेंस मॉडल
5. मैसर्स अर्चना एयरवेज लिमिटेड, 41 ए, फ्रैंड्स कालोनी (ई) मथुरा रोड, नई दिल्ली	18-6-1992	10 फिक्स्ड विंग एयर-क्राफ्ट एल-410 टाइप 5 हेलिकाप्टर पिब्रुमा	प्रोजेक्ट फाइनेंस मॉडल
6. मैसर्स स्पिनर एविएशन प्रा० लिमिटेड, 10, नार्थ मोहाझारी रोड, नागपुर-10	18-6-1992	पाइपर पीए-31-350 नवाजा चिफथान	लीज फाइनेंस मॉडल
7. मैसर्स कोवाई एयरवेज प्रा० लि०, 61, अवीपालायम रोड, गणपथि पोस्ट, कोयम्बतूर	6-8-1991	फिक्स्ड विंग विमान	प्रोजेक्ट फाइनेंस मॉडल
8. मैसर्स विसेटा एयर प्रा० लिमिटेड, 606, विशाल भवन, 95, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19	5-8-1992	सुपर प्यूमे, एमएएसए, सीएन एनवेल, एल बी के, एनबीओ, एफ-50 एण्ड एफ-100	प्रोजेक्ट फाइनेंस मॉडल
9. मैसर्स ट्रिपिकल एयरवेज प्रा० लिमिटेड, 35/214, पावर हाऊस रोड, पलारीवथम, कोचीन-25	5-8-1992	बोइंग 737 2 1 एक्जीक्यूटिव जैट एण्ड 1 हैलिकाप्टर	लीज फाइनेंस मॉडल
10. मैसर्स काबूर एयर प्रा० लिमिटेड, "कुडूर" माइलासान्द्र विलेज, आर० वी० वी० पोस्ट, बंगलौर-59	5-8-1992	बीचक्राफ्ट किंग एयर एण्ड टर्बो ट्विन टर्बो-इंजिन	प्रोजेक्ट फाइनेंस मॉडल
11. मैयर्स मावापोडे एयरलाइन्स द्वारा	29-8-1992	बी 737-200 बीएई-	लीज फाइनेंस मॉडल

1	2	3	4	5
	हैलिकाप्टर सर्विसेज प्रा० लिमिटेड, हैंगर नं० 8, जूहू एयरपोर्ट, बम्बई		145	
12.	मैसर्स बैरन एयर लिमिटेड, 9, सागर अपार्टमैंट्स, 6 तिलक मार्ग, नई दिल्ली	19-9-1992 केवल छः महीने के लिए	बीएई-125 बीएई-146-100, बीएसी-1-11	—
13.	मैसर्स स्टार क्रू० एस० ए० इंक, 08.06 लिट्टरवेक पीके अल्लुवाई, फ्लोरिडा पार्क, न्यूयार्क-11004	19-9-1992 केवल छः महीने के लिए	—	—
14.	मैसर्स एरियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हैंगर नं० 1, जूहू एयरपोर्ट, बम्बई-54	24-9-1992	बीचक्राफ्ट सुपर किंग सी-90	प्रोजेक्ट फाइनेंस मॉडल
15.	मैसर्स एयर पेसिफिक इंडिया लिमिटेड, 68, वर्ल्ड ट्रेड सैंटर, क्यूपे परेड, कोलाबा, बम्बई	25-9-1992	737 मैट्रोलाइनर्स एंड लीज बैंडेरेंटर्स	लीज प्रोजेक्ट फाइनेंस मॉडल
16.	मैसर्स सहारा इंडिया, 7वीं मंजिल, गोपाला टावर, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	2-10-1992	—	प्रोजेक्ट फाइनेंस मॉडल
17.	मैसर्स फोनिक्स एयरलाइंस इंडिया लि०, 204, एवीजी भवन, मिडल सर्किल, एम-3, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-1	13-10-1992	हैलिकाप्टर एंड एफ-50 विमान	—
18.	मैसर्स एशिया फूड्स लिमिटेड, 246, ओखला पार्क, नई दिल्ली	13-10-1992	बीचक्राफ्ट सुपर किंग ब्रिटिश एयरोस्पेस-125-800 एंड हैलिकाप्टर 421 एस पी (बेल)	—

19. मैसर्स साबरमती एयर, ए-2, आकाश दीप, 7वीं मंजिल, सांताक्रुज (ई), बम्बई-400055	10-2-1993	—	प्रोजेक्ट फाइनेंस मॉडल
20. मैसर्स ऐड्ड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, 41/42, मेकर चैम्बर्स-111 नरीमन प्वाइंट, बम्बई-400021	10-2-1993	बी-737	लीज फाइनेंस मॉडल
21. मैसर्स सिटी लिंक एयरवेज लिमिटेड, जी-17, मरीना आरकेड, कनाट प्लेस सर्कस, नई दिल्ली-1	10-2-1993	एएन-24, रोल्स बीएसी	प्रोजेक्ट फाइनेंस मॉडल लीज फाइनेंस मॉडल
22. मैसर्स जैनसन एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ई-42-43, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-1	10-2-1993	एम आई-8 हैलिकाप्टर	लीज फाइनेंस मॉडल
23. मैसर्स सहारा एविएशन, 11, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-1	10 2-1993	—	—
24. मैसर्स उड़ान रिसर्च एंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, 14-बी, रतलाम कोठी, इन्दौर (मध्य प्रदेश)	12-2-1993	सेसना-152/172/310	प्रोजेक्ट फाइनेंस मॉडल

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा नारवाड़ और जैसलमेर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना

6205. **श्री कमला मिश्र मधुकर :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री विजय कुमार यादव :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने वर्ष 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश में नारवाड़ और राजस्थान में जैसलमेर को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया था;

(ख) यदि हां, तो इन पर किए गए व्यय और इन पर्यटक स्थलों से अर्जित आय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान कितने विदेशी/देशी पर्यटक इन स्थलों पर आए और इस परियोजना को व्यवसाय बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी हां । भारत पर्यटन विकास निगम ने 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश में नरवर और राजस्थान में जैसलमेर के निकट सैम में टैंटों में आवास मुहैया कराने सहित एक-मुश्त साहसिक पैकेज शिविरों का आयोजन किया था ताकि उनका नए पर्यटक गंतव्य-स्थलों के रूप में विकास किया जा सके ।

(ख) सरकार ऐसे साहसिक शिविरों के लिए मात्र संवर्धनात्मक साहसिक कार्यों के रूप में सहायता प्रदान करती है और इनसे कोई लाभ कमाने की आशा नहीं रखती ।

(ग) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :—

	नरवर	सैम
विदेशी	50	38
स्वदेशी	406	94
	456	132

नरवर और सैम के साहसिक शिविर अगुआई प्रयास थे जिनका उद्देश्य पिछड़े, दुसह तथा दूरवराज के क्षेत्रों में नए पर्यटक गंतव्य स्थलों का विकास करना है । इन शिविरों को आयोजित करने का अनुभव उत्साहवर्धक रहा है ।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

6206. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के उन टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है जिनके विस्तार का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है;

(ख) क्या इनमें से किसी एक्सचेंज का विस्तार कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान पूरा किए गए कार्य का ब्योरा क्या है;

(घ) क्या बीरपुर-सापौल-सहरसा के टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार और इन्हें एस० टी० डी० से जोड़ने की भी कोई परियोजना विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उक्त कार्य के कब तक पूर्ण होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार, बिहार में कुल 461 टेलीफोन एक्सचेंजों में से 211 एक्सचेंजों के विस्तार के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 1991-92 के दौरान विस्तार के लिए अनुमोदित सभी 211 टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार का कार्य पूरा हो गया है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) बीरपुर, सापौल और सहरसा के टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया गया है और एस० टी० डी० से भी जोड़ दिया गया है ।

[अनुवाद]

लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

6207. **श्री सुधीर सावंत** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में लघु सिंचाई परियोजनाओं के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना में लघु सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सभी लघु सिंचाई स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से किया जाता है । तथापि, जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत मिलियन कुओं, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, स्प्रिंकलर/ड्रिप प्रणाली आदि के प्रयोग को प्रोत्साहन, शुष्क ऑन फलों का समेकित विकास तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के भूजल संगठनों को सुदृढ़ करने जैसे विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत महाराष्ट्र को केन्द्रीय सहायता प्रदान की गयी है ।

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के ब्योरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है । तथापि, आठवीं योजना में लघु सिंचाई स्कीमों को उचित प्राथमिकता दी जाएगी ।

दिल्ली में सामूहिक आवास समितियों के लिए ट्रांसफार्मर

6208. श्री संदीपन भगवान थोरात : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना पार के क्षेत्रों में अनेक सामूहिक आवास समितियों को ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं कराये गए हैं, जिनके लिए उन्होंने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को अग्रिम भुगतान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन समितियों में ट्रांसफार्मर स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) के अनुसार, यमुनापार क्षेत्र में ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज वाले क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मर की प्रतिष्ठापना सहित विद्युतीकरण कार्य जिसके लिए उनके द्वारा डेसू को अपेक्षित अग्रिम भुगतान कर दिया गया है, संतोषजनक रूप से चल रहा है।

भूटान में चुक्खा पनबिजली परियोजना

6209. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान में भारत की वित्तीय व तकनीकी सहायता से बनी चुक्खा पनबिजली परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् इसमें कार्यरत अधिकांश कर्मचारियों को फालतू घोषित कर दिया गया था;

(ख) इस बीच भारत सरकार के प्रतिष्ठानों में कितने कर्मचारियों को रोजगार दिया गया;

(ग) इस सूची में दर्ज और कितने कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की संभावना है; और

(घ) शेष कर्मचारियों को कब तक रोजगार दिया जायेगा ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) भूटान में चुखा जल विद्युत परियोजना यद्यपि भारतीय वित्तीय तथा तकनीकी सहायता से निर्मित की गई थी परन्तु यह भूटान की महामहिम सरकार के स्वामित्व में है। परियोजना के निर्माण के लिए महामहिम भूटान सरकार के स्वायत्तशासी संगठन चुखा परियोजना प्राधिकरण (सी० पी० ए०) की स्थापना की गई थी जिसने परियोजना के विभिन्न कार्यों के लिए अनेक कर्मचारियों की सीधे ही भर्ती की थी। कार्य पूरा हो जाने पर इन कर्मचारियों को आधिक्य कर्मचारियों की संज्ञा दी गई और सी० पी० ए० ने उन्हें निकाल दिया था। अतः चुखा परियोजना प्राधिकरण द्वारा आधिक्य कर्मचारियों की छटनी किए जाने अथवा उन्हें दुबारा नौकरी पर लगाने/समाहित करने की प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है।

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का विस्तार

6210. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के विस्तार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर किए गए पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है और इसके विस्तार के बाद उत्पादन में अनुमानतः कितनी वृद्धि होगी ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० (नाल्को) की विद्यमान क्षमता के विस्तार के लिए 2801 करोड़ रुपए की लागत पर एक प्रस्ताव तैयार किया गया है । इस विस्तार के बाद उत्पादन में अनुमानित वृद्धि इस प्रकार होगी :—

	यूनिट	से	तक
बाक्साइट खान	मिलियन टन वार्षिक	2.4	4.8
एल्यूमिना रिफाइनरी	मिलियन टन वार्षिक	0.8	1.35
एल्यूमिनियम स्मैल्टर	मिलियन टन वार्षिक	0.218	0.345

मध्य प्रदेश के लिए विमान सेवाएं

6211. श्री भीम सिंह पटेल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के कुछ कस्बों व जिलों के लिए उपलब्ध स्वदेशी विमान सेवा समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उन कस्बों के क्या नाम हैं;

(ग) यह सेवाएं कब समाप्त कर दी गई थीं और इसके क्या कारण थे;

(घ) क्या सरकार का विचार समाप्त की गई इन विमान सेवाओं को पुनः चालू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (ग) वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से भोपाल, रायपुर, गुना, रेवा, सतना, बिलासपुर, जगदलपुर और खजुराहो के लिए वायुदूत परिचालन 15-9-1990 को रोक दिए गए थे । जबलपुर, इन्दौर और ग्वालियर के लिए सेवाएं क्रमशः 14-9-1990, 13-12-1990 और 24-5-1988 को रोक दिए गए थे ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

महाकाली बांध पर पन विद्युत संयंत्र स्थापित करना

6212. श्री रामचन्द्र घंगारे : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को धाम सिंचाई परियोजना के महाकाली बांध पर पन विद्युत संयंत्र स्थापित करने के बारे में वर्धा सिंचाई डिवीजन और नागपुर सिंचाई सर्किल से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अनुमानतः कितना खर्च होगा; और

(ग) इसके कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं। तथापि, महाराष्ट्र सरकार (सिंचाई विभाग) ने सूचित किया है कि धाम जल विद्युत परियोजना के संबंध में प्रारूप परियोजना रिपोर्ट उन्हें मार्च, 1992 में प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग) इस परियोजना के अन्तर्गत, 187.17 लाख रुपए की पूंजीगत लागत से धाम नदी के समीप वर्धा जिले के आर्वी तालुका में महाकाली के निकट सिंचाई बांध से नीचे भूतल विद्युत घर में 750 कि० वाट का एक यूनिट प्रतिष्ठापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना को कार्य आरम्भ किए जाने के बाद तीन वर्षों के अन्दर पूरा किए जाने की सम्भावना है।

संसाधित खाद्य पदार्थों का निर्यात

6213. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसाधित खाद्य पदार्थों को निर्यात करने की भारी संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे उत्पादों के निर्यात के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ङ) वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात से संबंधित कार्य करता है और इसने प्रसंस्कृत फल एवं सब्जी उत्पादों, मांस और पोल्ट्री उत्पादों, चावल, ग्वारगम, काली मिर्च, कोको उत्पाद, एल्कोहलिक पेय आदि जैसे अन्य प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए आठवीं योजना अवधि के दौरान 22.5 प्रतिशत औसत वार्षिक संवृद्धि दर का अनुमान लगाया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास

प्राधिकरण के प्रक्षेपणों में ताजे फलों, फूलों, पौधों आदि का निर्यात भी शामिल है। राज्य सरकारों से प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात से संबंधित कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

महाराष्ट्र के गांवों में टेलीफोन सुविधाएं

6214. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र के कितने गांवों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं; और

(ख) शेष गांवों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

संचार मन्त्रालय के उप-मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) 5571 पंचायत ग्राम।

(ख) सरकार ने 31-3-1995 तक सभी ग्राम पंचायतों में तथा 2000 ई० सन् तक अन्य ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना तैयार की है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग में ड्रिलिंग उपकरणों के लिए धनराशि

6215. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग को ड्रिलिंग रॉड्स, कोर, बेरेल्स, डायमण्ड बिट्स, कास्टिंग्स, कोर लिफ्टर्स, रिमेज आदि जैसे फालतू पुर्जों और ड्रिलिंग उपकरणों की खरीद के लिए कब से धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है;

(ख) क्या भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग का ड्रिलिंग कार्य, सहायक उपकरणों एवं फालतू पुर्जों के अभाव में पिछड़ गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में इन फालतू उपकरणों को उपलब्ध कराने की कोई योजना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी० एस० आई०) को हमेशा अनुमोदित बजट के अनुसार धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।

(ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के ड्रिलिंग कार्य पर मामूली प्रभाव पड़ा।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को बजटीय नियंत्रण के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध करायी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा खनिजों का निकाला जाना

6216. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा टंगस्टन, पोटाश, सोने जैसे सामरिक महत्व के खनिजों की खोज करने पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इन खनिजों की खोज हेतु किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन खनिजों की खोज करने में कोई विदेशी फर्म भी शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी० एस० आई०) इस समय स्वर्ण के लिए 40 परियोजनाओं, टिन टंगस्टन के लिए 15 परियोजनाओं और पोटाश के लिए 1 परियोजना पर सक्रिय रूप से खोज कार्य कर रहा है ।

(ग) और (घ) भू-विज्ञान और खनन अनुसंधान का फ्रेंच ब्यूरो बी० आर० जी० एम० (ब्यूरो डे रिसर्च जियोलोजिक्स इट मिनियर्स) प्रौद्योगिकी और खनिजों के गवेषण तथा विकास के क्षेत्र में डाटा-प्रोसेसिंग कुशलता के उन्नयन के लिए भारत-फ्रांस प्रोटोकोल के अन्तर्गत भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण की सहायता कर रहा है ।

गुजरात में मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस देना

6217. **श्री हरि भाई पटेल** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कच्छ में जाखू समुद्र से मछली पकड़ने के लिए भारतीय और विदेशी उद्योगपतियों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन लाइसेंसों को देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दिए गए लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विदेशी उद्योगपतियों को ये लाइसेंस देने के क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के जिलों में एस० टी० डी० सुविधा

6218. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के धार और खरगोन जिलों में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन एक्सचेंजों में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में दी जाने वाली लाइनों की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) धार और खरगोन जिलों के निम्नलिखित स्थानों पर एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध है :

(i) धार जिला :—धार पिठामपुर और माण्डू

(ii) खरगोन जिला :—खरगोन, बुरवाहा और सनवाड

(ख) जी, हां।

(ग) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी एक्सचेंजों को एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ने की योजना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

मौलाना अबुल कलाम आजाद की वसीयत का प्रकाशन

6219. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मौलाना अबुल कलाम आजाद की लिखी हुई अंतिम वसीयत को प्रकाशित न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) इसे कब तक प्रकाशित किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का राष्ट्रीय नेताओं की वसीयतें प्रकाशित करने को कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के संदर्भ में यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

[अनुवाद]

वायुदूत सेवाओं को पुन: शुरू करना

6220. श्री शिवाजी पटनायक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर-जयपोर-विशाखापत्तनम तथा भुवनेश्वर-राउरकेला-कलकत्ता मार्गों पर वायुदूत सेवाओं को बन्द करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इन मार्गों पर वायुदूत सेवाएं पुन: शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (घ) परिचालनात्मक और वाणिज्यिक कारणों से, भुवनेश्वर, जैपोर, विशाखापत्तनम और राउरकेला के लिए वायुदूत सेवाएं बन्द कर दी गई थीं। इन्हीं कारणों से मौजूदा स्थिति में इन स्टेशनों के लिए पुन: सेवाएं प्रारम्भ करने की वायुदूत की कोई योजना नहीं है।

राज्यों में टेलीफोन कनेक्शन

6221. श्री दत्तात्रेय बंडारू :
श्रीमती रीता वर्मा :
श्री महेश कुमार कनोडिया :
श्री अन्ना जोशी :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) अब तक वास्तव में बिछाई गई टेलीफोन लाइनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) उत्तर संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	1991-92 के लिए नए टेलीफोन कनेक्शनों के लक्ष्य	1991-92 के दौरान प्रदान किए गए नए कनेक्शन
1.	उत्तर प्रदेश	68,932	सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।
2.	राजस्थान	36,797	
3.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	1,12,221	
4.	बिहार	22,747	
5.	गुजरात (दिव, दमन, दादर तथा नागर हवेली सहित)	45,323	
6.	आंध्र प्रदेश	37,771	

उड़ान परिचालन में कमियां

6222. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान परिचालन में कमियां बढ़ती जा रही हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान उड़ान परिचालन में हुई त्रुटियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हमेशा ऐसे कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि विमान दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं की जांच से उत्पन्न सिफारिशों का कार्यान्वयन, सुरक्षा सूचना का प्रसार, काकपिट वायस रिकार्डरों पर निगरानी रखना, हवाई अड्डों का आवधिक निरीक्षण और हवाई अड्डों पर पक्षियों के खतरे के उन्मूलन से संबंधी उपाय कार्यान्वित करना आदि। तथापि, उड़ान परिचालनों में कुछ कमियां आमतौर पर हो जाती हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान हुई इन कमियों के ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान उड़ान परिचालनों में हुई कमियों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(1) दिल्ली हवाई अड्डे पर 7-5-1990 को एयर इण्डिया के बी-747 विमान में आग लगने की घटना।

(2) बैरमेन के निकट 12-6-1990 को उत्तर प्रदेश के चेतक हेलीकाप्टर की दुर्घटना।

(3) प्रशान्त महासागर के ऊपर 2-12-1990 को एयर इंडिया के बोइंग-747 द्वारा मार्ग उल्लंघन।

(4) लन्दन में 3-10-1990 को एयर इंडिया के बी-747 विमान की टेल स्क्रेपिंग घटना।

(5) बम्बई में 9-10-1990 को एयर इंडिया के बी-747 विमान की फ्लाइट टर्न बैक घटना।

(6) 19-10-1990 को इसुआ के टी० बी०-20 विमान की नीची उड़ान घटना।

(7) हैदराबाद में 22-2-1991 को इंडियन एयरलाइंस के ए-320 विमान की टेल स्क्रेपिंग घटना।

(8) दिल्ली हवाई अड्डे पर 18-7-1991 को एयर इंडिया के बी-747 विमान द्वारा टैक्सी पथ केन्द्र रेखा का विचलन करने में भू-घटना।

(9) मद्रास में 1-5-1991 को इंडियन एयरलाइंस ए-300 विमान की ऐरोब्रिज से टकराने की घटना।

(10) जमशेदपुर के निकट 10-7-1991 को टिस्को सेसना फ्लेयर विमान की बलात अवतरण घटना।

(11) मद्रास में 3-9-1991 को यूबी एयर डोर्नियर विमान की दुर्घटना।

(12) बम्बई में 28-10-1991 को कान्टीनेंटल ऐविएशन प्राइवेट लिमिटेड के पाइपर नवाजो विमान की दुर्घटना।

(13) मद्रास में 11-12-1991 को एयर इंडिया के ए-310 विमान की भू-घटना (विमान टच डाउन के पश्चात् रोल करते समय प्रवेश द्वार के किनारे की लाइटों के साथ टकरा गया)।

(14) बम्बई हवाई अड्डे पर 10-1-1992 को टावर नियंत्रण से क्लियरेंस प्राप्त किए बिना एयर इंडिया की उड़ान ए० आई०-129 के उड़ान भरने की घटना।

(15) परसतगंज में 4-2-1992 को इसुआ के टी० बी-20 विमान की दुर्घटना।

[हिन्दी]

बिहार में गोड्डा में दूरदर्शन केन्द्र

6223. श्री सूरज मंडल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के गोड्डा जिला मुख्यालय में दूरदर्शन केंद्र स्थापित करने का है, जिसके संबंध में पिछले वर्ष ही सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी हां। बिहार में गोड्डा में एक अल्प शक्ति (300 वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की योजना है। ट्रांसमीटर की स्थापना के लिए बनीबनाई इमारत चुन ली गई है तथा उपकरण प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वर्तमान संकेतों के अनुसार, गोड्डा में ट्रांसमीटर के 1992-93 के उत्तरार्द्ध में चालू हो जाने की उम्मीद है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में चिनसूरा दूरसंचार केन्द्र के अन्तर्गत फैक्स सुविधा

6224. **श्री रूपचन्द पाल** : क्या : संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल के अन्तर्गत चिनसूरा में कोई दूरसंचार केन्द्र कार्य कर रहा है;

(ख) इससे जनता को इस समय उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सरकार का इस दूरसंचार केन्द्र से 'फैक्स' सुविधाओं का विस्तार करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का निकट भविष्य में उक्त सुविधाओं को रात-दिन उपलब्ध कराने का विचार है?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध सुविधाएं इस प्रकार हैं :—

(i) टेलीफोन काल, स्थानीय और ट्रंक

(ii) उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग (राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय)

(iii) टेलेक्स बूथ

(iv) टेलीग्राम बुकिंग

कार्य करने की सामान्य समयावधि 10.00 बजे से 18.00 बजे तक है

(ग) और (घ) जी, हां। 1992-93 के दौरान।

(ङ) जी, नहीं।

दिल्ली में नेत्रहीनों के लिए सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का आवंटन

6225. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नेत्रहीनों के लिए सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र आवंटित करने के लिए आवेदन पत्र महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पास लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) प्रतीक्षा सूची कब तक निपटाए जाने की संभावना है ?

संचार उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दिल्ली में इस प्रकार के पी० सी० ओ० आवंटन का कोई आवेदन पत्र लंबित नहीं है, परन्तु दो मामलों में पी० सी० ओ० संस्थापन का कार्य लंबित है, जिसमें आवेदकों द्वारा पक्षतीय औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं।

(घ) उपर्युक्त श्रेणी में पी० सी० ओ० के लिए कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है।

[हिन्दी]

गुजरात और हरियाणा में बायो गैस संयंत्र तथा सौर ऊर्जा केन्द्र

6226. **श्री अवतार सिंह भडाना :**
श्री शिवलाल नानजीभाई वेकारिया :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1992 को गुजरात और हरियाणा में बायो गैस संयंत्रों तथा सौर ऊर्जा केन्द्रों की संख्या कितनी थी;

(ख) 1992-93 के दौरान इन राज्यों में स्थापित किये जाने वाले संयंत्रों/केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन राज्यों में इन क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास कार्य शुरू करने की दृष्टि से राज्यों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) राज्य नोडल विभागों तथा अभिकरणों द्वारा, 31 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार गुजरात तथा हरियाणा राज्यों में क्रमश: कुल लगभग 13,700 तथा 21,000 बायोगैस संयंत्र लगाये गये हैं। 31 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार केवल सौर ऊर्जा केन्द्र की स्थापना ग्वालपहाड़ी, जिला गुड़गांव, हरियाणा में केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई है।

(ख) गुजरात और हरियाणा राज्यों में 1992-93 के लिए पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए क्रमश: 25,000 और 1900 संयंत्रों के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है. कम क्षमता वाली सौर तापीय प्रणालियों के लिए एक क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र एवं बैक-अप एकक वल्लभ विद्यानगर, गुजरात में 1992-93 के दौरान चालू कर दिये जाने का कार्यक्रम है। 1992-93 के दौरान हरियाणा राज्य में ऐसा कोई केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) जी, हां। गुजरात और हरियाणा राज्यों में बायोगैस के सम्बन्ध में 3 अनुसंधान परियोजनाएं पहले ही प्रगति पर हैं और गुजरात राज्य में सौर ऊर्जा प्रणालियों संबंधी 4 अनुसंधान परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जो निम्न प्रकार हैं :—

बायोगैस के संबंध में अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं

(i) आनन्द, गुजरात में वनस्पति कचरा बायोगैस संयंत्र का क्षेत्रीय परीक्षण।

(ii) वल्लभ विद्यानगर, गुजरात में बायोगैस संयंत्र, जिसमें भरण सामग्री के रूप में केले के तने का इस्तेमाल किया जाता है।

(iii) करनाल हरियाणा में विभिन्न जैव अपशिष्टों का प्रयोग करके इष्टतम किण्वन के अन्तर्गत बायोगैस डाइजेक्टरों का सूक्ष्म जीवी प्रक्रम सुधार।

सौर ऊर्जा प्रणालियों के सम्बन्ध में अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं

(i) वल्लभ विद्यानगर, गुजरात में बहुवाष्प प्रविधि का प्रयोग करके एक और आवसन संयंत्र का अभिकल्प विकास और कार्य निष्पादन अध्ययन।

(ii) वल्लभ विद्यानगर, गुजरात में वाणिज्यीकरण के लिए 25 लिटर के जियोलाइट रेफ्रीजरेशन का प्रबोधन तथा कार्य-निष्पादन मूल्यांकन और 150 लिटर की एक प्रणाली का विकास व परीक्षण।

(iii) कच्छ डेयरी (भुज) में एक लवण प्रवणता सौर तालाब।

(iv) भावनगर, गुजरात में औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए कम तापमान वाली तापीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में सौर तालाब की उपयुक्तता का अध्ययन।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर का भ्रमण करने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी

6227. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**
श्री अनंत राव देशमुख :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों की तुलना में 1989 से कश्मीर का भ्रमण करने वाले स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या में अलग-अलग कितनी कमी आयी है;

(ख) कश्मीर का भ्रमण करने के लिए पर्यटकों को प्रोत्साहित करने और वहां के पर्यटक स्थलों का संरक्षण करने तथा रख-रखाव करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष पर्यटकों की संख्या में कमी आने के कारण अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा का नुकसान हुआ ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) समूचे कश्मीर में आए पर्यटकों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। फिर भी, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान कश्मीर घाटी का भ्रमण करने आए पर्यटकों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	स्वदेशी पर्यटक	%अन्तर	विदेशी पर्यटक	%अन्तर
1989	490,215	—	67,762	—
1990	6,095	—98.7	4,627	—93.2
1991	1,409	—76.9	5,006	8.2

(ख) कश्मीर घाटी में मौजूदा हालात पर्यटकों को उस क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, फिर भी, कश्मीर के अन्य क्षेत्रों, विशेषकर लद्दाख क्षेत्र का बहुत ज्यादा प्रचार करने और पर्यटक आकर्षणों का विकास करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा आय के अनुमान स्थान-वार राज्य-वार तैयार नहीं किए जाते।

[हिन्दी]

वायुदूत का एअर इंडिया के साथ सहयोग

6228. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत एअर इंडिया के यात्रियों को देश में प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से भीतरी भागों में ले जाने के लिए एअर इंडिया के सहयोग से एक नेटवर्क तैयार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में एअर इंडिया और वायुदूत द्वारा संयुक्त रूप से कार्यविधियां तैयार की जा रही हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय प्रसारण परिषद् का गठन

6229. **श्री अनन्तराव देशमुख** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय प्रसारण परिषद् का गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 में एक प्रसारण परिषद् स्थापित करने का प्रावधान है। इस परिषद के अध्यक्ष और दस अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक जीवन के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से की जाएगी। इसमें चार संसद सदस्य होंगे, जिनमें से 2 लोक सभा से होंगे जो अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे और 2 राज्य सभा से होंगे, जिन्हें राज्य सभा के सभापति द्वारा नामित किया जाएगा। प्रसारण परिषद की स्थापना अभी नहीं

की गई है। प्रसार भारती की स्थापना करने से पहले बहुत-सी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं और विभिन्न कदम उठाए जाने हैं।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइंस के विमान चालकों की हड़ताल

6230. श्री राम बदन :
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 फरवरी, 1992 के "दैनिक जागरण" में विमान चालकों की हड़ताल के संबंध में प्रकाशित समाचार शीर्षक की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इंडियन एयरलाइंस के विमान चालकों को भी वही सुविधाएं प्रदान करने का है जो एअर इंडिया के विमान चालकों को प्रदान की जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया के विमानचालक, प्रबंधक-वर्ग तथा संबंधित मजदूर संगठनों के साथ हुए विभिन्न सेवा विनियमों तथा समझौतों के अंतर्गत शासित होते हैं। अतः इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया, दोनों के विमानचालकों को एक जैसी सुविधाएं देने का प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

भारत पर्यटन वर्ष 1991 के दौरान आए विदेशी पर्यटक

6231. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :
कुमारी पुष्पा देवी सिंह :
श्री मोरेश्वर सावे :
श्री अनन्तराव देशमुख :
श्री गोपीनाथ गजपति :
श्री सैयद शाहबुद्दीन :
श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन वर्ष 1991 के दौरान कितने विदेशी पर्यटकों ने समूचे भारत और विशेषकर गोवा का भ्रमण किया और वर्ष 1990 की तुलना में इनकी संख्या कितने प्रतिशत अधिक थी;

(ख) "भारत भ्रमण वर्ष 1991" के प्रोत्साहन कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च की गई और इससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ; तथा इसकी उपलब्धियों का ब्योरा क्या है;

(ग) भारत भ्रमण पर आने वाले लोगों की संख्या में कमी आने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उन देशों का पता लगाया गया है जिनसे पर्यटकों के आगमन में औसत से अधिक कमी आई है; और

(ङ) यदि हां, तो इन देशों से पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा देने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) वर्ष 1991 के दौरान समूचे देश की यात्रा पर आए पर्यटकों की संख्या और 1990 की तुलना में प्रतिशत अन्तर निम्नानुसार है :—

वर्ष	पर्यटक आगमन	%अन्तर
1990	1707158	—
1991	1677508	—1.7

गोआ से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) "भारत पर्यटन वर्ष 1991" से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों/कार्यक्रमों पर लगभग 600 लाख रुपए खर्च किए गए । भारत पर्यटन वर्ष के कारण हुई उपलब्धियों में बेहतर जागरूकता तथा भारत में पर्यटन संसाधनों में विविधता लाना शामिल है । प्राप्त राजस्व के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) से (ङ) 1991 के दौरान भारत आने वाले पर्यटकों में कमी आने के मुख्य कारण हैं—खाड़ी युद्ध और इसके परिणाम । इसने पर्यटक भेजने वाले लगभग सभी प्रमुख देशों पर कुप्रभाव डाला था और अब रुख में बदलाव आ गया है ।

[हिन्दी]

मीडिया विस्तार योजना

6232. डा० सी० सिलवेरा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीडिया विस्तार की कुछ योजनाएं बनाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह मीडिया विस्तार योजनाएं विदेशी टी० वी० नेटवर्क के उपग्रह प्रसारण की चुनौती का सामना कर सकेंगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ङ)

इलैक्ट्रोनिक माध्यम का विस्तार पर्याप्त साधनों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए विभिन्न चरणों में किया जा रहा है। आकाशवाणी और दूरदर्शन का यह सतत प्रयास रहता है कि कार्यक्रमों की विषय-वस्तु और इनके फार्मेट में गुणात्मक सुधार लाया जाए ताकि विशेषकर विदेशी उपग्रहों के जरिए प्रसारण/टेलीकास्ट का प्रतिकार करने के लिए श्रोताओं और दर्शकों की रुचि बनी रहे।

डी० ए० वी० पी० का कार्य निष्पादन

6233. **श्री रवि राय** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के कार्य निष्पादन को कारगर बनाने और सुधारने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का निदेशालय की व्यावसायिक कुशलता में उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय सहित सभी माध्यम एककों के काम को कारगर बनाना और इसमें सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय सहित विभिन्न माध्यम एककों में कार्यरत कार्मिकों को प्रशिक्षण स्कीमों, कार्यशालाओं, सेमिनार इत्यादि में भेजा जाता है ताकि उनके व्यावसायिक कौशलों में सुधार लाया जा सके।

[अनुवाद]

कर्नाटक में लौह अयस्क पिण्ड निर्माण इकाई

6234. **श्री बी० भाकेगौडा** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए हास्पेट में एक लौह अयस्क पिण्ड निर्माण इकाई स्थापित करने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता कितनी होगी; और

(ग) इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) कर्नाटक सरकार से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गंगा, भाखड़ा और इंदिरा गांधी नहर से पानी का रिसाव और बचाव

6235. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नहर, भाखड़ा नहर और इंदिरा गांधी नहर से अत्यधिक जल रिसाव होने के कारण विभिन्न स्थानों पर पानी भर गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसका पारिस्थितकी संतुलन और कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इन नहरों से अधिक मात्रा में जल के रिसाव और जल के ठहराव पर नियंत्रण पाने के लिए केन्द्र सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) गंगा, भाखड़ा तथा इंदिरा गांधी नहरों से रिसाव के कारण जल-जमाव का पता चला है। ऐसे जलजमाव के मुख्य कारण में, जल-भूवैज्ञानिक तथा स्थलाकृतिक स्थितियों और गैर-वैज्ञानिक जल प्रबंध पद्धतियों के कारण जल निकास की समस्या भी शामिल है। जल जमाव से लवणता होती है जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में कमी होती है।

(घ) विकसित जल प्रबंध पद्धतियां, सतही तथा भूजल का संयुक्त उपयोग जहां व्यवहार्य हो, तथा पर्याप्त जल निकास प्रणाली जैसे उपायों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये जल जमाव की समस्या को कम कर सकते हैं।

विदेशी पर्यटकों द्वारा अन्तस्थ (इनर लाईन एरिया) क्षेत्रों की यात्रा

6236. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में पर्यटन के विकास के लिए एक समान नीति बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी पर्यटकों के अन्तस्थ क्षेत्रों (इनर लाइन एरिया) की यात्रा करने पर प्रतिबन्ध है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के निकटता, कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति तथा इन क्षेत्रों में संवेदनशीलता जैसी विभिन्न बातों के कारण विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) के आदेश 1958 एवं विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश 1963 के अधीन विदेशियों के प्रवेश और ठहरने पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों को संरक्षित या सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है :— सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ का कुछ भाग, समूचा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह। विदेश राष्ट्रीय सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यक अनुज्ञा-पत्र प्राप्त किए बिना इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकते अथवा ठहर नहीं सकते।

पश्चिम बंगाल में कच्चे लोहे की मांग

6237. **श्री बासुदेव आचार्य** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कच्चे लोहे की कुल अनुमानित मांग तथा उत्पादन कितना है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में मांग और पूर्ति के बीच कोई अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल के लघु क्षेत्र के फाउंडरी एककों के लिए घरेलू कच्चे लोहे के कोटे में लगभग 50 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है;

(ङ) क्या पश्चिम बंगाल को और अधिक कच्चे लोहे का आवंटन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) वर्ष 1991-92 में देश में कच्चे लोहे की अनुमानित वार्षिक मांग 19.2 लाख टन है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1991-92 में कच्चे लोहे का स्वदेशी उत्पादन अब लगभग 15.8 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है जिससे 3.4 लाख टन का अन्तर आवेगा।

(घ) जी, नहीं। वर्ष 1991-92 के दौरान पश्चिम बंगाल की लघु उद्योग इकाइयों हेतु कच्चे लोहे के आवंटन को बढ़ाकर 51,250 टन कर दिया गया है जबकि वर्ष 1990-91 में यह 35,500 टन रहा।

(ङ) और (च) वर्ष 1992-93 के दौरान लघु उद्योग निगमों को आवंटन तथा वास्तविक सप्लाई मुख्य उत्पादकों से उपलब्धता पर-निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

उड़ीसा में माइक्रोवेव प्रणाली

6238. श्री के० प्रधानी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में विशेष रूप से कोरापुट जिले में टेलीफोन की माइक्रोवेव प्रणाली शुरू की गई है;

(ख) क्या यह प्रणाली ठीक से कार्य कर रही है;

(ग) उन अन्य स्थानों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उड़ीसा में इस नेटवर्क के साथ जोड़े जाने की सम्भावना है?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां। कोरापुट जिले सहित उड़ीसा में रेडियो टेलीफोन प्रणालियां कार्य कर रही हैं।

(ख) कोरापुट जिले के कुछेक केन्द्रों के सिवाए अधिकांश स्थानों पर ये प्रणालियां ठीक से कार्य कर रही हैं। जहां ये प्रणालियां ठीक से कार्य नहीं कर रही हैं, उन स्थानों पर इन्हें ठीक करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

(ग) ऐसी रेडियो टेलीफोन प्रणाली से पहले से ही जुड़े स्थानों की सूची और उन स्थानों

की सूची जिन्हें निकट भविष्य में इस प्रणाली से जोड़ने की संभावना है, संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

I. उड़ीसा के उन स्टेशनों की सूची जहां रेडियो टेलीफोन प्रणालियां पहले-से ही संस्थापित हैं।

1. हिरलाकुड
2. अठगढ़
3. दामपुर
4. राजनगर
5. मर्शाघाई
6. केन्द्रपाड़ा
7. जाजपुर रोड
8. तलचेर
9. भवानी पटना
10. जटनी
11. केओनझार
12. भुवनेश्वर
13. राजगंगपुर
14. बोलनगीर
15. बेरहमपुर
16. बालूगांव
17. खुर्दा
18. भंजनगर
19. संबलपुर
20. ब्रजराजनगर
21. कुच्चरगढ़
22. जगतसिंह पुर
23. जाजपुर टाउन
24. अंगुल
25. टेनकनाल
26. बलेश्वर
27. कुचंग
28. बालासोर
29. कटक
30. राउरकेला

II. उन स्टेशनों की सूची जहां रेडियो टेलीफोन प्रणालियां निकट भविष्य में संस्थापित कर दिए जाने की आशा है।

1. झारसुगुडा
2. बस्क
3. बारीपाड़ा
4. जड़क
5. कंटाबंजी
6. केलिया
7. फूलबनी
8. पदमपुर
9. पासपल्ला
10. बुलपुर
11. चन्द्राबाली
12. सुकिन्दा
13. राजगीगिरि

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में डाक और दूरसंचार की सुविधा

6239. श्रीमती शीला गौतम :
श्री राजवीर सिंह :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के गांवों में डाक और दूर-संचार सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान प्रत्येक जिले में डाकघर खोलने तथा टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश में बरेली तथा बदायूं जिलों में किन-किन स्थानों पर सुविधाएं प्रदान किए जाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) डाकघर:

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में एक नेटवर्क का विस्तार करने का विचार है। तथापि, इस संबंध में आठवीं पंचवर्षीय योजना के जिला-वार लक्ष्य बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि आठवीं योजना को ही अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

दूरसंचार :

दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्तावित आठवीं योजना के मसौदे में इस योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश दूरसंचार सर्किल और इसके जिलों सहित देश भर में टलीफोन सुविधाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार किया है :

1. ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में मांग होने पर व्यावहारिक रूप से टेलीफोन प्रदान करना।
2. बड़ी टेलीफोन प्रणालियों (10,000 लाइनों से अधिक) में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा अवधि दो वर्षों से अधिक नहीं होने देना।
3. मार्च, 1995 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में टेलीफोन सुविधा।
4. 1-4-1997 तक सभी एक्सचेंजों में राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सुविधा प्रदान करना।

इनमें 4 लाख से अधिक नए कनेक्शन देना और शेष 67500 ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करना शामिल है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है।

विवरण-I

डाकघर

बरेली जिले के दो स्थानों अर्थात् गुआरिया मोहम्मदपुर और बुनसा में दिनांक 19-2-92

को अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोले गए हैं। इसके अलावा, बरेली और बदायूं जिले में निम्नलिखित स्थानों के लिए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की मंजूरी दी गई है।

जिला बरेली

1. माधी सुखटिया
2. कल्याणपुर
3. मिलक मझारा
4. लाभरी

जिला बदायूं

1. बिनोरा
2. मुसियापुर
3. सिथौली कल्लू
4. नौसेरा
5. पिंडोल

दूरसंचार

(i) टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने का अस्थायी कार्यक्रम अनुबंध-II और III में दिया गया है।

(ii) जहां तक सार्वजनिक टेलीफोनों का संबंध है, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बरेली जिले में 1244 ग्राम पंचायतों में और बदायूं जिले में 1322 ग्राम पंचायतों में यह सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(iii) 1-4-97 तक सभी एक्सचेंजों को राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सुविधा।

विवरण-II

जिला बरेली—टेलीफोन सेवाओं के विस्तार का विवरण

क्रम० सं०	एक्सचेंज का नाम	30-9-91 को मौजूद श्रेणी	क्षमता	योजनान्तर्गत सेवा 91-92	92-93	93-94	94-95
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ओनला	एस ए एक्स	100	512 पी आई एम० टी०	—	—	—
2.	बेहेरी	—वही—	100	—वही—	—	—	—
3.	बरेली	एम ए एक्स	9900	—	4 के आर एस यू	—	—
4.	बरेली	128 पी सी डॉट	88	—	—	—	—
5.	भितौरा	एस ए एक्स	50	—	128 पी सी डॉट	—	—
6.	भोजीपुरा	—वही—	50	128 पी सी डॉट	—	—	—
7.	भुरियां	—वही—	25	—	128 पी सी डॉट	—	—
8	भुटा	—वही—	25	—	—वही—	—	—
9.	बिलपुरा	—वही—	25	—	—वही—	—	—
10.	बिशारतगंज	—वही—	25	—	—वही—	—	—
11.	देव रनिया	—वही—	25	—	—वही—	—	—
12.	देव चारा	—वही—	25	—	—वही—	—	—
13.	हीर गंज	—वही—	50	128 पी सी डॉट	—	—	—

14. नवाब गंज	64 पी एम आई एल टी	58	—वही—	—	—	—
15. पीताम्बरपुर	128 पी सी डॉट	9	—वही— दूसरी यूनिट	—	—	—
16. रामनगर	एस ए एक्स	25	—	64 पी एम आई एल टी	—	—
17. रीछा	—वही—	50	128 पी सी डॉट	—	—	—
18. रितारा	—वही—	25	—	128 पी सी डॉट	—	—
19. सोबाल	—वही—	25	एम॰ आई॰ एल॰ टी॰ 64	—	—	—
20. शीशगढ़	—वही—	25	—	128 पी सी डॉट	—	—
21. शेरगढ़	—वही—	25	—	—वही—	—	—
22. सिरौली	—वही—	25	—	—वही—	—	—

विवरण-III

जिला बदायूं—टेलीफोन सेवाओं के विस्तार का विवरण

क्रम सं॰ एक्सचेंज का नाम	30-9-91 को मौजूद		सेवा योजना			
	श्रेणी	क्षमता	91-92	92-93	93-94	94-95
1 2	3	4	5	6	7	8
1. अल्लाहपुर	एस ए एक्स	25	—	4 पी एम आई एल टी	—	—
2. आसफपुर	वही	10	—	वही	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बबराला	128 पी सी डॉट	176	—	128 पी सी डॉट—दूसरी इकाई	—	—
4.	बिलसी	128 पी सी डॉट-दो इकाई	176	—	—	—	—
5.	बिनावर	एस ए एक्स	100	—	4 पी एम आई एल टी	—	—
6.	बिसौली	—वही—	100	—	200 लाइन एस ए एक्स	—	—
7.	बदायूं	एस ए एक्स-II	1,000	—	—	—	1.5 के सी डॉट
8.	दातागंज	एस ए एक्स	100	128 पी सी डॉट	—	—	—
9.	देवगांवों	—वही—	25	—	—	—	—
10.	मरावां	—वही—	50	—	128 पी सी डॉट	—	—
11.	गुलिया	—वही—	25	—	64 पी एम आई एल टी	—	—
12.	इस्लामनगर	—वही—	50	128 पी सी डॉट	—	—	—
13.	कछला	—वही—	25	—	64 पी एम आई एल टी	—	—
14.	ककराला	—वही—	25	—	—	—	—
15.	कुंवरगांव	—वही—	25	—	64 पी एम आई एल टी	—	—

16. कंधीर चौक	—वही—	25	—	—	—	—
17. खीन	—वही—	25	—	—	—	—
18. सहसावनी	2 × 128 पी सी डॉट	176	—	512 पी सी डॉट	—	—
19. सैदपुर	एस ए एक्स	50	—	128 पी सी डॉट	—	—
20. सोलंकीनगर	—वही—	25	—	—वही—	—	—
21. उमेती	—वही—	25	—	64 पी एम आई एल टी	—	—
22. उझानी	एम सी आर	25	—	0.5 के आर एल यू	—	—
23. उसरसी	एम ए एक्स	25	—	64 पी एम आई एल टी	—	—
24. उसावां	—वही—	25	—	—वही—	—	—
25. वजीरगंज	—वही—	50	128 पी सी डॉट	—	—	128 पीसी डॉट दूसरी इकाई

[हिन्दी]

वायुदूत विमान

6240. **श्री रतिलाल वर्मा :**
डा० रमेश चन्द्र तोमर :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत के अनेक विमान उड़ान भरने योग्य नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके फलस्वरूप वायुदूत को कितना घाटा हो रहा है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) वायुदूत के विमान बेड़े में 17 विमान (8 डोर्नियर, 3 एवरो और 1 फोकर) हैं। इनमें से 8 विमानों (4 डोर्नियर, 3 एवरो और 1 फोकर) फालतू पुर्जों और इंजनों के अभाव में उड़ने योग्य नहीं हैं, इन परिस्थितियों में जिनमें वायुदूत परिचालन कर रहा है, इसको होने वाली हानि को आंकना कठिन है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में टेलीफोनों की प्रतीक्षा सूची

6241. **श्री शंकर राव काले :**
श्री रामचन्द्र घंगारे :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के अहमद नगर और वर्धा जिलों में इस समय कितने टेलीफोन उपभोक्ता हैं;

(ख) इन जिलों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्तियों को कब तक कनेक्शन मिलने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) 29-2-92 को टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या इस प्रकार है :—

वर्धा जिला — 4146
अहमदनगर जिला—16353

(ख) 29-2-92 को प्रतीक्षा सूची इस प्रकार है :--

वर्धा जिला —1295
अहमदनगर जिला —8323

(ग) आठवीं योजना के मसौदा प्रस्तावों के अनुसार विस्तार कार्यक्रम, आठवीं योजना के अन्त तक निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं :

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में मांग होने पर व्यावहारिक रूप से टेलीफोन प्रदान करना।

(ii) बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में दो वर्ष की अवधि के भीतर प्रतीक्षा अवधि कम करना।

तदनुसार, उपर्युक्त प्रतीक्षा सूची आठवीं योजना अवधि के अन्त तक उत्तरोत्तर रूप से निपटाए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

समाचारपत्रों द्वारा आधुनिक मुद्रण तकनीकों का उपयोग

6242. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों के बड़े औद्योगिक घरानों के द्वारा आधुनिक मुद्रण तकनीकों का उपयोग किए जाने के कारण, छोटे समाचार पत्र संकट में आ गए हैं;

(ख) क्या सरकार का बड़े समाचार पत्रों की प्रतिस्पर्द्धा में छोटे समाचार पत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में प्रकाशित छोटे समाचार पत्रों को छोटी आधुनिक मुद्रण मशीनें उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) यद्यपि आधुनिक मुद्रण प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से छोटे और मझोले समाचार पत्रों की तुलना में बड़े समाचार पत्रों को कुछ लाभ हो सकता है, तथापि, सरकार का दृष्टिकोण छोटे और मझोले समाचार पत्रों के विकास के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रहा है और प्रेस की आजादी को बरकरार रखने की नीति के अनुरूप देश में प्रेम संतुलित विकास को बढ़ावा देने के प्रयोजन से सरकार ने इन समाचार पत्रों को समय-समय पर कई रियायतें दी हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

डिस्क एन्टिना लगाने की वैधता

6243. श्री हरे लाल साहब : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री 4 मार्च, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1291 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि समिति द्वारा की गई रिपोर्ट पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : केबल टी० वी० नेटवर्क और डिस-एन्टोना प्रणालियां स्थापित करने के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए अन्तर विभागीय समिति की सिफारिशों पर सरकार के द्वारा विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस में घाटा

6244. श्री पी० एस० सईद : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस को एयरलाइंस कर्मचारियों को केबिन में निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने की अनुमति देने के कारण भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) ऐसे घाटे की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) यात्रियों को इस संबंध में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार केबिन बैगेज ले जाने की अनुमति है।

[हिन्दी]

इस्पात के मूल्यों में संशोधन

6245. श्री पी० सी० नारायणन : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) इस्पात के मूल्यों में अन्तिम बार कब संशोधन किया गया था;

(ख) तब से इसके मूल्यों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आगामी वित्तीय वर्ष में इस्पात के मूल्यों में वृद्धि किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को किस प्रकार नियंत्रित करने का विचार है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) मुख्य उत्पादकों के संबंध में इस्पात के आधार मूल्यों को संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा 19-9-1990 को संशोधित किया गया था।

(ख) उसके बाद मुख्य उत्पादकों के संबंध में इस्पात के मूल्यों में कोई सामान्य वृद्धि नहीं की गई है।

(ग) और (घ) मुख्य उत्पादकों के उत्पादनों के मूल्य नियंत्रण से संबंधित संयुक्त संयंत्र समिति तन्त्र को 16-1-92 से समाप्त कर दिया गया है। बाजार स्थिति के आधार पर मुख्य उत्पादक जब भी अपेक्षित होगा अपने मूल्यों को संशोधित कर सकते हैं।

[अनुवाद]

विद्युत बान्डों की लोकप्रियता

6246. श्री हरि किशोर सिंह : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जारी किये गए विद्युत बांड बहुत कम लोकप्रिय हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1991-92 के दौरान पावर बान्ड्स के प्रति अपेक्षाकृत रूप से कम रुचि दर्शाए जाने के कारणों में ये शामिल हैं—मुद्रा बाजार की स्थिति असंतोषजनक होना, बाजार में अन्य अधिक आकर्षक वित्तीय विकल्प उपलब्ध होना, सैकेन्डरी मार्केट में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बांड्स अधिक मात्रा में उपलब्ध होना, स्रोत पर ही कर की कटौती संबंधी प्रावधान किया जाना आदि। इस विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को उपयुक्त वित्तीय उपाय किए जाने और बाजार स्थिति के अनुसार समुचित कार्यवाही किए जाने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

राजस्थान में पर्यटन

6247. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीने के दौरान कुल कितने पर्यटकों ने राजस्थान का भ्रमण किया;

(ख) उन्होंने किन-किन महत्वपूर्ण पर्यटक स्थानों का भ्रमण किया और इन स्थानों का भ्रमण करने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने अजमेर और पुष्कर का भ्रमण करने वाले स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए अजमेर को विमान सेवा से जोड़ने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 1991 में बाद वाले छह महीनों के दौरान कुल 26,37,?21 पर्यटक राजस्थान आए।

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान जिन महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटक गए उनके नाम और पर्यटकों की संख्या नीचे दी गई है :

केन्द्र	पर्यटकों की संख्या
माउंट आबू	3,79,888
उदयपुर	3,62,144
जयपुर	3,45,541
जोधपुर	2,91,150
अजमेर	2,63,040
पुष्कर	2,39,394
जैसलमेर	1,34,544
नाथद्वारा	1,18,466

(ग) जी, नहीं।

(घ) वाणिज्यिक और प्रचालन कारणों से इस समय किसी नए स्थान को हवाई सेवा से जोड़ना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

6248. प्रो० प्रेम धूमल : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर दूरसंचार मण्डल में किन स्थानों पर लोगों ने टेलीफोन के लिए आरम्भिक जमा राशि जमा की है;

(ख) क्या टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित कर दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना कब तक कर दी जाएगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) हमीरपुर दूरसंचार डिवीजन (न कि सर्किल) में 29-2-1992 तक 37।

(ख) और (ग) तीन स्थानों पर नए टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित किए जा चुके हैं, यथा बिलासपुर जिले के नकरा, करलोती, उना जिले में नांगल जरयाला और हमीरपुर जिले में ताल।

(घ) और (ङ) शेष स्थानों पर नए टेलीफोन एक्सचेंज मौजूदा न्यूनतम मांग, संसाधनों की उपलब्धता और तकनीकी व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए, उत्तरोत्तर रूप से संस्थापित किए जाएंगे।

सेंटार होटल में घाटा

6249. डा० वी० राजेश्वरन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंटार होटल घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) होटलों को व्यवहार्य बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न विमानपत्तनों पर होटलों को बन्द करने का है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) शुरू की गई परियोजनाओं की उपार्जन पूर्व दीर्घ अवधि, ऋण की वापस अदायगी और ब्याज का भारी बोझ इस संबंध में हुई हानियों के मुख्य कारण हैं।

(ग) प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए व्यवसाय में वृद्धि करने तथा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

मयहोरपुर हवाई अड्डे को वाणिज्यिक हवाई अड्डे में बदलना

6250. श्री रामनिहोर राय : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मयहोरपुर, सोनभद्र हवाई अड्डे को वाणिज्यिक हवाई अड्डे मे बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी भी अनुसूचित विमान कंपनी ने इस विमान क्षेत्र से विमान सेवा प्रारम्भ करने का प्रस्ताव नहीं किया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

6251. श्री श्रमंण्णा मोंडय्या सावुल : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1991 तक देश में सार्वजनिक, निजी तथा संयुक्त क्षेत्रों में स्थापित किए गए खाद्य प्रसंस्करण एककों की संख्या कितनी है;

(ख) इन एककों द्वारा किन-किन खाद्य तथा अन्य सम्बन्धित वस्तुओं को प्रसंस्कृत किया जा रहा है और ये एकक कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में ऐसी इकाइयों की स्थापना हेतु हाल ही में नियमों को उदार बनाया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी इकाइयों की स्थापना हेतु तय किए गए मानदण्डों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 1992-93 के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में कितने एकक स्थापित किए जाने की सम्भावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) यद्यपि सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या और उनके द्वारा उत्पादन/प्रसंस्करण की जाने वाले सभी वस्तुओं के संबंध में इस मन्त्रालय द्वारा सूचना नहीं रखी जाती है फिर भी चावल मिलों, रोलर आटा मिलों, फल उत्पाद आदेश के अधीन पंजीकृत फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों और मृदु वातित जल तैयार करने वाले यूनिटों और मछली प्रसंस्करण यूनिटों की राज्यवार संख्या के बारे में सूचना संलग्न विवरण I में दी गई है। केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन तीन सरकारी सेक्टर के उपक्रम अर्थात् माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड जिनके यूनिट देश के विभिन्न

मामलों में हैं, ब्रेड, फलों पर आधारित पेय, ऊर्जादायक आहार, एक्सट्रूडेड खाद्य पदार्थ, फल रस सांद्रण, वनस्पति, खाद्य तेल कार्न फ्लेक, जई आहार (ओट मील्स), टेक्सचराइज्ड सोया प्रोटीन आदि तैयार करते हैं।

(ग) और (घ) जुलाई, 1991 में सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (बीयर और पेय एल्कोहल को छोड़कर) की स्थापना के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है बशर्ते वह स्थान संबंधी शर्तों को पूरा करते हों और/या तैयार की जाने वाली प्रस्तावित वस्तुयें लघु सेक्टर/सरकारी सेक्टर के लिए आरक्षित न की गई हों। औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय द्वारा जारी प्रेस नोट संख्या 10 (1991 सीरीज) में जैसा कि उल्लेख किया गया है, दुग्ध आहारों, माल्टकृत आहारों और आटा आदि को छोड़कर सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची में रखा गया है (संलग्न विवरण-II) और वह विदेशी प्रौद्योगिकी करार के स्वत: अनुमोदन और 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी अनुमोदन की स्वीकृति पाने के योग्य हैं।

(ङ) यद्यपि यह मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं करता परन्तु ऐसे यूनिटों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों/संगठनों/सहकारिताओं/स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान करने हेतु अनेक विकासात्मक योजना स्कीमें तैयार की गई हैं।

विवरण-I

(1) 1-1-1992 को रोलर आटा मिलों की कुल संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	आटा मिलों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	56
2.	असम	41
3.	बिहार	44
4.	चण्डीगढ़	2
5.	दिल्ली	17
6.	गुजरात	27
7.	हरियाणा	16
8.	हिमाचल प्रदेश	12
9.	जम्मू और कश्मीर	18
10.	कर्नाटक	54
11.	केरल	27
12.	मध्य प्रदेश	25
13.	महाराष्ट्र	45
14.	मणिपुर	1

1	2	3
15.	उड़ीसा	21
16.	पंजाब	16
17.	पांडिचेरी	2
18.	राजस्थान	5
19.	तमिलनाडु	53
20.	उत्तर प्रदेश	70
21.	पश्चिम बंगाल	27
22.	सिक्किम	1
23.	गोवा	1
24.	त्रिपुरा	2
	योग	583

(2) 31-12-90 को मछली प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या

राज्य का नाम	यूनिटों की संख्या
केरल	98
कर्नाटक	10
लक्षद्वीप	1
तमिलनाडु	28
महाराष्ट्र	36
गुजरात	29
गोवा	6
आंध्र प्रदेश	23
पश्चिम बंगाल	30
उड़ीसा	12

इनके अलावा 130 बर्फ बनाने वाले यूनिट और 313 शीत भंडार भी हैं।

1-1-1992 को चावल मिलों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हलर्स	शेलर्स	हलर्स-सह-शेलर्स	आधुनिक/आधुनिकीकृत चावल मिलें	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	4609	1776	2364	12995	21744

1	2	3	4	5	6	7
2.	असम	305	14	1871	418	2608
3.	बिहार	4749	63	9	51	4872
4.	गुजरात	1890	159	67	1045	3161
5.	हरियाणा	807	—	—	990	1797
6.	हिमाचल प्रदेश	890	1	2	222	1115
7.	जम्मू कश्मीर	—	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	9131	462	1103	3674	14370
9.	केरल	13413	2	13	2668	16096
10.	मणिपुर	71	—	97	1	169
11.	महाराष्ट्र	6191	99	472	2515	9277
12.	मध्य प्रदेश	3114	239	227	94	3674
13.	मेघालय	85		8	—	—
14.	नागालैंड	—	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	6398	125	289	552	7364
16.	पंजाब	4416	442	—	1965	6823
17.	राजस्थान	152	2	6	193	353
18.	सिक्किम	17	—	—	—	17
19.	तमिलनाडु	13292	144	1530	3262	18228
20.	त्रिपुरा	689	5	8	1	703
21.	उत्तर प्रदेश	5707	562	150	1215	7634
22.	पश्चिम बंगाल	9404	2	71	980	10457
23.	चण्डीगढ़	4	—	—	27	31
24.	दिल्ली	3	—	—	31	34
25.	पांडिचेरी	179	—	8	33	220
26.	अण्डमान निकोबार	116	—	—	—	116
27.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
28.	दादर एवं नगर हवेली	8	1	—	—	9
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—
30.	गोवा	675	—	5	37	717
31.	मिजोरम	—	—	—	—	—
	कुल	86315	4098	8300	32969	131682

विवरण-II

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों तथा मृदुवातित पेय यूनिटों की संख्या

क्र० सं०	राज्य का नाम	फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिट	मृदुवातित पेय यूनिट
1.	आंध्र प्रदेश	201	64
2.	असम	19	2
3.	बिहार	43	10
4.	गुजरात	171	52
5.	हरियाणा	115	17
6.	हिमाचल प्रदेश	70	1
7.	जम्मू एवं कश्मीर	68	6
8.	कर्नाटक	176	38
9.	केरल	259	24
10.	मध्य प्रदेश	82	27
11.	महाराष्ट्र	506	85
12.	मणिपुर	11	1
13.	मेघालय	7	1
14.	नागालैंड	4	
15.	उड़ीसा	17	4
16.	पंजाब	158	9
17.	राजस्थान	78	24
18.	सिक्किम	2	
19.	तमिलनाडु	314	35
20.	त्रिपुरा	3	
21.	उत्तर प्रदेश	379	39
22.	पश्चिम बंगाल	214	23
23.	अण्डमान निकोबार	1	
24.	अरुणाचल प्रदेश	2	
25.	चण्डीगढ़	24	7
26.	दादर एवं नगर हवेली	3	2
27.	दिल्ली	151	18
28.	गोवा	131	86
29.	मिजोरम	2	
30.	पांडिचेरी	9	2
	योग	3822	577

राजीव गांधी प्रतिष्ठान के लिए चन्दा

6252. श्री विजय कुमार यादव :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने राजीव गांधी प्रतिष्ठान से प्राप्त पत्र की एक प्रति परिचालित की थी जिसमें उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से प्रतिष्ठान के लिए चन्दे की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे निजी पत्र को परिचालित करना सरकारी नियमों के विरुद्ध नहीं था; और

(ग) यदि हां, तो उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) राजीव गांधी फाउंडेशन से प्राप्त पत्र पर श्री रसगोत्रा, आई० एफ० एस० (सेवानिवृत्त) द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और यह पत्र रूटीन तरीके से सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए मंत्रालय के माध्यम एककों तथा मुख्य सचिवालय के अधिकारियों तथा अनुभागों में परिचालित किया गया था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

प्रसार भारती अधिनियम में संशोधन

6253. श्री चित्त बसु :

श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

श्री हरि किशोर सिंह :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्रीमती वासवराजेश्वरी :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री पी० एम० सईद :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रसार भारती अधिनियम में संशोधन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) प्रसार भारती की स्थापना करने से पहले बहुत-सी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं और कदम उठाए जाने हैं ।

राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम द्वारा विद्युत उत्पादन

6254. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम ने भी विद्युत उत्पादन कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

झारखंड क्षेत्र में डाकघर

6255 **श्री साईमन मराण्डी :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड क्षेत्र में ऐसी प्रमुख ग्राम पंचायतों की संख्या क्या है जहां अब तक डाकघर स्थापित नहीं किए जा सके;

(ख) इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इस क्षेत्र में कितने डाकघरों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं;

(घ) दिसम्बर, 1992 तक शेष बचे डाकघरों में कितने टेलीफोन लगाए जाएंगे; और

(ङ) यह काम कब पूरे किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) बिहार के संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र में कुल 3284 ग्राम पंचायत हैं इनमें से 2019 ग्राम पंचायतों में डाकघर हैं और 1265 ग्राम पंचायतों में डाक नहीं हैं । अधिक से अधिक गांवों में उत्तरोत्तर डाकघर खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं बशर्ते कि डाकघर खोलने के उद्देश्य से निर्धारित मानदंड पूरे हों, धनराशि उपलब्ध हो और लक्ष्य निर्धारित किए गए हों । आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में डाकघर खोलने पर विशेष बल देने का प्रस्ताव है । 1991-92 के दौरान (26-3-92 तक) इन दोनों क्षेत्रों के लिए 52 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की मंजूरी दी गई है ।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) और (ङ) जबकि सभी डाकघरों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की अलग से कोई योजना नहीं है, फिर भी, 31-3-95 तक सभी पंचायत वाले गांवों में और सन् 2000 तक देश के अन्य गांवों में टेलीफोन सुविधा उत्तरोत्तर प्रदान करने की योजना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें । ऐसी टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए जिन स्थानों का सुझाव दिया गया है, डाकघर उनमें से एक है ।

प्राइवेट विमानन कम्पनियां

6256. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या प्राइवेट विमान कम्पनियां सरकारी विमान कंपनियों के लिए कड़ी प्रतियोगिता पैदा कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्राइवेट कम्पनियों की संख्या कितनी है और उन्हें किन-किन हवाई मार्गों के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) इस समय एयर टैक्सी सेवा का परिचालन करने के लिए सात कम्पनियों ने परमिट प्राप्त किए हैं। अनुसूचित सेवाओं के लिए उपलब्ध किसी भी विमान-क्षेत्र के लिए वे परिचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। मार्ग-वार कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं। उनसे आशा की जाती है कि वे मौजूदा अनुसूचित प्रचालनों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं को बढ़ायेंगे और प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न करके सेवाओं में सुधार लाएंगे।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में करीमनगर में टी० वी० ट्रांसमीटर

6257. श्री जे० चोक्का राव : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टी० वी० कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु आंध्र प्रदेश के करीमनगर में 10 किलोवाट के एक ट्रांसमीटर की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या है जहां पर वर्ष 1992-93 के दौरान 10 किलोवाट के ट्रांसमीटरों की स्थापना किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ?

(ग) तिरुपति में मौजूदा अल्प शक्ति (100 वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर के स्थान पर एक उच्च शक्ति (10 किलो वाट) ट्रांसमीटर के 1992-93 के दौरान सेवा के लिए चालू किए जाने की आशा है।

श्रीनगर हवाई अड्डे पर सुरक्षा के उपाय

6258. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर हवाई अड्डे पर सुरक्षा के पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) श्रीनगर हवाई अड्डे पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं और खतरे का अनुभव होते ही इन उपायों की पर्याप्तता की आवधिक समीक्षा की जाती है।

उत्तर प्रदेश में डाकियों को वाहन उपलब्ध कराना

6259 श्रीमती गिरिजा देवी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर बिहार के सारन, सिवान और गोपालगंज जिलों में मनीआर्डर तथा अन्य मूल्यवान पार्सल प्रेषिती तक पहुंचाने के लिए डाकियों को वाहन उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार जब कभी साइकिल का उपयोग फायदेमंद, और मानकों के अनुसार उचित होता है, डाकियों को साइकिल भत्ता देती है।

पर्यटन के विकास के लिए दीर्घावधिक योजना

6260. श्री चन्द्रजीत यादव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में पर्यटन के विकास के लिए किसी दीर्घावधिक योजना पर विचार कर रही है;

(ख) क्या योजना आयोग की आठवीं योजना में शामिल करने के लिए कोई विकास योजना और आगामी 2/3 अवधियों के लिए सदर्शी योजना सौंप दी है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप योजना आयोग को प्रस्तुत किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं के विकास, विपणन तथा जन-शक्ति और संस्थागत विकास की स्कीमें आदि शामिल हैं। तथापि, परवर्ती दो/तीन योजनाओं के लिए कोई परिप्रेक्ष्य योजना विस्तृत नहीं की गई हैं।

मध्य प्रदेश में विमान सेवाओं का विस्तार

6261. श्री योगानन्द सरस्वती :
श्री अरविन्द नेताम :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश में कितने शहर नियमित विमान सेवाओं से जुड़े हुए हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ और अधिक शहरों को नियमित हवाई सेवाओं से जोड़ने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन शहरों को वायु सेवाओं से जोड़ने की सिफारिश की गई है; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) इंडियन एयरलाइन्स

मध्य प्रदेश में ग्वालियर, भोपाल, इन्दौर, रायपुर और खजुराहो के लिए अपनी सेवाएं परिचालित करती है।

(ख) से (घ) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार ने इन्दौर, खजुराहो, बिलासपुर, रीवा, जबलपुर रायपुर, जगदलपुर, गुना, सतना, ग्वालियर और भोपाल के लिए वायुदूत की उड़ानें बहाल करने का अनुरोध किया है। वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से वायुदूत मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं बहाल करने की स्थिति में नहीं है। हवाई टैक्सी प्रचालक देश में अनुसूचित परिचालनों के लिए उपलब्ध सभी हवाई अड्डों पर परिचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

अन्तर्राज्यीय नदियों को समवर्ती सूची में शामिल करना

6262. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राज्यीय नदियों को समवर्ती सूची में शामिल करने की आवश्यकता पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय पर किसी राज्य सरकार से कोई बातचीत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) अन्तर्राज्यीय नदियों को समवर्ती सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि अन्तर्राज्यीय नदी जल के वैज्ञानिक विकास और प्रबन्ध के वास्ते केन्द्र के लिए वर्तमान संवैधानिक उपबन्ध ही पर्याप्त हैं। तथापि, जल संसाधन के एकीकृत विकास के लिए नदी बेसिन संगठन की स्थापना पर विचार किया गया है।

विश्व कप मैचों का दूरदर्शन प्रसारण

6263. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन को फरवरी, 1992 में आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले विश्व कप मैचों के प्रसारण का अधिकार प्राप्त हो गया है;

(ख) क्या किसी केबल टी० वी० को भी ऐसे अधिकार प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में देखे गए विश्व कप 1992 के मैचों को दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित श्रेणी के अन्तर्गत प्रसारित किया गया था।

(ख) और (ग) सरकार के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है।

त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए इन्सैट ट्रांसमिशन

6264. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए इन्सैट ट्रांसमिशन का उपयोग करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) यद्यपि, त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन की प्रादेशिक सेवा के कार्यक्रम इस समय माइक्रोवेव लिंकेज प्रणाली के माध्यम से दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम से तथा कोचीन और कालीकट के रिले केन्द्रों से राज्य की काफी जनसंख्या को उपलब्ध हैं, फिर भी राज्य में उपग्रह से प्राप्त प्रादेशिक दूरदर्शन सेवा शुरू करने की योजना है, किंतु यह कार्य अन्तरिक्ष खंड में अपेक्षित क्षमता उपलब्ध होने, इस प्रयोजन के लिए साधन उपलब्ध होने और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए ही हो सकता है।

पूकोट्टू-लेक (केरल) का विकास

6265. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या सागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार को केरल राज्य सरकार से वायनाड जिले की पुकोट्टू झील के विस्तार और विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) कब तक उसे स्वीकृति दी जाएगी ?

सागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सांसदों के कोटे से टेलीफोन कनेक्शन जारी करना

6266. **श्री के० एच० मुनियप्पा** :
श्री वी० कृष्ण राव :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने संसद सदस्यों को हाल ही में एक परिपत्र जारी किया है जिसमें उनसे अपनी सिफारिशों पर अपने-अपने मुख्य महाप्रबन्धकों से अपने टेलीफोन कनेक्शन जारी कराने हेतु निवेदन किया गया है;

(ख) क्या प्रक्रिया में यह परिवर्तन टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किया गया है;

(ग) क्या उनके ध्यान में यह बात आई है कि अपने-अपने मुख्य महाप्रबन्धकों को लिखने के 40 दिन बाद भी अधिकारियों द्वारा संसद सदस्यों को न ही स्वीकृति पत्र और न ही पावती जारी की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

"फिल्म स्टूडियो ए डाईंग लिगेसी" शीर्षक से समाचार

6267. श्री प्रफुल पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 दिसम्बर, 1991 के फाइनेंसियल एक्सप्रेस, नई दिल्ली में 'फिल्म स्टूडियो ए डाईंग लिगेसी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) फिल्म उद्योग की सहायता करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां। तथापि, हमारे पास स्टूडियोज के लाभ के बारे में विस्तृत सूचना नहीं है। हमें इसकी भी जानकारी नहीं है कि उनका लाभ कम हो रहा है। उपलब्ध सूचना के अनुसार सेठ स्टूडियोज के मालिकों ने इसे एक और पार्टी के हाथ बेच दिया है और वहां कार्यालय इत्यादि बनाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अब निर्माता आउटडोर शूटिंग पसन्द करते हैं क्योंकि स्टूडियो की शूटिंग ज्यादा महंगी और कम अर्थक्षम होती है। फिल्म स्टूडियो को प्रभावित करने वाला यह एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है।

(ख) और (ग) यद्यपि, सिनेमा राज्यों का विषय है, लेकिन जनता पर इस मीडिया के प्रभाव को देखते हुए, संघ सरकार ने इस क्षेत्र के विकास और इसकी समस्याओं का समय-समय पर अध्ययन किया है। विभिन्न समितियों/समूहों आदि द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं। हाल ही में एक उच्चाधिकार-प्राप्त समिति ने फिल्म उद्योग की सम्पूर्ण समस्याओं का अध्ययन किया है और इस क्षेत्र को सहायता/रियायतें देने के लिए कई सिफारशें की हैं। इनमें से अधिकांश सिफारिशों का संबंध राज्य सरकारों से है, क्योंकि ये मामले पूर्णतया उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिए सरकार उच्चतम स्तर पर उनके साथ तत्परता से कार्रवाई कर रही है।

आंध्र प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज

6268. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के 19 वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाए जाने के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) (i) 17 स्थानों पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाए जाने की योजना बनाई गई है।

(ii) वर्तमान दो एक्सचेंजों का निर्धारित कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात इनके स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाए जाने के बारे में विचार किया जाएगा।

पूर्वोत्तर राज्यों में दूरदर्शन स्टूडियो

6269. श्री लाईता उम्बे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित करने के लिए निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों में दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) देश के विभिन्न भागों में कार्यक्रम निर्माण/कार्यक्रम जनरेशन सुविधाओं की स्थापना के मानदण्ड इस प्रकार हैं :—

(1) प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र की राजधानी में कार्यक्रम निर्माण सुविधाएं स्थापित करना;

(2) देश में सांस्कृतिक महत्व के चुने हुए स्थानों पर कार्यक्रम निर्माण/जनरेशन सुविधाएं स्थापित करना;

(3) इनसैट उपयोग स्कीम के अन्तर्गत चुने हुए गांवों के समूहों के लाभ के लिए क्षेत्र विशेष के कार्यक्रमों के निर्माण हेतु चुने हुए स्थानों पर कार्यक्रम जनरेशन सुविधा स्थापित करना;

(4) विशेष रूप से भिन्न जन-समूहों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चुने हुए दूरदर्शन रिले केन्द्रों पर कार्यक्रम जनरेशन सुविधा स्थापित करना।

(ख) और (ग) जी, हां। गुवाहाटी में दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में इम्फाल, शिलांग, कोहिमा और अगरतला जैसी राजधानियों में ऐसे केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। तथापि, अपेक्षित स्टाफ उपलब्ध हो जाने के बाद ही इन केन्द्रों को सेवा के लिए चालू किया जा सकेगा। ऐज़ाल और ईटानगर के राजधानी नगरों में भी स्टूडियो केन्द्र खोले जा रहे हैं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

तमिलनाडु में शिवाजी को राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में घोषित करना

6270. श्री के० राममूर्ति टिंडीवनम : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के दक्षिणी अर्काट जिले के गिन्जी को इसके पुरा-

तात्विक और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में घोषित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग की किसी स्थान को राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र घोषित करने की कोई स्कीम हैं।

देश में पानी की कमी

6271. कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अतिरिक्त जल होने के बावजूद देश के विभिन्न भागों में पीनें तथा सिंचाई प्रयोजनों के लिए पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसा कारगर जल प्रबन्ध के अभाव के कारण हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई जाने वाली नीतियों का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) देश में जल की उपलब्धता स्थान-स्थान पर भिन्न-भिन्न है तथा इसका पूरे देश में एक समान प्रसार नहीं है जिससे जल की कमी अथवा बाढ़ की स्थिति बन जाती है। देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में जल की उपलब्धता में व्यापक भिन्नता की वजह से सूखा प्रवण तथा अन्य जल कमी वाले क्षेत्रों में जल की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल है। जल की कमी वाले क्षेत्रों की कठिनाइयों को कम करने के लिए भारत सरकार ने अधिशेष जल वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल अन्तरण करने के वास्ते राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ये अध्ययन कर रहा है।

(ङ) आठवीं योजना में, निर्माणाधीन स्कीमों को पूरा करने, अधिशेष जल वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल का अन्तरण करने के वास्ते परि ोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण करने, सिंचित कृषि में किसानों को प्रशिक्षण देकर बेहतर सिंचाई पद्धतियां अपनाने, कमान क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने, टैंकों का आधुनिकीकरण करने, जल के उपयोग में मितव्ययता बरतने, जल-विभाजक विकास कार्यक्रम का विस्तार करके जल का संरक्षण करने पर बल देने का प्रस्ताव है।

दूरदर्शन से तेलुगु समाचार बुलेटिन

6272. श्री धर्मभिक्षम : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क दूरदर्शन, हैदराबाद से तेलुगु समाचार शुरू करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख)

दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद द्वारा पहले ही दैनिक तेलुगु समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जा रहा है।

केरल में "स्पीड पोस्ट" सुविधायुक्त डाकघर

6273. श्री पी० सी० थामस : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में "स्पीड पोस्ट" सुविधायुक्त डाकघरों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) निकट भविष्य में कितने डाकघरों में यह सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) केरल में निम्नलिखित डाकघरों में स्पीड पोस्ट सुविधा है :

I. राष्ट्रीय नेटवर्क के अन्तर्गत

1 अल्वे प्रधान डाकघर

2. अल्वे टाउन बस स्टैंड डाकघर

?. एर्णाकुलम प्रधान डाकघर

4. वेलिंगटन द्वीप डाकघर

5. मट्टनचेरी डाकघर

6. उद्योग मंडल डाकघर

7. कोचीन एयरपोर्ट टी० एम० ओ० और स्पीड पोस्ट सेंट्रल

8. बनर्जी रोड डाकघर

9. कोचीन एम० जी० रोड डाकघर

10. कदावनतरा डाकघर

11. क्विलोन प्रधान डाकघर

12. कुंदरा डाकघर

13 शक्ति कुलंगार डाकघर

14. तिरूवनंतपुरम जी पी ओ

15. तिरूवनंतपुरम फोर्ट डाकघर

16. स्वास्थमंगलम डाकघर;

17. तिरूवनंतपुरम मेडिकल कालेज डाकघर

18. तिरूवनंतपुरम एस पी सी सी

19. विकास भवन, तिरूवनंतपुरम डाकघर

20. पट्टम पैलेस डाकघर

21. तिरूवनंतपुरम आर एम एस

22. ताइकोड प्रधान डाकघर

23. त्रिचूर प्रधान डाकघर

24. कालीकट प्रधान डाकघर

25. कालीकट बीच डाकघर

26. नादकावु डाकघर

27. कालीकट सिटी डाकघर

II प्वाइंट टू प्वाइंट स्पीड पोस्ट सेवा के अंतर्गत

1. कोट्टायम प्रधान डाकघर

2. अल्लेपी प्रधान डाकघर

3. पालघाट प्रधान डाकघर

4. तिरूर प्रधान डाकघर

5. कन्नानोर प्रधान डाकघर

6. मंजेरी प्रधान डाकघर

(ख) नए शहरों/कस्बों में उपभोक्ताओं की आवश्यकता, उपयुक्त ट्रांसमीशन नेटवर्क की उपलब्धता और परियात तथा व्यावसायिक व्यवहार्यता को मद्देनजर रखते हुए स्पीड पोस्ट की शुरूआत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

केरल में डाकघर

6274. श्री पी० सी० थामस :
श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए डाकघर खोलने का मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1992-93 के दौरान केरल में नए डाकघर खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो जिले-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां। मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान औचित्य पाए जाने पर खोले जाने वाले डाकघरों का ब्यौरा दे पाना अभी संभव नहीं है क्योंकि इस संबंध में वार्षिक योजना (1992-93) लक्ष्य को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) वर्ष के दौरान 10 डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि इसका औचित्य हो।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के लिए 1-4-1991 से प्रभावी निर्धारित मापदंड/मानदंड।

शाखा डाकघर खोलने के लिए 1-4-1991 से लागू हुए निम्नलिखित मानदंड अपनाए गए हैं :—

(i) **जनसंख्या** :

(क) **ग्रामीण क्षेत्रों में** : गांवों के एक ग्रुप की जनसंख्या 3000 (जिस गांव में डाकघर खोलने का प्रस्ताव हो उसकी जनसंख्या सहित)

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम इलाकों में** : किसी एक गांव की आबादी 500 या गांवों के किसी एक ग्रुप की जनसंख्या 1000।

(ii) **दूरी** :

(क) **सामान्य क्षेत्रों में** : मौजूदा नजदीकी डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि० मी० होगी।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में** : पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष परिस्थितियों के कारण जिन मामलों में दूरी की शर्त में में छूट देने का औचित्य होगा उन मामलों में निदेशालय द्वारा छूट दी जा सकती है। प्रस्ताव भेजते समय विशेष परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

(iii) **अनुमानित आय**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में** : न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 33-1/3 प्रतिशत होगी।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में** : न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 15 प्रतिशत होगी।

विभागीय उप डाकघर (योजना)

नवम्बर, 1987 से प्लान स्कीम के अन्तर्गत विभागीय उप-डाकघर भी मंजूर किए जाते हैं बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों :—

(i) इस स्कीम के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्रों, नए औद्योगिक क्षेत्रों/नगर क्षेत्रों/शहरों की सीमाओं पर बसी बस्तियों/ शहरी घनी बस्तियों तथा राज्य और केन्द्रीय सरकार के विभागों और एजेंसियों के योजना कार्यकलापों के अनुसरण में नए क्षेत्रों में बसी ऐसी ही अन्य बस्तियों में विभागीय उप-डाकघर खोलना शामिल है। दूसरे शब्दों में पोस्टल सेक्टर प्लान की अवधारणा को उस हद तक बढ़ाया जाना है जिससे समूची राष्ट्रीय योजना के लिए अपेक्षित डाक सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

(ii) प्रस्तावित उप-डाकघर का न्यूनतम अनुमानित कार्यभार 5 घन्टे प्रतिदिन होना चाहिए।

(iii) हालांकि विभागीय उप डाकघरों से यह अपेक्षा होती है कि वे वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर हों, लेकिन ग्रामीण इलाकों में प्रतिवर्ष 2400 रु० तक के घाटे की अनुमति दी जाती है (पहाड़ी/पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों में 4800 रु०)।

[हिन्दी]

सफदरजंग हवाई अड्डे में अनियमिततायें

6275. श्री राम लखन सिंह यादव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सफदरजंग हवाई अड्डे के कार्य निष्पादन में पाई गई अनियमितताओं के बारे में 10 जनवरी, 1992 के जनसत्ता में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

क्र०सं०	समाचार में उल्लिखित अनियमितताएं	तथ्य/की गई कार्रवाई
1	2	3
(1)	14-6-1991 को 1,25,000 रुपए के हवाई जहाज के पुर्जे और 15,000 अमरीकी डालर की कीमत के ताम्बे की तार की चोरी	14-6-1991 को इंडियन एयरलाइंस के एक भूतपूर्व कर्मचारी को हवाई जहाज के दो पुर्जे ले जाते हुए पकड़ा गया था। इन्हें जब्त कर लिया गया था और इसकी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को कर दी गयी थी। सफदरजंग हवाई अड्डे पर किसी और घटना का पता नहीं चला है। तथापि इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्रमश: 10-8-1991, 7-9-1991, 25-9-1991 और 25-11-1991 को तार चुराने की चार घटनाएं हुईं। आरंभिक जाँच के बाद इन सभी घटनाओं की जानकारी पुलिस को दी गयी थी। इस संबंध में एक बाहरी व्यक्ति पहले ही पुलिस को सौंप दिया गया है।
(2)	इंडियन एयरलाइंस के बुकिंग कार्यालय में पार्किंग स्थल के बारे में ठेका देना।	सूचना एकत्र की जा रही है।

1	2	3
(3)	पालम में सहकारी भंडार खोला जाना	इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित एयरलाइंस उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड, रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज, नई दिल्ली के पास पंजीकृत है। प्रेजीडेंट और अन्य कर्मचारी ऐसी अंतिरिम अवधि के लिये हैं जब तक नियमों के अनुसार पंजीकरण के बाद चुनाव नहीं हो जाता। सहकारी भंडार सदस्यों की संख्या 120 है। सहकारी भंडारण का उद्घाटन 23-1-1992 को किया जाना था परन्तु कुछ महत्वाकांक्षी सदस्यों ने भंडार का सदस्य बनाये जाने से पूर्व इसके उद्घाटन पर आपत्ति की। इस विवाद का निपटारा हो जाने तक इस भंडार को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इंडियन एयरलाइंस 50,000 रु० की अपने ऋण की राशि वसूल करने की स्थिति में हो जाएगी क्योंकि भंडार के पास ऋण की राशि को पूरा करने के लिए संसाधन हैं।

[अनुवाद]

विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विज्ञापन

6276. श्री राम लखन सिंह यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विज्ञापन जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) फिलहाल कितनी विज्ञापन एजेंसियां केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कार्य कर रही हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रम पहले से ही अपने विज्ञापन, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से जारी कर रहे हैं।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने विज्ञापन किसी भी विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से जारी करने के लिए स्वतंत्र हैं। अत: प्रश्न में मांगी गई सूचना केन्द्रीय रूप से संकलित नहीं की जाती।

आगरा में दूरदर्शन केन्द्र

6277. श्री भगवान शंकर रावत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में आगरा में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) आगरा (उत्तर प्रदेश) में जुलाई, 1984 से उच्च शक्ति (10 किलो वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्यरत है किन्तु इस समय इस नगर में दूसरा केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, प्रादेशिक सेवा के कार्यक्रम रिले करने के लिए इस ट्रांसमीटर को माइक्रोवेव लिंकेज प्रणाली के जरिए दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ से जोड़ने का कार्यक्रम है, जिसके लिए उपकरणों के वास्ते दूरदर्शन विभाग को इसके आर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में आगरा में सार्वजनिक टेलीफोन

6278. श्री भगवान शंकर रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक गांव में सार्वजनिक टेलफोन उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत जनवरी, 1992 तक आगरा जिले में कितने टेलीफोन लगाए गए थे;

(ख) ऐसे कितने गांव हैं, जहां ये टेलीफोन लगाए गए हैं;

(ग) इन टेलीफोनों की मरम्मत करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(घ) इनमें से कितने टेलीफोन ठीक से कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) उन गांवों के नाम क्या हैं, जिनमें 1992-93 के दौरान सार्वजनिक टेलीफोन लगाये जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) 107.

(ग) फील्ड स्टाफ द्वारा इन टेलीफोनों के संतोषजनक प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए जांच तथा मानीटर करने की एक प्रणाली आरंभ की गई है।

(घ) प्राप्त सूचना के अनुसार ये सभी टेलीफोन संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं।

(ङ) आगरा जिले में 1992-93 के दौरान लगभग 50 पी० सी० ओ० संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइन्स में कर्मचारियों की संख्या

6279. श्री एच० डी० देवगौडा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि इण्डियन एयरलाइंस में तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों शाखाओं में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : 2-2-1992 की स्थिति के अनुसार इंडियन एयरलाइन्स में कर्मचारियों की कुल संख्या 22,093 है, जिनमें से 5200 कर्मचारी तकनीकी श्रेणी के हैं और 16,893 गैर-तकनीकी संवर्ग के हैं। इनके ब्यौरे नीचे दिए हैं :—

तकनीकी श्रेणी

कार्यकारी अभियन्ता	154
कार्यकारी विमानचालक	75
विमान अभियन्ता	818
प्लांट इंजानियर (कार्यकालकों सहित)	86
इंजीनियर अधिकारी	113
विमान/प्लांट तकनीशियन	3265
एम० टी० तकनीशियन	154
लाइन विमानचालक	454
उड़ान अभियन्ता (प्रबंधक उड़ान इंजीनियरी सहित)	39
ग्राउंड इंस्ट्रक्टर (कार्यपालकों सहित)	43
	5200

गैर-तकनीकी श्रेणी

कार्यपालक अधिकारी (ग्रेड 16 और ऊपर)	159
सामान्य अधिकारी (ग्रेड 10/15)	1270
लिपिक वर्गीय स्टाफ	7976
चालक	539
ऑपरेटर/कनिष्ठ ऑपरेटर	464
चतुर्थ श्रेणी (ग्रेड 1/2 स्टाफ)	5850
कैंटीन कर्मचारी	635
	16893

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में कम शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटरों की स्थापना

6280. श्री भाग्ये गोवर्धन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार से राज्य के रायरंगपुर, उदाला, करन्जिया, गुनापुर, बोनाईगढ़, जी उदयगिरी, किरीबूम और अन्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कम शक्ति के टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य के आदिवासी (सूचीबद्ध) क्षेत्रों से संबंधित ऐसे प्रस्तावों को क्या प्राथमिकता दी जाएगी; और

(ग) उक्त स्थानों पर कम शक्ति के ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां। उड़ीसा सरकार से रायरंगपुर, उदाला, करन्जिया, गुनापुर, बोनाईगढ़, जी उदयगिरी, किरीबूम सहित 32 अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) मलकागिरी में एक अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने का काम पहले से ही चल रहा है। यह ट्रांसमीटर उपर्युक्त 32 ट्रांसमीटरों की सूची में शामिल है। बालेश्वर में (वर्तमान अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के स्थान पर) और सम्बलपुर में (वर्तमान 1 किलो वाट ट्रांसमीटर के स्थान पर) साधनों की उपलब्धता के अनुरूप, एक-एक उच्च शक्ति (10 किलो वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर लगाए जाने की परिकल्पना की गई है। इन ट्रांसमीटरों के चालू हो जाने पर बालेश्वर सम्बलपुर, सुन्दरगढ़ और मयूरभंज के जनजातीय जिलों में टी० वी० कवरेज बढ़ जाएगी। जहां मलकागिरी में लगाये जा रहे अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर के 1993-94 के दौरान चालू हो जाने की आशा है, वहां बालेश्वर और सम्बलपुर में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर लगाने के काम में परियोजना स्थल पर सिविल निर्माण कार्य शुरू होने के बाद लगभग 4 वर्ष का समय लग जाएगा। उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में टी० वी० कवरेज का और विस्तार इस प्रयोजन के लिए भविष्य में साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

जलगांव, महाराष्ट्र में टेलेक्स एक्सचेंज

6281. डा० गुणवंत रामभाऊ सरोदे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के जलगांव जिले में टेलेक्स एक्सचेंजों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जलगांव में टेलेक्स एक्सचेंज पहले ही कार्य कर रहा है। फिलहाल जलगांव जिले में नया टेलेक्स एक्सचेंज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए इनका प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र के पर्वतीय क्षेत्रों में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना

6282. डा० गुणवंत रामभाऊ सरोदे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आदिवासी लोगों के लिए महाराष्ट्र में पाल (जलगांव) क्षेत्र में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) (क) से (ग) इस समय महाराष्ट्र के पाल (जलगांव) के पहाड़ी क्षेत्र में दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर लगाने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, साधनों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं के अनुरूप जलगांव में उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का कार्यक्रम है। इस ट्रांसमीटर के सेवा के लिए चालू हो जाने पर, स्थानीय भू-भागीय स्थिति के तदनुरूप पाल और समीप के क्षेत्रों में संतोषजनक दूरदर्शन सेवा प्राप्त होने की उम्मीद है।

टेलीफोनों के स्थानांतरण पर राहत

6283. श्री मोहन रावले : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन प्रयोक्ता के नाम के टेलीफोन कनेक्शन को एक स्थान से काट कर दूसरे स्थान पर लगाने में पहली जगह से कनेक्शन काटे जाने के बाद, उसे कोई राहत दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) से (ग) जी, हां। विभागीय कारणों से टेलीफोन शिफ्ट करने में विलंब होने की स्थिति में, पुराने स्थान पर टेलीफोन काटे जाने की तारीख से टेलीफोन लगाए जाने की अवधि 5 दिन से अधिक होने पर उपभोक्ता किराए में छूट दिए जाने के पात्र होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि उपभोक्ता पुराने स्थान पर टेलीफोन चालू नहीं रखना चाहते अथवा टेलीफोन की तीन वर्ष तक कार्य करने की न्यूनतम अवधि पूरी न करने के कारण टेलीफोन शिफ्ट करने योग्य न होने पर अथवा उस क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की तारीख उसे शिफ्ट करने की दृष्टि से पूरी न होती हो तो उपभोक्ता अपना टेलीफोन शिफ्ट होने तक सुरक्षित अभिरक्षा (सेफ कस्टडी) में रख सकता है। यदि सुरक्षित अभिरक्षा की अवधि 3 महीने से अधिक हो तो उपभोक्ता तीन महीने से अधिक अवधि के लिए किराए में 60 प्रतिशत तक की छूट पाने का पात्र हो जाता है, बशर्ते कि टेलीफोन नंबर को आरक्षित रखने की आवश्यकता न हो। अन्यथा सुरक्षित अभिरक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए किराया वसूल किया जाता है। वैसे सुरक्षा अभिरक्षा के पहले 3 महीनों के लिए पूरा किराया लिया जाता है।

यमुना पार क्षेत्र, दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

6284. श्री समत कुमार मंडल : क्या सूचना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में यमुना-पार क्षेत्रों के विभिन्न एक्सचेंजों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए नान ओ वाई टी श्रेणी में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) इस श्रेणी में किस तारीख तक के पंजीकृत व्यक्तियों को कनेक्शन मिल गए हैं;

(ग) क्या यह सही है कि लक्ष्मीनगर एक्सचेंज में अप्रैल, 1985 तक पंजीकृत व्यक्तियों को कनेक्शन दे दिए गए थे और शेष पंजीकृत व्यक्तियों को भी एक्सचेंज में और लाइनें मिलने पर इस वर्ष मार्च तक कनेक्शन दिए जाने की उम्मीद थी;

(घ) यदि हां, तो इन एक्सचेंजों के लिए अप्रैल, 1985 के बाद से (इसी वर्ष) और कितने व्यक्ति पंजीकृत किए गए, जिन्हें अभी तक कनेक्शन नहीं मिले हैं; और

(ङ) इन्हें तक तक कनेक्शन देने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) 1 अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार, लक्ष्मी नगर क्षेत्र में 9-12-85 तक पंजीकृत सभी आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन मंजूर कर दिए गए हैं। 10-12-85 से आगे उसी वर्ष 31-12-85 तक 178 व्यक्तियों का नाम दर्ज किया गया है और इन्हें अभी तक रिलीज नहीं किया गया है।

(ङ) प्रारूप आठवीं योजना प्रस्तावों के अनुसार, विस्तार कार्यक्रम इस उद्देश्य के साथ तैयार किए जा रहे हैं कि इस योजना अवधि के अंत तक बड़े टेलीफोन क्षेत्रों में दो वर्ष से अनधिक की प्रतीक्षा अवधि की व्यवस्था के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।

विवरण

1-3-92 की स्थिति के अनुसार, यमुना-पार क्षेत्र के विभिन्न एक्सचेंजों में गैर-ओ० वाई० टी० श्रेणी की प्रतीक्षा सूची

क्र० सं० एक्सचेंज का नाम	एस० एस० श्रेणी		विशेष श्रेणी		सामान्य श्रेणी	
	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	निम्नलिखित तारीखों तक कनेक्शन जारी किए गए	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	निम्नलिखित तारीखों तक कनेक्शन जारी किए गए	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	निम्नलिखित तारीखों तक कनेक्शन जारी किए गए
1. लक्ष्मी नगर	95	30-6-91	292	30-6-91	36679	22-8-84
2. यमुना विहार	2	30-6-91	77	30-6-91	6744	31-12-84
3. शाहदरा	3	31-12-91	156	30-6-91	10554	8-[illegible]-85
4. मयूर विहार	—	31-12-91	18	31-12-91	279	29-7-86

इस्पात पर मूल्य नियंत्रण समाप्त करने का प्रभाव

6285. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में इस्पात पर नियंत्रण हटाए जाने से संयुक्त संयंत्र समिति और लौह और इस्पात नियंत्रक कार्यालय, कलकत्ता को क्या प्रमुख कार्य सौंपे गए हैं;

(ख) इन दो संगठनों के रख-रखाव पर वार्षिक रूप से अनुमानतः कितनी धन-राशि व्यय की गई है;

(ग) क्या इन दो संगठनों के कर्मचारियों की छंटनी करने की कोई संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इनकी पुनर्नियुक्ति हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) (क) संयुक्त संयंत्र समिति और विकास आयुक्त, लोहा तथा इस्पात के कार्यालय के मुख्य कार्य संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) 1991-92 के दौरान संयुक्त संयंत्र समिति और विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात के कार्यालय पर हुआ अनुमानित खर्च निम्नलिखित है :--

1991-92

विकास आयुक्त, लोहा तथा इस्पात	150 लाख रु०
संयुक्त संयंत्र समिति	225 लाख रु०

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

संयुक्त संयंत्र समिति के कार्य

(1) संयुक्त संयंत्र समिति सामान्यतः रक्षा, रेलवे, लघु उद्योग क्षेत्र, इंजीनियरी माल के निर्यातकर्ताओं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में सदस्य इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित लोहे या इस्पात की सभी या किसी श्रेणी की मांग और आपूर्ति से संबंधित समन्वय कृत्यों को पूरा करने के लिये उत्तरदायी होगी और वितरण मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार पूर्विकता के आधार पर उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने में लोहा और इस्पात विकास आयुक्त की भी सहायता करेगी।

(2) समिति, लोहे और इस्पात के उत्पादकों, संसाधकों, व्योहारियों और उपभोक्ताओं से ऐसी सूचना और आंकड़े अभिप्राप्त करेगी जो उसके लिए इस अधिसूचना के अधीन विनिर्दिष्ट कृत्यों के निष्पादन तथा उत्पादन, संचलन और मूल्य सहित किसी भी मामले की बाबत बृहत आंकड़ा आधार तैयार करने के लिए अपेक्षित हों। यह ऐसी सांख्यिकी और अन्य इकाइयों का गठन भी कर सकेगी जो इसके कृत्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक हों।

(3) समिति, सामान्य बाजार स्थिति, मुक्त बाजार मूल्यों में उतार-चढ़ाव, उत्पादन के

स्व, लोहे और इस्पात की उपलब्धता और सचलन का सावधानीपूर्वक पुनर्विलोकन करने के लिए उपयुक्त सगठन, पद्धति और प्रक्रिया तैयार कर सकेगी और इस प्रयोजन के लिए समिति ऐसे सभी संबंधित संगठनों से जिनके अन्तर्गत लोहा और इस्पात संयंत्र भी हैं, प्रभावी समयानुसार सूचना प्राप्त करने के लिए व्यवस्था करेगी।

(4) समिति, समय-समय पर सदस्य इस्पात संयंत्रों से लोहे और इस्पात की सभी या किसी भी श्रेणी के उनके कारखाना बाह्य मूल्यों में निम्नांकित सूचीबद्ध तत्वों को जोड़ने और उसे यथा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर समिति को उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगी :

(i) आधुनिकीकरण, अनुसंधान और विकास, पुनर्वासन, विविधीकरण, नवीकरण क्षमता के पुनर्स्थापन, संतुलन, क्षमता वृद्धि से संबंधित स्कीमों, परियोजनाओं के वित्त पोषण और अन्य पूंजीगत व्यय, नए भारी पूंजी विनिधानों अथवा लोहे और इस्पात की मात्रा या प्रौद्योगिकी या उत्पादन क्षमता अथवा उसकी क्वालिटी में सुधार करने के किसी अन्य कार्यक्रम के लिए इस्पात विकास निधि के लिए मूल्य तत्व।

स्पष्टीकरण : समिति इस्पात विकास निधि से संबंधित कृत्यों का ऐसे आदेशों या निदेशों के अनुसार और अधीन रहते हुए पालन करेगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निमित्त समय-समय पर जारी किए जाएं।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा समिति को सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करने और विनिर्दिष्ट स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए मूल्य तत्व।

(iii) इंजीनियरी माल निर्यात सहायता निधि के लिए मूल्य तत्व।

विवरण-II

विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात के कार्यालय के वर्तमान कार्य

लोहा और इस्पात के वितरण तथा मूल्य पर से नियंत्रण हटा लेने से विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं :

(क) लोहा और इस्पात उद्योग के सम्बन्ध में आधारभूत सूचना एकत्र करना उन्हें संसाधित करना तथा उनका प्रचार-प्रसार करना तथा इस्पात मंत्रालय के लिए डाटा बैंक के रूप में कार्य करना;

(ख) क्षेत्रीय मूल्य और सप्लाई प्रवृत्ति का प्रबोधन तथा किसी प्रकार के असन्तुलन, यदि कोई हो, के लिए इस मंत्रालय को उपचारात्मक उपायों के बारे में सलाह देना;

(ग) लोहा और इस्पात सामग्री के आयात और निर्यात के बारे में मंजूरी देना तथा उनका प्रबोधन;

(घ) लोहा और इस्पात के आयात और निर्यात निधियों से सम्बन्धित मामलों के बारे में सलाह देना;

(ङ) रक्षा, रेलवे, लघु उद्योग निगम, इंजीनियरिंग माल के निर्यातकों तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे नये पदनामित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को लोहा और इस्पात सामग्री के वितरण का प्रबन्ध;

(च) लघु इस्पात उद्योग निगमों को सामग्री का आबंटन;

(छ) उत्तर-पूर्वी राज्यों के अन्डमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप जैसे दूरस्थ क्षेत्रों को सामग्री का आबंटन;

(ज) प्राथमिकता आबंटन तथा उसके प्रबोधन के माध्यम से इंजीनियरिंग माल का निर्यात करने वाली इकाइयों को सहायता;

(झ) इंजीनियरिंग माल निर्यात सहायता निधि तथा इस्पात विकास निधि का परिचालन;

(ञ) क्षमता सहायता स्वदेशी/आयातित कच्ची सामग्री की अधिप्राप्ति, समूचे क्षेत्र के विकास के लिए परिलक्षित आयात प्रतिस्थापित उपायों के माध्यम से ई ए एफ इकाइयों और गौण क्षेत्र को सहायता देना;

(ट) सरकार तथा विभिन्न उपभोक्ता समूहों के बीच परस्पर सम्बन्ध बनाए रखना तथा उपभोक्ता उत्पादक में परस्पर समन्वय रखना;

(ठ) नेपाल और भूटान को इस्पात के निर्यात से संबंधित मामले;

(ड) इस्पात संयंत्रों को कच्ची सामग्री के संचलन के सम्बन्ध में समन्वय कार्य;

(ढ) निर्धारित स्रोतों से प्राप्त इस्पात के दुरुपयोग को रोकने के लिए सतर्कता सम्बन्धी कार्य करना।

स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनियों का प्रकाशन

6286. **श्री मणिकराव होडल्या गावीत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अण्डमान और निकोबार जेल में भेजे गये प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनियों को प्रकाशित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन स्वतंत्रता सेनानियों पर दूरदर्शन और आकाशवाणी से कार्यक्रम प्रसारित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब से ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास इस समय ऐसा कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) दूरदर्शन/आकाशवाणी द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं पर कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर कार्यक्रम टेलीकास्ट/प्रसारित किए जाते हैं।

मेट्रो चैनल

6287. **श्री वी० देवराजन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली, मुम्बई, मद्रास और कलकत्ता के चार महानगरीय केन्द्रों में दूरदर्शन के दूसरे चैनलों को परस्पर जोड़ने के लिए "मेट्रो चैनल" बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) दूरदर्शन, कार्यक्रम संबंधी अपनी समग्र अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, पिछले कुछ समय से चार महानगर चैनलों को भिन्न-भिन्न अवधि के लिए आपस में जोड़ता रहा है ।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय में अनियमितताएं

6288. श्री राम लखन सिंह यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी अनियमितताएं की गयीं;

(ख) ऐसी अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी अधिकारियों को क्या दंड दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) इस मन्त्रालय के अधीन क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय में कार्यरत 13 अधिकारियों (राजपत्रित और अराजपत्रित) के खिलाफ, गत तीन वर्षों में उनके द्वारा की गई कथित अनियमितताओं/गलतियों के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी ।

(ख) और (ग) दोषी अधिकारियों की अनियमितताओं और उन्हें दिए गए दण्ड का विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय में अनियमितताएं

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के अधिकारियों द्वारा की गई/कथित अनियमितताओं/गलतियों का सम्बन्ध सरकारी धनराशियों के गबन की शिकायतों, छुट्टी यात्रा रियायत (एल० टी० सी०) के झूठी दावे पेश करने, झूठे डाक्टरी बिल पेश करने, झूठे स्थानान्तरण यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दावे पेश करने, लॉग बुक में झूठे प्रविष्टियां करने, झूठी दैनिक कार्य रिपोर्ट पेश करने, सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग करने, कर्तव्य की अवहेलना करने, महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने, मकान किराया भत्ता के झूठे दावे पेश करने, कार्यालय से अनधिकृत रूप से गैर-हाजिर होने, सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाने, फर्नीचर की खरीद में अनियमितताएं बरतने और अपने सरकारी ओहदे का दुरुपयोग करने से है जो केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण नियमावली, 1964) के उपबंधों के उल्लंघन के अन्तर्गत आती हैं, जिन मामलों में कार्रवाई पूरी हो चुकी है और उनमें जो दण्ड दे दिया गया उसमें एक वर्ष के लिए एक वेतन वृद्धि रोकना, दो वर्ष के लिए वेतन के समयमान में दो स्तरों की कटौनी करना तथा 5,000 रुपये वसूल करना, 5 वर्ष की अवधि के लिए वेतन के समयमान में 5 स्तरों की कटौती करना और 5,000 रुपये वसूल करना, छुट्टी यात्रा रियायत के दावे की पूरी रकम वसूल करना तथा छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा को जब्त कराना आदि शामिल हैं । शेष मामलों में कार्रवाई जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी ।

[अनुवाद]

दूरदर्शन के लिए वृत्तचित्र बनाया जाना

6289. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन द्वारा निर्माताओं को डाक्युमेंट्रियों की लागत 6.3 लाख से बढ़ाकर लगभग 8 लाख करने की अनुमति दी जा रही है तथा कांट्रेक्ट करने के बाद 30 प्रतिशत विदेशी बिक्री अधिकार की भी अनुमति दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उन परिस्थितियों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए ये रियायतें दी जा रही हैं तथा उन निर्माताओं के नाम क्या हैं जिन्हें ये रियायतें दी जा रही हैं; और

(घ) दूरदर्शन की आय पर इन कार्यवाहियों का क्या प्रभाव पड़ा है; और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (घ) दूरदर्शन ने यात्रा लागत और अन्य खर्च जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुश्री नलिता वच्छानी द्वारा निर्मित कार्यक्रम के लिए 1.7 लाख रुपये की राशि बढ़ाना स्वीकार किया था । दूरदर्शन द्वारा किसी कमीशंड कार्यक्रम के लिए बजट में वृद्धि फार्मेट, विषय-वस्तु, सृजनात्मक और अन्य लागतों जैसी विभिन्न बातों के आधार पर की जाती है । इसी प्रकार, देश के भीतर प्रसारण अधिकारों से भिन्न, अधिकारों की भागीदारी के विषय में दूरदर्शन के वाणिज्यिक हितों को ध्यान में रखते हुए, निर्माता से बातचीत की जाती है । उक्त कार्यक्रम ला सेप्ट आफ फ्रांस को 1,15,295 फ्रेंच फ्रांक में बेचा गया है ।

डेसू द्वारा गलत बिल भेजा जाना

6290. श्री श्रीकांत जेना :
श्री अवतार सिंह भडाना :
श्री एस० एम० लेकारिया :
श्री मदन लाल खुराना :
श्री जार्ज फर्नांडीज :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान अपने उपभोक्ताओं को गलत बिल भेज रहा है;

(ख) यदि हां, तो एक वर्ष के दौरान ऐसे कितने बिल भेजे गए और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/उठाने का विचार किया गया है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) डेसू द्वारा लगभग 17 लाख उपभोक्ताओं से संबंधित अधिसंख्य बिजली के बिल जारी किए जाने को मद्देनजर रखते हुए मानवीय चकों, मीटरों की रीडिंग नोट करने अथवा कम्प्यूटर में आंकड़े फीड करने में हुई भूल-चूक के कारण कुछ दोषपूर्ण बिल भेजे जाने के मामले हो सकते हैं। बिजली के बिलों में होने वाली अनियमितताएं सितम्बर, 1991 में 2.40 प्रतिशत से घटकर फरवरी, 1992 में 2.15 प्रतिशत रह गई है। त्रुटिपूर्ण तथा अनियमितता वाले बिलों को जारी किए जाने की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों में मीटर रीडिंग संबंधी पर्यवेक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, दोषपूर्ण मीटरों को बदलना, उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शनों की संख्या की गणना करना; कम्प्यूटर केन्द्र में एक केन्द्रीय शिकायत कक्ष खोलना तथा बिल संबंधी कार्यों की गहन प्रबोधन करना शामिल है। उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त होने पर बिलों की अनियमितताओं का शीघ्र निराकरण करने के लिए भी कार्यवाही की जाती है।

दूरदर्शन के चैकों का गायब होना

6291. श्री मोहन रावले :
श्री शरद यादव

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली ने फिल्मों और अन्य कार्यक्रमों के लिए विभिन्न पार्टियों को पंजीकृत डाक द्वारा अनेक चैक भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मार्ग में अवैध रूप से इन चैकों की चोरी हो गयी और जालसाजी से इन चैकों को भुनाया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस बीच मामले की जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकल हैं;

(च) क्या इस मामले में दूरदर्शन के कर्मचारी शामिल पाए गए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) भुगतान के वास्तविक प्राप्तकर्ता को उसका भुगतान कब तक मिल जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) दूरदर्शन केन्द्र; दिल्ली द्वारा प्राप्त शिकायतों के अनुसार, बैंकों में जाली अकाउण्ट खोल कर 11.85 लाख रुपए के तीन चैक धोखाधड़ी कर भुना लिए गए। ये चैक मैसर्स वाइकिंग्स बम्बई; मैसर्स सम्मति आर्ट्‌स इंटरनेशनल, बम्बई और मद्रास के श्री ए० यतीश बाबू के लिए थे।

(घ) और (ङ) दिल्ली पुलिस के पास प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है और इस मामले को

संसद मार्ग डाकघर के डाक प्राधिकारियों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंधकों के साथ भी उठाया गया है।

(च) से (ज) चूंकि मामले की अभी जांच की जा रही है, अतः आगे की कार्रवाई पूरे तथ्य जान लेने के बाद ही की जा सकती है।

[हिन्दी]

सप्त कोसी परियोजना संबंधी भारत-नेपाल संयुक्त समिति

6292. श्री भोगेंद्र झा :
श्री आर० सुरेंद्र रेड्डी :
श्री देवेंद्र प्रसाद यादव :
श्री हरि किशोर सिंह :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में सप्त कोसी बहुउद्देश्यीय परियोजना के संबंध में जांच और अध्ययन की रूपरेखा बनाने के लिए विशेषज्ञों की भारत-नेपाल संयुक्त समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बिहार में कोसी नदी पर बराह क्षेत्र में, कमला नदी पर शीशापानी क्षेत्र में और बागमती नदी पर नून्थर क्षेत्र में बहुउद्देश्यीय बांधों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) जनवरी, 1990 से फरवरी, 1992 तक के दौरान इस संबंध में नेपाल सरकार के साथ कितनी बैठकें की गई हैं और उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी, हां। अन्वेषणों के तरीकों तथा लाभों के निर्धारण की पद्धति को अन्तिम रूप देने के लिए विशेषज्ञों की एक संयुक्त समिति गठित की गयी है।

(ग) संयुक्त विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक 13-14 फरवरी, 1992 को काठमाण्डू में आयोजित की गई थी। बांधों के निर्माण के वास्ते कोई समझौता नहीं हुआ है।

(घ) सरकारी तथा राजनैतिक स्तर पर पांच बैठकें आयोजित की गयीं। दिसंबर, 1991 में नेपाल के प्रधान मन्त्री के भारत में पिछले दौरे के दौरान, कोसी बहुप्रयोजनी बांध के पैरामीटरों को शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए यथावश्यक संयुक्त अध्ययन/अन्वेषण करने पर सहमति हुई है। कमला, बागमती के मामले में, यह सहमति हुई है कि नेपाल आवश्यक अन्वेषण करेगा तथा वर्ष 1993 तक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करेगा।

गुजरात से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र

6293. श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री रति लाल वर्मा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात से प्रकाशित हो रहे पंजीकृत मासिक, साप्ताहिक और दैनिक पत्र-पत्रिकाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पत्र-पत्रिकाएं निर्धारित नियमों का पालन कर रही हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा 31-12-1990 तक संकलित आंकड़ों के अनुसार, गुजरात से 58 दैनिक, 253 साप्ताहिक और 333 मासिक पंजीकृत थे।

(ख) और (ग) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1867 का विनियमन किया जाता है। यदि किसी पत्रिका या पुस्तक के प्रकाशक द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता तो अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के भीतर कारंवाई की जा सकती है।

गुजरात और उत्तर प्रदेश में दूरसंचार कर्मचारियों के लिए आवास

6294. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
डा० रमेश चन्द तोमर :
श्री देवी बख्श सिंह :
श्री रतिलाल वर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक और दूरसंचार विभागों के कर्मचारियों को स्टाफ क्वार्टरों का आवंटन करने के बारे में सरकार की नीति क्या है ;

(ख) क्या दोनों विभागों के कर्मचारियों के लिए गुजरात और उत्तर प्रदेश में आवासों का निर्माण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस समय कितने आवास उपलब्ध हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन राज्यों में और आवासों का निर्माण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) डाक और दूरसंचार विभागों के कर्मचारियों को स्टाफ क्वार्टर आबंटित करने से संबंधित नीति सम्पदा निदेशालय, शहरी विकास मन्त्रालय द्वारा इस बारे में समय-समय पर बनाए गए नियमों पर आधारित होता है।

(ख) जी हां।

(ग) डाक विभाग

गुजरात	—971
उत्तर प्रदेश	—1743

दूरसंचार विभाग

आज तक

गुजरात	—1438
उत्तर प्रदेश	—2226

(घ) जी हां।

(ङ) डाक विभाग

निकट भविष्य में बनाए जाने वाले संभावित स्टाफ क्वार्टर :

गुजरात	—316
उत्तर प्रदेश	—138

प्रस्तावित क्वार्टरों का श्रेणी-वार ब्योरा :—

टाइप	गुजरात	उत्तर प्रदेश
I	115	24
II	161	52
III	32	58
IV	5	1
V	3	3
कुल	316	138

दूरसंचार विभाग

	गुजरात	उत्तर प्रदेश
1. आठवीं योजना के दौरान 1997 तक बनाए जाने के लिए प्रस्तावित क्वार्टर :	3361	3286
2. प्रस्तावित क्वार्टरों का श्रेणी-वार ब्योरा :		
टाइप-I	757	719
टाइप-II	1907	1890
टाइप-III	567	557
टाइप-IV	91	85
टाइप-V	39	35
कुल	3361	3286

[अनुवाद]

वायुदूत सेवा पुनः शुरू करना

6295. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री एस० बी० चंद्रशेखर मूर्ति :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 मार्च, 199: के "हिंदुस्तान टाइम्स" में वायुदूत सेवा को पुनः शुरू करने के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस नयी नीति के परिणामस्वरूप वायुदूत सेवा का घाटा किस सीमा तक कम होने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) एयर इंडिया और वायुदूत द्वारा परिचालन की कार्यविधियां संयुक्त रूप से तैयार की जा रही हैं।

(ग) इस समय वायुदूत की हानि में हुई कमी को आंकना संभव नहीं है।

जल आबंटन सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति

6296. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री एच० डी० देवगौड़ा :
श्री एस० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री पवन कुमार बंसल :
श्रीमती बासवा राजेश्वरी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने जल आबंटन संबंधी राष्ट्रीय नीति तैयार करने और अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में सभी राज्यों के जल मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए;

(ङ) क्या सरकार ने देश में विभिन्न जल विवादों को हल करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) कर्नाटक सरकार ने अन्तर्राज्यीय नदी जल के समान आबंटन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के बारे में एक प्रस्ताव किया है। तथापि, अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम, 1956 के संशोधन का सुझाव नहीं दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय जल-संसाधन परिषद द्वारा राष्ट्रीय जल नीति को अन्तिम रूप देते समय कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव पर पहले ही विचार कर लिया गया है। कर्नाटक के मुख्य मन्त्री भी इस परिषद के सदस्य हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा तब सभी मामले सूचीबद्ध कर लिए गए थे और उन्हें अब दोहराया जा रहा है। इन्हें राष्ट्रीय जल नीति में पहले ही प्रतिबिम्बित कर दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी हां। संवैधानिक उपबन्धों के अन्तर्गत दो अधिनियम नामश: अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 और नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 बनाए गए हैं ताकि बेसिन राज्यों के बीच संघर्षों का समाधान करने की दृष्टि से बेसिन राज्यों के कार्यकलापों के समन्वय के लिए एक तन्त्र की स्थापना तथा अन्तर्राज्यीय-विवादों पर अधिनिर्णय में आसानी हो सके। इसके अतिरिक्त, राज्यों के बीच जल संसाधनों में अन्तर्राज्यीय मुद्दों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की एक स्थायी समिति का गठन अप्रैल, 1990 में किया गया। अन्तर्राज्यीय जल विवादों के समाधान के लिए अन्य मंच है : बातचीत के जरिए समाधान, बेसिन राज्यों के बीच द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय करार, संयुक्त नियंत्रण बोर्ड और आंचलिक परिषदें।

कावेरी जल विवाद

6297. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री के० बी० तंगकाबालू :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद के समाधान हेतु कोई चार सूत्री कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में संबंधित राज्यों के मुख्यमन्त्रियों के बीच कोई विचार-विमर्श हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रधानमन्त्री ने कावेरी जल से संबंधित मुद्दों पर 17-2-92 को कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा पांडिचेरी के मुख्यमन्त्रियों के साथ विचार-विमर्श किया।

(घ) अधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाहियों को शीघ्र पूरा करने के वास्ते राज्य सहमत हो गए हैं।

राउरकेला टी० वी० ट्रांसमिशन केन्द्र का दर्जा बढ़ाना

6298. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राउरकेला टी० वी० ट्रांसमिशन केन्द्र की क्षमता को 100

वाट से बढ़ाकर 10 किलोवाट करने तथा सम्बलपुर टी॰ वी॰ ट्रांसमिशन केन्द्र की क्षमता को 1 किलोवाट से बढ़ाकर 100 किलोवाट करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सुन्दरगढ़ जिले में बोनाई तथा हेमगिर में कम शक्ति वाले ट्रांसमिशन केन्द्र स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो कब; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (च) यद्यपि इस समय राउरकेला के अल्प शक्ति टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर लगाने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है, फिर भी, साधनों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं के अनुरूप दूरदर्शन का सम्बलपुर के मौजूदा एक किलोवाट के टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर को 10 किलोवाट टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर में बदलने का कार्यक्रम है, इस तरह की परियोजनाओं के पूरा होने में परियोजना स्थल पर सिविल निर्माण कार्य आरंभ होने के पश्चात् करीब चार वर्ष लग जाते हैं। इस समय सुंदरगढ़ जिले में बोनाई और हेमगिर में अल्प शक्ति टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर स्थापित करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है तथापि, संबलपुर के प्रस्तावित 10 कि॰ वा॰ टी॰ वी॰ ट्रांसमीटर के चालू हो जाने पर इस जिले में दूरदर्शन सेवा में काफी सुधार होने की उम्मीद है।

उड़ीसा में इस्पात संयंत्र

6299. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार और किस अनिवासी भारतीय के बीच उड़ीसा में दूसरा इस्पात संयंत्र स्थापित करने हेतु कोई समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कलिंग स्टील्स (इंडिया) लि॰ को प्रायोजित किया है और दैतारी में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के लिए ब्रिट्रेन कापरो ग्रुप के डा॰ स्वराजपाल के साथ 1-11-1991 को एक समझौता ज्ञापन किया गया है। समझौता ज्ञापन के अनुसार :—

(i) उड़ीसा सरकार की पूर्ण सहायता से कलिंग स्टील लिमिटेड के निजी क्षेत्र में होने की सम्भावना है।

(ii) उड़ीसा सरकार के परामर्श से कापरो ग्रुप अपने सहयोगियों सहित कलिंग स्टील के प्रबंधन मंडल का गठन करेगा।

(iii) कापरो विभिन्न प्रौद्योगिकी विकल्पों के मूल्यांकन की व्यवस्था करेगा।

(iv) विदेशी मुद्रा और रुपये सहित वित्तीय पैकेज की व्यवस्था कापरो करेगा।

(v) इस परियोजना का कार्य तत्काल शुरू करने के लिए दोनों पक्ष सहमत हैं। समझौता ज्ञापन यथासमय उपयुक्त रूप से परिवर्धित और संशोधित किया जाएगा और विस्तृत रूप से करार किया जाएगा।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

6300. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) राज्य में कितने आकाशवाणी केन्द्रों पर कार्य चल रहा है; और

(ग) उनका कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) आकाशवाणी की आठवीं योजना का अभी अनुमोदन किया जाना है। तथापि, सातवीं योजना की चल रही स्कीमों के भाग के रूप में मध्य प्रदेश के शहडोल गुना, बालाघाट, रायगढ़ और सागर में एक-एक अर्थात् कुल 5 नये आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का कार्यक्रम है। पहले चार आकाशवाणी केन्द्र चालू किए जाने के लिए तकनीकी तौर पर तैयार हैं और सागर के आकाशवाणी केन्द्र अप्रैल, 1992 के अन्त तक तकनीकी रूप से तैयार कर दिए जाने की योजना है।

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड कर्मचारियों को आवास

6301. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर आये दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को 25 वर्ष से भी अधिक सेवाकाल पूरा करने के बाद भी सरकारी आवास नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कर्मचारियों की आवास आवश्यकता को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) जी हां। दूरसंचार विभाग के अनेक कर्मचारियों, जिन्हें महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर माना गया है और उन्होंने 25 वर्ष अथवा उससे अधिक सेवा पूरी कर ली है, उन्हें सरकारी आवास नहीं दिया गया है। ऐसा सरकारी आवासो की कमी के कारण है।

(ग) दिल्ली में 1024 अतिरिक्त कर्मचारी आवासों तथा मार्गस्थ (ट्रांजिट) आवास की 100 यूनिटों का निर्माण करने की योजना बनाई गई है।

बम्बई में मार्गस्थ आवासों की 220 यूनिटें और विभिन्न टाइप वाले 27 कर्मचारी आवासों

का निर्माण कार्य जनवरी, 1992 से शुरू किया जा चुका है। विभिन्न टाइप वाले 187 कर्मचारी आवासों का निर्माण कार्य सितम्बर/अक्तूबर, 1992 के दौरान शुरू हो जाने की संभावना है।

विभागीय आवासों के निर्माण में विलंब को देखते हुए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा सिडको से न्यू बम्बई में 500 फ्लैट खरीदे गए हैं, आशा है ये फ्लैट इस वर्ष के अन्त तक अधिग्रहण के लिए तैयार हो जाएंगे।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

6302. **अर्जुन सिंह यादव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने और किन-किन स्थानों पर नए टेलीफोन एक्सचेंज लगाए गए; और

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया गया ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) 39—संलग्न विवरण-I में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

उत्तर प्रदेश में 1990-91 के दौरान खोले गये नये टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची

क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम	क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम
1	2	1	2
1.	फैजाबाद "बी एक्सचेंज"	13.	नवाब गंज
2.	मथुरा तेल शोधक कारखाना	14.	बारवड़
3.	बेगराजपुर	15.	सुकौती
4.	झांसी "बी एक्सचेंज"	16.	उरूवा बाजार
5.	फिरोजाबाद "बी एक्सचेंज"	17.	तलहेरी बुजुर्ग
6.	फरूखाबाद "बी एक्सचेंज"	18.	कुजवार
7.	भामोसी	19.	लावाड
8.	झूसी	20.	करिया
9.	रौला	21.	छतीकरा
10.	बक्शी का तालाब	22.	मोहनपुर
11.	मखीना	23.	जफरगंज
12.	सेमरी	24.	देवीगंज

1	2	1	2
25.	धाता	33.	सम्भाल
26.	बलजाम शहीद	34.	लाडपुर
27.	जमुना बाजार	35.	रनकाटा
28.	सैया कलां	36.	धानापुर
29.	उमराहा	37.	जनसा
30.	नूरपुर	38.	ट्रांसपोर्ट नगर
31.	मडरैक	39.	बोनीयाबाग
32.	कुन्दाकी		

उत्तर प्रदेश में 1988-89 के दौरान विस्तार किए गये टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची

क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम	क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम
1	2	1	2
1.	गाजियाबाद विस्तार I	18.	कोसीकलां
2.	नोएडा	19.	हरदोई
3.	गाजियाबाद विस्तार II	20.	मिर्जापुर
4.	महानगर (लखनऊ)	21.	कन्नौज
5.	शाहदरा विस्तार I	22.	प्रतापगढ़
6.	शाहदरा विस्तार II	23.	हापुड़
7.	बेनियाबाग (वाराणसी)	24.	मुगलसराय
8.	वाराणसी कैंट	25.	कासगंज
9.	सहारनपुर यूनिट I	26.	शिकोहाबाद
10.	देहरादून	27.	लखीमपुर खीरी
11.	मुरादाबाद	28.	सीतापुर
12.	मथुरा	29.	रामनगर (वाराणसी)
13.	वाराणसी छावनी	30.	जौनपुर
14.	उरई	31.	फैजाबाद
15.	ललितपुर	32.	उन्नाव
16.	सुल्तानपुर	33.	देवरिया
17.	फतेहपुर	34.	आजमगढ़

1	2	1	2
35.	बलिया	55.	देवगांव
36.	प्रेमनगर	56.	केराकट
37.	झांसी	57.	संदौरा
38.	अमरोहा	58.	कैराना
39.	धामपुर	59.	सुहावाल
40.	हल्द्वानी	60.	बेवर (मैनपुरी)
41.	मोरनीपुर	61.	भोगांव
42.	श्रीनगर (गढ़वाल)	62.	मिलक
43.	जसपुर	63.	चाल
44.	बाट	64.	टांडा
45.	सैदपुर	65.	चन्दौसी
46.	जमालपुर	66.	सेवापुरी
47.	पट्टी	67.	कनाखला
48.	गुरसराय	68.	लक्सर
49.	बरकोट	69.	मनसौली
50.	चम्पावट	70.	हरदुआगंज
51.	दातागंज	71.	बबन
52.	फुर्सतगंज	72.	बेरगढ़
53.	ज्ञानपुर	73.	औरंगाबाद
54.	पुरोला	74.	बुगरासी

वर्ष 1989-90 के दौरान उत्तर प्रदेश में विस्तार किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची

क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम	क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम
1	2	1	2
1.	दुर्गाकुंड (वाराणसी)	5.	आलमबाग (लखनऊ)
2.	गाजियाबाद विस्तार	6.	मेरठ
3.	गाजियाबाद विस्तार II	7.	अलीगढ़
4.	गोरखपुर	8.	मुजफ्फरनगर

1	2
9.	बरेली
10.	अलीगढ़
11.	बरेली
12.	मुजफ्फरनगर
13.	सहारनपुर
14.	बस्ती
15.	मिर्जापुर
16.	एटा
17.	मुगलसराय
18.	बिजनौर
19.	शाहजहांपुर
20.	बुलन्दशहर
21.	रायबरेली
22.	हापुड़
23.	मोतीनगर
24.	इटावा
25.	बाराबंकी
26.	देवरिया
27.	बदायूं
28.	फैजाबाद
29.	गोंडा
30.	बलिया
31.	जौनपुर
32.	भदोही
33.	फाउंड्रीनगर (आगरा)
34.	बलरामपुर
35.	मऊनाथभंजन
36.	क्लेमेंट टाउन
37.	पिथौरागढ़
38.	बांदा
39.	फतेहपुर
40.	सुल्तानपुर
41.	बड़ौत
42.	सूरजपुर
43.	सिकन्दराबाद
44.	सम्भल
45.	कोटद्वार
46.	जोशीमठ
47.	उत्तरकाशी
48.	गुलौठी
49.	पलियाकालन
50.	अकबरपुर
51.	गदरपुर
52.	इगलास (अलीगढ़)
53.	बसीरगंज (बदायूं)
54.	फतेहपुर (बाराबंकी)
55.	प्रतापपुर
56.	नवाबगंज (बी आर)
57.	दातागंज (बदायूं)
58.	बबराला (बदायूं)
59.	जंघई(इलाहाबाद)
60.	लालकुआं (नैनीताल)
61.	जेवर (बुलंदशहर)
62.	बनकौर (बुलंदशहर)
63.	खानपुर (वही)
64.	जेवर (वही)
65.	महाराजगंज
66.	न्यू टिकरी
67.	पताला (बीजेडबी)
68.	मेहरौनी (ललितपुर)

1	2
69.	साहबपुर (देहरादून)
70.	जरार (आगरा)
71.	मुंगरा बादशाहपुर (जौनपुर)
72.	भजन नंगला
73.	खैराबाद (सीतापुर)
74.	तिलपट्टा (गाजियाबाद)
75.	धौलाना (गाजियाबाद)
76.	मझौला (नैनीताल)
77.	टांडा (रामपुर)
78.	द्वाराहाट (अल्मोड़ा)
79.	नागरा (अल्मोड़ा)
80.	धपौली (अल्मोड़ा)
81.	भितौरा (बरेली)
82.	इस्लामनगर (बदायूं)
83.	गंगोलीहाट (अल्मोड़ा)
84.	समसाबाद (फर्रुखाबाद)
85.	रानीपुर (ललितपुर)
86.	सिघासन (लखीमपुर)
87.	घोसी
88.	महाराजगंज
89.	शोहरतगढ़ (सिद्धार्थ नगर)

विवरण-II

उत्तर प्रदेश में 1999-91 के दौरान विस्तार किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची

क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम
1	2
1.	विशेश्वरगंज (बी एस)
2.	-वही-
3.	आगरा
4.	कानपुर आर एल यू
5.	गाजियाबाद विस्तार I
6.	गाजियाबाद विस्तार II
7.	गाजियाबाद विस्तार III
8.	नौएडा विस्तार I
9.	-वही-
10.	कैसरबाग (लखनऊ)
11.	इलाहाबाद
12.	लाजपत नगर (कानपुर)
13.	पटेलनगर (गाजियाबाद)
14.	वाराणसी (छावनी)
15.	मथुरा
16.	मुजफ्फरनगर
17.	सहारनपुर
18.	मुरादाबाद
19.	बरेली
20.	अलीगढ़
21.	मेरठ
22.	देहरादून
23.	बाबरी
24.	भदोही
25.	बुरैया
26.	पालिया कलां

1	2	1	2
27.	कासगंज	52.	मोदीनगर
28.	शिकोहाबाद	53.	मोदीनगर
29.	ज्वालापुर	54.	सीतापुर
30.	प्रेमनगर	55.	मैनपुरी
31.	क्लेमेंट टाउन	56.	लखीमपुर खीरी
32.	बलरामपुर	57.	प्रतापगढ़
33.	अल्मोड़ा	58.	बस्ती
34.	फर्रुखाबाद	59.	बहराइच
35.	ऋषिकेश	60.	पीलीभीत
36.	नजीबाबाद	61.	कौसानी-अल्मोड़ा जिला
37.	राबर्टगंज	62.	तलबहाट-ललितपुर जिला
38.	लखीमपुर	63.	अख्तावनपुर-मुरादाबाद
39.	आजमगढ़	64.	बहादुरगढ़-गाजियाबाद
40.	देवरिया	65.	रूपाईडिहा-बहराइच
41.	रामपुर	66.	खरखोंदा-मेरठ
42.	हरदोई	67.	बड़गांव-झांसी
43.	बुलंदशहर	68.	दलपतपुर-मुरादाबाद
44.	पीलीभीत	69.	पकबाड़ा-मुरादाबाद
45.	मुगलसराय	70.	बरुआ सागर-झांसी
46.	बिजनौर	71.	गंजमुरादाबाद-उन्नाव
47.	गोंडा	72.	मीरगंज-बरेली
48.	मसूरी	73.	रिछा-रिछा
49.	मिर्जापुर	74.	हरदासपुर-पीलीभीत
50.	एटा	75.	दर्शननगर-फैजाबाद
51.	शाहजहांपुर	76.	खजुरहा-फैजाबाद

बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा दुकानों और व्यापारिक परिसरों का आवंटन

6303. श्री पीयूष तीरकी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा कुल कितनी दुकानों और व्यापारिक भवनों का निर्माण तथा आवंटन किया गया है;

(ख) आवंटन के लिए अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी कितनी और कितने प्रतिशत दुकानें और वाणिज्यिक परिसर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और विस्थापित व्यक्तियों को श्रेणी-वार आवंटित की गई है ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा आवंटित कुल तैयार दुकानों और वाणिज्यिक भूखण्डों की संख्या क्रमश: 496 और 673 है।

(ख) सामान्यतः भूखण्डों और दुकानों का आवंटन प्रेस विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित आवेदन पत्रों पर किया जाता है। प्राप्त आवेदन-पत्रों पर नगर विकास और आवंटन समिति द्वारा विचार किया जाता है जो प्रबन्धन के विचार के लिए/अनुमोदन के लिए सिफारिशें करती हैं। छानबीन समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जांच पड़ताल करने के बाद यदि आवेदन पत्र उपलब्ध भूखण्डों/दुकानों की संख्या से अधिक हो तो कम्प्यूटर के माध्यम से यादृच्छिक रूप से आवंटन किया जाता है।

50 प्रतिशत भूखण्ड/दुकानें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और विस्थापित व्यक्तियों के लिए 16.66 प्रतिशत की दर से आरक्षित रहती हैं।

(ग) कुल आवंटित 496 दुकानों और 673 भूखण्डों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और विस्थापित व्यक्तियों को आवंटित दुकानों और भूखण्डों की प्रतिशतता निम्नानुसार है :

आवंटित दुकानों/भूखण्डों की संख्या	श्रेणी							
	सामान्य	प्रतिशतता	अनु० जा०	प्रतिशतता	अ० ज० जा०	प्रतिशतता	विस्थापित व्यक्ति	प्रतिशतता
दुकानें	430	87%	54	11%	5	1%	7	1%
भूखण्ड	588	87%	34	5%	12	2%	39	6%

आरक्षित श्रेणी से प्राप्त वैध आवेदन पत्रों को दुकानें/भूखण्ड आवंटित किये गये थे। परन्तु 1987 से पहले इन श्रेणियों से प्राप्त वैध आवेदन पत्रों की संख्या बहुत कम थी। 1987 के बाद दुकानों/भूखण्डों के आवंटन से सम्बन्धित मामला इस समय न्यायालय में विचाराधीन है।

कानपुर के लिए विमान सेवा

6304. श्री केसरी लाल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय वायुदूत और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा कानपुर को किन शहरों से जोड़ा गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ अन्य मुख्य शहरों को विमान सेवा से जोड़ने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (घ) वायुदूत ने कानपुर को दिल्ली और लखनऊ से जोड़ दिया है। इंडियन एयरलाइन्स, कानपुर को दिल्ली, इलाहाबाद और गोरखपुर से विमान सेवा से जोड़ने पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण

6305. श्री केसरी लाल : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को गत वर्ष के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान, राज्यवार कितने तथा किन-किन गांवों का विद्युतीकरण किया गया;

(ग) उत्तर प्रदेश में गांवों के विद्युतीकरण के लिए 1992-93 के दौरान क्या लक्ष्य निर्धा-किया गया है; और

(घ) राज्य के सभी गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जाएगा ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) आबंटित की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा तथा 90-91 के दौरान विद्युतीकरण किए गए गांवों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश में 995 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का योजना आयोग द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(घ) ग्राम विद्युतीकरण संबंधी क्रियाकलापों का जिलेवार प्राथमिकता का निर्धारण राज्य के लिए योजना आयोग द्वारा निर्धारित किए गए सभी लक्ष्यों के आधार पर वार्षिक रूप से राज्य प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। शेष गांवों का विद्युतीकरण किया जाना निधियों तथा अन्य निवेशों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य	90-91 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा मुहैया कराई गई निधियां	1990-91 के दौरान विद्युतीकरण गांव
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5266	*

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	484	134
3.	असम	1510	360
4.	बिहार	2641	528
5.	गोवा	—	*
6.	गुजरात	3824	*
7.	हरियाणा	2134	*
8.	हिमाचल प्रदेश	650	*
9.	जम्मू एवं कश्मीर	631	36
10.	कर्नाटक	2483	*
11.	केरल	1368	*
12.	मध्य प्रदेश	16773	2980
13.	महाराष्ट्र	7432	*
14.	मणिपुर	1234	230
15.	मेघालय	483	101
16.	मिजोरम	508	50
17.	नागालैंड	161	शून्य
18.	उड़ीसा	3458	1358
19.	पंजाब	2565	*
20.	राजस्थान	3317	839
21.	सिक्किम	573	42
22.	तमिलनाडु	3528	2
23.	त्रिपुरा	928	200
24.	उत्तर प्रदेश	4625	2207
25.	पश्चिमी बंगाल	4333	1192
	जोड़	70909	10286

*शत-प्रतिशत विद्युतीकृत ।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाओं का चयन

6306. श्री ओ० एम० सी० वालयोगी :
डा० वसन्त पवार :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय महत्व की और अधिक सिंचाई परियोजनाओं का चयन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) निम्नलिखित मानदण्ड पूरा करने वाली परियोजनाओं पर राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के रूप में विचार किया जा सकता है :

(i) एक लाख हेक्टेयर तथा उससे ऊपर की क्षमता वाली अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाएं।

(ii) एक लाख हेक्टेयर तथा उससे ऊपर की क्षमता वाली अन्तर्राज्यीय परियोजनाएं।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं वाली परियोजनाएं।

(iv) अंतर्राज्यीय पहलुओं वाली परियोजनाएं।

(v) अन्य दृष्टि से राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं।

मैसूर में ताप विद्युत केन्द्र

6307. श्रीमती चंद्र प्रभा अर्स : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर जिले में एच० डी० कोटे तालुक के सिंगर मरानहल्ली स्थान पर एक ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करने हेतु सर्वेक्षण का काम पूरा किया गया था;

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर काम कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है;

(ग) उक्त केन्द्र में कितनी बिजली का उत्पादन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) कर्नाटक में मैसूर जिले के बामलपुरा गांव में 1 × 500 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत केन्द्र के चरण-1 की प्रतिष्ठापना से संबंधित परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट कर्नाटक विद्युत निगम लिमिटेड से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु दिसंबर, 1991 में प्राप्त हुई थी। यह प्रस्तावित स्थान सिंगना मरानहल्ली गांव के नजदीक है तथा मैसूर-हेग्गादा-देवाना कोट रोड से लगभग 8 किलोमीटर दूर है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति तथा योजना आयोग से निवेश सम्बन्धी अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही परियोजना पर कार्य प्रारम्भ किए जा सकेंगे।

यह परियोजना, मुख्य संयंत्र तथा उपस्कर के लिए ठेका देने की तिथि के बाद 60 महीनों के अन्दर पूरी की जा सकेगी।

विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड का कार्य निष्पादन

6308. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वेश्वरैया आइरन एंड स्टील लिमिटेड का भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा कब अधिग्रहण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान, उसे प्रति वर्ष कितनी हानि हुई और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1991-92 के दौरान उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई और रक्षित विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड का सेल ने 1-8-89 को अधिग्रहण किया था।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्ष 1991-92 के फरवरी, 1992 तक कम्पनी का उत्पादन और वित्तीय निष्पादन निम्नलिखित प्रकार है :

(इकाई टन)

वर्ष	मिश्र तथा विशेष इस्पात	मृदु इस्पात	फैरो सिलिकॉन	लाभ (+) हानि (—) (करोड़ रुपये)
1988-89	40,149	117	10,912	(—) 26.22
1989-90	56.049	9.445	11,383	(—) 2.80
1990-91	58.829	15,874	15,044	(—) 1.30
1991-92 (फरवरी, 1992 तक)	43,914	32,482	15,419	(—) 4.62

प्रतिकूल कार्य परिणाम के कारण ये हैं : अधिशेष श्रम शक्ति, बिजली की उच्च शुल्क दर पुरानी प्रोद्योगिकी।

इस समय विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लि० विद्युत की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न विकल्पों की जांच कर रहा है, जिसमें अपना निजी विद्युत संयंत्र स्थापित करना, कर्नाटक राज्य परियोजनाओं में भागीदारी करके बिजली प्राप्त करना भी शामिल है।

इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में खाद्य वस्तुओं पर खर्च की गयी धनराशि

6309. श्रीमती चंद्र प्रभा अर्स : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स के यात्रियों को सप्लाई किए गए चॉकलेट, अल्पाहार, मध्याह्न

भोज तथा रात्रि भोज पर जनवरी से दिसम्बर, 1991 के अंत तक कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या सुरक्षा संबंधी कारणों से इनकी उड़ानों में भोजन की सप्लाई बन्द करने का कोई विचार है;

(ग) यदि हां, तो यह कब से प्रभावी हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या उसका विमान यात्रा के किराये पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) इंडियन एयरलाइन्स ने जनवरी, 1991 से दिसंबर, 1991 तक की अवधि के दौरान यात्रियों को भोजन सेवाओं पर 21 करोड़ रुपये (लगभग) खर्च किए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन

6310. डा० महावीपक सिंह शाक्य :
श्री भुवन चंद्र खंडूरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान शाहदरा, दिल्ली के लिए कितने टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किए गए;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान शाहदरा एक्सचेंज दिल्ली के माध्यम से 'ओन योर टेलीफोन' योजना के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन जारी करने के मामले में क्या प्रगति हुई है, और आज की तिथि के अनुसार कितने कनेक्शन लंबित हैं;

(ग) क्या उक्त एक्सचेंज ने कुछ क्षेत्रों को तकनीकी रूप से अव्यवहारिक क्षेत्र घोषित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन क्षेत्रों को तकनीकी रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए क्या उपचारी कदम उठाने का विचार है और इन क्षेत्रों को कब तक इस योजना में शामिल किए जाने की सम्भावना है; और

(च) शाहदरा क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत अन्य एक्सचेंजों को दिए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) इस अवधि के दौरान, शाहदरा, दिल्ली के लिए 3791 टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए थे।

(ख) शाहदरा एक्सचेंज में 30 जून, 1991 तक ओ० आई० टी० श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत सभी आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। तथापि, यमुना विहार क्षेत्र में 98 मामले आवेदकों द्वारा औपचारिकताएं पूरी न करने के कारण लंबित पड़े हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) अपेक्षित सूचना सभा पटल पर रखे गए अनुबंध में दी गई है।

(ङ) और (च) यमुना विहार क्षेत्र में 26-3-1992 के 3000 लाइनों का एक नया आर० एल० यू० (रिमोट लाइन यूनिट) एक्सचेंज चालू किया गया है। भूमिगत केबल का कुछ कार्य चल रहा है। आशा है कि संलग्न विवरण में दर्शाए गए तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्र मई, 1992 तक व्यवहार्य बन जाएंगे।

विवरण

शाहदरा में तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्रों का ब्यौरा

शाहदरा एक्सचेंज क्षेत्र में केबल युग्म उपलब्ध न होने के कारण तकनीकी रूप से अव्यवहार्य स्थानों की सूची

1. ज्योति नगर पूर्व
2. अशोक नगर
3. हरदेवपुरी
4. भगवानपुर खेड़ा
5. जगजीवन नगर
6. मंडोली रोड
7. डी० टी० सी० क्वार्टर्स
8. दिलशाद गार्डन के ए, बी, सी ब्लाक
9. श्रीराम नगर
10. सब्जी मंडी
11. दिलशाद कालोनी
12. ताहिरपुर गांव
13. लोनी रोड पूर्व दिशा के एल० आई० जी० फ्लैट

उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण

6311. डा० महावीरसिंह सिंह शाक्य :
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण की गति बहुत धीमी है;

(ख) क्या ऐसा राज्य सरकार को समय पर आवश्यक सामान न मिलने के कारण हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 और 1990-91 के दौरान कितनी सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसमें से कितनी धनराशि दी जा चुकी है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) 31-3-91 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण का स्तर 73 प्रतिशत था इसकी अपेक्षा राष्ट्रीय औसत स्तर 83 प्रतिशत है। 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान राज्य में ग्राम विद्युतीकरण के कार्य की प्रगति की गति धीमी होने के मुख्य कारण कुल मिलाकर निधियों संबंधी बाधाओं की वजह से निम्न मात्रा स्तर के लक्ष्य निर्धारित किया जाना तथा उपलब्धि की मात्रा से भी पिछड़ जाना है।

(ग) 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम के माध्यम से आबंटित की गई निधियां तथा उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा वस्तुतः उपभोग की गई निधियों का ब्यौरा निम्नवत था :—

(लाख रुपए में)

वर्ष	आबंटन	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा उपभोग की गई निधियां
1989-90	13,935	8,794
1990-91	7,300	4,625

[अनुवाद]

मेजिया ताप विद्युत संयंत्र

6312. श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :
श्री वी० कृष्णा राव :
श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम का 630 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र अपने निर्धारित समय से एक वर्ष पीछे चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) प्रथम यूनिट को दिसम्बर, 1993 तक तथा दूसरे एवं तीसरे यूनिट को क्रमशः जून, 1994 और दिसंबर, 1994 तक चालू किए जाने की संभावना है।

विशाखापत्तनम में ताप विद्युत केन्द्र

6313. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम में प्रस्तावित ताप विद्युत केन्द्र को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका प्रौद्योगिक-आर्थिक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 2500 मेगावाट क्षमता वाली विद्युत परियोजना को वर्ष 1992-93 के दौरान जापान द्वारा दिए जाने वाले ओ० ई० सी० एफ० ऋण प्रस्ताव में शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) और (घ) जी, नहीं ।

तांबा भण्डार

6314. श्री राजकृष्ण कौंसाला :
श्री ए० प्रताप साय :
श्री विश्वेश्वर भगत :
श्री चन्दूभाई देशमुख :

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तांबा भंडारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) कुल तांबा भंडारों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में पता लगाए गए ऐसे स्थानों का तथा वहां उपलब्ध मात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन क्षेत्रों में तांबे के खनन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) देश में तांबा निक्षेपों का राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(घ) आर्थिक रूप से लाभप्रद तांबा निक्षेपों का खनन (1) बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हिन्दुस्तान कापर लि० (एच० सी० एल०), (2) कर्नाटक में हट्टी गोल्ड माइन्स लि० और (3) सिक्किम में सिक्किम खनन निगम द्वारा किया जा रहा है ।

विवरण

देश में राज्य-वार और क्षेत्र-वार तांबा भंडारों का ब्यौरा

राज्य	क्षेत्र	कुल निक्षेप (मि० टन में)
1	2	3
बिहार	मोसाबनी	16.41

1	2	3
	पाथरगोड़ा	4.70
	सुरदा	23.75
	केंदाडीह	14.89
	राखा-ब्लॉक-1	7.17
	राखा-ब्लॉक-2	46.66
	चापरी-सिद्धेश्वर	38.81
	तुरामडीह	17.85
	सिद्धेश्वर	7.25
	तामापहाड़	28.82
	बेयानोई II	2.82
	नन्दुप	4.00
	रामचन्द्र पहाड़	1.70
	धाड़कीडीह	3.18
	मेनागरिया, बनालतोड़ा, बाराबोंगा और डायन-डूंगरी (मोसाबनी पट्टी)	3.62
		223.53
मध्य प्रदेश	मलंजखंड	244.00
राजस्थान	खेतड़ी	40.01
	कोलिहान	28.89
	चांदमारी	1.15
	को-बरीवा	0.23
	बनवास	15.23
	अकवाली	1.65
	डेरी	0.82
	खोलामाला	1.44
	भगोनी	5.22
	बसंतगढ़	3.19

पेड्डेरु जलाशय योजना

6315. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पेड्डेरु जलाशय योजना के निर्माण के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) विशाखापत्तनम जिले में रवि-पालेम गांव के निकट पेड्डेरु नदी पर 28.1 मीटर ऊंचे मिट्टी के बांध के निर्माण की परिकल्पना वाली 15.04 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की पेड्डेरु जलाशय स्कीम अक्तूबर, 1991 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी। इस स्कीम का उद्देश्य रवकाता चैनल और बोडीवाडा अनिकट प्रणालियों के अंतर्गत लगभग 2145 हेक्टेयर की वर्तमान सिंचाई को स्थिर करना और 607 हेक्टेयर के नये अयाकट की सिंचाई करना है। इसमें 28 मार्गस्थ गांवों को पेय जल आपूर्ति प्रदान करने की भी परिकल्पना है।

(ग) चूंकि राज्य सरकार ने इस परियोजना को अपने आठवीं योजना प्रस्तावों में शामिल नहीं किया है, इसलिए इस स्कीम को मूल्यांकन हेतु हाथ में नहीं लिया गया है और तदनुसार राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र

6316. श्री रामकृष्ण कोंताला :
श्री एम॰ वी॰ एस॰ मूर्ति :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को सही समय पर चालू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रथम चरण की क्षमता क्या है तथा उस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ग) 1991-92 में कितना उत्पादन हुआ;

(घ) क्या विस्तार के दूसरे चरण को भी पूरा कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उसकी क्षमता तथा परियोजना लागत कितनी है; और

(च) इस संयंत्र को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी धनराशि आवंटित की गयी ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, नहीं। धन की उपलब्धता में अड़चनों और इसमें लगी हुई विभिन्न एजेंसियों की तरफ से विलम्ब होने के कारण विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के पूरा होने में विलम्ब हुआ है। परियोजना को 15 लाख टन अपरिष्कृत इस्पात प्रति वर्ष क्षमता के दो चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना

पर फरवरी, 92 तक समग्र रूप से 7349 करोड़ रु० खर्च हुए। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का चरण-1 नवंबर, 1991 में पूरा हो गया।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान फरवरी, 92 तक निम्नलिखित कुल उत्पादन हुआ :—

मद	मात्रा (हजार टन)
(1) तप्त धातु	1100
(2) अपरिष्कृत इस्पात	519
(3) बिक्रय इस्पात	444
(4) कच्चा लोहा	563

(घ) और (ङ) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के चरण-1 की अधिकांश इकाइयां पूरी/चालू हो गई हैं। शेष इकाइयों को अगस्त, 92 तक चालू किए जाने का कार्यक्रम है। पूरा होने पर विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की वार्षिक क्षमता 30 लाख टन अपरिष्कृत इस्पात होगी। 1991 की तीसरी तिमाही के मूल्यों पर परियोजना की कुल अनुमानित लागत 8349 करोड़ रु० है।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न स्रोतों से विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को उपलब्ध कराया गया धन निम्नानुसार है :—

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए)
1989-90	1057.30
1990-91	1111.31
1991-92	863.69

तमिलनाडु में एक्सचेंजों को इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलना

6317. श्री के० वी० तंगकाबालू : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर तमिलनाडु में और इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु में इस समय इलैक्ट्रोनिक और मैनुअल एक्सचेंजों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) मैनुअल एक्सचेंजों को इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में कब तक बदले जाने की संभावना है?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) तमिलनाडु में 1-3-1992 को क्रमशः 346 इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज तथा 929 नॉन-इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज थे।

(ग) सामान्यतया किसी एक्सचेंज को कार्यकाल समाप्त होने के बाद बदला जाता है। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग के आठवीं योजना प्रस्तावों में मार्च, 1994 तक सभी मैनुअल

एक्सचेंजों को बदलने तथा छोटे आकार के इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों (एम० ए० एक्स०-III तथा लाइन फाइंटर टाइप एम० ए० एक्स०-II) को आठवीं योजना के अंत तक बदलने का प्रस्ताव है। अतः इसके पश्चात् इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों को उत्तरोत्तर रूप से बदला जाएगा।

तमिलनाडु में डाक और तारघर

6318. श्री के० वी० तंग्काबालू :
　　श्री आर० अनुबकोडी आदित्यन :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तारघर स्थापित करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का वर्तमान मानदंडों के अंतर्गत वर्ष 1992 में तमिलनाडु में कुछ और डाकघर तथा तारघर स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ चुने गए स्थानों, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों के स्थानों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां।

(ख) डाकघर खोलने के मानदंड संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। तारघर खोलने के मानदंड संलग्न विवरण-II में दिए गए है।

(ग) जी हां।

(घ) वित्तीय वर्ष 1992 के दौरान औचित्य पाए जाने पर खोले जाने वाले डाकघरों के विवरण देना अभी संभव नहीं है क्योंकि इस संबंध में वार्षिक योजना 1991-93 के लक्ष्यों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

वर्ष 1992 के दौरान गुडियात्तम, वृधाचलम और अत्तुर स्थित तीन संयुक्त डाक तार घरों का स्वतंत्र तार घरों के रूप में दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव हैं।

15 स्थानों से फोनोकॉम आधार पर तार सुविधा प्रदान करने का भी प्रस्ताव है. उनके नाम संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) में दिए गए उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के लिए 1-4-1991 से प्रभावी निर्धारित मापदंड/मानदंड।

शाखा डाकघर खोलने के लिए 1-4-1991 से लागू हुए निम्नलिखित मानदंड अपनाए गए हैं :

(i) जनसंख्या

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में :

गांवों के एक ग्रुप की जनसंख्या 3000 (जिस गांव में डाकघर खोलने का प्रस्ताव हो उसकी जनसंख्या सहित)

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम इलाकों में :

किसी एक गांव की आबादी 500 या गांवों के किसी एक ग्रुप की जनसंख्या 1000.

(ii) दूरी :

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

मौजूदा नजदीकी डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि० मी० होगी।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष परिस्थितियों के कारण जिन मामलों में दूरी की शर्त में छूट देने का औचित्य होगा, उन मामलों में निदेशालय द्वारा छूट दी जा सकती है। प्रस्ताव भेजते समय विशेष परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

(iii) अनुमानित आय :

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 33-1/3 प्रतिशत होगी।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 15 प्रतिशत होगी।

विभागीय उप-डाकघर (योजना)

नवम्बर, 1987 से प्लान स्कीम के अन्तर्गत विभागीय उप-डाकघर भी मंजूर किए जाते हैं बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों :—

(i) इस स्कीम के अंतर्गत परियोजना क्षेत्रों, नए औद्योगिक क्षेत्रों/नगर क्षेत्रों/शहरों की सीमाओं पर बसी बस्तियों/शहरी घनी बस्तियों तथा राज्य और केन्द्रीय सरकारों के विभागों और एजेंसियों के योजना कार्यकलापों के अनुसरण में नए क्षेत्रों में बसी ऐसी ही अन्य बस्तियों में विभागीय उप-डाकघर खोलना शामिल है। दूसरे शब्दों में पोस्टल सेक्टर प्लान की अवधारणा को उस हद तक बढ़ाया जाना है, जिससे समूची राष्ट्रीय योजना के लिए अपेक्षित डाक सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

(ii) प्रस्तावित उप-डाकघर का न्यूनतम अनुमानित कार्यभार 5 घंटे प्रतिदिन होना चाहिए।

(iii) हालांकि विभागीय उप-डाकघर से यह अपेक्षा होती है कि वे वित्तीय दृष्टि से आत्म-

निर्भर हों, लेकिन ग्रामीण इलाकों में प्रतिवर्ष 2400/-रु० तक के घाटे की अनुमति दी जाती है (पहाड़ी/पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों में 4800/-रु०)

विवरण-II

तारघर खोलने के मानदंड निम्नानुसार हैं :—

(i) शुरू में संयुक्त डाक व तारघर कहे जाने वाले डाकघर में तार सुविधा प्रदान की जाती है विश्वसनीय तार सेवाओं को व्यापक रूप से सुलभ कराने के उद्देश्य से इस सुविधा का लंबी दूरी के पब्लिक टेलीफोन आपरेटरों के माध्यम से फ्रैंचाइज आधार पर भी विस्तार किया जा रहा है।

(ii) सभी जिला मुख्यालयों और उन स्थानों पर जहां प्रतिदिन 500 या उससे अधिक तार भेजे जाते हैं, स्वतन्त्र तारघर खोले जाते हैं। यदि किसी स्थान पर एक से अधिक तारघर हैं, तब कार्यभार की दृष्टि से उनमें से सबसे महत्वपूर्ण तारघर का दर्जा बढ़ा कर उसे केन्द्रीय तारघर बना दिया जाता है।

विवरण-III

1. पलाबाडी (धर्मपुरी)
2. गणपति (धर्मपुरी)
3. डोक्कुप्रोतानहल्ली (धर्मपुरी)
4. सीरंगपट्टी (धर्मपुरी)
5. बोम्माहल्ली (धर्मपुरी)
6. तोप्पुप्पलायम (इरोड)
7. अड्डोरकी (कुन्नूर)
8. हिलग्रोव (कुन्नूर)
9. बनलीअर (कुन्नूर)
10. नरसिंगानल्लुर (तिरूनेलवेली)
11. करूनगाडु (तिरूनेलवेली)
12. कल्प्पानपालयम (तिरूचिरापल्ली)
13. कवबनपट्टी (तिरूचिरापल्ली)
14. सिरूगुडी (तिरूचिरापल्ली)
15. कराडिकाडा (सलेम)

[हिन्दी]

बिहार में सहकारी क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बन्द करना

6319. श्री सोमेंद्र झा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री 9 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1915 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मधुबनी, दरभंगा और ओइनों में सहकारी क्षेत्र में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कुछ वर्षों तक चलाने के बाद बंद कर दिया गया था;

(ख) ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कब से बन्द पड़े हैं; और

(ग) इन उद्योगों को पुनः चालू करने के लिए केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय सहकारी संस्थानों ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने वर्ष 1966 67 में मधुबनी और दरभंगा और ओइनो जिलों में सहकारी सेक्टर में 3 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए स्वीकृति दी थी और 1969 के अन्त तक कार्य पूरा हो गया था। ठेकेदारों और संबंधित समितियों के बीच विवाद के कारण यूनिट वाणिज्यिक उत्पादन नहीं कर सके। जब तक 1975 में विवाद हल करने के लिए विवाचन पूरा किया गया था, समिति ने इसमें अपनी रुचि खो दी और यूनिट बंद पड़े रहे। इसके बाद, राज्य सरकार की सिफारिशों पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने वर्ष 1976 में दरभंगा यूनिट के लिए 4.00 लाख रुपये, वर्ष 1982 में ओइनो यूनिट के लिए 4.20 लाख रुपये और मधुबनी यूनिट के लिए 4.12 लाख रुपये की सहायता स्वीकृति की। चूंकि राज्य सरकार और समितियों द्वारा आगे कार्रवाई नहीं की गई, स्वीकृतियां रद्द कर दी गयीं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय जल आयोग के सर्किल कार्यालय खोलना

6320. **श्री आयनल अबेदिन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों की उन राजधानियों के नाम क्या हैं, जहां केन्द्रीय जल आयोग के सर्किल कार्यालय खोले गए हैं/खोले जाएंगे;

(ख) क्या सरकार का विचार कलकत्ता में भी ऐसा कोई कार्यालय खोलने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) केन्द्रीय जल आयोग के मंडल कार्यालय इस समय निम्नलिखित राजधानियों में स्थित हैं :

(i) बंगलौर

(ii) हैदराबाद

(iii) भुवनेश्वर

(iv) शिलांग

( ) गुवाहाटी

एक मण्डल कार्यालय जम्मू में भी स्थित है और मण्डल कार्यालय खोलना केन्द्रीय जल इंजीनियरी (समूह क) सेवा के संवर्ग पुनरीक्षा प्रस्तावों से सम्बद्ध है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है संवर्ग पुनरीक्षा प्रस्तावों में जयपुर, शिमला, भोपाल, लखनऊ, पटना और गंगटोक के मंडल कार्यालयों की परिकल्पना है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) मण्डल कार्यालय की स्थापना का निर्णय कुल मिलाकर निम्नलिखित बातों के आधार पर किया जाएगा :—

(i) चार महानगरों : बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में नए कार्यालय न खोलने की सामान्य नीति ।

(ii) नदियों के बेसिन-वार प्रबन्ध की आवश्यकता;

(iii) तकनीकी-आर्थिक निर्धारण के लिए प्रबोधन/मूल्यांकन की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या के रूप में स्थानीय कार्य-भार ।

[हिन्दी]

कलकत्ता-गुवाहाटी-दीमापुर क्षेत्र में विमान सेवा

6321. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता-गुवाहाटी-दीमापुर क्षेत्र में दैनिक विमान सेवा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) कलकत्ता-गुवाहाटी-दीमापुर सेक्टर पर कोई दैनिक सेवा नहीं है । तथापि, इंडियन एयरलाइंस कलकत्ता-इम्फाल-दीमापुर-कलकत्ता मार्ग पर सप्ताह में चार सेवाओं को और दिल्ली-बागडोगरा-गुवाहाटी-दीमापुर और वापसी मार्गों पर सप्ताह में दो सेवाओं का परिचालन करती है । दीमापुर के लिए और वहां से उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता को पर्याप्त समझा जाता है ।

मध्य प्रदेश में सार्वजनिक नलकूप लगाना

6322. श्री राजकृष्ण कुसमारिया :
श्री आनन्द अहिरवार :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से सार्वजनिक नलकूप लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजन के लिए प्राप्त हुई विश्व बैंक की सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस सहायता से कहां-कहां कितने नलकूप लगाए गए; और

(ङ) वर्ष 1992-93 के दौरान राज्य में विश्व बैंक की सहायता से कितने नलकूप लगाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) वर्ष 1989-90 में मध्य प्रदेश के भिण्ड जिले में 34 सार्वजनिक नलकूप लगाए गए हैं । नलकूप लगाने पर वर्ष 1989-90 के दौरान व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति समझौते की शर्तों के अनुसार विश्व बैंक से की जानी थी । वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान इस पर कोई व्यय नहीं किया गया ।

(ङ) वर्ष 1992-93 के दौरान मध्य प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से कोई नया नलकूप लगाए जाने का प्रस्ताव नहीं है ।

[अनुवाद]

देश में टेलीफोन केबलों की चोरी

6323. **श्री मोहन रावले :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार भूमिगत टेलीफोन केबलों सहित कुल कितने मूल्य की टेलीफोन केबलों की चोरी हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मामले की जांच करवाई जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय के उप-मन्त्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ङ) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) महत्वपूर्ण केबिल रूटों की पेट्रोलिंग ।

(ii) मेनहोल कवरों में दोहरे ताले लगाना ।

(iii) ओपेन कलवर्ट्स में केबिलों को कंकरीट में बिछाना ।

(iv) पुलिस प्राधिकारियों के साथ निकट समन्वय रखना ।

भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा कार्बन और ग्रेफाइट के लिए निविदाएं

6324. **श्री जगतबीर सिंह द्रोण :** क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र ने अपने विस्फोट भट्टी के लिए कार्बन और ग्रेफाइट रिफैक्ट्रीज की सप्लाई के लिए फरवरी, 1991 में निविदा जारी की थी;

(ख) यदि हां, तो बोलीकर्ताओं द्वारा उद्धृत मूल्यों सहित प्राप्त निविदाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) जिस बोलीकर्ता की निविदा स्वीकार की गई, उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) इस मामले में निविदा जारी करने से पूर्व क्रयादेय देने के लिए किन मानदण्डों का पालन किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो एक विशिष्ट कम्पनी की निविदा स्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पूछताछ पर प्राप्त निम्नलिखित पेशकशों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

1. मेसर्स निशो हवाई कारपोरेशन, जापान —मूल्य बोली खोली गई
2. मेसर्स ओकुरा एण्ड कम्पनी, जापान —मूल्य बोली नहीं खोली गई
3. मेसर्स सिगरी, जर्मनी —मूल्य बोली खोली गई
4. मेसर्स दिदायर वर्क्स, जर्मनी —मूल्य बोली नहीं खोली गई
5. मेसर्स सवाय रिफ्रैक्ट्रीज, फ्रांस —मूल्य बोली नहीं खोली गई
6. मेसर्स एलवर स्कूकजोव, पोलैंड —मूल्य बोली नहीं खोली गई

मेसर्स निशोइवाई कारपोरेशन, जापान तथा मेसर्स सिगरी, जर्मनी के मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

	निशो हवाई का प्रस्ताव (करोड़ रुपये)	सिगरी का प्रस्ताव 3 ए-1 (करोड़ रु०)	4 ए-1 (करोड़ रु०)
आयातित	4.56	3.89	4.13
स्वदेशी	0.98	1.74	1.20
कुल	5.54	5.63	5.33

मेसर्स निशो हवाई का कोटेशन स्वीकार कर लिया गया था क्योंकि यह मेसर्स सिगरी की तुलना में तकनीकी रूप से श्रेष्ठ था और इस प्रकार अधिक किफायती था। अन्य पार्टियों की पेशकशों को रद्द कर दिया गया क्योंकि वे तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं थे।

(घ) और (ङ) जी, हां। निविदाकर्ता को उपयुक्त रिफ्रैक्ट्रियों की डिजाइन, विनिर्माण एवं सप्लाई के लिए अपने कोटेशन प्रस्तुत करते थे, जो फर्नेस शेल की रूपरेखा, उसके प्रचालन प्राचलों, हर्थ शीतल प्रणाली तथा उत्पादन डाटा आदि पर आधारित हो। पेशकशों का मूल्यांकन उपर्युक्त प्राचलों के आधार पर किया गया था।

आकाशवाणी और दूरदर्शन पर राजनैतिक दलों को दिया गया समय

6325. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री,

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के नेताओं को दिए गये समय का ब्यौरा क्या है;

(ख) 1991 के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में नई दिल्ली में आयोजित सरकारी और गैर-सरकारी कार्यक्रमों, घटनाओं को अलग-अलग दिए गए समय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1991 के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा नई दिल्ली और अन्य स्थानों पर मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित घटनाओं के प्रसारण का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) यह सूचना समेकित रूप में नहीं रखी जाती।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा सरकारी/गैर-सरकारी समारोहों को तथा राजनीतिक दलों के आयोजनों को अपने समाचार बुलेटिनों में विशुद्ध रूप से उनकी समाचारिकता के आधार पर कवर किया जाता है।

दूरदर्शन द्वारा किया गया व्यय

6326. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :**

डा० ए० के० पटेल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने वर्ष 1985-90 के दौरान बाहर के निर्माताओं द्वारा निर्मित कार्यक्रमों पर लगभग 55 करोड़ रुपये का व्यय किया है;

(ख) यदि हां, तो इन वर्षों के दौरान कितने प्रस्ताव प्राप्त किए गए, कितने ठेके दिए गए और कितने कार्यक्रम तैयार किए गए;

(ग) कौन-कौन से निर्माताओं को अग्रिम राशि दी गई थी और कितनी और उन्होंने कितने कार्यक्रम तैयार किए और कितने अभी तैयार किए जाने बाकी हैं;

(घ) ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की गई है या की जायेगी; और

(ङ) इससे संबंधित नीतियों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

गैस टर्बाइन-2 (मुम्बई)

6327. **प्रो० राम कापसे** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस टर्बाइन-2 (मुम्बई) 7 दिसम्बर, 1991 से खराब पड़ा है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और इस टरबाइन को पुनः शुरू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) इस गैस टरबाइन-2 के कार्य न करने के कारण कुल कितनी हानि हुई है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) वायु छनित्र (एयर फिल्टर) के फेल हो जाने के कारण तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से संबंधित कैप्टिव गैस टर्बाइन ने कार्य करना बंद कर दिया था। ओ० एन० जी० सी० के उत्पादन में किसी प्रकार का घाटा नहीं हुआ है क्योंकि अपेक्षित विद्युत, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड विद्युत ग्रिड से प्राप्त की गई है।

बाक्साइट के भंडारों की खुदाई

6328. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान केरल में बाक्साइट के भंडारों की खुदाई के लिए कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में उन स्थानों का ब्यौरा क्या है, जहां बाक्साइट के भंडार हैं तथा वहां अनुमानतः कुल कितने भंडार हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) गत वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार ने केरल में बाक्साइड के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों द्वारा पहले किए गए सर्वेक्षण के फलस्वरूप, कसारगोड और कन्नानूर जिलों में 40-59 प्रतिशत एल्यूमिना और 1-9 प्रतिशत सिलिका वाले बाक्साइट के कुल 10.661 मिलियन टन भंडारों का अनुमान लगाया गया।

कसारगोड जिले में निक्षेप-वार अलग-अलग ब्यौरा इस प्रकार है :—अनंतपुर-गुड्डा में 0.44 मिलियन टन, कुम्बला में 1.83 मिलियन टन और नारायणमंगलम तालुक में 0.70 मिलियन टन तथा कन्नानूर जिले में कनहुंगड में 0.71 मिलियन टन, नीलेश्वर में 6.1 मिलियन टन और तालीपरम्बा प्रखंड में 1.52 मिलियन टन।

[हिन्दी]

पेप्सी कोला द्वारा व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना

6329. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेप्सी कोला ने भारत में 50 हजार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पेप्सी कोला में अब तक कितने व्यक्तियों को नौकरियां दी गई हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) मेसर्स पेप्सी-को इंक, अमरीका और वोल्टाज के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के मैसर्स पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन के मूल प्रस्ताव में खाद्य पदार्थों और पेय बाजारों के विस्तार के माध्यम से पहले पांच वर्षों में 2000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने की बात कही गई थी। परन्तु पंजाब सरकार ने सूचित किया था कि इससे 50,000 रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की संभावना है जिसमें कृषि सैक्टर के 15,000 रोजगार भी शामिल हैं। ऐसी सूचना मिली कि इस परियोजना से 25,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध हुए हैं और इसके अलावा कृषि स्तर पर मौसमी रोजगार भी उत्पन्न हुए हैं। रोजगार के और अधिक अवसर परियोजना की प्रगति पर निर्भर करेंगे।

नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का निरसन किए जाने के बारे में

12.10 म० प०

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, नियम 184 के अन्तर्गत एक नोटिस दिया है। यह नोटिस 3 अप्रैल को यहां नागालैंड के संबंध में जो बहस चली है, उसके संदर्भ में है। हमारा नोटिस आपसे प्रार्थना कर रहा है :

[अनुवाद]

यह सभा यह सिफारिश करती है कि नागालैंड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 2 अप्रैल, 1992 को प्रख्यापित उद्घोषणा, जो 3 अप्रैल, 1992 को सभा पटल पर रखी गई थी, संविधान के अनुच्छेद 352 (2) के अनुसरण में निरस्त की जाये।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, अब मेरी जो प्रार्थना है, वह यह है कि इस प्रस्ताव में हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि यह सदन यह सिफारिश करता है। मैं जानता हूं कि जब 356 का प्रोक्लेमेशन सदन में आता है तो उसको स्वीकृत करने के लिए एक प्रस्ताव सरकार की तरफ से यहां रखा जाता है। मैं यह भी जानता हूं कि आज तक सदन की यह परम्परा रही है कि उसके विपरीत किसी प्रस्ताव को आप स्वीकार नहीं करते हैं, यदि वह नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है लेकिन उसके विपरीत कोई प्रस्ताव नहीं ला रहे हैं, चूंकि सरकार का प्रस्ताव आया ही नहीं है···

अध्यक्ष महोदय : अभी मेरे पास आ गया है।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, अब जब जिस वक्त वह आपके पास आ आयेगा तो हमारे सदन में आने तक आपके पास जरूर आया होगा लेकिन सदन में आने तक यह सदन की तरफ से एक विशेष प्रस्ताव होना कि जहां तक विशेष परिस्थिति का निर्माण हुआ है, उस परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए कि हम सदन की राय के तौर पर राष्ट्रपति के सामने एक सिफारिश को रखना ......। हम उस प्रस्ताव पर नहीं लेकिन वह प्रोक्लेमेशन हमारे सामने है, उसको इस सदन में रखने का काम हो चुका है, वह विशेष परिस्थिति में वह रखा गया है और उसके जवाब में अगर सदन अपनी राय को, जैसे व्यक्तिगत तौर पर हम लोग उठाकर अपनी राय को यहां पर रखते हैं, वही राय सामूहिक तौर पर अगर यह सदन व्यक्त करने का काम करता हो तो मुझे नम्रता से आपसे यह कहना है कि उसमें अपने किसी नियम का या संविधान की किसी धारा का विरोध नहीं होता है। अब, अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि एक विशेष परिस्थिति में यह बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। सदन में उस दिन यहां पर चर्चा हो गयी और कहीं तथ्य रखने का काम भी यहां हो गया। यहां पर यह भी बताया गया कि गवर्नर के पत्र के चलते, रिपोर्ट के चलते जिसको राष्ट्रपति को उन्होंने भेजा था तो सरकार के सामने दूसरा कोई उपाय था ही नहीं। यहां तक कि गृह मन्त्री का निवेदन भी यहां रहा कि हम यह काम नहीं किये होते तो आप लोग मुझ पर आरोप लगाकर आते कि जब उस सूबे में इस प्रकार संविधान का सारा कुछ खत्म हो चुका था और आपने राष्ट्रपति शासन को वहां लादने का काम क्यों नहीं किया, यह आप हमसे सवाल पूछते।

अध्यक्ष जी, मुझे अफसोस है कि गवर्नर की रिपोर्ट अभी तक सदन के सामने नहीं आयी है। उस दिन संसदीय मंत्री ने यह कहा था कि सरकार रखने के लिए तैयार है, शायद आपके आदेश की इंतजारी में हो। मुझे नहीं मालूम उनको आपके आदेश की क्या जरूरत है? जबकि सदन में उस रिपोर्ट को उस दिन रैफर करने का नहीं बल्कि क्वोट करने का काम हो चुका है। मैं मंत्री जी के बयान की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह उस दिन की प्रोसीडिंग्ज, जो अनकरेक्टेड नाट फार पब्लिकेशन है और पेज नं० 16791 पर श्री एम० एम० जैकब का निवेदन है :

[अनुवाद]

राज्यपाल की रिपोर्ट में पहली बात यह कही गई, "मैं राज्य विधान सभा को भंग करने के लिए बाध्य हूं, क्योंकि सदस्यों में कोई स्थिरता नहीं है।"

[हिन्दी]

अब अध्यक्ष जी, इस वाक्य को याद रखें—

[अनुवाद]

"सदस्यों में कोई स्थिरता नहीं"

[हिन्दी]

आगे जाकर दोबारा वह गवर्नर की रिपोर्ट को क्वोट करते हैं उसी पन्ने पर—

[अनुवाद]

पुनः उन्होंने कहा, "उन मन्त्रियों तथा विधायकों के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से प्रशासन को चलाया नहीं जा सकता जो कि इस बात के लिए जोर दे रहे हैं कि······"

[हिन्दी]

तब भी बात वहीं पर रुक गई चूंकि विरोधी दल के नेता आडवाणी जी ने एक प्वाइंट ऑफ आर्डर को छेड़ा और वह बात वहीं पर खत्म हो गई, लेकिन दो जगहों पर गृह मन्त्री ने गवर्नर की रिपोर्ट को सदन में बाकायदा क्वोट करने का काम किया है। लेकिन एक माहौल उस दिन ऐसा बनाया गया कि नागालैंड में संविधान ही टूट पड़ा है, अब कोई भी काम वहां पर होना संभव नहीं है, जबकि गवर्नर की रिपोर्ट के पहले वाक्य को उन्होंने स्वयं क्वोट किया और इस प्रोसीडिंग को मैंने स्वयं पढ़कर सुनाया—

[अनुवाद]

"सदस्यों में कोई स्थिरता नहीं"

[हिन्दी]

अब अगर विधान सभा के सदस्यों में स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब राज्य में संविधान टूट पड़ा है, यह कहना अध्यक्ष जी मुझे नहीं मालूम कि संविधान की किस धारा के अन्तर्गत इस प्रकार के निष्कर्ष पर गृह मन्त्री पहुंचे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : यहां स्टबिलिटी है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यहां पड़ोस के राज्यों में ही देख लीजिए। पार्लियामेंट की बात अपनी जगह पर है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आज पूर्वांचल को आप देखें तो गृह मन्त्री जी यहां स्वयं बैठे हुए हैं। मुझे बताया कि मेघालय में जो स्थिति बनी जहां स्पीकर अपने हाथ में ऐसे अधिकार छीनकर बैठा है जिसको लेकर सारे सदन में हंगामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने से स्पीकर ने इंकार किया हो, ऐसी बातें कही गई और अन्त में उस दिन आपको शांति मिल गई, जिस दिन विपक्ष के 5 लोगों को खींचकर, घसीटकर वहां कांग्रेस के शासन को आपने जिस तरह से बैठाने का काम किया, उस दिन आपको शांति मिली। मणिपुर में भी वही सिलसिला है। वहां कौन-सी स्टेबिलिटी है ? वहां क्यों अभी तक आप इंतजार में हैं और गवर्नर को बोलते हैं, औरों को भेजते हैं और हर प्रकार की हरकतें आपने मणिपुर में कराई हैं और अध्यक्ष जी, उस दिन जो माहौल यहां बनाने की बात हुई थी, उसी संदर्भ में दो-तीन बातें मुझे आपसे कहनी हैं। गवर्नर ने ठीक लिखा है।

मेरे 184 के अधीन प्रस्ताव को क्यों स्वीकार करना चाहिए इसलिए मैं यह तर्क दे रहा हूं। यह विशेष परिस्थिति है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि अपना मुद्दा उठाने की आड़ में वे मामले के गुण और दोषों की चर्चा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात से सहमत हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, उस दिन यह बात यहां पर बार-बार आ गई और बताया गया कि वहां पर सब कुछ टूट पड़ा है। मैं, उस दिन गृह मन्त्री ने जो निवेदन यहां पर किया था, उस संबंध में दो दस्तावेज आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं और अगर आप कहें तो उसे मैं सभा पटल पर ऑथेन्टिकेट करके रखना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, वह दस्तावेज मुख्य मन्त्री का पत्र है। मुख्य मन्त्री ने जो पत्र गवर्नर को भेजा था, उसे पढ़कर मैं सुनाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जार्ज साहब, थोड़े में कहें तो ठीक है। उन्होंने नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

मुझे समय निश्चित करना है। जब मैं समय निश्चित कर दूंगा तो आप इन सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : क्या सरकार ने नोटिस दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : इसने नोटिस दिया है। मुझे नोटिस मिल गया है। वास्तव में वे यह जानना चाहते थे कि क्या इस पर चर्चा के लिए आज का कोई समय निश्चित किया जायेगा। परंतु मैंने उन्हें इससे इन्कार कर दिया क्योंकि आज और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। यही वर्तमान स्थिति है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अगर आप इसको आज तय कर लें…।

अध्यक्ष महोदय : आज नहीं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता…

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने भी आपको नोटिस दिया था लेकिन चूंकि अभी तक हमारे पास गवर्नमेंट का नोटिस नहीं आया था और मैं कहना चाहता था कि इस अवसर पर पहले की एक कमिटमेंट है जिसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता…।

[अनुवाद]

अपने निर्णय पर पुनर्विचार तथा पुनरीक्षण करने का अध्यक्ष महोदय के लिए यह सबसे उचित अवसर है।

अध्यक्ष महोदय : अपने विनिर्णय के सम्बन्ध में मै आपके विचार सुनने के लिए तैयार हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मेरे विचार में यह संसद तथा संसद सदस्यों का अधिकार है कि जब वे सरकार के दृष्टिकोण से सहमत न हों, तो वे अनुच्छेद 356 (2) का संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने अनुच्छेद 356 को इस आधार पर लागू किया है कि नागालैंड में संवैधानिक तन्त्र विफल हो गया है। हमारे विचार में ऐसा कुछ नहीं हुआ है तथा इसलिए हम यह चाहते हैं कि अनुच्छेद 356 (2) को लागू किया जाये। इसलिए मेरे मेरे पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं कि मैं राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने की सिफारिश का नोटिस दूं।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मेरा सुझाव है कि······

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने पहले के कार्यवाही वृतान्त तथा विनिर्णयों को पढ़ा है। मुझे ज्ञात हुआ है कि इस तरह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है। एक भूतपूर्व अध्यक्ष ने कहा था कि केवल सरकारी प्रस्ताव ही संकल्प के रूप में पारित होने के लिए पेश किया जा सकता है। यह बहुत असंगत तथा तर्कविरुद्ध प्रतीत होता है। इसलिए मैंने नोटिस दिया है। मैं आपसे अपील करता हूं कि इस पूरे मामले की समीक्षा करें तथा हमारे प्रस्ताव के बारे में भी निर्णय दें।

[हिन्दी]

श्री आर्जं फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैं एक ही जुमला कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत खुशी है कि यह मामला सदन में उठाया गया है। हम सामान्यतः नोटिसों पर चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन अनुच्छेद 356 से सम्बन्धित मामला कुछ महत्व रखता है। इसलिए मैं सदस्यों को अनुमति देता हूं कि वे मुझे इस अनुच्छेद के संवैधानिक तथा कानूनी पक्षों तथा जिस प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना है उसकी जानकारी दें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैं एक ही जमुला कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, चूंकि आपने कहा है कि आपके सामने नोटिस आया है, इसलिए मैं यही कहूंगा कि आर्टिकल 356 (2) के अन्तर्गत जब रिवोक करने का मामला आ जाता है और यहां आर्टिकल 356 का जिस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है, वह तथ्यों के ऊपर आधारित नहीं है। इसीलिए, मैं यह चीज आपके सामने पढ़कर सुना रहा था, मैं सब कुछ नही पढ़ूंगा लेकिन एक वाक्य जरूर पढ़ूंगा :—

[अनुवाद]

"मुझे दिनांक 26 मार्च, 1992 का आपका पत्र प्राप्त हुआ जिसमें मुझे नागालैंड विधान सभा को भंग करने की सलाह दी गयी थी, क्योंकि आपने कल सभा में अपना बहुमत सिद्ध कर दिया था, अतः मैंने आपकी सलाह मान ली है। तदनुसार मैं सभा को तत्काल भंग करता हूं। आपसे अगले आदेशों तक काम-चलाऊ सरकार के रूप में कार्य करते रहने का अनुरोध है।"

[हिन्दी]

यह गवर्नर का पत्र है। जब मैजोरिटी स्टेब्लिश हो गयी, चुनाव हो गया, और मैजोरिटी स्टेब्लिश हो गयी, गवर्नर साहब की जो रिपोर्ट आयी, वह इस संदर्भ में आ गयी कि मैजोरिटी स्टेब्लिश हो गयी, केयर-टेकर गवर्नमेंट को बनाने का फैसला उन्होंने ले लिया और चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में जो कदम बढ़ना चाहिए था, वह कदम बढ़ाने की बात हो गयी, तब धारा 174 के अंतर्गत गवर्नर के लिए हुए फैसले को सुपरसीड करके, राष्ट्रपति उसी एक मामले पर, एक और फैसला देकर, गवर्नर के जो अधिकार हैं, स्टेट्स के जो अधिकार हैं, संविधान के अंतर्गत, जिस प्रकार के केन्द्र के, यूनियन के और राज्यों के अधिकार हैं, उनका जिस प्रकार बंटवारा है, उसमें हस्तक्षेप करने वाला जब एक जुमला आ जाता है, अध्यक्ष जी, यहां एक सबसे ज्यादा महत्व की बात यह है इस मामले पर कि आपको अदालत में जाने का आज अधिकार है। भारत का संविधान आज इसके ज्यूडिशियल रिव्यू को कबूल करता है। जब ज्यूडिशियल रिव्यू इस मामले में हो सकता है तो फिर इस सदन के अंदर उस पर रिव्यू न हो, उस पर एक भिन्न राय व्यक्त करके, राष्ट्रपति के पास हम राय को भेजने का काम नहीं कर सकें, इससे संविधान का जो मतलब है, मकसद है, दोनों पर हमला हो जायेगा। इसलिए मेरी यह मान्यता है कि नियम 184 के अंतर्गत जो हमारा प्रस्ताव है, उसे कबूल करने में और उस पर बहस इस सदन में चलाने में, किसी प्रकार की आपत्ति आपके सामने नहीं आनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मेरा तर्क बहुत साधारण है, जो कि मैं पहले भी कह चुका हूं। नागालैंड के मामले में सरकार ने संविधान के भंग होने का कोई मामला नहीं बनाया है। श्री चौहान ने पिछले दिनों सरकार की ओर से जो कुछ भी कहा, मैंने उस वक्तव्य को पुनः पढ़ा है लेकिन मुझे उसमें ऐसा कुछ नहीं मिल सका जिसको किसी भी तरीके से संविधान भंग किए जाने के रूप में व्याख्या की जा सकती हो। मैं सारे मामले को पुनः दोहराना चाहता हूं।

मुझे यह ज्ञात हुआ है कि सरकारिया आयोग ने ऐसी स्थितियां का पता लगाने की कोशिश की है जिनका उल्लेख संविधान भंग के रूप में किया जा सकता है। यह गिनती में पांच हैं। उसमें कहा गया है कि एक स्थिति यह हो सकती है जहां आम चुनावों के बाद कोई भी दल सरकार का गठन करने की स्थिति में न हो अथवा किन्हीं भी दलों का संगठन सरकार गठित करने की स्थिति में न हो। दूसरा, जब कोई मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है अथवा बरखास्त कर दिया जाता है अथवा सभा में अपना बहुमत खो देता है तथा बहुमत प्राप्त किसी भी वैकल्पिक सरकार का गठन न किया जा सके। तीसरा, सभा में बहुमत प्राप्त दल सरकार के गठन से इन्कार कर दे तथा राज्यपाल सभी विकल्पों को देख ले तथा असफल रहे। चौथा, यदि आन्तरिक रूप से संविधान का उल्लंघन किया गया हो जिसे संविधान भंग माना जाए। अंतिम, यदि केन्द्र सरकार द्वारा जारी संवैधानिक निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। संवैधानिक निर्देशों के बारे में उल्लेख किया गया है। मैं पूरी बात उद्धृत नहीं कर रहा हूं। यह पांच मुख्य स्थितियां हैं जिन्हें संविधान-भंग माना जा सकता है। उन्हें दुःख है कि पिछले 45 वर्षों के दौरान अनुच्छेद 356 का 75 से अधिक बार प्रयोग किया गया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : 88 बार।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अब तक 88 बार। सरकारिया आयोग ने इन्हीं का उल्लेख किया है।

केन्द्र-राज्य संबंधों से संबंधित सर्वप्रथम सिफारिश के रूप में यह कहा गया है कि अगर केन्द्र-राज्य संबंधों को बराबरी के आधार पर बनाए रखना चाहते हैं तो अनुच्छेद 356 का कम-से-कम प्रयोग किया जाना चाहिए। केवल ऐसे चन्द एक मामलों में अंतिम उपाय के रूप में जब सभी उपलब्ध विकल्प समाप्त हो जाएं और राज्य में संवैधानिक प्रक्रिया के उल्लंघन को सुधार सकने अथवा बचा सकने में असफल रहें। यदि संविधान का उल्लंघन भी किया जा रहा है, तब भी आपको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अंतिम उपाय के रूप में, आप सरकार को चेतावनी दे सकते हैं, सरकार को कह सकते हैं कि वे सही कदम उठाएं तथा केवल तब जबकि राज्य सरकार यह सब करने से इन्कार करती है तभी आप अनुच्छेद 356 को लागू कर सकते हैं।

लेकिन, इस मामले में हम पाते हैं कि किसी प्रकार का कोई संवैधानिक उल्लंघन नहीं किया गया है। राज्यपाल ने एकमात्र उपलब्ध संवैधानिक कदम उठाया है जोकि उन्हें बहुमत प्राप्त सरकार के लिए उठाना चाहिए था—कि विधान सभा भंग किए जाने की सिफारिश और चुनाव का आदेश देना। वे नहीं चाहते थे कि अंतरिम सरकार को कामचलाऊ सरकार के रूप में कार्य करते रहने नहीं दिया जाए। वे अपने अनुकूल समय पर चुनाव करवाना चाहते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू करने तथा अनुच्छेद 356 के प्रयोग का मैं इससे अधिक विकृत तथा अप्रमाणिक कारण की कल्पना भी नहीं कर सकता हूं।

अतः, इस सभा के सदस्य के नाते मैं अनुच्छेद 356(2) को लागू करना चाहूंगा। यह पहले सरकार को अधिकार देता है। जब राष्ट्रपति महोदय इस बात से संतुष्ट हों कि संवैधानिक प्रक्रिया भंग हुई है, तो सरकार को यह प्राधिकार है कि वह राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। लेकिन अनुच्छेद 356(2) में कहा गया है :

> "ऐसी किसी उद्घोषणा को अनुवर्ती उद्घोषणा द्वारा रद्द अथवा परिवर्तित किया जा सकता है।"

मैं यह स्वीकार करता हूं कि सरकार द्वारा इस प्रकार रद्द किया जाना अथवा परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि संसद, सरकार को तथा राष्ट्रपति को इसे रद्द करने के लिए नहीं कह सकती है। चूंकि इसका यहां उल्लेख किया गया है, मैं इससे संबंधित प्रस्ताव का वैधानिक प्रस्ताव के रूप में आदर करता हूं, उसी तरह से जैसे कि गृह मंत्री द्वारा राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जो कि एक वैधानिक प्रस्ताव है, जिसे स्वीकृत किया ही जाना होता है।

इसलिए यह मेरा तर्क है कि नियम 184 के अतिरिक्त जिसके अन्तर्गत मेरे साथी श्री जार्ज फर्नान्डीज ने सूचना दी है, मैंने नियम 184 का आह्वान नहीं किया है, फिर भी, यदि कोई नियम

इस पर लागू नहीं होता तो यह नियम 184 के अन्तर्गत ही आएगा। लेकिन, मैंने विशेष रूप से नियम 184 का हवाला नहीं दिया है क्योंकि मेरे विचार में यदि आप अपनी समग्र पूर्व निर्णय की पुनरीक्षा करें और मेरा प्रस्ताव स्वीकार करें तो यह संवैधानिक प्रस्ताव बन जाएगा। यह इस सभा के सदस्य द्वारा प्रस्तुत संवैधानिक प्रस्ताव होगा, जिसमें पूर्व उद्घोषणा को रद्द करने के लिए सरकार को तथा राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संसद के अधिकार का आह्वान किया गया है। यही मेरा सुझाव है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मेरा दोनों में है। स्टेट्यूटरी मोशन भी है और रूल 184 में भी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री रवि राय जी को भी अनुमति दे रहा हूं।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : महोदय, श्री आडवाणी तथा श्री जार्ज फर्नान्डीज ने अनुच्छेद 356(2) का उल्लेख किया है और श्री आडवाणी ने उसे यहां पढ़ा भी है। माननीय सदस्यों के लिए, मैं फिर से उस वाक्य को पढूंगा।

अनुच्छेद 356 के उपबंध 2 में कहा गया है :

> "ऐसी किसी उद्घोषणा को अनुवर्ती उद्घोषणा द्वारा रद्द कर देना चाहिए अथवा परिवर्तित किया जा सकता है।"

हम जितना भी चाहें अन्यथा स्थिति यह है कि अनुच्छेद 356 का उपबंध 2 के अधिकार संसद को प्राप्त नहीं है बल्कि राष्ट्रपति को प्राप्त है। यह उपबंध 3 है और अनुवर्ती उपबंध है जो संसद को संकल्प पारित करने अथवा न करने के लिए तथा इसे छह महीनों से अधिक बढ़ाने अथवा न बढ़ाने के लिए प्राप्त है। शब्द बहुत स्पष्ट हैं कि यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 356(1) के तहत कोई घोषणा जारी करते हैं तो तब केवल राष्ट्रपति ही उसे रद्द कर सकते हैं या बदल सकते है, चूंकि बहुत से कार्य हैं जिनके लिए वह खुद को जिम्मेदार मान सकते हैं। यह उनकी इच्छा पर है कि अधिसूचना में संशोधन करें अथवा उसे रद्द कर दें और मामला वहीं समाप्त हो जाता है।

महोदय, मेरा अनुरोध है कि एक बार अनुच्छेद 356(1) के तहत घोषणा जारी करने पर इसकी न्यूनतम अवधि दो माम है। यह हो सकता है कि संसद का सत्रकाल होने पर भी सरकार संसद के सामने आना नहीं चाहे। संसद सदस्य होने के नाते मैं चाहता हूं कि संसद को और अधिक शक्तियां मिलें। लेकिन यह संवैधानिक प्रावधान है। यदि सरकार दो माह के भीतर संसद के समक्ष न आने का निर्णय लेती है तो यह सरकार का अधिकार है। किसी भी सदस्य को केवल तभी प्रस्ताव लाने का अधिकार प्राप्त है जबकि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला प्रस्ताव संसद के समक्ष आना है, मेरा अनुरोध है अन्यथा उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन पराकाष्ठा में जाते हुए यदि किसी सदस्य को कोई अधिकार प्राप्त है, तो उसे केवल प्रस्ताव लाने का अधिकार है जैसा कि प्रक्रिया नियमों के नियम 184 के अन्तर्गत किया गया है। लेकिन जब तक सरकार का प्रस्ताव सदन के समक्ष नही आ जाता मैं समझता हूं कि हमें उस पर विचार करने का अधिकार

प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई किसी भी उद्घोषणा को संविधान के अनुसार 2 मास का जीवन मिलता है। हम इसे कम नहीं कर सकते हैं।

मुझे उसके बाद के खंडों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं मामले की गहराई में नहीं जाना चाहता हूं जैसा कि मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने किया है। लेकिन मैं विगत के ऐसे उदाहरण देना चाहूंगा जिनमें राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 174(2)(ख) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधान सभा भंग की गई।

अध्यक्ष महोदय : श्री आडवाणी ने एक बात उठाई थी कि यदि कार्यकारणी द्वारा इसे रद्द किया जा सकता है तो क्या संसद को इसकी सिफारिश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि जी नहीं ऐसा नही हो सकता।

अध्यक्ष महोदय : क्यों ?

श्री पवन कुमार बंसल : जब संसद अनुच्छेद 356(3) के तहत कार्य कर रही हो—वह आज भी हो सकता है—हमें दो माह तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि सरकार का प्रस्ताव आज सदन में आता है तो संसद उसे नामंजूर कर सकती है जिसका मतलब होगा, रद्द किया जाना। उस मामले में मुझे अनुच्छेद 356(3) के प्रावधानों को पढ़ने दें :

> "इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक उद्घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।"

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर कोई विवाद नहीं है। दो माह के अन्तर्गत इसे सदन के सामने लाना होता है। यदि इसे दो माह के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह व्यपगत हो जाती है। यदि कार्यपालिका ऐसा कर सकती हैं तो संसद क्यों नहीं ?

श्री पवन कुमार बंसल : संसद और कार्यपालिका दोनों ही संविधान की संरचनाएं हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां।

श्री पवन कुमार बंसल : संविधान संसद को कोई भी उद्घोषणा सदन में आने से पहले रद्द करने की अनुमति नहीं देता है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री पवन कुमार बंसल : यदि इसे दो माह तक सदन में नहीं लाया जाता हैं तो संविधान में कहा गया है कि यह स्वतः ही रद्द हो जाएगी। यही मेरा विनम्र निवेदन है।

इस संदर्भ में, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे भी उदाहरण हैं जबकि राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 274(1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधान सभा भंग कर दी गई।

उसके बाद राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 356 के तहत अधिसूचना जारी करके वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। ऐसा सन् 1970 में केरल में, सन् 1971 में पंजाब में और पश्चिम बंगाल में हुआ है। ऐसा सन् 1979 में केरल में फिर हुआ।...(व्यवधान) कृपया देखें कि 1979 में कौन-सी सरकार सत्ता में थी। वास्तव में यह मामला कांग्रेस पार्टी या किसी अन्य पार्टी का नहीं है। मैं ईमानदारी से इस बात का उल्लेख करने से बचना चाहता था। परन्तु आपने इसका उल्लेख किया है, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले मौके पर वहां सरकार कांग्रेस की नहीं थी।

इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि इस बात को ध्यान में रखें कि नागालैंड के माननीय राज्यपाल ने अनुच्छेद 174(2)(ख) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। तत्पश्चात् उन्होंने राष्ट्रपति को अपनी संस्तुति भेजी जिस पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा जारी की।

इस संबंध में मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि जिन पांच शर्तों का श्री आडवाणी ने उल्लेख किया है यह सर्वमान्य तथ्य है कि कामचलाऊ सरकार के गठन के बाद पांच मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया था। कामचलाऊ सरकार के क्या कार्य हैं? जो कुछ हुआ है, मैं उस बात का जिक्र नहीं करना चाहता हूं। वर्तमान सरकार बहुमत खो चुकी है। संविधान के उन उपबन्धों के होते हुए भी तत्कालीन मुख्य मंत्री ने विधान सभा भंग करने की सिफारिश की थी।

अध्यक्ष महोदय : हमें इसे और नहीं बढ़ाना चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल : अन्त में मैं केवल यह कहूंगा कि भले ही हम आज कोई संकल्प प्रस्तुत करें यह स्वीकार्य नहीं होगा, प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगा। संकल्प किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अपने भाषण को लम्बा करेंगे तो आप जानते हैं कि कई हाथ उठ रहे हैं। अतः अपने भाषण को जल्दी समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह विनती हम आपसे इसलिए कर रहे हैं कि असल में आपको फैसला लेना है। संविधान में जो प्रावधान हैं, उस सिलसिले में बोलने से पहले मैं आपको एक ऐतिहासिक तथ्य नार्थ-ईस्टर्न फ्रंटियर के सिलसिले में देना चाहता हूं। मैं जल्दी में ही अपनी बात खत्म कर दूंगा। मुझे बहुत तकलीफ के साथ यह बात कहनी पड़ रही है कि नार्थ-ईस्टर्न फ्रंटियर का इलाका संविधान लागू होने के बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अधीन रखा गया था। जब वहां के जनमत ने मांग की कि यह हमारे देश का इलाका है, फिर इसे क्यों एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत रख रहे हो तो वह होम मिनिस्ट्री के तहत आया। यह इलाका दिल्ली से दूर है। उसको एलिनेट करने के लिए यह सरकार योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रही है। मैं सरकार पर इल्जाम इसलिए लगा रहा हूं कि वहां एक अनप्रिसिडेंटेड सिचुएशन सरकार के चलते पैदा हुई है और वह सुनियोजित ढंग से वहां कार्य कर रही है। वहां प्रोक्लमेशन लागू करना संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। जब सरकार प्रोक्लमेशन लगाती है तो उसके साथ गवर्नर की रिपोर्ट भी रहती है। इसमें बहुत जबर्दस्त गैरकानूनी काम हुआ है। इसके साथ गवर्नर की रिपोर्ट का कोई

जिक्र नहीं है । पहले जब भी कभी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, कर्नाटक में या दूसरी जगह में, उसके साथ गवर्नर को रिपोर्ट संलग्न रही है । अभी आडवाणी जी और जार्ज फर्नान्डीज ने जो सवाल उठाए है, मैंने उनको सुना । अभी तक सिर्फ एग्जिक्यूटिव को ही ऐसी पावर थी । गवर्नर इसके तहत जो कुछ करना है, वह संविधान के तहत आता है । प्रतिशोध लेने के लिए और सबक सिखाने के लिए संविधान के खिलाफ भारत सरकार ने काम किया है । इससे आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है । हम तो गैर-सरकारी व्यक्ति हैं । धारा 356 और उपधारा (2) के तहत हमें लगता है कि हमें एक अधिकार प्राप्त है, जिसका संरक्षण करना आपके अधीन आता है ।

अध्यक्ष महोदय : एक बात पर मुझे आपकी मदद चाहिए और वह यह है कि संसद को यह करना चाहिए, यह चीज हमारे संविधान में कहां से निकलती है ?

[अनुवाद]

संविधान के कौन से भाग में कहा गया है कि यह संसद द्वारा किया जा सकता है ?

[हिन्दी]

श्री रवि राय : मैं जानता हूं यह नहीं है लेकिन सहायता करने हेतु आपसे कह रहा हूं । धारा 356 और उपधारा (2) के तहत किया जा सकता है । हम आपसे इस बारे में निवेदन करेंगे इसलिए कि आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है, विशेषाधिकार प्राप्त है । आप देश को बचाने हेतु और केन्द्र व राज्यों में सुसम्पर्क रखने हेतु इसमें हस्तक्षेप करें । हमारे यहां फैडरल स्ट्रक्चर है । मेरा सरकार के खिलाफ इल्जाम है कि यह यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चला रही है । फैडरल स्ट्रक्चर को बरकरार रखने के लिए और देश को बचाने के लिए आप इसमें कुछ करें । नार्थ-ईस्टर्न फ्रंटियर के लोग आज आपकी तरफ देख रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि आप कोई इस सम्बन्ध में फैसला लेने वाले हैं । आडवाणी जी और जार्ज फर्नान्डीज जी ने जो आपके समक्ष रखा है, आपको चाहिए कि आप एक नई रूलिंग और एक जबरदस्त रूलिंग देकर सरकार ने 184 के तहत जो दिया है और सरकार का जो स्टेचुटरी सवाल आया है, उसको सुपरसीड कर दें । इस बारे में हिम्मत करके, अध्यक्ष महोदय, आप यह करें । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मेरी मदद करने की कोशिश की है ।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि अनुच्छेद 356 एक सामान्य अनुच्छेद नहीं है, क्योंकि एक तो यह उपबन्ध एक ऐसी आपातकालीन स्थिति से निपटने संबंधी उपबन्धों के अध्ययन में ही आता है, जबकि ऐसी सामान्य स्थिति पैदा हो जाती है, जहां राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट होते हैं कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें संविधान के उपबन्धों के अंतर्गत सरकार नहीं चलाई जा सकती है—यहां ज्यादा जोर संविधानिक तंत्र के टूटने पर है । यह ऐसी स्थिति नहीं है, जहां सरकार के सामान्य कार्य पर ध्यान दिया जाये । जैसाकि मैंने श्री

आडवाणी जी के विचार को समझा है, उन्होंने कहा है कि संसद को यह प्राधिकार होना चाहिए कि वह निरसन के संबंध में सलाह दे या निरसन की सिफारिश करे। यह स्थिति ऐसी नहीं है। यहां अनुच्छेद 356, भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति को राष्ट्र की एकता और अखंडता के हित में और परिस्थितियों को देखते हुए आपातकालीन स्थितियों में यह प्राधिकार देता है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, जिससे राज्य विशेष में पुनः एक ऐसी स्थिति बहाल की जाने की कोशिश की जाए, जहां यह राज्य संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत चलाया जा सके। यदि कोई विशेष बात नहीं है तो अनुच्छेद 356 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप स्थिति नहीं होगी। यदि 356 (3) और 356 (4) को देखें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि 356 (3) के अन्तर्गत स्वयं संसद द्वारा उद्घोषणा संबंधी अनुमोदन के लिए भी सरकार को 2 महीने का समय दिया गया है। तुरन्त संसद के पास आने का भी प्रश्न नहीं उठता है, यद्यपि ऐसा होता है। लेकिन फिर भी यह अवधि दी जाती है, क्योंकि इन सब बातों को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि यह सब सुनिश्चित करने के लिए भी कम-से-कम अवधि तो होनी चाहिए, ताकि यदि वास्तव में संवैधानिक तन्त्र टूटा है तो सरकार के पास इस स्थिति का मूल्यांकन करने तथा ठीक करने के लिए कम-से-कम समय तो हो। अनुच्छेद 356 के खण्ड(3) के उपबन्ध से यह पता चलता है कि जहां भी इसे राज्य विधान परिषद द्वारा पारित किया गया, वहां विधान सभा द्वारा इस संकल्प के अनुमोदन के लिए पुनः एक माह का समय दिया जाता है। अनुच्छेद 356 के खंड (4) में स्पष्ट रूप से कहा गया है :

> "इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा, यदि वापस नहीं ली जाती है तो ऐसी उद्घोषणा के जारी किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी।"

अध्यक्षों द्वारा भी पहले वाले इन मुद्दों पर विचार किया गया है और मैं समझता हूं कि उन सभी ने कई मामलों में विनिर्णयों का जिक्र किया है, जहां अनुमोदन से पहले निरसन की बात की गई है और उन मामलों में जहां अनुमोदन के बाद निरसन की बात है। यहां यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहां तक अनुच्छेद 356 की बात है, संसद का इस संबंध में दायरा बहुत सीमित है। और यह तो केवल अनुमोदन करने या अपनी अस्वीकृति मतदान न करके जाहिर करने तक ही सीमित है। भले ही आप अपनी अस्वीकृति जाहिर करें, तब भी यह दो माह के बाद व्यपगत हो जाता है। अतः नोट किया जाए कि यह दो माह के पश्चात व्यपगत हो जाता है।

महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि क्या संसद को यह प्राधिकार है कि वह राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 (2) के अन्तर्गत शक्तियों का निरसन के वास्ते प्रयोग करने के लिए सिफारिश करे? यह देखा जा सकता है कि परिस्थितियों के अन्तर्गत अर्थात या तो राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों के संबंध में की गयी व्याख्या पर और जैसे कि सदन में चर्चा की गयी है, जहां स्पष्ट रूप से इसके बारे में पृष्ठभूमि उपलब्ध है, स्वयं 356 (1) में इन शक्तियों का प्रयोग निहित है। वह बिना वजह उस शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। वे पहले स्थिति का जायजा लेते हैं और फिर राष्ट्रपति उसके आधार पर इस शक्ति का प्रयोग करेंगे और यही मेरा कहना है कि अनुच्छेद 356 (2) के निरसन को अनुच्छेद 356 (1) के साथ पढ़ा जाए। क्या

राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या दूसरी तरह से इस बात से सन्तुष्ट होना चाहिए कि इसके निरसन से पहले इसे संविधान के अनुसार चलाया जा सकता है। अतः यहां ऐसी भी स्थिति होती है, जहां राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 (2) के अन्तर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। यह बात नहीं है कि वह पूरे मन से और प्रसन्न होकर यह सब करते हैं और इसका निर्धारण इस सभा के संकल्प द्वारा नहीं हो सकता है। यही मेरा निवेदन है।

मैं समझता हूं कि माननीय गृह मन्त्री पहले ही इस संकल्प को विचारार्थ प्रस्तुत करने वाले हैं, सरकार तैयार है, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, चाहे पूर्व शर्तों का पालन हुआ हो या नहीं। मैं समझता हूं कि गृह मन्त्री इस मामले पर ध्यान देंगे।

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे को हल करने के लिए मैं संवैधानिक उपबन्धों, विनिर्णयों और नियम पुस्तिका में दिए नियम पर निर्भर हूं। मैं प्रासंगिक संवैधानिक उपबन्ध पढ़ना चाहूंगा, इसमें कहा गया है :

> "ऐसी कोई उद्घोषणा किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या उसमें परिवर्तन किया जा सकेगा।"

यह अनुच्छेद 356 (2) है। इस अनुच्छेद में 'पश्चातवर्ती उद्घोषणा' ये दो शब्द हैं— जिन पर गौर किया जाना चाहिए। बंसल जी ने पश्चातवर्ती उद्घोषणा शब्दों पर ठीक ही जोर दिया है।

अनुच्छेद 123 भी प्रासंगिक है। अनुच्छेद 123 (2) (क) में कहा गया है :

> "संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः समवेत होने से छह सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों सदन उसके अननुमोदन का संकल्प पारित कर देते हैं तो इनमें से दूसरे संकल्प के पारित होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा।"

जब एक अध्यादेश जारी किया जाता है तो इसे संसद द्वारा अनुमोदित होना चाहिए और यदि यह संसद द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है तो यह प्रवर्तन में नहीं रहेगा। लेकिन इस उपबन्ध के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि सभा अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प पारित कर सकती है। इस तरह का प्रावधान अनुच्छेद 356 (2) में नहीं है। इन दो अनुच्छेदों के बीच के इस विभेद को ध्यान में रखना चाहिए।

इस बात पर कई विनिर्णय दिये गये हैं, लेकिन मैं केवल तीन विनिर्णय पढूंगा। जब केरल राज्य से संबंधित उद्घोषणा के अनुमोदन के लिए संकल्प पर चर्चा हो रही थी तो अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह ने अनुच्छेद 356 के खंड (3) का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है :

> "इस अनुच्छेद के अधीन जारी की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है, वहां वह दो मास की समाप्ति पर यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है, तो प्रवर्तन में नहीं रहेगी।"

इसलिए संवैधानिक आवश्यकता यह है कि सरकार इसे सदन के समक्ष पेश करे और जब तक इसे दोनों सदन अनुमोदित न कर दें, तब तक इसे स्वतः ही दो मास तक निरसित या व्यपगत माना जाए। इस ढंग से सरकार को सदन की स्वीकृति लेनी चाहिए। यदि सदन इस स्वीकृति को न दे तो इसे स्वतः ही मान लिया जाएगा। लेकिन इस तरह के संवैधानिक संकल्प पर ऐसा कोई भी वैकल्पिक प्रस्ताव, जो कि संविधान के अनुरूप हो, इस रूप में नहीं लाया जा सकता है। "कोई और दूसरा रूप इसके विस्तार के लिए पर्याप्त नहीं होगा।" अतः किसी अन्य रूप का प्रश्न ही नहीं उठता है। "या तो सदन इसे अनुमोदित करे या यह स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।" इसमें परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता है।"

वर्ष 1977 के दौरान अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत नौ राज्यों के संबंध में उद्घोषणाएं जारी की गई थीं। उद्घोषणाओं के अननुमोदन वाले संकल्पों के नोटिस अस्वीकृत हुए थे।

फरवरी, 1978 में कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में विचार करने के लिए नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्ताव के नोटिस को अध्यक्ष महोदय ने अस्वीकृत कर दिया था। किसने इसे इसके अंतर्गत किया? यह श्री हेगड़े थे, जिन्होंने निर्णय लिया था। "इस प्रश्न पर चर्चा करने के लिए अन्य अवसर भी हैं। इसीलिए जो अनुमति मांगी थी, उसे अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि इस विषय पर किसी भी चर्चा से नियम 186 का अतिक्रमण हो सकता है।

सातवीं लोक सभा के दूसरे सत्र में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत नौ राज्यों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का अननुमोदन या उद्घोषणाओं के निरसन के लिए नियम 184 के अन्तर्गत संकल्पों, प्रस्तावों के नोटिस और नियम 193 के अन्तर्गत अल्पकालिक चर्चाओं के संबंध में नोटिस 17 फरवरी, 1980 को अस्वीकृत कर दिए गए थे।

अतः ये विनिर्णय हैं और ऐसे कई अन्य विनिर्णय हैं और इन सभी विनिर्णयों को उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है।

तथ्य यह है कि सरकार ने सूचना दी है। संसदीय कार्य मन्त्री ने प्रातः ही पूछा था कि क्या मामले पर आज ही चर्चा होगी। मैंने उन्हें बताया कि चूंकि हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं, अतः उन मांगों पर चर्चा न करके इस विषय पर चर्चा करना कुछ कठिन होगा। अतः इस मामले पर निकट भविष्य में चर्चा होगी तथा पूर्वानुमान का नियम लागू होगा।

नियम 186 में कहा गया है कि "मामले का पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए।" यदि निकट भविष्य में मामले पर "चर्चा की जानी है" तब भी इसका समय भी निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए।

अतः सांविधानिक प्रावधान, नियम 184 और 186 के प्रावधानों तथा पूर्व अध्यक्षों द्वारा दिए गए विनिर्णयों के कारण इसे स्वीकार करना कठिन होगा।

प्रश्न यह है कि क्या अध्यक्ष पीठ को अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए और इस प्रकार की चर्चा की अनुमति देनी चाहिए।

श्री कुमारमंगलम ने यह कहते हुए बहुत सावधानी बरती है कि आपातकालीन उपबन्ध साधारण उपबन्ध नहीं हैं। उन्हें असाधारण परिस्थितियों में ही लागू किया जाना चाहिए। यदि मुख्य मन्त्री, राज्यपाल, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यपालिका ने और माननीय राष्ट्रपति ने इस बारे में कुछ किया होता और इस बात को ध्यान में रखा होता कि अध्यक्षपीठ को सभी तथ्यों की जानकारी नहीं होती है और ऐसे मामलों में अपने अधिकारों का उपयोग करना काफी खतरनाक होगा। अत: मैं अपने मामलों में अध्यक्षपीठ को प्राप्त अधिकारों का उपयोग नहीं करना चाहता। मेरे विचार से अध्यक्षपीठ को सभी तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर तथा विस्तार से उनका अध्ययन करने के बाद ही इन अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। मैं इस अधिकार का उपयोग करने की मनाही नहीं कर रहा हूं लेकिन इसका उपयोग सदन में असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। यदि मामला आपातकालीन उपबन्धों के सम्बन्ध में है, तब इसका कम-से-कम उपयोग किया जाना चाहिए। अतः मुझे दुख है कि माननीय सदस्यों द्वारा इस मामले पर जानकारी देने के बावजूद भी मैं इस सूचना को स्वीकार नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री आर्स्क फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा कि इन दी नियर फ्यूचर बहस होगी, मेरा निवेदन है कि इसको तत्काल करवाएं।

अध्यक्ष महोदय : जल्दी से जल्दी करवाएंगे, अभी बजट वगैरह चल रहा है।

श्री आर्स्क फर्नान्डीज : बजट तो पूरा महीना चलेगा।

अध्यक्ष महोदय : जल्दी से जल्दी करवाएंगे।

[अनुवाद]

हम इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मैं कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, कल एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन और एन० आई० सी० का प्रतिनिधि मंडल अयोध्या जाने वाला है। जो प्रतिनिधि मंडल अयोध्या जाने वाला है, उसमें से बहुत से सदस्यों ने माननीय गृह मंत्री जी को कई तरह के सुझाव देने का काम किया है। इन सदस्यों के पास न तो साइट प्लान है, अदालत में बाबरी मस्जिद वाले डिस्प्यूटेड इलाके के बारे में केस चल रहा है, उसका नक्शा भी किसी सदस्य के पास नहीं है, जिन चीजों को वहां से रिमूव किया गया है, उसकी जानकारी भी सदस्यों को नहीं है। आज तक उन सदस्यों को वह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। (व्यवधान)

श्री भुवन चंद्र खंडूरी (गढ़वाल) : बिना जानकारी के ही इतने दिन से आप लोग बोल रहे हैं, बिना जानकारी के पिछले कई दिनों से तीर पे तीर छोड़े जा रहे हैं।

श्री शरद यादव : मेरे कहने का मतलब है कि सारे पिछले इतिहास की जानकारी बहुत से माननीय सदस्यों को नहीं है। मैंने यह सवाल यहां पर उठाया है क्योंकि जो सदस्य वहां जाने वाले हैं, उनके पास साइट-प्लान का नक्शा नहीं है, बाबरी मस्जिद के डिस्प्यूटेड इलाके का नक्शा भी हम लोगों के पास नहीं हैं। वहां पहुंच कर तथ्य जान सकें और सारी चीजों की ठीक से जानकारी

प्राप्त कर सकें, इसके लिए यह जानकारी आवश्यक है। बहुत से सदस्य तो एक बार भी अयोध्या नहीं गए है। कुछ सदस्य जो उस प्रांत के हैं, इस संबंध में जानकारी रखते हैं, लेकिन अधिकांश सदस्य ऐसी जानकारी नहीं रखते हैं। जिन लोगों ने एक बार भी अयोध्या विजिट नहीं किया है, ऐसे सदस्य वहां पहुंच कर ठीक तरह से छानबीन नहीं कर सकते। यह एक संवेदनशील सवाल है और इस पर कई तरह के बयान आते रहे हैं। विश्व हिन्दू परिषद का कुछ बयान आता है और वहां के मुख्य मन्त्री का कुछ बयान आता है। यह सारी विवादास्पद स्थितियां बनने के बाद मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इससे संबंधित सारे कागजात पूरी मजबूती के साथ सारे लोगों के हाथ में मुहैया कराए जाने चाहिए, ताकि वहां पहुंच कर इन चीजों के बारे में ठीक से जानकारी हासिल करने का काम हो सके। कल ही डेलीगेशन जाने वाला है, यदि अंधेरे में डेलीगेशन जाएगा तो यह ठीक बात नहीं होगी, यह मेरा निवेदन है।...(व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष महोदय, हमें भी इस सवाल पर बोलने का मौका दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपको भी मौका मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में बिजली बोर्ड द्वारा लगभग 1008 अकुशल लोगों को रोजगार दिया गया है। छठी और सातवीं योजना के दौरान उन्होंने नियतकालिक कामगारों के रूप मे कार्य करना शुरू किया था, वे पिछले 12-15 साल से कार्य कर रहे हैं जिनमें ग्रामीण विद्युतीकरण की विभिन्न योजनाओं को लागू करना, नए विद्युत गृह स्थापित करना, वर्तमान विद्युत गृहों में डी० सी० क्षमता बढ़ाना, ट्रांसमीशन और वितरण प्रणाली शुरू करना, अधिप्राप्ति, संग्रहण, भंडारों के उपस्करों को लाना-ले जाना, आर० सी० सी० खंभे लगाना आदि शामिल हैं। चूंकि योजना पर वर्ष-दर-वर्ष कार्य होता रहता है इसलिए इन्हीं कामगारों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित कार्य करने के लिए पुन: रख लिया गया, उन्हें काम करते रहने की अनुमति दे दी गई। दुर्भाग्यवश, इन कामगारों को कार्य करते-करते 12 साल हो गए हैं लेकिन इन्हें नियमित नहीं किया गया है।

सरकारी आश्वासनों संबंधी संसदीय समिति ने इस मामले की जांच की थी और इनके मामलों पर विचार करने की सिफारिश भी की थी।

इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने भी इस मामले पर विचार किया तथा कहा कि इन मामलों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश अंडमान और निकोबार के प्रशासन ने पद सृजित करने संबंधी मामला भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय को भेज दिया। इस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि मानवता के आधार पर इस मामले पर विचार किया जाए। यह 1008 परिवारों की जिन्दगी का सवाल है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि तत्काल यह 1008 पद सृजित किए जाएं और इन लोगों को नियमित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, इस भीषण महंगाई के दिनों में सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई और एक जनवरी, 1992 से जो उनकी महंगाई भत्ते की दो किश्तें हैं उनको अदा न करना दुखद और निंदाजनक है। बंधुआ आय के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किश्तों के बिना गुजारा असम्भव है। अध्यक्ष जी, पिछले एक वर्ष के दौरान थोक मूल्यों में 13 फीसदी, खुदरा मूल्यों में 16 फीसदी और कुछ जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में 25 से 75 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 3500 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की एक जनवरी, 1992 से और 3500 से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की एक जुलाई, 1991 से महंगाई भत्ते की किश्त रुकी हुई हैं। पेंशन पाने वालों की दो किश्तें रुकी हुई हैं।

अध्यक्ष जी, सरकार ने बड़े-बड़े पूंजीपतियों, बड़े घरानों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और धन्ना-सेठों तक को रायल्टी और सुविधाएं दी हैं। परन्तु अपने कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की किश्तें रोक कर उनसे भीषण अन्याय किया। अध्यक्ष जी, सरकारी कर्मचारी यह आशा कर रहे थे कि कम से कम अप्रैल के महीने का जो वेतन मिलेगा उसमें महंगाई भत्ते की किश्तें दी जायेंगी, लेकिन लगता यह है और बार-बार देशवासियों में यह आशंका प्रकट की गई है कि विश्व बैंक के दबाव में आकर सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगाने जा रही है। सरकार यद्यपि इससे इन्कार करती है। परन्तु महंगाई भत्ते की किश्तों की अदायगी लम्बे समय तक रोकना विश्व बैंक की नाजायज शर्तों के आगे झुकना होगा। मेरा निवेदन यह है कि एक जुलाई से और एक जनवरी से जिनकी महंगाई भत्ते की किश्तें रुकी हुई हैं उनको वे किश्तें तुरन्त दी जाएं और इतने लम्बे समय तक सरकार ने जो धन अपने पास रखा है उसका ब्याज भी उनको दिया जाए। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री डी० वेंकटेश्वर राव (बापतला) : मैं सरकार का ध्यान आंध्र प्रदेश में तंबाकू पैदा करने वाले किसानों की कठिनाइयों की ओर दिलाना चाहता हूं। विर्जिनिया किस्म के तंबाकू का 80% आंध्र प्रदेश में ही पैदा किया जाता है और केन्द्र सरकार को इसके उत्पाद शुल्क से 2000 करोड़ रुपये तथा विदेशी मुद्रा से 250 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं।

लेकिन किसानों को पिछले कुछ सालों से उचित दाम नहीं दिए जाते हैं। गत वर्ष दिसम्बर में श्री चिदम्बरम ने गुंटूर का दौरा किया था और किसानों को आश्वासन दिया था कि इस वर्ष 145 मिलियन कि० ग्रा० के निर्यात के नये क्रयादेश प्राप्त हुए हैं, अतः उन्हें अच्छे दाम दिए जाएंगे। पिछले वर्ष उन्हें 33 रु० प्रति किलो की दर से दाम दिए गए थे लेकिन इस वर्ष 25 रु० प्रति किलो की दर से दिए गए।

दूसरी ओर इस वर्ष रूस से 25 मिलियन कि० ग्रा० तंबाकू तथा 3000 मिलियन कि० ग्रा० सिगरेट के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं। दुर्भाग्यवश इन व्यापारियों को केवल 15 मिलियन कि० ग्रा० ही सिगरेट दी गई।

महोदय, इसके अलावा डीजल, कोयला, खाद और अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से लागत प्रति एकड़ 60 प्रतिशत बढ़ गई है। किसानों से 10,000 रुपये से 12,000 रुपये व्यय करने की आशा की जाती है। जबकि उन्हें देने के दाम गत वर्ष की तुलना में 10 रुपये कम कर दिए गए हैं।

सारे आंध्र प्रदेश में यह कहा जा रहा था कि इस वर्ष निर्यात की किस्म के दाम गत वर्ष की तुलना में 10 रुपये से 12 रुपये तक अधिक होंगे। लगभग 30 करोड़ रुपये की राशि पांच या छः उन व्यापारियों को दी जाती है जो तंबाकू का निर्यात करते हैं। आंध्र प्रदेश में यह बहुचर्चित विषय था कि 30 करोड़ रुपये में से 10 करोड़ रुपये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महाधिवेशन से संबंधित कार्यकलापों के लिए दे दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश में किसान मेहनत करते हैं और केन्द्र सरकार को 2,000 करोड़ रुपये के साथ-साथ विदेशी मुद्रा के रूप में 250 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाते हैं तब सरकार उनकी ऐसी दयनीय दशा क्यों कर रही है और इन व्यापारियों को क्यों बढ़ावा दे रही है।

मैं वाणिज्य मंत्री और सरकार से निवेदन करता हूं कि इस ओर ध्यान दें, राज्य व्यापार निगम से इस बाजार में प्रवेश करने के लिए कहें तथा तंबाकू बोर्ड से भी बाजार में प्रवेश करने के लिए कहें ताकि वे 10 मिलियन कि० ग्रा० का बफर स्टॉक खरीदें और इन व्यक्तियों को उचित दाम मिलें।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : महोदय, स्टुवर्टपुरम रेलवे स्टेशन पर भयानक रेल दुर्घटना हुई है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डय्या, रेल मंत्री महोदय ने मुझे एक पत्र भेजा है कि वह इस पर एक वक्तव्य देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री यू० विजय कुमार राजू (नरसापुर) : महोदय, मंत्री महोदय को एक वक्तव्य देने दें (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। रेल मंत्री महोदय यहां नहीं हैं... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रेल मंत्री महोदय ने इस विषय पर वक्तव्य देने की अनुमति देने के लिए मुझे एक पत्र भेजा है। मैंने उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दे दी है। इसके समय के बारे में आपको सूचना दे दी जाएगी।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : मैं श्री राव द्वारा उठाए गए मुद्दे पर बोलना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राव, क्या यह आवश्यक है ? मुझसे अच्छी तरह से अनुमति मांगी गई है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मेरे सहयोगी श्री राव ने जो कहा है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। तंबाकू बोर्ड ने किसानों को प्रोत्साहन दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब इसे पहले ही बहुत अच्छे तरीके से कह दिया गया है, तब पुनः इसका बखान करके इसका प्रभाव कम करना है ;

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाडडे (विजयवाड़ा) : महोदय, यह चावल अथवा धान अथवा गेहूं नहीं है। स्वयं तम्बाकू बोर्ड ने ही और अधिक उत्पादन करने के लिए किसानों को बढ़ावा दिया था। उन्होंने किसानों को लगभग साठ प्रतिशत और अधिक उत्पादन करने का परामर्श दिया था। मैं आपको यही बताना चाहूंगा। आप कृपया वाणिज्य मंत्री जी से इस बारे में वक्तव्य देने को कहें और वह भी इस ओर ध्यान दें ताकि शेष 15 मिलियन कि० ग्रा० तम्बाकू भी खरीदा जा सके। महोदय, व्यापारी और सत्तारूढ़ दल दोनों मिलकर भी कम मूल्य प्रदान करके किसानों का शोषण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पूर्ण अधिवेशन के लिए दस करोड़ रु० देने जा रहे हैं। यह वास्तव में इस सरकार के लिए अत्यन्त शर्मनाक बात है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वर्तमान मूल्य पिछले वर्ष के मूल्यों की तुलना में कम नहीं होंगे। वे यह क्या कर रहे हैं ? श्री चिदम्बरम यहां पर आये और वचन दिया कि पिछले वर्ष के मूल्य से इस वर्ष का मूल्य कम नहीं होगा। इस समय किसानों को उससे पैंतीस प्रतिशत कम मूल्य दिए जा रहे हैं। वे तम्बाकू की खेती करने वालों का शोषण कर रहे हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ? आप मंत्री जी से कहें कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें और तम्बाकू खरीदने की दिशा में आवश्यक कदम उठायें। कृपया देखें कि आदेश दिये जायें। आप अपने तुच्छ उद्देश्यों की खातिर पूरे आदेश न देकर तत्कालीन रूसी राज्य के पथ पर जा रहे हैं।

1.00 म० प०

श्री अण्णा जोशी (पुणे) : अध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र के बंधुआ मजदूरों का मामला आपके ध्यान में लाना चाहूंगा।

यद्यपि सरकार बंधुआ मजदूरों की रिहाई और उनके पुनर्वास के लिए बढ़ावा देती रहती है, फिर भी यह जानकर आपको आघात पहुंचेगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र नामक एक राष्ट्रीयकृत बैंक में यह परम्परा वहां पर काफी समय से चली आ रही है। बैंक कर्मचारियों की प्राधिकृत यूनियन और स्थानीय सांसदों द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी बैंक प्रबंधन मामले को टाल रहे हैं। वर्ष 1973 से ही सौ से भी अधिक स्त्री-पुरुष इस बैंक में नियोजित हैं और पिछले बीस वर्षों से उन्हें केवल 150 रु० प्रति माह बंधी हुई तनख्वाह मिलती है जोकि बहुत कम है। सड़क पर बैठे भिखारियों की आमदनी भी 150 रु० प्रतिमाह से अधिक होती है। बंधी हुई आय वाले ये लोग पिछले बीस वर्षों से इन बैंकों में कार्यरत हैं।

मैं वित्त मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि वह इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और तुरन्त इस अन्याय को समाप्त करें और उन अभागे, शोषित कर्मचारियों की सेवाओं को पूर्ण रूप से नियमित करें तथा उन्हें नियमित वेतन दिया जाए और उन्हें भी वे सारी अन्य सुविधायें प्रदान करें जोकि अन्य सभी नियमित कर्मचारियों को दी जाती हैं।

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी (सिक्किम) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान उत्तर सिक्किम के उन जनजातीय लोगों की दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहूंगी जिनकी भूमि पिछले दो वर्ष से भी अधिक समय से सेना के प्राधिकारियों के कब्जे में पड़ी हुई है। इन जनजातीय लोगों

को उनकी जमीन से होने वाली आमदनी से भी वंचित कर दिया गया है क्योंकि उनको जमीन सेना के प्राधिकारियों के कब्जे में है और उन्हें क्षतिपूर्ति राशि का भी भुगतान नहीं किया गया है।

सेना के प्राधिकारियों ने उत्तर सिक्किम में मुंशीभांग में 80.20 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित करने का प्रस्ताव किया था। जमीन का कुछ भाग वन विभाग का है और कुछ उस क्षेत्र के जनजातीय लोगों का है। सिक्किम की सरकार ने उस प्रस्ताव के महत्व को ध्यान में रखते हुए उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी और देश के वन कानून के संरक्षण के अन्तर्गत अपेक्षित वन भूमि के स्थान पर प्रतिपूरक स्वरूप वृक्षारोपण हेतु कुल भूमि उपलब्ध करायी थी। उसके बावजूद सरकार और संबद्ध मंत्रालय अर्थात् रक्षा और वन और पर्यावरण मंत्रालय इत्यादि ने इस बारे में कदम नहीं उठाये हैं और इस स्थान के जनजातीय लोगों को दु:ख पहुंचाया है। इससे इस अति संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में स्थानीय नागरिकों और सेना के प्राधिकारियों में परस्पर सौहार्द्रपूर्ण संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है।

मैं सरकार से अर्ज करूंगी कि वह उक्त जनजातीय लोगों की भूमि की क्षतिपूर्ति का शीघ्र भुगतान करने और जनजातीय लोगों को दु:ख से राहत दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाये।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : माननीय अध्यक्ष जी, दुर्भाग्य है कि सदन में आज से ही नहीं, चार-पांच साल से अयोध्या के मामले को लेकर हमारे कुछ विरोधी दल अल्पसंख्यकों की संतुष्टि के लिए नाना प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं और गलत प्रचार करते हैं। हमें याद है जिस समय अयोध्या में ताला खुला उस समय सब काम शांति से हुआ और पिछली सरकार के समय वहां पर काफी हत्यायें हुईं। राजीव जी के समय में जब वहां शिलान्यास कराया गया तो सारे देश में इन लोगों ने प्रचार किया कि मस्जिद गिरा दी गई है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने आज दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने न्यायालय के आदेश का पालन किया है और राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ है और न ही होगा। यह सत्य है कि बहुत से लोग चाहते हैं कि राम जन्म भूमि पर मंदिर जल्दी से जल्दी बनाया जाये। उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्य मंत्री ने अपना वायदा पूरा किया और कोई नुकसान विवादित ढांचे पर नहीं आने दिया। जिन लोगों ने जांच के लिए आह्वान किया है उनको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। वे वहां जाकर देख लें कि वहां पर विवादित ढांचे की लेश मात्र एक ईंट भी नहीं गिराई गई है और अदालत के आदेश का पूरा सम्मान हो रहा है। अदालत ने जो आदेश दिया है कि वहां राम के दर्शन के लिए जो दर्शनार्थी आयें उनके लिए ठीक प्रबंध हो तो इसके लिए वहां भूमि को समतल किया जा रहा है, लेकिन यहां पर ये लोग हल्ला कर रहे हैं···(व्यवधान)

श्री शरद यादव : सरकार वह नक्शा दिखाए जो राम जन्म भूमि पर मंदिर बनाने का है···(व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र : मान्यवर, यहां पर विरोधी दल के लोग हिन्दू-मुस्लिम लोगों को आग लगाकर देश के टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हैं···(व्यवधान)···मैं निवेदन करूंगा कि इनके पास बिना नक्शे, बिना कानून-कायदे कोई जानकारी राम-जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की है, तो बतायें और ये यहां पर ऐसी बातें करना चाहते हैं···(व्यवधान)···बिहार में 40-40 लोगों का मर्डर

हुआ है, इसकी जांच के लिए यह कमेटी वहीं नहीं जायेगी लेकिन उत्तर प्रदेश में एक मस्जिद के लिए ये लोग वहां जांच करने जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : देखिए, उनके कहने से कोई गड़बड़ नहीं हुई है, आपके कहने से हो रही है···

श्री राम नगीना मिश्र : मान्यवर, हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो जांच-समिति जा रही है, इस बात की जांच करके देखें और सदन को बतायें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा···(**व्यवधान**)···आप सब सुन लीजिए कि जितने भी बयान हुए हैं, श्री सैयद शाहाबुद्दीन गलत बयानी दे रहे हैं, इसको दूर किया जाए। हमारी बात होती रही है और उन्होंने कहा कि इतिहास का सबूत दे दो, हम अयोध्या छोड़ने के लिए तैयार हैं···(**व्यवधान**)···हम चेलेंज करते हैं कि वहां पर खुदाई करवा दीजिए। आज भी वहां पर मूर्तियां निकल रही हैं। आज इस बात को लेकर सियासत हो रही है। इसलिए जब तक इन्क्वायरी न हो जाये, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि राष्ट्र को एक देखने के लिए राष्ट्र की एकता बनाये रखें। ये लोग जो वहां जा रहे हैं, वहां जाकर सबूत देखें और इस सदन को बता दें···(**व्यवधान**)···मान्यवर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने राम-जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर ठीक से कहने का मौका दिया।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : जनाब स्पीकर साहब, यह मसला बड़ा गर्मागर्म है। इस पर मैं नहीं बोलना चाहता···

अध्यक्ष महोदय : आप मत बोलिए। आप दूसरा बोलिए···

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट की टीम जा रही है, वह देखेगी, रिपोर्ट करेगी और उस पर बहस भी होगी।

जनाब स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से एक दूसरा मसला उठाना चाहता हूं। वह मसला है कि पंजाब के नौजवानों के कत्ल का। पंजाब से सैंकड़ों नौजवान गायब हैं, महीनों से और वर्षों से गायब हैं। कुछ लाशें नहरों से निकल रही हैं। कुछ नहरें जब सफाई के लिए खुश्क की जाती हैं तो उनकी तह से लाशें निकलती हैं और इन सारी बातों की अखबारों में चर्चा हो रही है और एक वातावरण यह बना है कि जनता के दिल में यह शक आ गया है कि वे ये नौजवान हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लेकर या क्रॉस-फायरिंग में उनको कत्ल कर दिया और उसके बाद उनकी लाशों को उनके अजीजों को सुपुर्द नहीं की बल्कि उनको पानी में बहा दिया या वजन जोड़कर उनको पानी में डुबो दिया···

अध्यक्ष महोदय : देखिए, ऐसी जब बातें हाऊस के अन्दर होती हैं, उसका देश पर क्या असर पड़ता है, यह मैम्बर्स समझकर बोलें, इतना ही मैं कहूंगा।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : ये बातें अखबारों में आ रही हैं, रिपोर्टें आ रही हैं···

अध्यक्ष महोदय : देखिए, अखबारों से बात हमेशा के लिए निकलती हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं···

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि बड़ी डिटेल रिपोर्ट आयी है। ह्यूमन राईट्स आर्गनाईजेशन की रिपोर्ट है···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उसे अधिप्रमाणित करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : इसके बारे में, मैं समझता हूं कि ह्यूमन राइट आरगनाईजेशन की रिपोर्ट भी है···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं। क्या आप उसे अधिप्रमाणित करेंगे ? मैं आपको इस पर चर्चा की अनुमति देता हूं।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि···

अध्यक्ष महोदय : आपकी मांग है मगर···

एक माननीय सदस्य : देश के हित में नहीं है···

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : महोदय, इस संबंध में एक रिपोर्ट है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

जस्टिस वेन्स की ह्यूमन राईट आर्गनाइजेशन की रिपोर्ट है, वह अथंटीकेट कर सकते हैं। हम यह मांग कर रहे हैं कि अगर ऐसी आशंका लोगों के दिलों में पैदा हुई है तो सरकार के लिए जरूरी है और खासकर प्रेजीडेंट राज के दौरान में अगर इस तरह के वाकयात हुए हैं तो उनकी पूरी छानबीन की जाए और इन्क्वायरी कमीशन बैठाया जाये और जस्टिस वेन्स को फौरन आजाद किया जावे और ह्यूमन राईट आर्गनाइजेशन की मदद से यह जानकारी देश के सामने रखी जाये। मैं अभी कोई बात अपनी तरफ से यकीन के साथ नहीं कह रहा हूं लेकिन लाशें पाई गई हैं, लोग गायब हुए हैं, उनके परिवारों को लाशें नहीं दी गई हैं, यह बात पक्की है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर सरकार पर यह आरोप लग रहा है तो इस आरोप को साफ करना भी सरकार की जिम्मेदारी है ताकि सफाई के साथ ये बातें देश के सामने आएं। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, यह भी हो सकता है कि आतंकवादियों ने नौजवानों को मारा हो और उनकी लाशें नहरों में फेंक दी हों। इस संभावना को भी ध्यान में रखना चाहिए। ···(व्यवधान)···

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : वहां पर 34 नौजवान मारे गए थे और उनकी लाशें पानी में फेंक दी गईं। उसकी इन्क्वायरी नहीं हुई और उसके बारे में आज तक कोई बयान नहीं हुआ। ···(व्यवधान)···

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको समय दूंगा।

···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, इस अयोध्या मुद्दे पर···(व्यवधान) मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं। महोदय, मैं केवल यह कह रहा हूं कि···(व्यवधान)

श्री राम नाईक (बम्बई उत्तर) : जिस दिन एक समान सिविल कोड पर चर्चा चल रही थी, तब यहां से आप लोग चले गए थे और अब आप फिर 'अयोध्या-अयोध्या' चिल्ला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह एक अनुचित आरोप है। मैं इस बारे में नहीं जानता। हमारी हमेशा यही मांग रही है कि एक समान सिविल कोड होना चाहिए और यदि वे गैर-सरकारी सदस्यों संबंधी संकल्प पर वास्तव से गम्भीर थे, तो उनके सभी 120 सदस्यों को सभा में उपस्थित होना चाहिए था। मैं उस पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। मैं इस बारे में विस्तार से कहने नहीं जा रहा हूं। महोदय, मैं केवल यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि हम सांसद कल राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में उपस्थित होने जा रहे हैं। प्रश्न यह है। श्री शरद यादव ने एक उचित विषय संगत प्रश्न उठाया है कि वहां पर कई ऐसी चीजों का निर्माण किया जाना है। वहां पर एक मन्दिर बनना है, वहां पर एक मस्जिद भी है और पर्यटन के संबंध में भी वहां पर कुछ बनाया जाना है। मुझे स्थल संबंधी योजना की जानकारी नहीं है। क्या यह मांग करना अनुचित है कि कल उस स्थान का दौरा करने वाले संसद सदस्यों को उस स्थल संबंधी योजना के बारे में बताया जाए? अन्यथा वहां पर जाना व्यर्थ होगा।

अध्यक्ष महोदय : यहां पर इन प्रश्नों का उत्तर देने की स्थिति में कौन है?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप नहीं हैं। मैं आप सेनहीं पूछ रहा हूं। इसके लिए सरकार है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया है। यहां पर गृह मंत्री जी मौजूद नहीं हैं। कल आप जा रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : श्री जैकब यहां पर उपस्थित हैं। हम कल जा रहे हैं। वह वहां पर हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

आपको इसमें क्या दिक्कत है? वाजपेयी जी आप बताइए। कोई खराबी नहीं है तो साइट प्लान देने में क्या दिक्कत है?···(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : होम मिनिस्टर साहब, इनको प्लान दे दीजिए। ···(व्यवधान)···

श्री राम नगीना मिश्र : आप कश्मीर मे जाकर देखें। वहां क्या हालत है लोगों की? ···(व्यवधान)···

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम कश्मीर पहले भी गए हैं और अब भी जाएंगे। कश्मीर हम दो बार जा चुके हैं। ···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खंडूरी : ऐसा लगता है कि ये लोग इस बात से अवगत हैं कि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं हो रहा है, संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है और इसीलिए अब वे उत्तर प्रदेश सरकार में कोई खामी निकालने के लिए कोई दूसरे बहाने तलाश कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने आप ही इस प्रकार की चर्चा न करें। उन्हें यह प्रश्न नहीं उठाना चाहिए था। आपसे इसके उत्तर की आशा नहीं की जा रही है। यह आवश्यक नहीं है। नहीं। हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। यह तो ऐसा हो गया है जैसे कि बहस करने के लिए हमारे पास कोई और विषय है ही नहीं।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : आप कश्मीर जाकर देखिए, वहां क्या हालत है ?

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं कश्मीर दो बार गया था। हम दुबारा कश्मीर जाएंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : चूंकि स्थल संबंधी योजना के बारे में खुलासा नहीं किया गया है, अतः वाजपेयी जी नहीं आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आज आपको बोलने की जरूरत नहीं है। परन्तु ऐसा नहीं हो सकता। कृपया समझने की कोशिश कीजिए कि यदि एक बार इस मामले को उठाने दिया गया, तब हर समय आप इसी मुद्दे को ही उठा रहे हैं। एक सदस्य ने इसे उठाया, दूसरे सदस्य ने उत्तर दिया, तीसरा सदस्य दिए गए उत्तर का भी उत्तर दे रहा है। यहां पर ऐसा नहीं चलेगा। हमें किसी और विषय पर चर्चा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। शायद देश के इतिहास में आज का दिन इसलिए अफसोसनाक है कि सारे देश के किसान आज अपनी मेहनत से कमाई हुई रोजी और गेहूं को जलाकर हिन्दुस्तान की हुकूमत के सामने यह कहने के लिए आए हैं कि जो गेहूं का सपोर्ट प्राइज फिक्स किया गया है 250 रुपये क्विंटल, और जो कॉटन और गेहूं का इंपोर्ट किया गया है, उसका इतना बुरा असर पड़ा है। मैं उस प्रदेश से आता हूं, जिसमें 20 प्रतिशत नेशनल पूल में ह्वीट दिया है। आज सब्सिडीज विदड्रॉ होने के बाद, एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटीज की रिकमंडेशंस देने के बाद 350 रुपया मूल्य किसान को उसके एक एकड़ में गेहूं बीजने की लागत का दिया है और 250 प्रति क्विंटल जो सरकार ने तय किया है, मैंने पहले भी इस मुद्दे पर माननीय अध्यक्ष जी, एक बार कहा था कि पंजाब के चुनाव मुकम्मल होने के बाद जो कॉटन है, उसको मंडियों से, सी॰ सी॰ आई॰

से खिलवाड़ किया और एक भद्दा मजाक किसान के साथ किया। जो कॉटन इंपोर्ट की गई है विदेशों से, उसकी इतनी घटिया क्वालिटी है कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। मैं आपके जरिए हुकूमत से दरख्वास्त करना चाहूंगा क्योंकि उनकी तरफ से यह वार्निंग दी गई है, जो आज यहां किसान नॉन-पोलिटिकल पार्टीज के देश के अलग-अलग हिस्सों से आए हैं, पंजाब से आए हैं, उनकी तरफ से यह वार्निंग आई है कि अगले सीजन में किसान गेहूं को मंडियों में लाने के मामले में मुकम्मल बायकाट करेंगे। जिस प्रदेश से 70 परसेंट ह्वीट आता हो, यदि वहां की मंडियों में मुकम्मल बायकाट हो गया तो यह बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि या तो सपोर्ट प्राईस को बढ़ाया जाए या कम से कम 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस गेहूं के ऊपर किसानों को दिया जाये।

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि मेवात के अन्दर···(**व्यवधान**)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इन सबकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं आपको इस तरह बोलने नहीं दूंगा। कृपया ऐसा मत करिए। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : मैं बिदड़ा करता हूं लेकिन मेरी अगली बात को सुन लीजिए। वर्ष 1960 में चकबन्दी के माध्यम से, बहुत-सी श्मशान भूमि और धर्मस्थल एक विशेष वर्ग के लोगों को दिए गए थे, परन्तु जिन स्थानों का मैंने अभी नाम लिया, वहां कुछ दूसरे सम्प्रदाय के लोगों द्वारा उन पर कब्जा किया जा रहा है, जिसके कारण वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वहां अनेक संत महात्माओं को पीटा जा रहा है और उसकी ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : अध्यक्ष महोदय, मैं नारियल की खेती करने वाले किसानों की समस्या को उठाना चाहूंगा। यह एक खेती होती है जिसमें हमें घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक उत्पादन होता है। इस समय आयात सम्बन्धी नयी नीति में इसे आयात की प्रतिबंधित सूची में शामिल नहीं किया गया है। अतः किसानों के लिए एक अत्यन्त गम्भीर समस्या उत्पन्न होने जा रही है। यदि नारियल का आयात बिना किसी प्रतिबंध के होने दिया जाता है, तो कैडबरी और नैस्ले जैसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बाहर से नारियल का आयात करना शुरू कर देंगी और इससे किसानों को मिलने वाले नारियल के मूल्य पर असर पड़ेगा। अतएव मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस नीति में परिवर्तन करे और इसे प्रतिबंधित सामान की आयात सूची में रखे।

अध्यक्ष महोदय : हमने सवा घंटे तक सूची में नहीं दिए गए कार्यों पर चर्चा की है। अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे। श्री विद्याचरण शुक्ल जी बोलेंगे।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

1.71 म० प०

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड और जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के लिए समझौता ज्ञापन

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : महोदय, मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड और जल संसाधन मन्त्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1754/92]

मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और विधि, न्याय और कम्पनी मामलों सम्बन्धी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं श्री संतोष मोहन देव की ओर से सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1755/92]

पवन हंस लिमिटेड, 1988-89 के कार्यकरण और वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) पवन हंस लिमिटेड, 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) पवन हंस लिमिटेड, 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1756/92]

(3) वायुदूत लिमिटेड के वर्ष 1988-89 से 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1757/92]

1.18 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की रिपोर्ट देनी है :

"राज्य सभा में प्रक्रिया नियमों और कार्यवाही संचालन के नियम 127 के प्रावधानों के अनुसार मुझे लोक सभा को सूचित करने का निदेश हुआ है कि दिनांक 3 अप्रैल, 1992 को बुलायी गयी अपनी बैठक में राज्य सभा ने भारतीय रेड क्रास सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1992, जिसे लोक सभा ने 18 मार्च, 1992 को अपनी बैठक में पारित कर दिया था, पर बिना किसी संशोधन के अपनी सहमति दे दी है।"

1.18-1/2 म० प०

[अनुवाद]

प्राक्कलन समिति

तेहरवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, मैं कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संबंध में प्राक्कलन समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इससे सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं।

1.19 म० प०

[अनुवाद]

लोक लेखा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : महोदय, मैं कलकत्ता में स्वचालित ट्रंक केन्द्रों के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत मामलों पर चर्चा आरम्भ करवाने से पहले मैं माननीय सदस्यों की जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि मानव संसाधन मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर चर्चा आज ही करवाने तथा इन मांगों को आज ही पारित करवाने सम्बन्धी प्रस्ताव मुझे मिला है। अन्यथा अन्य मंत्रालयों से सम्बन्धित मांगों पर चर्चा करवाना संभव नहीं होगा, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए भी अन्य मंत्रालयों से संबंधित मांगों पर प्रभाव न पड़े, मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करता हूं कि अगर आवश्यकता पड़े तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों से मांगों पर चर्चा तथा उन्हें पारित करवाने के लिए वे कुछ देर अधिक समय भी बैठने का कष्ट करें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : क्या हम यह जान सकते हैं, सरकार का विचार नागालैण्ड के मुद्दे पर कब चर्चा करवाने का है?

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार के साथ विचार-विमर्श करके आज सायं अथवा कल आपको इसकी जानकारी दे दूंगा।

1.20 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में मिनिमाता हसदेव बांगो बहुउद्देशीय परियोजना को पूरा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भवानी लाल वर्मा (जांजगीर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

"मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिला में निर्माणाधीन मिनिमाता सहदेव बांगो परियोजना को वर्ष 1977 में प्रारम्भ किया गया। यह एक वृहत बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसकी वार्षिक सिंचाई क्षमता 4,34,000 हैक्टेयर निर्धारित थी, 120 मेगावाट पन-बिजली का उत्पादन तथा कोरबा स्थित विभिन्न औद्योगिक केन्द्र जैसे राष्ट्रीय ताप विद्युत भारत एल्यूमीनियम फैक्ट्री, 12 कोयला खदान तथा दो लाख की आबादी की जल आपूर्ति का भी प्रावधान था। उक्त परियोजना पर आज के मूल्य में लगभग 700 करोड़ रुपए की राशि का व्यय अनुमानित है।

उक्त परियोजना को विश्व बैंक से भी सहायता प्राप्त थी और उसे वर्ष 1991-92 में पूरा किया जाना था। मगर कार्य की धीमी गति के कारण विश्व बैंक की सहायता निरस्त हो गयी है तथा पिछले तीन वर्षों से उसके नहर के निर्माण कार्य तथा अन्य संबंधित कार्य लगभग बन्द प्राय: हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 1992-93 मध्य प्रदेश के बजट में परियोजना हेतु कोई भी प्रावधान नहीं रह गया है, जिसके कारण लाभ भागियों में बहुत असंतोष है। उक्त परियोजना से ऐसे विकास खंडों में सिंचाई प्रस्तावित थी, जहां औसत सिंचाई 5% से 7% बाकी गई है और इस वर्ष अकाल की स्थिति के कारण एक लाख लोगों का पलायन हो चुका है।

अतः केन्द्र शासन से अनुरोध है कि उक्त परियोजना को अपने हाथ में लेकर कार्य को पूरा करायें।"

(दो) महाराष्ट्र में स्थापित नए चीनी कारखानों को रियायतें दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील (नान्देड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय उठाना चाहती हूं :

"केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र में 38 नये शुगर कारखाने लगाने की अनुमति दी है जिनमें 9 कारखानों का काम चालू है और आशा की जाती है कि चालू वित्त वर्ष में ही उनमें उत्पादन शुरू हो जाएगा। शेष 29 में से 27 कारखानों को मशीनें खरीदने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन परियोजना व्यय 34 करोड़ रुपए तक बढ़ जाने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि उनकी आर्थिक सक्षमता पर फिर से विचार किया जाए। इसके लिए केन्द्र सरकार ने एक समिति भी नियुक्त की है जो इस बात पर विचार करेगी कि कैसे उनके खर्चों में कटौती की जाए।

कोई भी परियोजना केवल तभी सक्षम होती है जब वित्तीय संस्थाएं उसके लिए दीर्घकाल की आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगी कि नए लगने वाले कारखानों को कुछ रियायतें और भी दी जाएं। एक तो यह कि राज्य को इस समय शुगर लेवी के लिए दो भागों में बांटा गया है। इसके बजाय इसे तीन भागों में कर दिया जाए। दूसरी यह है कि जो कारखाने उच्च वसूली वाले क्षेत्र में आते हैं उन्हें 10 वर्ष के लिए, मध्यम वसूली वाले क्षेत्रों को 12 वर्ष के लिए तथा निम्न वसूली वाले क्षेत्रों को 15 वर्ष के लिए सौ प्रतिशत शुगर खुले बाजार में बेचने की छूट दी जाए। इसके अलावा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम इन कारखानों की वित्तीय सहायता कर सके, इसके लिए उन्हें अतिरिक्त धनराशि दी जाए।

माहाराष्ट्र में गन्ने की फसल उगाने और कारखानों तक उन्हें ढोकर ले जाने का काम भी कारखानों को ही करना होता है। अतः सरकार लेवी शुगर का मूल्य निश्चित करते समय इन दो बातों का भी ध्यान रखे।

मैं आशा करती हूं कि उक्त 27 कारखानों के मूल्यों में और अधिक वृद्धि होने से पहले ही ये चालू हो सकेंगे, इसके लिए केन्द्र इन प्रस्तावों पर शीघ्र अपना निर्णय दे।"

[अनुवाद]

(तीन) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम के उत्पादों के लिए लाभ प्रद मूल्य सुनिश्चित करना तथा पर्याप्त संख्या में आर्डर दिलाए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृष्ण कोंताला (अनकापल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम स्थित हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जिसकी नींव स्वदेशी आन्दोलन की साहसिक भावना के अन्तर्गत रखी गई थी अपने पचास वर्ष पूरे करके स्वर्ण जयन्ती वर्ष में कदम रख चुका है। पूर्वी समुद्र तट पर इस प्रथम उद्योग की आधार शिला स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति द्वारा 21 जून, 1941 को रखी गई थी तथा इसके द्वारा बनाए गए प्रथम जलयान 'जल ऊर्जा' का जलावतरण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। तब यह आश्वासन दिया गया था कि सरकार इस उद्योग की हर प्रकार से सहायता करेगी तथा शिपिंग उद्योग को किसी भी कीमत पर आघात नहीं पहुंचने दिया जाएगा तथा यह हर कीमत पर चलता रहेगा।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने माल वाहक यात्री, नेवी पैट्रोल, आपूर्ति जलयान, ड्रेजर्स, तथा व्यापारिक जलयान स्वामियों, जल सेना, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और पत्तनों के लिए हार्बर क्राफ्ट्स इत्यादि विभिन्न प्रकार के 100 जल यानों का अब तक निर्माण किया है। पिछले ही दिनों 100 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 'सागर भूषण' नाम का महत्वपूर्ण 'ड्रिल शिप' (तेल की खुदाई करने वाले जलयान) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को सौंपा गया। जलयानों के निर्माण तथा मरम्मत के कार्य में इसको व्यापक अनुभव तथा महारत हासिल है। 1976-82 के दौरान इसने लाभ कमाया है तथा लाभांश की घोषणा की है। 1982 तक 80 करोड़ रुपए की लागत वाली आधुनिकीकरण योजना 2 चरण के पूरा होने पर अपतटीय प्लेटफार्मों के निर्माण के लिए एक अपतटीय प्लेटफार्म यार्ड लोवा गार्डन में 1985 में स्थापित किया गया था तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को 9 प्लेटफार्मों तथा दो जैकेटों की आपूर्ति की गई जिन्हें बम्बई हाई तथा गोदावरी की तलहटी में स्थापित किया गया था। इन सुविधाओं से सुसज्जित यह शिपयार्ड देश का एकमात्र प्रथम तथा आधुनिक शिप बिल्डिंग यार्ड है।

तथापि पर्याप्त क्रयादेशों के अभाव और अन्य अलाभकारी मूल्य निर्धारण सूत्र के कारण इस शिपयार्ड को वर्तमान में गंभीर वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अनिश्चित भविष्य के कारण यहां कार्यरत श्रमिकों का मनोबल काफी गिर चुका है।

इन परिस्थितियों में भारत सरकार को मूल्य निर्धारण सूत्र का पुनर्निरूपण करके तथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को पर्याप्त क्रयादेश देकर इसे भावी विनाश से बचाना चाहिए तथा 10,000 कर्मचारियों के परिवारों की रक्षा करनी चाहिए।

(चार) लातूर-मिरज छोटी लाइन को शीघ्र बड़ी लाइन में बदलने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले (ओसमानाबाद) : महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र राज्य का सबसे अधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। बड़ी लाइनों के अभाव के कारण हमारा विकास अवरुद्ध हुआ है क्योंकि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए रेल लाइनें होना प्रथम आवश्यकता है। कुछ थोड़ी-सी रेलवे लाइनें जो हैं, वे या तो मीटर गेज लाइनें हैं अथवा छोटी लाइनें। अगर इन्हें बड़ी लाइनों में परिवर्तित कर दिया जाये तो विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है।

मुझे प्रसन्नता है कि अब सरकार ने लातूर-मिरज छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और लातूर रोड तक इसे ले जाने, जो कि केवल 30 कि० मी० की दूरी पर है, के लिए नए सर्वेक्षण का कार्य हाथ में लिया। वर्ष 1992-93 के बजट में भी यह प्रस्ताव किया गया है। यदि इस कार्य को तेजी से किया जाए तो हैदराबाद से बम्बई तक एक सीधी लाइन मिल जाएगी और मराठवाड़ा क्षेत्र तथा हैदराबाद और बम्बई जैसे क्षेत्रों के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार तथा यात्री यातायात आरम्भ हो जाएगा।

माननीय रेल मंत्री से मेरा निवेदन है कि मराठवाड़ा क्षेत्र के लोगों की भावनाओं तथा वहां के विकास की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वह उक्त रेलवे लाइन का निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर करायें।

[हिन्दी]

(चार) हरिद्वार, उत्तर प्रदेश के लिए स्थगित की गई रेल गाड़ियों को पुनः चलाए जाने की आवश्यकता

श्री चेतन पी० एस० चौहान (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश में अर्ध-कुम्भ मेला 13 अप्रैल, 1991 से आरम्भ हो रहा है। इसमें करीब 8-10 लाख लोग पूरे देश से आते हैं। इनमें ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान से इस मेले में भाग लेते हैं और यह मेला करीब एक महीने चलता है और मई मध्य में समाप्त हो जाता है।

हरिद्वार तक पहुंचने के लिए अधिकतर लोग रेल से यात्रा करते हैं। हरिद्वार जाने और आने के लिए 4265 अप और 4266 डाउन ट्रेनों को 7 जनवरी, 1992 को अन्य 60 (ट्रेनों) रेलगाड़ियों के साथ स्थगित कर दिया है। इसी के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण साबरमती एक्सप्रेस भी शामिल है। इन गाड़ियों के स्थगित होने से अब केवल एक ही ट्रेन 3009 अप 3010 डाउन दून एक्सप्रेस ही बाकी बची है जो इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों को लाने, ले जाने में असमर्थ है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार से अन्य जगहों को जाने वाली ट्रेनों को फिर से शुरू किया जाए एवं मेले की आवश्यकता को देखकर मेला स्पेशल चलाने की व्यवस्था करें।

(छ:) सम्भल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न कस्बों में खाना पकाने की गैस की एजेंसियों को खोलने की स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा० एस० पी० यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र सम्भल में कुकिंग गैस का नितान्त अभाव है। यह क्षेत्र दिल्ली से केवल 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में सम्भल नगर में ही केवल एक गैस एजेंसी है जबकि इस नगर की जनसंख्या लगभग 2.50 लाख है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि सम्भल लोक सभा क्षेत्र के निम्नलिखित नगरों में एक-एक कुकिंग गैस एजेंसी की स्वीकृति अतिशीघ्र करने का कष्ट करें :

1. सरायतरीन (सम्भल) जिसकी जनसंख्या लगभग 60 हजार है।

2. बिसौली (बदायूं) जिसकी जनसंख्या लगभग 30 हजार है।

3. बबराला गुन्नौर (बदायूं) दोनों की जनसंख्या लगभग 25 हजार है।

4. बहजोई+सिरसी (मुरादाबाद) दोनों की जनसंख्या लगभग 40 हजार है।

5. कुन्दरकी+ठक्का+सैद नगली (मुरादाबाद) तीनों की जनसंख्या लगभग 25 हजार है।

इस कार्य से क्षेत्र की महिलाओं के साथ न्याय हो सकेगा।

(सात) टूण्डला और एटा के बीच की रेल लाइन का फर्रुखाबाद । बरेली । अलीगढ़ तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेशानन्द स्वामी (जलेसर) : अध्यक्ष महोदय, टूण्डला से एटा के लिये मात्र तीन डिब्बे की एक सवारी गाडी चलाई जाती है, जो कि अधिक स्पीड नहीं पकड़ पाती क्योंकि बरहन से लाइन अलग होते ही लाइन पर कहीं पत्थर नहीं हैं । इससे इंजन स्पीड नहीं पकड़ पाता । बैठने वालों को खतरा बना रहता है क्योंकि अराजक तत्व चलती गाड़ी में उतरते-चढ़ते हैं । इस लाइन पर 2-4 भले आदमियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति टिकट नहीं लेता । रेल मंत्री ने सदन में भी आश्वासन दिया था कि गाड़ियों में सुविधा की वृद्धि, नई लाइनें एवं कुछ अतिरिक्त गाड़ियां चलाई जायेंगी ।

अतः मैं चाहूंगा कि टूण्डला-एटा लाइन को फर्रुखाबाद से जोड़ दिया जाए या इसे बरेली से जोड़ा जाए । यदि कहीं नहीं हो सके तो इसे अलीगढ़ से तो जोड़ा ही जाए । यदि इस लाइन को कहीं आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो इस लाइन का कभी भी समुचित उपयोग नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : सभा 2.30 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है ।

1.32 म० प०

(तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.30 म० प० तक के लिए स्थगित हुई)

2.36 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.36 म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

सभापति महोदय : अब श्री मल्लिकार्जुन एक वक्तव्य देंगे ।

2.36 म० प०

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

दक्षिण-मध्य रेलवे के गुडूर-विजयवाड़ा बड़ी लाइन खंड पर 5-4-1992 को 423 पिडुगुंटा-विजयवाडा पैसेंजर गाड़ी के एक माल गाड़ी के पिछले हिस्से से टक्कर

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : बड़े दुःख के साथ मुझे सदन को यह सूचित करना पड़ रहा है कि लगभग 21.10 बजे दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाडा मंडल के दोहरी लाइन गुडूर-विजयवाडा बड़ी लाइन विद्युतीकृत खंड पर गाड़ी नं० 423 पिडुगुंटा-विजयवाडा पैसेंजर गाड़ी के एक माल गाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा जाने के कारण दुखद दुर्घटना हो गई है । इस

दुर्घटना का कारण यह था कि माल गाड़ी, जिसे संदुरू स्टेशन के होम सिगनल पर रोक रखा गया था, होम सिगनल से स्टेशन की ओर चली ही थी कि एक पैसेंजर गाड़ी उसके पीछे से आ गई और उससे जा टकरायी। इस दुर्घटना के कारण, पैसेंजर गाड़ी का इंजन और पहला सवारी डिब्बा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, दूसरा सवारी डिब्बा और माल गाड़ी के चार माल डिब्बे पटरी से उतर गये जिससे अप और डाउन दोनों लाइनें अवरुद्ध हो गईं, टक्कर के परिणामस्वरूप, 9 व्यक्तियों की जानें गईं और 20 व्यक्ति घायल हो गये जिनमें से 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मारे गये व्यक्तियों में इस दुर्भाग्यपूर्ण पैसेंजर गाड़ी का ड्राइवर और सहायक ड्राइवर भी शामिल हैं।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही विजयवाड़ा और विट्ठागुंटा से मंडल अधिकारियों और डाक्टरों को लेकर चिकित्सा राहत वैन तुरन्त दुर्घटना-स्थल के लिए भेज दी गयी थी, राहत एवं बचाव कार्यों की देख-रेख के लिए महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे भी विभागाध्यक्षों के साथ दुर्घटनास्थल के लिए रवाना हो गए थे। स्थानीय सिविल और पुलिस अधिकारी भी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए।

सदस्य यातायात और सदस्य बिजली, रेलवे बोर्ड राहत कार्यों के निरीक्षण के लिए वायुसेना के विशेष विमान द्वारा दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हुए।

रेल संरक्षा आयुक्त, दक्षिण मध्य क्षेत्र 10-4-1992 से इस दुर्घटना की सांविधिक जांच करेंगे।

मृतकों के निकट संबंधियों तथा घायलों को अनुग्रह राशि के भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। यह मृतकों के निकट संबंधियों तथा घायलों को रेल दुर्घटना प्रतिकर नियम, 1990 के अन्तर्गत दिए जाने वाले मुआवजे के अलावा होगा। मृत्यु तथा ऐसी चोटों, जिनसे कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य करने के योग्य नहीं रह जाता, के मामले में देय मुआवजे की राशि 2 लाख रुपए है। अन्य प्रकार की चोटों के लिए यह राशि 16,000 रुपये से 1,80,000 रुपये के बीच होती है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ, मैं तथा सभी रेल कर्मचारी इस दुःखद दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों के संबंधियों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं तथा घायलों के प्रति सच्ची सहानुभूति प्रकट करते हैं।

मुझे विश्वास है कि सदन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करने में हमारे साथ है।

2.40 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

नागालैंड के राज्यपाल के दिनांक 27 मार्च, 1 92 के प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : महोदय, मैं नागालैंड के राज्यपाल के दो प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) दिनांक 27 मार्च, 1992 में से प्रत्येक की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1751/92]

2.40-1/2 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा जारी रखेगी और उस पर मतदान होगा। अब डा० के० डी० जेस्वानी बोलेंगे।

डा० कुशीराम कुंवरोमल जेस्वानी (खेड़ा) : सभापति महोदय, श्रीमान्, मैं मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर अपने विचार रखना चाहता हूं। मुझको यह अवसर दिया गया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मैं मुख्यतः शिक्षा के संबंध में बोलना चाहता हू, क्योंकि भले ही यह महिला की बात हो अथवा शिशु की, कला की हो या संस्कृति की, खेल की हो अथवा अन्यथा हो, मुख्यतः विकास समाज को उपलब्ध होने वाली शिक्षा के स्तर पर आधारित होता है। कई युगों पहले प्राचीन समय में हम कहा करते थे :

[हिन्दी]

"विश्व गुरू थे हमसे ही सब शिक्षा लेने आते थे।"

[अनुवाद]

वह अभिलाषा कहां गई ? वह महत्वकांक्षा कहां गई ?

विपक्ष से मेरे मित्र कहते हैं कि महत्वाकांक्षी मत बनो। बिना महत्वकांक्षा के तुम प्रगति कैसे कर सकोगे ? हम वांछित परिणाम लाने में बुरी तरह असफल रह गये हैं, क्योंकि हमने गलत नीतियों को अपनाया है और गलत निर्णय लिए हैं। कारण स्पष्ट है कि नीतियां और निर्णय चुनाव जीतने या मत प्राप्त करने के लिए तय किए गए थे। हमारी जनता महत्वाकांक्षा खो चुकी है। हमारे अपने 45 वर्ष के शासन के बाद भी यदि जनता को रोटी, कपड़ा और मकान की ही मांग करनी पड़ती है तो क्या आप इसे महत्वाकांक्षा कहेंगे ? यहां पर रोटी का अर्थ शिक्षा है।

हम अभी भी प्रगति के लिए नहीं बल्कि संक्रांति के कारण प्रयोग के दौर से गुजर रहे हैं। इस कारण हम अभी भी अपनी मौलिक नीतियों को तय नहीं कर पाये। भले ही शिक्षा के क्षेत्र में हों। सभी को प्राथमिक शिक्षा का एक संविधानिक दिशानिर्देश है। संविधान के अनुच्छेद 45 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। उसके अनुसार :

"राज्य, इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।"

इसके साथ ही, सरकार असमानता को दूर करने और अनुसूचित जाति, जनजाति महिलाओं और अल्पसंख्यकों को शिक्षा का समान अवसर देने के लिए बाध्य है। शिक्षा के विकास में प्राथमिक

शिक्षा क्षेत्र, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। शिक्षा एक संवर्ती विषय है। केन्द्रीय सरकार और राज्यों के बीच सहमति एक अर्थपूर्ण साझेदारी हो सकती है। हम सिर्फ यह कहकर बच नहीं सकते कि यह एक राज्य से सम्बन्धित विषय है और राज्य सरकारें, केन्द्रीय सरकार के आदेश अथवा योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर रही हैं।

अब तक 45 वर्षों के शासन में से वर्तमान पार्टी 41 वर्षों तक सत्ता में रही है। राष्ट्र के प्रति उनकी क्या वचनबद्धता है? यही कि इस शताब्दी के अन्त तक शून्य प्रतिशत निरक्षता शून्य प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि, शून्य प्रतिशत बेरोजगारी, शून्य प्रतिशत निर्धनता रहेगी। इन सभी प्रतिमानों का, राष्ट्र के शैक्षिक स्तर के आकार, रूप और सम्पूर्ण कार्य पर सीधा असर होता है।

महोदय, स्वतंत्रता के 45 वर्षों के बाद हमारी क्या स्थिति है? हमारी लगभग आधी जनसंख्या अभी भी निरक्षर है। हम केवल 30 प्रतिशत महिलाओं को साक्षर बना सके। अन्यथा इस क्षेत्र में उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए बाध्य है। कांग्रेस अपने आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यकों का वास्तविक मुक्तिदाता मानती है। यद्यपि हमने इस सम्बन्ध में ही थोड़ा काम किया है। लेकिन अब तक केवल अनुसूचित जाति में से लगभग 25 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों में से 20 प्रतिशत लोगों को ही शिक्षित किया गया है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख राज्य में केवल 41 प्रतिशत साक्षरता है और वहां केवल 26 प्रतिशत महिलायें ही शिक्षित हैं। राजस्थान जैसे अन्य प्रमुख राज्य में कुल साक्षरता 38 प्रतिशत है, और केवल 20 प्रतिशत महिलाएं ही शिक्षित हैं। इसी अशिक्षा के कारणवश, हर वर्ष हम अपनी जनसंख्या में कम से कम 16 करोड़ की वृद्धि कर रहे हैं। यदि इस सच्चाई पर हम गर्व करेंगे तो मुझे इस सन्दर्भ में कुछ भी नहीं कहना है। हमारे दुर्भाग्यवश पांच करोड़ से भी अधिक शिक्षित युवाओं को बेरोजगार बना रखा है। इस सामाजिक विषमता के कारण बड़े-बड़े अपराधों ने जन्म लिया है। इस संख्या से दुगने से भी अधिक बेरोजगार ऐसे ग्रामीण युवा हैं, जिन्होंने अभी तक अपना नाम रोजगार केन्द्र में पंजीकृत नहीं कराया है। इस कारणवश लगभग 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं।

इन दुर्व्यवस्थाओं के कारण प्रतिभा पलायन जैसी बुराई ने जन्म लिया है। हर वर्ष लगभग तीन से पांच प्रतिशत उच्च शिक्षा प्राप्त तथा टैक्नोलोजी निपुण युवा देश से बाहर चले जाते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें पर्याप्त उचित रोजगार अवसर और प्रोत्साहन नहीं मिलता है। प्रौद्योगिकी के पिछड़ेपन के कारण उनकी प्रगति में अवरोध उत्पन्न होता है। हम लोग भी उनके, देश के बाहर चले जाने पर चिन्ता नहीं करते, क्योंकि हमारे घरों में जीविका अर्जन करने वाले कई लोग होते हैं। लेकिन, दीर्घ अवधि में ऐसा प्रतिभा पलायन राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय हानि सिद्ध होगा। मैं इस विषय को बाद में स्पष्ट करूंगा।

वर्ष 1986 में एन० ई० पी० में, सरकार ने आपरेशन ब्लैक बोर्ड की घोषणा की थी। कागजों पर योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन उनका वास्तविक कार्यान्वयन निराशाजनक है। मेरे गुजरात राज्य के गांवों में ऐसे कई स्कूल हैं, जहां मूलभूत सुविधायें नहीं हैं। जहां पर स्कूल है या तो वहां शिक्षक ही नहीं हैं या फिर छात्र नहीं हैं। अब तक 29 जिलों में केवल 280 नवोदय स्कूल खोले गये हैं, जिनमें से केवल 150 स्कूल अपने निजी भवनों में स्थापित किए गए हैं। ऐसे स्कूल जिनके अपने भवन नहीं हैं, कागजों पर उल्लिखित सेवाओं को प्रदान नहीं कर सकते। शायद

आर्थिक दबाव के कारण स्कूली शिक्षकों का व्यापक अनुकूलन कार्यक्रम सातवीं योजना के उपरांत जारी नहीं रखा गया। अब तक, लगभग 17.5 लाख शिक्षकों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, लेकिन इसमें अभी कुछ और शिक्षकों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। अभी भी हम शिक्षकों और प्रोफेसरों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं ला पाये। अपने प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक के बाद एक समिति को नियुक्त किया गया, लेकिन विभिन्न समितियों की सिफारिशों को अभी तक पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया। इस वजह से सरकारी शिक्षक समुदाय को भारी कठिनाई होती है। यदाकदा वे अपना उद्देश्य प्रकट करते रहते हैं, जो कि गुजरात राज्य में और भी प्रचण्ड है। हाल ही में, परीक्षाओं के समय, गुजरात में शिक्षकों ने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी, क्योंकि सरकार के पास उनकी कुछ समस्याएं लम्बित पड़ी थीं।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से अधिक लाभ नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में, विशेषकर हमारे राज्य में भ्रष्टाचार अधिक है। क्या अभी भी हमें अपने आप को यह कहकर सान्त्वना देनी चाहिए कि भ्रष्टाचार दुनिया में सभी जगह से फैला हुआ है ? यदि हम ऐसा करते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम इस शिक्षा के पवित्र क्षेत्र के प्रति बड़ा अन्याय कर रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकले क्योंकि पश्च साक्षरता कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से नहीं चलाया गया। वर्ष 1991-92 के 977 करोड़ रुपयों के योजना परिव्यय की तुलना में 1992-93 में 951 करोड़ रुपयों का योजना परिव्यय नियत किया गया है। इससे आर्थिक कठिनाइयों का पता चलता है। लेकिन यह सम्पूर्ण शैक्षिक व्यवस्था की प्रगति को बुरी तरह प्रभावित करेगा। वित्तीय सहायता में कटौती के कारण शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही प्रगति में अवरोध उत्पन्न होने की संभावना है।

हिन्दी भाषा को अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के कई वर्षों के बाद भी हम हिन्दी भाषा की सर्वोच्चता को सभी क्षेत्रों में, भले ही वह गैर-सरकारी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र, स्थापित नहीं कर पाए। इस तरह की कुछ टिप्पणियों के बाद मैं कुछ सुझाव संक्षिप्त रूप में देना चाहता हूं।

सभी के लिए शिक्षा समय की सही मांग है। उच्च शिक्षा व्यवस्था और प्रौद्योगिकी शिक्षा में एकरूपता, समय की सही मांग है। सारे देश में उनका पाठ्य क्रम समान होना चाहिए जबकि उसमें अभी काफी विषमता है। शिक्षा में व्याप्त प्रावेशिक शुल्क (कैपिटेशन फीस) की बुराई पर अंकुश लगना चाहिए। गुजरात राज्य में शिक्षकों के लिए प्रावेशिक शुल्क बहुत अधिक है। समाचार पत्रों में प्रकाशित इस तरह की कदाचार घटना प्रायः होती रहती है। इन कदाचारों और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाओ, जिसने शिक्षा के स्तर को गिरा दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता है। शिक्षक छात्र के अनुपात में सुधार लाया जाना चाहिए। आठवीं योजना में स्कूली शिक्षकों का व्यापक अनुकूलन कार्यक्रम चलना चाहिए।

अध्यापकों और प्राध्यापकों के मानसिक उद्वेग को समाप्त करने के लिए उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊपर उठाना होगा।

महिलाओं के शैक्षिक उपर को ऊपर उठाने के लिए महिला शिक्षा पर और अधिक बल देने की आवश्यकता है।

प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए और उनका अपना भवन होना चाहिए। यह समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए।

प्राथमिक शिक्षा भारतीय संस्कृति और विचारधारा पर आधारित होनी चाहिए। तभी चरित्र निर्माण की सभी समस्याओं का निदान हो पाएगा।

पाठ्यक्रम के निर्धारित समय में कम से कम 40 से 50 प्रतिशत समय योग, खेल-कूद, कला और अतिरिक्त गतिविधियों को दिया जाना चाहिए।

प्राथमिक शिक्षा में संस्कृत की उपेक्षा की गई है। यह "देव-वाणी" है—सभी भारतीय भाषाओं की मातृ भाषा है, जिसका कोष भरा-पूरा है। यदि इसे पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाए, तो इससे व्यक्ति में उच्च मूल्यों का निर्माण होगा।

मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रख रहा हूं कि 40 लाख से अधिक सिंधी हमारे देश में हैं। वे 1947 से विस्थापित हैं। उनका अपना राज्य नहीं है। वे पूरे देश में बिखरे हुए हैं। सिंधी सलाहकार समिति विगत वर्ष से कार्यरत है और इस संबंध में आवश्यक सुझाव उसने दिये हैं। सिंधी विकास बोर्ड का गठन आर्थिक कठिनाइयों के कारण नहीं हो सका है। सिंधी अकादमी के गठन का मैं सुझाव देता हूं ताकि सिंधी भाषा के लुप्त होने से पूर्व यह इसके अस्तित्व के लिए इसका पुनर्विलोकन करे।

प्रतिभा पलायन पर रोक लगनी चाहिए। मैंने कुछ समाधान सुझाए हैं, लेकिन मंत्री जी द्वारा सकारात्मक उत्तर नहीं दिया गया है। मेरी उनसे बातचीत हुई है। लेकिन मैं बलपूर्वक यह सुझाव देता हूं कि कोई कानून बनाया जाना चाहिए जिससे प्रतिभा पलायन पर रोक लग सके। सरकार को कोई ऐसी पद्धति तैयार करनी होगी ताकि वह विदेशों में रह रहे उन भारतीयों की जनगणना करा सके, जिन्हें उन देशों की नागरिकता नहीं मिली है।

अपंग व्यक्तियों के समान ही समाज में मूक-बधिरों की भी अपनी समस्या है। अपनी संस्थाओं के संचालन में उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अन्य शैक्षिक संस्थाओं के विपरीत उन्हें दो महीने के बाद अनुदान राशि प्राप्त होती है और इस कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे क्षेत्र गुजरात के नाडियाड़ में एक ऐसी ही संस्था है, जिसके साथ भी ऐसी ही कठिनाई है। मैं विभाग से निवेदन करता हूं कि वह अपने अधिकारों का प्रयोग करके इस संस्था की सहायता करे। ऐसी संस्थाएं समाज की अत्यधिक सेवा कर रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे अवसर प्रदान करने के वास्ते, मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : सभापति महोदय, मानव संसाधन मंत्रालय के बारे में दो-तीन दिन से यहां चर्चा हो रही है। सभापति जी, इस चर्चा में भाग लेते हुए हमारे साथियों ने बहुत से सुझाव दिए हैं। हम सब लोग जानते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इस देश को मजबूत बनाने के लिए और इस देश की नई पीढ़ी को आगे लाने के लिए इस मंत्रालय के जरिए बहुत काम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ खेलकूद के बारे में और योगा के बारे में भी चर्चा हो रही है।

हमारे पूर्व नेता राजीव गांधी जी ने इसके बारे में बहुत सोचा और सोच-विचार करके शिक्षा विभाग को एक नया स्वरूप प्रदान किया, एक नया नक्शा दिखाया। उन्होंने एजुकेशन, न्यूट्रीशन और शिशु विकास आदि बहुत से विभागों को समायोजित करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का रूप दिया था। श्री राजीव गांधी जी ने आज के प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव जी को इसका मंत्री बनाया था। आज श्री नरसिंह राव जी ने माननीय अर्जुन सिंह जी को यह मंत्रालय सौंपा है। आप देखिए, यह विभाग कितना महत्वपूर्ण है।

आप जानते हैं कि जब नेशनल फ्रंट की सरकार थी तो उस समय इस मंत्रालय के लिए एक कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं था। इन्होंने इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। यह गौरव की बात है कि आज हमारे प्रिय प्रधान मंत्री जी ने श्री अर्जुन सिंह जी को यह विभाग सौंपा है और इस मंत्रालय को एक कैबिनेट मिनिस्टर के चार्ज में दिया है। मानव संसाधन मंत्रालय के बारे में यहां पर बहुत सारे विचार रखे गए हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। दो-तीन सप्ताह पहले इस सदन में इस बारे में एक प्रश्न आया था, वह यूनिवर्सिटी के सिलेबस से संबंधित था। मानव संसाधन मंत्री जी ने बताया कि हम लोग यू० जी० सी० की तरफ से सिलेबस बनाते हैं और उसकी एक ब्रोड आउट लाइन यूनिवर्सिटीज को भेजते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज का इंडीपेंडेंट करैक्टर होता है। आप मानते हैं या नहीं, यह हमको मालूम नहीं है। जो नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है। मैं यूनिवर्सिटीज को इंडीपेंडेंट मानता हूं। लेकिन, सिलेबस में इस देश के नौजवानों को गुमराह करने के लिए इस देश की एकता और अखण्डता को खत्म करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं तो उसके बारे में मंत्री जी को जरूर सोचना है। इस देश में जातीवाद और असंतोष फैलाने के लिए जो काम हो रहे हैं और यूनिवर्सिटीज के सिलेबस के ऊपर जो काम हो रहे हैं तो उसको रोकने के लिए कदम उठाने हैं। आप देखिए कि हिस्ट्री को कुछ लोग बदल रहे हैं। हमारे देश की महान स्वतंत्रता संग्राम के बारे में विविध प्रकार की ओपीनियन है। लेकिन कुछ राज्य सरकारें उसका नक्शा बदल रही हैं। वे, आने वाली पीढ़ी के मन में गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ राज्य सरकारें इस देश की महान परम्परा को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, वे सिलेबस के विरुद्ध कर रहे हैं। मेरे पास सिलेबस के बारे में कुछ सुझाव आए थे। फ्रीडम मूवमेंट के नक्शे को बदलने के जो प्रयास हो रहे हैं, उसके बारे में सोचना है। उसको ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाने हैं। अभी हमारे साथी ने बताया कि पहली पंचवर्षीय योजना में 7.6 परसटेज मानव संसाधन मंत्रालय के लिए दिया था, लेकिन सेवन्थ प्लान में 3.6 परसेंट हो गया। मानव संसाधन मंत्रालय के खर्चे क्या कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। एलोकेशन कम हो रही है, इसके बारे में जरूर सोचना है। कोठारी कमीशन ने रिपोर्ट दी थी कि टोटल आउट-ले में से इस मंत्रालय को [illegible] परसेंट देना है। लेकिन आज [illegible].6 परसेंट हो गया है। मैं, यू० जी० सी० के बारे में एक दो बातें कहना चाहता हूं। कालेजेस के प्रपोजल ग्रांट के बारे में आते हैं। लेकिन दुख की बात है कि यू० जी० सी० के पास जो भी प्रपोजल भेजे जाते हैं तो वे उनके ऊपर शीघ्र कार्यवाही नहीं करते और वह बहुत डिले हो जाते हैं। उसके लिए ग्रांट की बात आती है या अन्य बातें आती हैं तो जिनकी एप्रोच नहीं होती है उनको जल्दी यू० जी० सी० से ग्रांट नहीं मिलती है। इस बारे में काफी शिकायतें आती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यू० जी० सी० की जो कार्य करने की प्रणाली है, उसके जो प्रपोजल होते हैं उनके बारे में आपको सोच-विचार कर निर्णय लेना चाहिए और यह निर्णय जल्दी हो ताकि

इससे कालेजेस को फायदा हो और विद्यार्थियों को पढ़ने में सुविधा हो।

मैं वाइस-चांसलर्स की नियुक्ति और कार्य प्रणाली के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। कुछ राज्यों में वी० सी० की नियुक्ति राजनैतिक तौर पर की जाती है, पोलिटिकल कंसीडरेशन से होती है। जो सरकार सत्ता में होती है उसके अनुसार उनके ही व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। इससे विश्वविद्यालयों में वाइस-चांसलर की नियुक्ति करते समय उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को नहीं देखा जाता। इससे विश्वविद्यालयों का महत्व कम होता जा रहा है। हर विश्वविद्यालय के अपने-अपने एक्ट होते हैं। यू० जी० सी० से प्रतिनिधि वी० सी० चुनने के लिए वहां आते हैं, लेकिन कभी-कभी वहां से कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचता है तो उनकी नियुक्ति में डिले हो जाता है। इस देश में कई विश्वविद्यालयों में वाइस-चांसलर नहीं हैं, सरकार ही उनको चला रही है।

हमारे विश्वविद्यालयों में लोकतंत्र है। केरल में तीन विश्वविद्यालय हैं। उनमें से एक में हर दो साल बाद चुनाव होते हैं। इन चुनावों में हर तरह के लोग चुन कर आते हैं। इसमे विद्यार्थियों का भी प्रतिनिधित्व होता है। वहां कोट्टायम में दो-तीन साल पहले यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी, लेकिन उसका एप्रूवल नहीं दिया गया। यू० जी० सी० चाहता है कि उसमें संशोधन किया जाए, विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व बन्द हो, जो विद्यार्थियों की सीनेट या सिंडीकेट है उसके चुनाव न हों तब हम उसको एप्रूवल देंगे। मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे विश्वविद्यालयों में लोकतंत्र नहीं है जो इस तरह की बातें की जा रही हैं। यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स सैल होता है। मैं दो बार विद्यार्थियों का प्रतिनिधि रहा हूं, सिंडीकेट में भी रहा हूं। लेकिन आजकल विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के हितों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। ये लोग चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों में चुनाव की कोई जरूरत नहीं है, केवल नामिनेट किया जाए। इसलिए जो सरकार आती है वह अपने-अपने आदमियों को नॉमिनेट करती है। इसी तरह से आजकल विश्वविद्यालयों में वाइस-चांसलर बनने को कोई तैयार नहीं होता है, क्योंकि इसमें काफी राजनीति घुस चुकी है, इसलिए विद्वान आदमी वाइस चांसलर बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं।

मैं प्राथमिक शिक्षा के बारे में दो-तीन बातें बताना चहता हूं। हम ज्यादा ध्यान प्राइमरी एजूकेशन पर देते हैं। प्राइमरी एजूकेशन की आज यह हालत है कि अधिकांश स्कूल जो हैं उनकी हालत बड़ी खराब है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। दो लाख स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग नहीं है, केवल हट्स में चल रहे हैं और 71 हजार स्कूल ऐसे हैं जो पेड़ों के नीचे चल रहे हैं, वहां विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है : कुछ स्कूल्स तो रोड्स पर चलते हैं। चार-चार क्लास में एक टीचर होता है। आपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में एक योजना चलाई गई थी। आप्रेशन ब्लैक बोर्ड अच्छा प्रोग्राम है लेकिन मेरा निवेदन है कि इस प्रोग्राम को इवैल्युएट करना चाहिए कि इसका पैसा ठीक से खर्च हो रहा है या नहीं और राज्य सरकार इस पर ध्यान देती है या नहीं? आप्रेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्राइमरी एजूकेशन के लिए बनाई गई थी लेकिन इसका फायदा जिन लोगों को मिलना चाहिए था, उन तक पहुंचा या नहीं, इसके बारे में भी जांच करना बहुत जरूरी है।

अब रहा सवाल कि जो लड़के-लड़कियां स्टैंडर्ड-1 से प्राइमरी स्कूल ज्वायन करते हैं, स्टैंडर्ड-5 तक जाते-जाते 45% रह जाते हैं, यह क्यों होता है, इसके बारे में चिन्ता करनी चाहिए।

यह मामला बहुत गंभीर है। 15.92% शेड्यूल्ड कॉस्ट के और 8% शेड्यूल्ड ट्राईब्स के लोग ड्राप हो जाते हैं, यह कैसे हो जाता है ? इनके पढ़ाने के लिए कोई सुविधा नहीं है ? केरल और वेस्ट बंगाल में ऐसे बच्चों को टैक्स्ट बुक्स मुफ्त दी जाती हैं लेकिन अन्य-अन्य प्रान्तों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। इस ओर सरकार को कोई जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए।

सर, सैकेण्डरी एजूकेशन बोर्ड को पांच साल में कैरिकुलम बदलने के लिए कहा गया है लेकिन कितनी राज्य सरकारें इसका पालन कर रही हैं ? पांच साल के बाद उसको बदलना चाहिए लेकिन नहीं बदलती हैं। अतः इसके बारे में भी सोचना चाहिए।

सरकार की नई एजूकेशन पालिसी के बारे में और नवोदय विद्यालय के बारे में बहुत विवाद है। उन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बच्चों के लिए यह महत्वपूर्ण काम है क्योंकि वे अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं लेकिन आज के नवोदय विद्यालयों की क्या स्थिति है ? मैंने मंत्री महोदय को 2-3 बार पत्र लिखकर बताया और रिप्रेजेंशन दिये कि उनकी हालत बहुत खराब है, बहुत सारे टीचर्स नहीं हैं, वहां जो बच्चे पढ़ते है, उनके बिल्डिंग्ज नही है, रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है और इनकी हालत को प्राइमरी स्कूल से भी ज्यादा खराब हो रही है। उन स्कूलों के लिए कुछ टीचर्स डेपूटेशन्स से आते हैं। वहां परमानेंट टीचर्स भी नही हैं, जो नये आते हैं उनको न तो ट्रेनिंग दी जाती और न उनके लिए कोई स्पेशल फेसिलटी हो है इस ओर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिये। मैं मानता हूं और यह कुछ हद तक ठीक भी है कि अभि-अभी ये नवोदय विद्यालय शुरू किये हैं लेकिन जो गरीब परिवार के लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, उनके लिए इन विद्यालयों को एक नया रूप देना चाहिये। शिक्षा प्रणाली को नया रूप देने के लिए ही ये विद्यालय चलाये गये हैं। इसमें जो कमियां हैं, उनकी ओर ध्यान देकर इसमें सुधार करना जरूरी है।

निरक्षरता उन्मूलन बहुत जरूरी है। कई राज्य सरकारों ने इस विषय को गंभीरता से लिया है और एक मॉस मूवमेंट बनाया है। इसमें पंचायतों, लाइब्रेरियों और अन्य संस्थाओं को शामिल किया जाये। राज्य सरकारों ने बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया है ताकि निरक्षरता को दूर किया जाए।

सभापति महोदय, मैं एक युवक हूं। एक युवकों की संस्था भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूं। उनके बारे में बोलने का भी मौका चाहूंगा। स्पोर्ट्स के बारे में तो सरकार गंभीरता से सोचती नहीं है, इसमें दो राय नहीं हैं। लेकिन जब 1985 में यूथ एण्ड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का गठन किया गया था और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, उससे बहुत आशाएं इस देश के युवकों को थीं। 7वीं पंचवर्षीय योजना में 200 करोड़ रुपए का बंदोबस्त किया था लेकिन 1990-91 के बजट अलोकेशन में 69.1 करोड़ रुपया है। 1991-92 में फिर इसको कट कर दिया और 62.5 करोड़ रुपए कर दिया। 1992-93 में 57.1 करोड़ रुपया है। इस प्रकार 11 करोड़ रुपया इसमें कर्टेल कर दिया गया। इस प्रकार हम लोग कैसे स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे ? कैसे इनफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे ? कैसे हमारे नवयुवक स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरस्ट लेंगे ? रूरल स्पोर्ट्स की स्थिति बहुत खराब है। कई प्रपोजल प्लेग्राउंड बनाने के लिए भेजे गए। तय हुआ कि आधा केन्द्रीय सरकार दे देगी और आधा राज्य सरकार दे देगी, लेकिन जितने प्रपोजल भेजे गए हैं, वे प्रपोजल वहां डिपार्टमेंट में पेन्डिंग हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में मैं एक प्वाइंट बताना चाहता हूं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक बहुत महत्वपूर्ण आर्गेनाइजेशन है। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि उसमें बहुत हलचल चल रही है, बहुत कन्फ्लेक्ट्स आ रही हैं। उसके बारे में भी आप जरूर विचार करें। आप जानते हैं आज कल नौजवान कैसी जिन्दगी बिताते हैं। हमारे देश में नौजवान हर चीज के लिए आगे आते हैं, काम करने के लिए उनके मन में इच्छा है, क्षमता है, लेकिन उनके सामने जो अपॉर्चुनिटीज हैं वह बहुत कम हैं। सारे लोग नौजवानों को इनके बारे में बताते हैं लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की ओर से इनको सहयोग मिलना चाहिए।

आज नेहरू युवक केन्द्र का क्या हाल है ? पहले नेशनल फ्रंट सरकार सत्ता में थी तो उन्होंने कहा कि नेहरू का नाम छोड़ दीजिए। एक प्रपोजल आया था कि नेहरू का नाम छोड़ दो। उनका नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेहरू युवक केन्द्र के जरिए पहले बहुत काम होता था। नेशनल इंटीग्रेशन कैम्प लगते थे और बहुत सारी एक्टिविटीज होती थीं, लेकिन आजकल बहुत कम हो गई हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो लोग नौकरी में थे वह नौकरी छोड़कर इसमें कोआर्डिनेटर बन गए। उनका भविष्य क्या है, इसके बारे में भी कोई स्पष्ट बात नहीं है। अभी हमने सुना है कि जो कोआर्डिनेटर थे उनको नौकरी से निकाला जा रहा है और नई रिक्रूटमेंट हो रही हैं। इसके बारे में स्पष्ट करें और जो नेहरू युवक केन्द्र संस्था है, जो अच्छी चल रही थी, उसे जिस उद्देश्य से बनाया गया था, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप मदद करें। आज हमारे देश में 35 नेशनल यूथ होस्टल्स हैं। आज यूथ होस्टल्स की जरूरत है। अभी हमने अखबारों में पढ़ा था कि नेशनल यूथ काउंसिल का गठन हो रहा है। उसके पहले 200 मेम्बर थे। हम सब लोग बैठे थे, लेकिन वहां कोई चर्चा नहीं होती है। सारे लोग भाषण करते हैं पर कोई कंक्रीट आइडिया नहीं होता है। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने 50 लोगों की कमेटी कर दी है लेकिन मेरा निवेदन यह है कि 50 लोगों की जो कमेटी बैठेगी, उसमें जरूर युवकों की प्रॉब्लम्स पर वाद-विवाद करने का काम होगा और कोई कंक्रीट स्टेप लेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण खत्म कर रहा हूं। जय हिन्द।

[अनुवाद]

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम (तिरुचेंगोड) : आदरणीय सभापति महोदय, वर्ष 1992-93 का बजट देश के आर्थिक इतिहास में उल्लेखनीय कदम है, क्योंकि इसने एक आधुनिक उदार और प्रगतिशील भारत का एक चित्र उपस्थित किया है। वित्त मंत्री ने आर्थिक सुधारों के माध्यम से वृहद् आर्थिक स्थिरता कार्यक्रम को पूरा करने के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। इस कार्य से निश्चय ही हम अपनी अर्थव्यवस्था को विश्वव्यापी बना सकेंगे।

शिक्षा के संबंध में मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि जबकि वर्ष 1992-93 के बजट में गैर योजना व्यय के लिए अन्य केन्द्रीय क्षेत्रों में 7 प्रतिशत आवंटन बढ़ा है और 20 प्रतिशत योजना व्यय के लिये, शिक्षा पर आवंटन कम हुआ है। उच्च शिक्षा के मामले में आंकड़े बताते हैं, कि गैर-योजना व्यय में 5 प्रतिशत की कमी की गई है और योजना व्यय में 3 प्रतिशत की कमी की गई है। राज्य सरकारों के अनुदान सहायता में करीब 62 करोड़ रुपये की कमी की गई है। लेकिन उत्साहजनक बात यह है कि महिला और बाल विकास विभाग को विगत वर्ष की तुलना में

अधिक राशि उपलब्ध कराई गई है। युवा कार्य और खेल, कला तथा संस्कृति विभाग को लगभग विगत वर्ष के जितना ही आवंटन उपलब्ध कराया गया है।

वर्ष 1986 में संसद द्वारा शिक्षा के लिये एक राष्ट्रीय नीति मंजूर की गई थी और इसे अस्व ही लागू कर दिया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य विकास ने शिक्षा नीति में परिवर्तन लाने के लिए विवश किया। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने इस चुनौती को भी स्वीकार किया और इसमें वस्तुतः उन्होंने विशेषकर अशिक्षा को दूर करने के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है।

सम्पूर्ण शिक्षा अभियान में शिक्षा प्रसार की मौलिक जरूरतों और उसे पूरा करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अन्य शब्दों में लोगों मे, शिक्षा के प्रसार की व्यवस्था से पूर्व उनमें इसके प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना होगा। यह गांव, मंडल, पंचायत, तालुक यहां तक कि जिलों के लिये गौरव की बात है कि स्वैच्छिक आधार पर किसी पुरस्कार या प्रोत्साहन के बिना पूरी तरह स्वैच्छिक आधार पर वह अपना समय, अपनी शक्ति और अपना संसाधन इस अभियान में लगाएंगे। यद्यपि पूर्ण साक्षरता अभियान का उद्देश्य क्रियात्मक साक्षरता का प्रसार करना है साथ ही यह व्यापक नामांकन, बच्चों को बीच में ही पढ़ाई न छोड़ने देने, प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण, छोटा परिवार पद्धति का प्रसारित करने, मातृरक्षा और शिशु देखभाल महिला समता और अधिकारों की रक्षा, शांति और साम्प्रदायिक सद्भाव इत्यादि जैसे कार्यों के लिये भी है।

जब इन अभियानों से कई लाभ मिल रहे हैं तो भारत सरकार को इस कार्यक्रम पर और भी अधिक ध्यान देना चाहिये और इसके लिये और अधिक राशि आवंटित करनी चाहिये।

हमारी प्रिय नेता और तमिलनाडु की माननीय मुख्य मंत्री पुरात्चि तलैवि ने कई कदम उठाए हैं जैसे 'प्रत्येक व्यक्ति पांच व्यक्तियों को पढ़ाएं' और तमिलनाडु में अशिक्षा को दूर करने के लिए बेरोजगार शिक्षित युवकों को शिक्षा अभियान में लगाया है। केन्द्रीय सरकार को इन कार्यक्रमों से सहायता देने के लिये आगे बढ़ना चाहिये।

उच्च शिक्षा के लिये वर्तमान में जो कम आवंटन किया गया है उससे विश्वविद्यालयों में शैक्षिक और शोध कार्य गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। वर्तमान संस्थाओं को बनाए रखने के लिए संसाधनों की कमी के दुष्परिणाम होंगे—पहले से ही कई विश्वविद्यालय आर्थिक संकट में हैं। अतः उच्च शिक्षा के आवंटन का सरकार द्वारा पुनर्विलोकन किया जाना चाहिये।

मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं। दोपहर के भोजन की योजना, पांचवी कक्षा तक महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति जैसा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा अमल में लाया जा रहा है तथा शिक्षकों के कल्याण के लिए कोठारी आयोग एवं चटोपाध्याय आयोग को लागू करने का हमारा अन्य निवेदन है।

हमारी पुरात्चि तलैवि ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी मंदिरों में अर्चक बनने का अवसर देने के तौर पर "वेद अगामा कालेज" की स्थापना की है। मैं केन्द्र

सरकार से यह निवेदन करती हूं कि इस संस्था की स्थापना के लिए पूरा समर्थन और आर्थिक सहयोग दें, ताकि पूरे देश में यह अग्रगणी महाविद्यालय एक नमूना बन सके।

तमिलनाडु में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना अति आवश्यक है और इस पर अविलम्ब विचार करने की मैं मांग करती हूं, ताकि तमिलनाडु में शीघ्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सके।

देश के युवकों की प्रतिभा और शक्ति को अन्य कार्यों में लगाने के लिए उन्हें खेल कूद और पाठ्येत्तर गतिविधियों में भाग लेने का अवसर देने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। खेल प्रतिभाओं को कम उम्र में ही खोज लिया जाना चाहिए। उनकी खोज ग्रामीण क्षेत्रों में की जानी चाहिए और साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को उचित प्रशिक्षण और कोचिंग उनके रुचि के क्षेत्र में दी जानी चाहिए।

अच्छे खिलाड़ी तैयार करने और लोगों को इस ओर आकृष्ट करने के लिए मौलिक सुविधाएं जैसे खेल मैदान, खेल का सामान, व्यायामशाला आदि प्रत्येक जिलों में केन्द्रीय सहायता से उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

सांस्कृतिक गतिविधियों और कला को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तमिलनाडु में भरत-नाट्यम, वीणा, वायलिन और कर्नाटक संगीत आदि प्राचीन कलाएं हैं, जिन्हें सहायता और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। तमिलनाडु में केन्द्र सरकार द्वारा इन प्राचीन कलाओं के विकास और सुधार के लिए एक संस्था स्थापित की जानी चाहिए।

हमारा संविधान महिला और समता जैसे मुद्दों पर सही दृष्टिकोण अपनाए हुए है। इस समस्या के नकारात्मक पहलू पर उचित ध्यान दिया गया है, और कानून में यह व्यवस्था की गई है कि "राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा" अन्य बातों के साथ लिंग के आधार पर भी। इसी नकारात्मक दृष्टिकोण पर सभी को समान अवसर देने के समय बल दिया जाना चाहिए।

कई महिलाएं अनेक क्षेत्रों में पुरुषों से भी आगे बढ़ गई हैं परन्तु वे गिनी-चुनी हैं। भारत की अधिकांश महिलाएं अब भी पुरुषों की मुट्ठी में कैद हैं। कम से कम 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ते हुए भारत में इस असमानता को समाप्त किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा महिलाओं को सभी सुविधाएं और सहायता प्रदान की जानी चाहिए। यदि एक पुरुष शिक्षा प्राप्त करता है तो यह केवल उस व्यक्ति के लिए उपयोगी होगा परन्तु यदि एक महिला को शिक्षित किया जाता है तो पूरे परिवार के लिए उपयोगी होगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत गठित राष्ट्रीय महिला आयोग का स्वागत करते हुए मैं यह कहना चाहती हूं कि इसे संविधान और पुरुषों के लिए बने कानूनी सुरक्षा संबंधी मामलों में पूरी शक्ति प्रदान की जानी चाहिए।

यद्यपि समन्वित बाल विकास योजना (आई० सी० डी० एस०) जैसी कई योजनाएं हैं, फिर भी बच्चों के स्तर को सुधारने के लिए बहुत कुछ किया जाना शेष है। बालिकाओं के मामले में उनके स्वास्थ्य, पोषण एवं व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देने के साथ-साथ, भविष्य में समाज

को संजीवनी देने की जो संभावनाए उनमें निहित हैं उन पर भी ध्यान देना होगा। उन्हें ऐसे असामाजिक तत्वों और शोषण से भी बचाना होगा, जैसा कि अमीना के मामले में हुआ।

अंत में, मैं पुन: एक बार सरकार से निवेदन करती हूं कि शिक्षा, शोध, जीवन के बुनियादी मूल्यों को बढ़ाने और विकसित करने, राष्ट्रीय एकता, महिलाओं के लिये अधिक अवसर, पर्यावरणीय और जनसंख्या संबंधी जानकारी और लोगों को इन सभी कार्यक्रमों में शामिल करने जैसे मुद्दों पर विशेष बल दिया जाना चाहिये।

शिक्षा के महत्व पर बल देने के लिए मैं महाकवि तिरू वाल्लूवर की पंक्तियां उद्धृत कर रहा हूं :

"इन्नेबा इआनयि इझूथेन्बा इविरेन्डम कानेन्बा वाझम वूयिरक्कू" ।

इनका अर्थ है कि शिक्षा का मानव के लिए उतना ही महत्व है जितना कि नेत्रों का।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मुझसे पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने मानव संसाधन के विभिन्न पहलुओं पर अपने-अपने विचार रखे हैं। मानव संसाधन की मांगों पर मैं भी अपनी राय आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

माननीय सदस्य रमेश जी ने विस्तार से झलक दी कि स्व० राजीव गांधी ने नई शिक्षा नीति बनाई और शिक्षा को मानव संसाधन के रूप में, कई मंत्रालयों को एक कर के मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाने का काम किया। जिस समय यह काम हुआ, उस समय हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री शिक्षा मंत्री थे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग की नीति 1969 में बनी थी, उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 18 साल के बाद 1986 में बनी।

सभापति महोदय, मैं संकेत देना चाहता हूं कि शिक्षा नीति बनती है और शिक्षा नीति का जो यूटिलाइजेशन, जो उपयोगिता है, उस दृष्टि से इसकी 4 वर्ष के बाद समीक्षा होनी चाहिए। जहां तक मेरी जानकारी है, व्यवहारिक रूप से शिक्षा नीति की समीक्षा नहीं होती है। शिक्षा में छ: प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराने की चर्चा है लेकिन 3.6 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई गई है। जब मानव संसाधन विभाग बना था तो इसके प्रभार को प्रधान मंत्री ने संभाला था। आज मानव संसाधन मंत्री काफी प्रभावशाली हैं, बुद्धिजीवी हैं, विद्वान हैं, सुशील और संघर्षशील हैं। जो अनुदान मांग आई है उसमें सार्वभौमिकता की, यूनिवर्सल लिटरेसी की चर्चा है। ग्रामीण विकास के अनुदान में पांच सौ करोड़ की कमी कर दी गई है। मानव संसाधन की शिक्षा में दो अरब पचहत्तर करोड़ की कमी कर दी गई है, इसके ठीक विपरीत महंगाई तेरह प्रतिशत बढ़ी है। सबको शिक्षा देने की जो घोषणाएं हैं मेरी समझ से वह ढोंग है, यह कागज पर ही दिखाया जाता है।

प्रारम्भिक शिक्षा में औपरेशन ब्लैक बोर्ड पर देश में कागज पर ही हजारों विद्यालयों को दिखाया गया है। उसका यूटीलाईजेशन सही नहीं हुआ है। कभी यह नहीं देखा गया कि औपरेशन ब्लैक बोर्ड की क्या हालत जमीन पर उतरी है, उसकी समीक्षा केवल कागज पर ही हुई है। प्रारम्भिक शिक्षा के क्रम में देश में 63 प्रतिशत लोग विद्यालय में साक्षर होने के क्रम में विद्यालय

से वापिस हो जाते है और खेतों में काम करने लगते हैं। समस्याओं के कारण बाल मजदूर के रूप में काम करने लगते हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है। अनौपचारिक शिक्षा के जरिए, प्रौढ़ शिक्षा के जरिए मानव संसाधन मंत्रालय ने 9 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, जो विद्यालय नहीं जा पाते हैं, 15 से 35 वर्ष के लोग जो खेतों में काम करते हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई लेकिन यह फिगर केवल कागज पर ही दिखाई जाती है।

इतिहास साक्षी है, देश के निर्माण में जो भी महापुरुष हुए है, जिन्होंने इस देश को शिक्षा देने का काम किया है, उन्होंने खेतों में खेती करने का काम किया, गुरुकुल के माध्यम से समय-समय पर इस देश को रोशनी देने का काम किया है। श्रीकृष्ण गाय चराने का काम करते थे, ईसा मसीह भेड़ चराने का काम करते थे, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब बकरी चराने का काम करते थे, भगवान शंकर ने जंगली जानवरों की संगति में रोशनी देने का काम किया और समय-समय पर दुनिया को विपत्ति से बचाने का काम किया।

सभापति महोदय, मैं आपके जरिये यह कहना चाहता हूं कि मैं बिहार राज्य से आता हूं। मुख्य मंत्री माननीय लालू प्रसाद जी ने चरवाहा विद्यालयों के जरिये दुनिया में रोशनी देने का काम किया है। ऐसे विद्यालय वहां खोल कर 113 कृषि फार्मों में, जहां कृषि योग्य भूमि नहीं है, कृषि फार्म नाम का है, 44 वर्षों में उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, भूमि बंजर हो गई है, उनमें चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किया है। गांव के गरीब जो 85 फीसदी हैं, जो खेतों में काम करते हैं, खेती करते हुए, बागवानी करते हुए, गाय, भैंस, भेड़, बकरी चराते उनकी पढ़ाई की व्यवस्था उन्होंने की है। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप बिहार के उन चरवाहा विद्यालयों का सर्वेक्षण करायें। अनौपचारिक शिक्षा, जन शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा जो कि केवल कागजों पर ही हैं, उनको जमीन पर उतारने के लिये बिहार में जो चरवाहा विद्यालयों की व्यवस्था है, उनको पूरे देश के पैमाने पर लाने की कृपा करें। विश्व का जो साक्षरता मिशन है, यूनिसेफ की जो इसमें मदद है, और शिक्षा व्यवस्था का जो अनुदान है, उनका सही उपयोग कर चरवाहा विद्यालयों के माध्यम से 15 वर्ष से 35 वर्ष तक की आयु के जो 30 प्रतिशत लोग हैं और 9 से 14 वर्ष के बच्चे जो बकरी चराने का काम करते हैं, उनको शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करें।

अभी हमारे साथी रमेश जी ने नवोदय विद्यालयों की चर्चा की। माध्यमिक विद्यालयों की जो स्थिति हमारे देश में है, उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता हूं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केन्द्रीय विद्यालय संगठन तो जैसे-तैसे चल रहे हैं लेकिन राशि का अभाव इन अनुदान की मांगों में है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 449 नवोदय विद्यालय खुलने थे जिनमें से मात्र 261 नवोदय विद्यालय अब तक खुल पाये हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना शुरू होने वाली है और 160 करोड़ रुपया इन अनुदानों की मांगों में नवोदय विद्यालय के निर्माण के लिये कम कर दिया गया है। फिर हम कहते हैं कि 1995 तक हम सबको साक्षर बनाने का काम करेंगे। मेरे ख्याल से इतना कम प्रावधान करने से आप इस काम में सफल नहीं होंगे। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि नवोदय विद्यालय गांव के गरीबों के जो तेज नौजवान बच्चे हैं, उनके लिये इनकी व्यवस्था की गई है। अधिकांशत: नवोदय विद्यालय जो अभी-अभी ही बने हैं, वे बड़ी खस्ता हालत में हैं। उनकी

छतों से पानी टपकता है और वहां भोजन भी बहुत बुरा मिलता है। ये नवोदय विद्यालय सफेद हाथी ही साबित हुए हैं और नवोदय विद्यालय एक छलावा है, उन गांवों के ग्रामीण तेजस्वी बच्चों के नाम पर। बड़े-बड़े शहरों से तो आपने दून स्कूल, डी० पी० एस० स्कूल खोल दिये हैं और गांवों में ऐसे नवोदय विद्यालय खोल कर आप यह कह सकें कि गरीब का बेटा समान शिक्षा पा रहा है। नवोदय विद्यालयों की व्यवस्था करके इस नई शिक्षा नीति में दून स्कूल की संस्कृति को बढ़ाने की साजिश है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि संवैधानिक जो परिस्थिति है, उसमें समान शिक्षा सतत शिक्षा के द्वारा देश में यह लागू होनी चाहिये, कि माननीय सदस्य हो या मेहतर की सन्तान, सबकी शिक्षा एक समान, यानी दून स्कूल, पब्लिक स्कूल, पिलानी से लेकर दिल्ली पब्लिक स्कूल तक जो बड़े-बड़े स्कूलों की व्यवस्था है, इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए और सबके लिए एक समान शिक्षा होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी, जिस दिन माननीय सांसदों का बच्चा, गांव के गरीब मेहतर का, खेती करने वाले का बच्चा और आई० ए० एस० अधिकारी का बच्चा एक ही प्रकार के विद्यालय में जाने लगेंगे, उस दिन शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन हो जायेगा, शिक्षा की दिशा बदल जायेगी। देश में मानव संसाधन विभाग का यह कदम क्रान्तिकारी होगा, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य की सन्तान हो या मेहतर की सन्तान, सबकी शिक्षा एक समान, यह मैं माध्यमिक शिक्षा के तहत कहना चाहता हूं। इसमें राशि का अभाव है।

उच्चतर शिक्षा का भी यही हाल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उच्चतर शिक्षा में 6 करोड़ रुपया पिछले वर्ष की अनुदान मांग के मुताबिक कम कर दिया गया। निश्चित रूप से यह बोझ भी गरीबों पर पड़ेगा, जब उच्चतर शिक्षा में 6 करोड़ रुपया कम कर दिया गया और महंगाई 13 प्रतिशत बढ़ी है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त संसाधन जुटाने पड़ेंगे और वह भार भी गरीब के बच्चों पर पड़ेगा।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय देश में कुल 9 हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना क्षेत्रीय सन्तुलन के आधार पर नहीं है। देश में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, उसके बाद बिहार है। बिहार में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है जबकि 9 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। मैं आपके वरिष्ठ मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार में पटना विश्वविद्यालय और अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर इन दो विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर किया जा सके और ठीक से चलाया जा सके, यह मैं आपके जरिये कहना चाहता हूं।

मैं भी नौजवान हूं और युवा जनता दल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं इसलिए युवा कार्यक्रम के सम्बन्ध में थोड़ा समय लेना चाहता हूं। युवा कार्यक्रम के साथ में अभी नेहरू युवा केन्द्र के संबंध में चर्चा आई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1990 में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन हुआ और राष्ट्रीय युवा नीति बनाने की बात हुई। अभी समिति को छोटा करने की बात कही गई है, उसका क्या हुआ? आज देश के लोग नहीं जानते हैं कि देश में युवकों के लिए जो राष्ट्रीय युवा नीति है,

वह क्या है, किस प्रकार की की है, इसके जरिये क्या-क्या हो रहा है, कहीं भी यह पता नहीं चलता है ।

जहां तक नेहरू युवक केन्द्र का सवाल है, क्या केवल नेहरू युवक केन्द्र ही इस देश में काम करेंगे ? ऐसी बात नहीं होनी चाहिए । नेहरू युवक केन्द्र का मैं विरोधी नहीं हूं । नेहरू जी के नाम पर वह भी चले लेकिन गांधी दर्शन समिति, ज्ञानदीप समिति और अन्य जो अच्छे-अच्छे संगठन हैं, मानव संसाधन विकास के उन कार्यों में काम करते रहे हैं, साम्प्रदायिकता मिटाने के लिए, नौजवानों को प्रशिक्षित करने के लिए, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, स्वरोजगार के लिए उस दिशा में काम होना चाहिए । साम्प्रदायिकता, जो देश में आज एक बहुत-बड़ा कोढ़ बन गया है, आप की अनुदान मांगों के जो परिपत्र आये हैं, उनमें चर्चा है कि नेहरू युवा केन्द्र के द्वारा पूरे देश में एक महीने भर साम्प्रदायिकता मिटाओ कार्यक्रम बनाया गया था । मैं आपके जरिये मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं कि देश में साम्प्रदायिकता, जो एक बहुत बड़ा कोढ़ है, इसको मिटाने में युवा नीति, युवा कार्यक्रम में संशोधन करिये और युवकों को बड़े पैमाने पर कोई संगठन बनाकर, पूरे देश में एक हजार की आबादी पर एक टोली, तत्पर दस्ता और शान्ति दस्ता साम्प्रदायिकता विरोधी दस्ता बनाकर साम्प्रदायिकता मिटाने के लिए युवा कार्यक्रम बनाने का काम करिये, यह मेरा आपसे अनुरोध है ।

महिला विकास के सम्बन्ध में काफी चर्चा हुई है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि महिलाओं के विकास के लिए, बाल विकास के लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं को यह योजना गिने-चुने हुए देश के कुछ प्रखण्डों में चलती है । बच्चों का भरण-पोषण करके सामान्य शिक्षा जो बच्चों को देनी चाहिए, उसके लिए आंगनबाड़ी सेविकायें हैं । देश में हजारों महिलायें इस कार्य में लगी हुई हैं, लेकिन उनकी हालत के बारे में सरकार ने कभी सोचा है, क्या माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उस ओर गया है ? एक महिला जो आंगनबाड़ी के रूप में काम करती है, उसको कितना पैसा मिलता है, और उसके साथ कितना बड़ा परिवार होता है । पिछले सत्र के समय में यहां लोगों ने आन्दोलन भी किया था । इसलिए मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि आंगनबाड़ी सेविका को उसके भरण-पोषण के लायक, परिवार को चलाने के लायक वृत्तिका में बढ़ोतरी होनी चाहिए और खर्च के लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि महिलाओं के द्वारा बच्चों के विकास का जो एक प्रयास है, वह सार्थक हो । देश के तमाम प्रखण्डों में उस योजना को लागू किया जाना चाहिए ।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आज हमारी संस्कृति पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रही है । संस्कृति विकास के नाम पर एक से एक हमारी अनुदान की मांगें आती हैं, लेकिन उसका उपयोग सही रूप में नहीं होता है । ग्रामीण शिल्प, संस्कृति, हस्तकला, महिलाओं की जो संस्कृति है, इन पर एक भी कार्यक्रम नहीं चलता है । सारा का सारा पाश्चात्य सभ्यता और विदेशी कलाओं का विकास हो रहा है । इसलिए मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि जो हमारी ग्रामीण कला है, उसको विकसित करना चाहिए और गांवों की संस्कृति को बढ़ाने की दिशा में कार्यवाही होनी चाहिए । कुम्भकारी, काष्ठकारी, लोहारगिरी, ग्रामीण कला समाप्त होती जा रही है । इसका विकास होना चाहिए ।

सभापति महोदय, अब मैं दो मिनट खेलों से संबंधित विषय पर लेना चाहता हूं । टेलीविजन

खोल कर या रेडियो खोलकर, जहां कहीं भी आप देखें, देश के नौजवान क्रिकेट या जो अन्य विकसित खेल हैं, उसके पीछे काम को छोड़ कर देखने में लगे रहते है । मैं क्रिकेट का विरोधी नहीं हूं, इसका भी विकास होना चाहिए । इसके अलावा दुनिया में जो अन्य प्रतियोगितायें हैं, उनमें हम पीछे हैं, लेकिन जो ग्रामीण खेल हैं, जैसे कुश्ती है, तैराकी है, कबड्डी है या गुल्ली-डंडा है, जिनका नाम तक कोई नहीं जानता है, इन खेलों के लिए कोई लड़ने वाला नही है । राष्ट्रीय खेलो पर जो प्राधिकरण बना है, उसमें ऐसे लोग हैं, जो ग्रामीण खेलों के संबंध में जानते तक नहीं हैं । मै आपके जरिए माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण है, उसमें निश्चित रूप से और समीक्षात्मक दृष्टिकोण से इसको भंग करके पूरे देश में प्रतियोगिता करा, जो ग्रामीण खेल खेलने वाले हैं, उन चुने हुए लोगों को उचित प्रतिनिधित्व देकर उसमें स्थान देना चाहिए। जहां तक शारीरिक शिक्षा का सवाल है, तो देश में लक्ष्मीबाई शारीरिक संस्थान ग्वालियर और त्रिवेन्द्रम में है, पटियाला में भी है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि शारीरिक शिक्षा को पूरे देश के पैमाने पर प्राइमरी स्तर तक की शिक्षा से ही अनिवार्य करना पड़ेगा । देश में एक-दो-चार क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर तमाम जगहों पर शारीरिक शिक्षा का विश्वविद्यालय बनाकर हर कालेज में उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि शारीरिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाए । मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि पहलवान विद्यालय भी होना चाहिए । हमारे बिहार के माननीय मुख्य मंत्री, श्री लालू प्रसाद जी, ने पहलवान विद्यालय खुलवाने का काम किय है । मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें। मैं आपको बिहार चलने के लिए आमंत्रित करता हूं, बिहार में चरवाहा विद्यालय पहलवान विद्यालय बना हुआ है । 113 जगहें तय हो चुकी हैं, कुछ निर्माण हो गया है, पढ़ाई प्रारम्भ हो गई है । इसमें अतिरिक्त खर्च भी नहीं है । मेरा निवेदन है कि आप इस पर अपने नजरिए से सोचिए और निश्चित रूप से इसको पूरे देश मे फैलाकर काफी बड़े पैमाने पर प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और जन-शिक्षा को सफल बनाने की दिशा में कार्यवाही करनी चाहिए ।

इन शब्दों के साथ, सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देते हुए, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, अपनी बात समाप्त करता हूं ।

[अनुवाद]

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने हेतु आमंत्रित करने के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं ।

महोदय, शिक्षा देश की विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और इसलिए इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है । मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांग एक महत्वपूर्ण मांग है । इन मांगों को सदन के अनुमोदनार्थ रखने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं । मैं माननीय सदस्यों से भी यह अनुरोध करूंगा कि इन मांगों का बिना किसी कटौती प्रस्ताव के समर्थन करें ।

इस देश के लोगों को इस बात की पूरी उम्मीद है कि माननीय मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी,

जो कि एक अनुभवी तथा सक्षम व्यक्ति हैं, के सही मार्गदर्शन में, शिक्षा विभाग में व्यापक परिवर्तन हो सकेगा। इसी प्रकार से, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस विभाग पर इतना अधिक जोर दिया है क्योंकि वह स्वयं भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। वे बहुत ही अनुभवी हैं और एक महान शिक्षाविद भी हैं। इस कारण से हमें यह पूरी उम्मीद है कि हमें इस विभाग में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा।

मैं स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी, जिन्होंने इस विभाग पर अधिक बल दिया था, के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। सन् 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने की दिशा में इस सभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस विभाग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय किसलिए कहा जाता है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि देश के किसी भी धन की बालक धन से बराबरी नहीं की जा सकती। बच्चे देश की अमूल्य निधि हैं। यह बच्चे भविष्य में देश के निर्माता बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, प्रख्यात वैज्ञानिक बन सकते हैं, अच्छे डाक्टर बन सकते है, प्रसिद्ध शिक्षाविद् बन सकते हैं, विचारक, दार्शनिक बन सकते हैं अथवा देश के अच्छे नागरिक बन कर देश की सेवा कर सकते हैं।

आज हम इस विभाग पर अधिक जोर दे रहे हैं और स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में 1986 में एक संकल्प भी पारित किया गया था। किसलिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि देश बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहा है और देश को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करना है। 1991 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार हमारी जनसंख्या 84.39 करोड़ हो गई थी। अब देश की कुल जनसंख्या 86 करोड़ हो गई है। इस देश की साक्षरता की दर क्या है? स्वतंत्रता के 45 वर्षों के बाद भी 1991 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार हमारी साक्षरता की दर 52.1 प्रतिशत है। इस समय यह 53 अथवा 54 प्रतिशत हो सकती है। देश अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। इस देश को अनेक कुर्बानियों और बलिदानों के बाद स्वतंत्रता मिली थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था :—

"स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना अन्तिम लक्ष्य नहीं है अपितु एक साधन है जिससे लोग अपनी अवस्था को बेहतर बना सकें।"

परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के 45 वर्षों के बाद भी हमारी 48 प्रतिशत आबादी अनपढ़ है। उन्हें जिस तरह से इस योग्य बनाया जा सकता है कि अपनी जीवन स्थितियों को सुधार सकें। इस देश के 43 करोड़ लोग अनपढ़ हैं।

हमारे देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या 6 करोड़ के लगभग है। खाली व्यक्ति का दिमाग शैतान का घर होता है। बेरोजगार युवा वर्ग में शक्ति और साहस भरा है। चूंकि वे बेरोजगार हैं, इसलिए धीरे-धीरे वे देश के लिए शैतान बन रहे हैं। वे चुपचाप नहीं बैठ सकते। इसलिए शिक्षा के व्यावसायोन्मुखन को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

भारत सरकार को इस बात के प्रति आश्वस्त होना चाहिए कि शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुरूप शिक्षा का पुनर्गठन देश के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए, और राष्ट्रीय

एकता की प्राप्ति के लिए तथा देश में समाजवादी ढांचे के आदर्शों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है।

इसके लिए शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करके शिक्षा को लोगों के जीवन से और अधिक जोड़ने की आवश्यकता है। शिक्षा के अवसरों का लोगों तक विस्तार किये जाने की दिशा में सतत प्रयास किये जाने चाहिएं। सभी स्तरों पर शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए व्यापक प्रयास किये जाने चाहिएं और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास पर और इसके साथ-साथ लोगों में नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों के विकास पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

हमारी शिक्षा प्रणाली को ऐसे चरित्रवान और योग्य नव-युवक और नव-युवतियां पैदा करनी चाहिये जो राष्ट्र की सेवा हेतु तत्पर हों। ऐसा करने से ही शिक्षा एकरूप नागरिकता, और संस्कृति के विकास में तथा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।

शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा पर नई राष्ट्रीय नीति में हमने शिक्षा के अपने उद्देश्य को भी परिकल्पित किया है। शिक्षा की वर्तमान प्रणाली से लोगों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं होतीं। इसलिए निम्नलिखित कसौटी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के लिए एक नए स्वरूप को खोजने की आवश्यकता है:—

"(I) इससे अधिकांश लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए।"

आज तक हम इस प्रक्रिया की उपेक्षा करते आये हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग 50 प्रतिशत लोगों को यह सुविधा प्रदान की गई।

"(II) यह सही मायनों में विकासात्मक होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी अपनी योग्यताओं की तलाश कर सकें, उनका विकास कर सकें और उन्हें अनुशासित कर सकें।"

विद्यार्थियों की योग्यताओं को जानना कठिन है एक विद्यार्थी की क्या योग्यता होती है? बच्चों की योग्यता का सही अर्थों में विकास किया जाना चाहिए, अन्यथा इसे परिपक्व नहीं किया जा सकता।

"(III) यह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित न्यूनतम मानदण्डों के अनुरूप होनी चाहिए।"

क्या आज तक शिक्षा में हमने कोई मानदण्ड अपनाया है? जी नहीं। ऐसा इसलिए है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। इसी कारण एक न्यूनतम मानदण्ड निर्धारित करना आवश्यक है।

"(Iv) यह रोजगार के अवसरों से सुनियोजित रूप से जुड़ी होनी चाहिए।"

मैंने कहा है कि हमारे देश में 6 करोड़ बेरोजगार युवा हैं। आज वे सड़कों पर और चाय की दुकानों पर भटक रहे हैं। इन्हें किस तरह से रोजगार प्रदान किया जा सकता है? क्या हमारी शिक्षा ने यह सुविधा प्रदान की है? इस बात का स्पष्ट तौर पर प्रश्न उठाया जाना चाहिए। शिक्षा को एक पूर्ण संचायक प्रणाली के रूप में कार्य करना चाहिए जिससे कि उच्चतम् एवं अद्यतन

संसाधनोंका शिक्षा को बढ़ावा देने और योजना संबंधी प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सके। शिक्षा को राष्ट्रीय विकास में प्रभावशाली योगदान देना चाहिए। ऐसा हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यदि हमें इस तरह के उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो हमें मेहनत करनी होगी। हमें इस मामले में गम्भीर होना चाहिए। देश के प्रत्येक कोने से लोगों को इस दायित्व को संभालना चाहिए। यह केवल हमारे शिक्षा मंत्री का ही दायित्व नहीं है, केवल प्रधान मंत्री जी का ही दायित्व नहीं है, बल्कि इस देश के प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में इस तरह की सुविधा प्रदान हो। इसी कारण से मैं यह पूछ रहा हूं; इसका रास्ता क्या हो सकता है ? किस तरह से हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी प्रक्रिया में इसे किस तरह से पूरा कर सकते हैं ? इसका एक रास्ता है। हमारे विचार से रास्ता इस बात में निहित है कि जिन बातों को हमने अपनाने के लिए स्वीकार किया है, उन्हें शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाए। शिक्षा प्रणाली और इसकी विकासात्मक गतिशीलता वस्तुतः मानव शक्ति से जुड़ी हैं। सर्वप्रथम मानव शक्ति पर ही बल दिया जाना चाहिए। मानव शक्ति के अभाव में कोई भी देश खुशहाल नहीं हो सकता। इसलिए मानव शक्ति पर बल दिया जाना चाहिए। तैयारी, अनुसंधान और विकास, निरन्तर शिक्षा और विस्तार यह सभी महत्वपूर्ण बातें हैं। किसी भी योजना में किसी भी विस्तार, विविधिकरण और विकास गतिविधि के लिये शिक्षा के अर्थ सापेक्ष आदानों को दृष्टिगत करना आवश्यक है। इसके लिए सबसे आसान तरीका यह होगा कि बजट की कम से कम 5 प्रतिशत राशि विकासकारी क्षेत्र के लिए ही आबंटित कर दी जाए जिससे कि मानव शक्ति के विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ऐसा इसमें होना चाहिए।

हमने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस बात पर बल दिया है ? इसमें एक बात है। राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी नीति संसद द्वारा मई 1986 मे अनुमोदित की गई, थी। इसमें वर्ष 1990 तक सभी को प्राथमिक देने की परिकल्पना की गई थी। इसका अर्थ यह है कि अब से 2 वर्ष पूर्व ऐसा हो जाना चाहिए था। हमने यह लक्ष्य भी रखा है कि वर्ष 1995 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। क्या ऐसा संभव है ? ऐसा क्यों नहीं संभव हो सकता ? हम सभी को प्राथमिक शिक्षा देने पर अत्याधिक बल दे रहे हैं। हमारी शिक्षा की स्थिति क्या होगी ? आज तक हमने सभी को प्राथमिक शिक्षा देने पर कोई जोर नहीं दिया है। आप्रेशन ब्लैक-बोर्ड का क्या रहा ? यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में आप्रेशन ब्लैक-बोर्ड पूर्णतया विफल रहा है चूंकि इस प्रयोजन के लिए जो साधन सामग्री प्रदान की गई है, अध्यापक भर्ती किये गये हैं और भवन निर्माण किये गये हैं. उनको पूर्णतया प्रयोग में नहीं लाया गया। मांग अभी तक पूरी नहीं की गई। इसलिए आप्रेशन ब्लैक-बोर्ड का लक्ष्य दस वर्ष में भी प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके कारण क्या हैं ? सभी प्राथमिक शिक्षा देने का काम अभी तक क्यों नहीं हो पाया ? यहां मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण बच्चे विद्यालयों में अध्ययन जारी नहीं रख पाते। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक बंधन लड़कियों को घर पर ही रहने के लिए विवश करते हैं। पर्यावर्णीय कारणों से भी बच्चे ईंधन, चारा और पीने का पानी लाने जैसे कार्यों में लगे रहते हैं।

अब मैं शिक्षा के व्यवसायोन्मुखन पर आता हूं। उदाहरण के लिए, उड़ीसा राज्य

सरकार ने उड़ीसा राज्य में 11 करोड़ रुपया व्यय किया है। लेकिन राज्य सरकार ने शिक्षा को इस प्रकार व्यवसाय उन्मुख बनाना पूर्णतः बंद कर दिया। वहां इमारतें हैं। वहां अध्यापक हैं। लेकिन जहां तक शिक्षा को व्यवसाय उन्मुख बनाने का संबंध है, उड़ीसा में इसके तहत कोई भी विद्यार्थी दाखिल नहीं हुआ है। शिक्षा को व्यवसाय उन्मुख बनाने के मामले में उड़ीसा एक बहुत बड़ी चुनौती

4.00 म० प०

[श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए]

का सामना कर रहा है। यदि सरकार ने इसे संयुक्त क्षेत्र का कार्य माना है तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और यह केन्द्र सरकार की जिम्मेवारी भी है। दोनों को आगे आना चाहिए। यदि राज्य सरकार अपना सहयोग नहीं देती है तो हम उसे इसमें कैसे रोक सकते हैं। इसके लिए, राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि उन्होंने अब तक अपना सहयोग क्यों नहीं दिया। (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : मैंने अभी तक अपने राज्य की शिकायतों को सामने नहीं रखा है। मैंने अनेक बार अपनी शिकायतें माननीय मंत्री जी के सम्मुख प्रस्तुत की हैं जो कि विश्वविद्यालय खोलने के संबंध में थीं, केवल उड़ीसा विश्वविद्यालय को नहीं बल्कि बालासोर, मयूरभंज, क्योंझर तथा फुलबनी में विश्वविद्यालय खोलने के संबंध में कहा था। ये स्थान उत्कल विश्वविद्यालय से काफी दूर हैं। उत्कल विश्वविद्यालय में 400 से अधिक कॉलेज हैं। भारत में सबसे अधिक संख्या में कालेज यहीं हैं। हमने इस संबंध में अनेक बार अनुरोध किया है। लेकिन अब तक इस बारे में कोई उत्तर नहीं मिला। मैं हाथ जोड़कर माननीय मंत्री जी से अपील करता हूं क्योंकि वह उड़ीसा के लोगों की शिकायतों के प्रति बहुत उदार तथा दयालु हैं जिनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है, और जो कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा पर्वतीय क्षेत्र के हैं। वे उन्हें स्वेच्छा से आगे आयें तथा उड़ीसा के लोगों के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : मानव संसाधन विकास से संबंधित इन महत्वपूर्ण मांगों पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

हमें इस सत्य का सामना करके बहुत दुःख होता है कि पूरे विश्व में अशिक्षितों की संख्या का 50 प्रतिशत भाग हमारे ही देश में है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जनगणना के नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि केवल हमारे यहां 52 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है। केवल इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहूंगा। केरल में हुए अनुभव से हमें काफी उम्मीद बंधी है। यदि जनता का सहयोग मिलता रहे तो निश्चय ही हम कुछ राष्ट्रीय लक्ष्यों को अधिक कुशलता से तथा कम समय में ही प्राप्त कर सकते हैं। केरल की जनता ने हमें संपूर्ण साक्षरता का रास्ता दिखाया है। यदि माननीय मंत्री जी द्वारा अधिक धन उपलब्ध करवाया जाता है, तो निश्चय ही हम संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के मामले में आगे कदम उठा सकते हैं। केरल के अनुभव ने हमें न केवल साक्षरता

की उम्मीद बंधायी है बल्कि वृक्षारोपण के संबंध में भी आशा दिखाई है। यदि हम इस कार्य में जनता को शामिल कर लें, युवाओं को शामिल कर लें तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को शामिल कर लें तो निश्चय ही हम इस दिशा में भी काफी प्रगति कर सकते हैं। यह एक कार्यक्रम है जिसमें हमने, राष्ट्रपिता को खोने के बाद इस बात का ठोस उदाहरण दिया है कि यदि हमारे कार्यों में जनता का सहयोग है, यदि हमारे कार्यों में जनता शामिल है तो निश्चय ही हम और बड़े-बड़े लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि 'कापार्ट' ने विभिन्न संगठनों को काफी धनराशि आबंटित की है। मैं माननीय मंत्री जी यह जानना चाहूंगा कि क्या इन अनुदानों के उपयोग के संबंध में कोई जांच की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि वह कृपया आवश्यक कदम उठाएं और देखें कि इस बारे में कोई अध्ययन तथा जांच की हो और आपके द्वारा प्रदान की गई निधि का सदुपयोग किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के संबंध में अभी मेरे माननीय मित्र ने अपनी बात कही है और मैं अब उसे दोहराऊंगा नहीं। लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि हम वर्ष 1995 तक संपूर्ण साक्षरता प्राप्त कर लेंगे फिर भी इस बारे में मेरी अपनी शंकाएं हैं। हम मंत्री जी से इस बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे। इस संबंध में सरकार का मूल्यांकन क्या है ? किस वर्ष तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे ?

केन्द्रीय विद्यालयों में भी शिक्षा का स्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि विद्यार्थी तथा अध्यापकों के बीच का अनुपात बहुत ऊंचा है तथा और अधिक अध्यापकों की नियुक्ति करने की जरूरत है। यह अनुपात कम होना चाहिए ताकि विद्यार्थी अधिक से अधिक और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

"आप्रेशन ब्लैक बोर्ड" के लक्ष्य अच्छे हैं और निश्चय ही हम उनसे सहमत हैं चाहे वह पक्का आवास उपलब्ध करवाने के संबंध में हों अथवा कम से कम दो अध्यापकों के मानक को प्राप्त करने के संबंध में हों। सभी लक्ष्य अच्छे हैं। लेकिन जिस तथ्य की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह यह कि हम तथा दूसरी तरफ बैठे अनेक सदस्य सभी अपने-अपने जिलों में जिला परिषदों के सदस्य हैं। हमारी जानकारी में यह आया है कि इस आप्रेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत जो अध्यापन सामग्री तथा खेल उपकरण उपलब्ध करवाए गए थे, वे बहुत निम्न स्तर के हैं। वे सभी स्तर से नीचे के हैं। दुर्भाग्य से इस 'आप्रेशन ब्लैक बोर्ड' पर जो करोड़ों रुपये हम खर्च कर रहे हैं, वह व्यर्थ जा रहे हैं।

एक समिति नियुक्त की गई थी और उस समिति ने हमारे जिले में बहुत ही चौंका देने वाली बातों का पता लगाया था। अतः अपने अनुभव से मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि वह कृपया इस संबंध में आवश्यक विस्तृत जांच करवाएं। कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें किसी दर पर यह ठेका दिया गया होगा लेकिन सप्लाई किए जा रहे साज-सामान की गुणवत्ता बहुत खराब है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगी।

सैकेंडरी शिक्षा के संबंध में यह बहुत आवश्यक है कि शिक्षा का स्तर अच्छा हो, और

हमारा आधार मजबूत होना चाहिए। तभी विद्यार्थियों की अभिरुचि उच्च शिक्षा प्राप्त करने अथवा अन्य ऊंचे अवसरों को प्राप्त करने की ओर होगी। इस संबंध में मैं मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहूंगा कि इस पाठ्यक्रम में अनेक परिवर्तन किए जाने चाहिएं। वर्तमान में विद्यार्थियों को केवल शारीरिक श्रम विहीन कार्यों के लिए ही तैयार किया जाता है। पोलीटैकनिक्स अथवा आई० आई० टी० संस्थानों में जो व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है, वह बहुत कम है। यहां तक कि विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी प्रयोगात्मक प्रशिक्षण सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। फिर भी, एक प्रमाण-पत्र अथवा एक डिग्री अथवा एक डिप्लोमा मिल जाने से विद्यार्थी संतुष्ट हो जाता है तथा अध्यापक भी संतुष्ट हो जाता है, यदि छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाये। यह उस स्थिति को बढ़ावा दे रहा है कि इंजीनियरिंग में स्नातक, अथवा एम० एम० ई० अथवा किसी अन्य कोर्स में डिग्री हासिल कर लेने के बाद जब वह व्यापक विश्व में कदम रखता है तो उस समय उसे अपने ऊपर इस बात का भरोसा नहीं होता है कि वह अपने पांव पर खड़ा हो सकेगा।

मेरा सुझाव यह है कि सरकार को व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए अधिक से अधिक उपाय करने चाहिएं। हममें से अधिकतर लोग स्नातक डिग्री तो हासिल करते हैं चाहे वह बी० एम० सी०, बी० ए० अथवा बी० कॉम हो तथा अनेक बार ऐसा होता है कि बहुत-सा धन खर्च करने के बाद जो अध्ययन हम कालेजों में करते हैं हम बहुत-सा समय खर्च कर रहे हैं और अभिभावक बहुत-सा धन खर्च कर रहे हैं, जो चीजें हमने अपनी युवा-वस्था के प्रथम चरण में सीखो है, उनका हमारी व्यावहारिक आवश्यकताओं के साथ कोई संबंध नहीं होता है। और इसकी बजाए यदि आप कृषि लेखा कार्य या स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान देते हैं, जिनका हमारे रोजमर्रा के उद्देश्यों, रोजमर्रा की आवश्यकताओं से संबंध है तो यदि भले ही सरकारी नौकरी नहीं भी मिलती है, तब भी एक किसान का बेटा होने के नाते, एक व्यक्ति अधिक उन्नत तकनीको द्वारा कृषि करके जो उसने स्कूल में सैकेन्डरी शिक्षा अथवा उच्च शिक्षा के दौरान सीखी है, अपने पांव पर खड़ा हो सकता है। इसलिए यही समय है कि सरकार इन चीजों पर गंभीरता से विचार करे और पाठ्यक्रम में पर्याप्त परिवर्तन करे।

जिन मदों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना है, उनमें निश्चय ही स्वयं सेवा तथा राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देने जैसे तत्व भी शामिल होने चाहिए। ऐसी बातें शामिल होनी चाहिए। दुर्भाग्य से इस समय इसकी कमी है। और सरकार को सैकेन्डरी स्तर से ही इसे मन में बैठाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिएं तथा श्रम के प्रति सम्मान तथा कार्य के प्रति अभिरुचि को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। दुर्भाग्य से इस समय हम देखते हैं कि कुछ जगहों को छोड़कर अनेक कारखानों में लोग काम ही नहीं करते हैं। वे अपना वेतन लेकर संतुष्ट रहते हैं और यह नहीं सोचते हैं कि कारखाने के कार्य तथा कारखाने के द्वारा राष्ट्र में उनका योगदान क्या है? इस कार्य अभिरुचि को इस पाठ्यक्रम कार्य संस्कृति के सृजन पर भी अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए।

नवोदय विद्यालयों के बारे में मेरे मित्र ने पहले ही उल्लेख कर दिया है और मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है? नवोदय विद्यालयों का उद्देश्य काफी व्यापक है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इतना ही पर्याप्त नहीं है और हमारी अपनी परीक्षा प्रणाली भी नहीं है, अभी भी आप नवोदय विद्यालयों में सी० बी०

एस० ई० की परीक्षा पद्धति को अपना रहे हैं, मेरा सुझाव है कि सरकार को यह देखने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए कि नवोदय विद्यालयों में उन्हीं अध्यापकों की भर्ती की जाए जो अपने कार्य के प्रति उत्साही हों, छात्रों को निश्चित रूप से अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हों।

उच्च शिक्षा के संबंध में मेरा सुझाव है कि इंजीनियरिंग और कृषि कॉलेजों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं में परामर्शदात्री पद्धति आरम्भ की जाए, जहां अनुसंधान कर रहे विद्वान और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र इस देश के विभिन्न वर्गों के लोगों को हो रही समस्याओं में से कुछ समस्याओं का समाधान करने में कुछ योगदान कर सकें। साथ ही ग्राहकों द्वारा इनके सामने लाई गई समस्याओं को सुलझाने के लिए ये संस्थान अपने अनुसंधान कार्यों के लिए राजस्व प्राप्त कर सकें।

जहां तक रोजगार के संबंध में, मैं कहना चाहूंगा कि हालांकि हमारा देश विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी दक्षता और कार्मिक एवं विशेषज्ञता में तीसरा सबसे बड़ा देश, है लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में 84 000 इंजीनियर स्नातक बेरोजगार हैं। इस देश में 45 लाख लोग बेरोजगार हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि इन 45 लाख लोगों को काम देने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन सरकार को ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे शैक्षिक संस्थानों से निकले लोगों में यह आत्मविश्वास उत्पन्न हो सके कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। यदि ऐसा किया जाता है तो आप एक बड़ी सेवा करेंगे।

मेरा सुझाव है कि आप यौन शिक्षा एवं स्वास्थ्य वर्धन संबंधी पाठ्यक्रम आरंभ करें, आजादी के 45 वर्ष बाद भी कुछ अस्पतालों से इस देश के लोगों में मूल ज्ञान के अभाव की जानकारी प्राप्त होने पर बड़ा दुख होता है, हम 21वीं शताब्दी और बढ़ रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हू कि वह इस समस्या पर गंभीरता से विचार करे और आवश्यक कदम उठाएं।

हमें खेलों के लिए अधिक धन आवंटित करना चाहिए ? ममता बैनर्जी इस समय सदन में मौजूद नहीं है। जिला स्तर की खेल टूर्नामेंट में पांच प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। हमारी राष्ट्रीय स्पर्धाएं खो-खो और कबड्डी उसमें शामिल नहीं हैं, प्रत्येक विजेता स्कूल को 10,000 रुपए दिए जाने चाहिए। केवल पांच स्पर्धाएं ही होती हैं। विगत एशियाई खेलों में हमने कबड्डी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, अतः आप खो-खो और कबड्डी को इन जिला स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में शामिल करें।

स्कूलों और उच्च छात्रवृत्तियों में भी खिलाड़ियो को स्थान देने में निश्चित रूप से तरजीह दी जानी चाहिए।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक ही बच्चे वाले परिवारों को या दो बच्चों वाले परिवारों के बच्ची को वरीयता की जाए। आप ऐसे लोगों को उच्च छात्रवृत्ति दें आप दूरदराज क्षेत्रों के गांवों के अशिक्षित गरीब लोगों की जानकारी में यह बात लाएं कि यदि वे अपने परिवार को एक या दो बच्चों तक सीमित रखें तो उनके बच्चों का भविष्य बेहतर होगा और सरकार निश्चित रूप से उनके बच्चों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखेगी। यह एक बहुत अच्छा प्रोत्साहन होगा।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की दशा बहुत ही सोचनीय है। मैं आपसे उनका मानदेय बढ़ाने की अपील करता हूं।

मैं माननीय मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी से यह अनुरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि वह कृपया मेरे निर्वाचन क्षेत्र विजयवाड़ा में एक विज्ञान केंद्र खोलने की मंजूरी दें। आंध्र प्रदेश सरकार और विजयवाड़ा नगर निगम सरकार की अपेक्षाओं के अनुसार भूमि और कुछ धन राशि उपलब्ध कराने के लिए सहमत है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : सभापति महोदय, मैं अनुदान मांगो का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं आरम्भ में ही कहना चाहती हूं कि मांगों का विरोध करके मैं इस विशेष मांग का विरोध नहीं कर रही हूं या उस विशिष्ट क्षेत्र के लिए आबंटन में वृद्धि करना चाहती हूं। परन्तु इन मांगों का विरोध करने का मेरा मतलब है, पूरे रवैय्ये का विरोध अनुदान के लिए मांगों के पीछे कार्य कर रहे पूरे दर्शन का विरोध।

यह रवैय्या क्या है ? मैं नहीं समझती हूं कि यह सामान्य बजट में व्यक्त किए गए रवैये से अत्यधिक भिन्न है। मैं इस सदन में 26 मार्च को श्री मनमोहन सिंह द्वारा दिए गए उत्तर को स्मरण कराती हूं। उन्हीं की पार्टी के लोगों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी प्राथमिकताओं के बारे में कुछ कहने का अनुरोध किए जाने पर श्री सिंह ने अपने उत्तर में कहा था कि "मुझे इस बारे में अत्यधिक खेद है। लेकिन जिस हालात में आज भारतीय आर्थिक स्थिति है उनमें हमारे राष्ट्रीय जीवन में व्याप्त मूल समस्याओं से निपट पाने के लिए प्रयास करने की बहुत कम संभावना है।" बजट में यह दृष्टिकोण सामने आया है। हमें अपनी मूल समस्याओं का पता लगाने की जरूरत नहीं है। ये नई नीति के कारण पैदा हुई हैं। मूल समस्याओं में वृद्धि हुई है क्योंकि नई नीति इस उम्मीद के साथ अधिक मात्रा में संपत्ति एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है कि अंततोगत्वा कुछ कम हो जाएगी। इस नीति में गरीबी बढ़ती जा रही है। और जब गरीबी एक बार बढ़ जाती है तो उसे कम करने के लिए कुछ राहत की अनुमति दी जानी चाहिए,

जब राज्य मंत्री ने इसमें हस्तक्षेप किया तो मुझे हमारी युवावस्था का एक अमरीकी गीत याद दिलाया गया जो इस प्रकार है, 'मैं प्रयास करूंगा, यदि मैं कर सका तो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।' राज्य मंत्री के भाषण का स्थायित्व यह रहा कि वह करेगी यदि वह कर सकी तो, लेकिन वह श्री मनमोहन सिंह के होते हुए कुछ नहीं कर सकती है।

वास्तव में यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। माननीय मंत्री का व्यक्तिगत निजी मत कुछ भी हो, अभी तक यह नीति में उजागर नहीं हुआ है। और मुझे उन अनुदान मांगों में माननीय मंत्रीके निजी मत का कोई प्रतिबिम्ब नहीं दिखाई देता है जो कि उनके मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। वास्तव में यह दृष्टिकोण उस दृष्टिकोण से अधिक भिन्न नहीं है जो कि सामान्य बजट में प्रस्तुत किया गया था।

मैं शिक्षा के बारे में बहुत अधिक नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे साथी श्री सुधीर राय पहले ही इस पर काफी विस्तार से बोल चुके हैं। मैं केवल दो-तीन बातें कहना चाहती हूं। पहली बात यह है कि शिक्षा में हर स्तर पर कटौती की गई है। प्राथमिक शिक्षा में कटौती की गई है, परन्तु नई शिक्षा नीति जिसे हमारी शिक्षा संबंधी सभी समस्याओं के लिए रामबाण घोषित किया गया था, वह हमारी अनौपचारिक शिक्षा के लिए एक बड़ा इनाम है। यह कहा गया था कि जिन बच्चों को औपचारिक स्कूल शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता है उन्हें अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत लाया जाएगा। हमने उस स्थिति में इसका विरोध किया था। हमने कहा था

कि प्राथमिक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा कभी भी औपचारिक शिक्षा का स्थान नहीं ले सकती है, हमने अपने देश में सभी बच्चों के लिए एक सम्मान शिक्षा आग्रह किया था।

लेकिन अब हम क्या देखते हैं ? अब हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के लिए अनुदान में कटौती ही नहीं की गई है बल्कि अनौपचारिक शिक्षा के लिए अनुदान की कटौती कर दी गई है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि नई शिक्षा नीति अब स्वयं ही धीरे-धीरे क्षीण होती जा रही है ?

शिक्षा के क्षेत्र में केवल प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र मे ही कुछ वृद्धि हुई है। मैं, हमारे देश में जहां कि साक्षरता की दर बहुत कम है, प्रौढ़ शिक्षा को कम नहीं आंकना चाहती हूं। लेकिन जहां एक ओर प्राथमिक शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में ही कटती की गई है और प्रौढ़ शिक्षा को कुछ अधिक महत्व दिया गया है, इसका क्या मतलब है ? क्या इसका मतलब यह है कि हमारे बच्चे जिनकी स्कूल जाने की उम्र है, केवल तभी वर्णमाला और गणित सीखें जब वे 45 या 50 वर्ष की आयु के हो जाएं ? प्रौढ़ शिक्षा केवल बैकलॉग है जिसे हम अब खपाने का प्रयास कर रहे हैं। यह किसी भी तरह से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हुई क्षति को पूरी नहीं कर सकती है।

जब मैं शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों को देख रही थी तो मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि मंत्रालय ने शिवकाशी के उन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया है जो प्रति दिन घण्टों पटाखे बनाने में बिताते हैं ? आगरा के उन बच्चों के लिए क्या किया गया है जो कालीन बनाने का काम करते हैं ? महानगरों में सुबह से शाम तक चाय की दुकानों पर काम करने वाले लड़कों के लिए इसमें क्या किया गया है ? उन बाल श्रमिकों, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 1990 तक जिनकी संख्या 1.5 करोड़ है, के लिए क्या किया गया है ? कुछ नहीं। वेश्याओं के बच्चे उनकी अपनी कोई गलती न होते हुए भी, उनकी माताओं की कोई गल्ती न होते हुए भी दुःख उठाते हैं, और ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि वे शोषण व्यवस्था के शिकार हैं। क्या सामाजिक रूप से वंचित इन बच्चों के लिए और बाल श्रमिकों के लिए बने अधिनियम को लागू करने के लिए कुछ निधि नहीं होनी चाहिए ताकि यह एक वास्तविकता बन सके ? मैंने पाया कि बजट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि पाठ्य पुस्तकों और शैक्षणिक पुस्तकों को क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार करने की आवश्यकता है। अनुदान किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं हैं। परन्तु, न केवल अनुदान ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि इस प्रकार की पुस्तकों के प्रकाशन से संबंधित निकायों ने भी इनका प्रकाशन कम कर दिया है। मैं मंत्रालय को यह बताना चाहती हूं कि अनुदान प्रदान कर देना ही काफी नहीं है, बल्कि एक विशेष स्तर पर इन पुस्तकों को कैसे लाया जा सकता है, अधिकृत शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा बिना किसी राजनैतिक हस्तक्षेप के एक विशेष मापदण्ड निर्धारित किया जाना चाहिए; साम्प्रदायिक प्रतिवामन नहीं किया जाना चाहिए; हमारे पाठ्यक्रमों में सांप्रदायिकता का जो तत्व होता है, उसे दूर किया जाना चाहिए और इसके साथ ही साथ अवैज्ञानिक दृष्टिकोण पुस्तकों में नहीं अपनाया जाना चाहिए। पाठ्य-पुस्तकों के लिए धनराशि देने का सरकार का यही उद्देश्य होना चाहिए।

एक और बात मैं कहना चाहती हूं। हमारे देश में अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। इन संस्थानों में अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे और

अध्यापक आते हैं ! इन संस्थानों के इन बच्चों और अध्यापकों को संरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिये, इन संस्थानों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप किये बिना, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे की इन संस्थानों का प्रबंधन लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित हो सके, ताकि अध्यापकों के वेतनमानों में एकरूपता और उनके रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

मैं खेलों और युवा क्रियाकलापों के बारे में भी एक या दो शब्द कहना चाहूंगी। मेरे मित्र श्री रमेश चेन्नीताला पहले ही नेहरू युवक केन्द्रों के बारे में बोल चुके हैं। इस वर्ष अनुदान आंशिक रूप से बढ़ाये गये हैं। और भी अन्य अनुदान हैं जोकि नेहरू युवक केन्द्रों के माध्यम से ही उपयोग में लाये जाते हैं। इसी वजह से, यह अति-महत्वपूर्ण है कि उनका कार्यकरण और उनका प्रबंधन ऐसा होना चाहिये, जिसे सभी स्वीकार करें। यह सही नहीं है कि कुछ राज्य सरकारों ने खेल और युवा कार्य मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में यह मांग की है कि इन युवक केन्द्रों को उनसे अच्छे तालमेल रखकर कार्य करना चाहिए। क्या उन्होंने यह मांग नहीं की थी कि इन केन्द्रों के प्रबंधन का लोकतांत्रिकरण किया जाये और विभिन्न युवा और छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों को इनमें शामिल किया जाये ? इन केन्द्रों के प्रबंधन में ये परिवर्तन लाये बिना मैं समझती हूं कि अनुदानों में वृद्धि करना न्यायसंगत नहीं है।

संशोधन अनुमानों के अनुसार पहले राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान के लिए एक लाख रुपये का अनुदान था। अब इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। क्यों ? यह संस्थान क्या है ? इसके कार्यकलाप क्या हैं ? वार्षिक रिपोर्ट में इस संस्थान का कोई जिक्र ही नहीं था। हम जानना चाहते हैं कि मंत्रालय के अति सीमित संसाधनों के उत्तम आवंटन में इससे किस प्रकार सहायता मिलेगी ?

मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहती हूं कि राष्ट्रीय स्तर और राज्यीय स्तरों पर खेल संघों के कार्यकारी सदस्यों के पद पर बने रहने की अधिकतम अवधि के बारे में दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है अथवा क्या इन संघों को निजी स्वार्थों की पूर्ति का अड्डा बनाया जा रहा है। क्या नौकरियों में खेल आरक्षण कोटे का सही तरीके से पालन किया जा रहा है ? उस स्थिति में मैं यह जानना चाहूंगी कि ऐसा क्यों है कि रेलवे में जूडो खिलाड़ियों को रोजगार देने की मांग एक लम्बे अरसे से क्यों अनदेखी की जा रही है।

निजी स्वार्थों के इस विषय पर बोलते हुए मैं यह भी बताना चाहूंगी कि 27 फरवरी से 5 मार्च के अंडमान टाइम्स में एक समाचार निकोबारी आदिवासी लड़कियों, जोकि इन द्वीप समूहों के जल खेलों की टीमों में हैं, के यौनाचार शोषण के बारे में छपा है।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : जिस समाचार का वह हवाला दे रही हैं वह मेरे ध्यान में भी आया। मैंने इसे पढ़ा है और मैंने इसके बारे में उप-राज्यपाल और अन्य आदिवासी नेताओं आदि से पूछ-ताछ की थी। मुझे सूचित किया गया है कि यह सही नहीं है। अतः, मैं आपको केवल बताना चाहता था।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : बहुत अच्छा ? मुझे खुशी है कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के माननीय सांसद ने इस पर गौर किया है। लेकिन मैं एक प्रकार के शोषण, जोकि सम्भवतः शुरू हो सकता है, जरूरी नहीं कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के मामले में ही हो, का एक

उदाहरण दे रही हूं। यह अन्य स्थानों पर भी हो सकता है। अतः इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

अब मैं महिला और बाल विकास विभाग पर आती हूं। यहां मेरे लगभग सभी मित्रों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों के समर्थन के बारे में आवाज उठाई है। वास्तव में राज्य मंत्री महोदया ने स्वयं कहा है कि वह इस मांग का समर्थन करती हैं। मुझे इस पर अधिक बोलने की जरूरत नहीं है। परन्तु मैं तो राज्य मंत्री महोदया द्वारा मानदेय बढ़ाये जाने के बारे में दिये गये एक बयान का जिक्र करना चाहती हूं। उन्होंने कहा है :

[हिन्दी]

"हमारी कोशिश है कि हम नया कोई प्रोग्राम बनाने जाते हैं, तो उनकी साढ़े चार घंटे की ड्यूटी को भी उसमें एडजस्ट कर दिया जाये जिससे उनकी तनख्वाह बढ़ सके।"

[अनुवाद]

महोदय, मैं एक बात और यह कहना चाहती हूं कि यदि मंत्रालय का यही दृष्टिकोण है, तो फिर मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कहने को तो केवल चार या साढ़े चार घंटे कार्य करती है, परन्तु वास्तव में वे इससे भी अधिक अर्थात् सात अथवा आठ घंटे तक कार्य करती हैं। अतः, यदि आप उन्हें किसी अन्य कार्यक्रम में समायोजित करना चाहते हैं और उनके काम के घंटे बढ़ाकर मानदेय में वृद्धि कर रहे हैं, तो वह असम्भव होगा और वह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है।

निःसंदेह आई० सी० डी० एस० के बहुत एक बहुत उपयोगी और लोकप्रिय परियोजना है, जहां इसका उचित उपयोग किया गया है, वहां वृद्धि हुई है। परन्तु मैं यह कहना चाहती हूं कि अब तक, केवल 42.8 प्रतिशत खण्डों में ही यह लागू हो पाई है और 57.2 प्रतिशत अभी भी बकाया है। उसके लिए धन राशि में वृद्धि की आवश्यकता होगी। फिर भी, किशोरावस्था की लड़कियों के लिए दो नई परियोजनाएं अतिरिक्त धनराशि से उसी शीर्ष में सम्मिलित की गई हैं।

महोदय, महिलाओं पर 1988 की राष्ट्रीय संदर्शी योजना में यह प्रस्तावित था कि औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को शिशु-सदन सेवाएं प्रदान करने हेतु आई० सी० डी० एस० के साधो-सामान में विस्तार किया जाये। परन्तु, महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि आई० सी० डी० एस० की बड़ी असफलता से भी, यह सम्भव नहीं होगा क्योंकि आपने दो और परियोजनाएं उनके लिए धनराशि आबंटित किये बिना इसमें सम्मिलित कर दी हैं। महोदय भाई या बहन की देख-भाल करना किशोरावस्था की लड़कियों पर एक बड़ा बोझ है और विशेषकर औपचारिक क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में और अधिक शिशु-सदन प्रदान किये बिना किशोरावस्था की इन लड़कियों को घरेलू दक्षता से मुक्त नहीं किया जा सकता। परन्तु बढ़ाई गई धनराशि का ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

'रोजगार के लिए सहायता' और 'प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्र' शीर्षों के अंतर्गत मांग में वृद्धि की गई है। डा० मनमोहन सिंह के बजट भाषण में भी यह कहा गया है कि असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष से सहायता प्रदान की जायेगी। उन्होंने कहा था :

"राष्ट्रीय नवीकरण कोष का असंगठित क्षेत्र के कार्यकर्ताओं, आर्थिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से दुष्प्रभावित होने वाली महिला कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न सहायता परियोजनाओं में उपयोग किया जा सकता है।"

यह "जा सकता है" नहीं बल्कि होगा, होना चाहिए और अवश्य होना चाहिए। आगामी महीनों में बेरोजगारी में अत्यधिक वृद्धि होने जा रही है। और, महोदय, यह केवल मेरा ही मत नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में कहें और बिना विस्तृत ब्योरे के केवल मुद्दों का ही जिक्र करें।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन तथा यू० एन० डी० पी० ने आकृतिक समायोजन के सामाजिक आयाम पर एक कार्यशाला आयोजित की थी जिसमें यह कहा गया है कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलने वाली है और वास्तव में राष्ट्रीय नवीकरण कोष उसका सामना करने के लिये बहुत कम है। संगठित क्षेत्र में इससे यह होगा कि लोगों को बाहर धकेला जायेगा और उन्हें अप्रसंगिक बना दिया जायेगा और असंगठित क्षेत्र में पुनः अधिकाधिक लोग बेरोजगार हो जायेंगे और इस बेरोजगारी के बोझ से सबसे पहले महिलाएं प्रभावित होंगी। आपने खादी, हथकरघा और हस्तकला क्षेत्रों में महिलाओं को नियोजित करने की बात कही है, परन्तु सामान्य बजट ऐसे उद्योग को समाप्त कर सकता है। आपके 'उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्रों' में उत्पादन सुनिश्चित किया जाये। लेकिन इस उत्पादन के बिक्रय के लिए बाजार नहीं होगा और असंगठित क्षेत्र में और अधिक शोषण होगा। अतः, सामान्य रोजगार स्थिति में सुधार किये बिना, कामकाजी महिलाओं को इस अल्प सहायता से कोई लाभ नहीं होगा।

हम जानते हैं कि कलाकारों का वाणिज्यिक ताकतों द्वारा शोषण किया जाता है और इनके कौशल का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने के एक लाभ अर्जित करने वालों द्वारा बहुत कम मजदूरी पर उपयोग किया जाता है। हकसर समिति के प्रतिवेदन में लोक कला के वाणिज्यीकरण की इस समस्या को उद्घाटित किया गया है। सरकार के लिए यह सम्भव हो सकता है कि उनके लिए कुछ परियोजनाओं को हाथ में ले। परन्तु बजट में इस प्रकार का कुछ नहीं है। सांस्कृतिक विभाग के लिए धनराशि का कोई अभाव प्रतीत नहीं होता क्योंकि इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के लिए धनराशि 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है। वास्तव में सरकार के पास पैसे की कमी प्रतीत नहीं होती। केवल यही है कि उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। सच तो यह है कि इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के लिए जितनी धनराशि आबंटित की गई है, वह तीन अकादमियों और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को मिलाकर आबंटित अनुदानों से भी अधिक है।

यह ऐसी एकतरफा प्राथमिकताओं के विरुद्ध है जिसके लिए मैंने आवाज उठाई है और मैं यह कह कर कि इसी परिछाया के कारण मुझे अनुदानों की इन मांगों का विरोध करने पर मजबूर होना पड़ा है।

अन्ततः, मैं सांस्कृतिक विभाग के लिए अनुदानों के बारे में कुछेक शब्द कहना चाहती हूं। यहां भी पुनः, हम देखते हैं कि इस कटौती से वे क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने सम्भवतः अत्यधिक उपेक्षित और पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाया हो। हम यह कटौती कहां देखते हैं? यह कटौती हिमालयाई कला, आदिवासी कलाओं, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों और इसी प्रकार से और भी

अन्य कलाओं के बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता में की गई है। यही वे क्षेत्र हैं जिनमें कटौती की गई है। हमारे देश में सांस्कृतिक तत्वों का बाहुल्य है और धनराशि का हस्तांतरण और विकेन्द्रीकरण के बिना हमारी संस्कृति की जड़ तक नहीं पहुंचा जा सकता। महोदय, प्रत्येक जानता है कि आदिवासी और लोक कला की प्रथा हमारे ग्रामीण गरीब लोगों द्वारा जीवित रखी जाती है, जिसमें से ज्यादातर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों से संबंधित होते हैं। क्या यह सही है ? क्या यह सही है कि उनके लिए केवल 30 लाख रुपये आबंटित किये जायें, जबकि भारत के उत्सव के लिए इससे दस गुना अधिक राशि आबंटित की जाती है ? समूची आदिवासी कलाओं को केवल 30 लाख रुपयों से ही बनाये रखा जाता है, जबकि भारत उत्सव, जोकि केवल कुछ ही दिन चलता है, के लिए 382 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है। क्या यह न्यायोचित है ?

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये (पणजी) : महोदय, मैं मानव संसाधन मंत्रालय के अनुदान मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री शिक्षा क्षेत्र के बुद्धिजीवी और अनुभवी व्यक्तियों में से एक हैं और वे शिक्षा, युवा, महिलाओं और बच्चों, कला, संस्कृति और खेल-कूद आदि क्षेत्रों में मानव शक्ति के विकास की आवश्यकताओं से भली भांति अवगत हैं। उनके मंत्रालय के अधीन चार विभागों की विभिन्न गतिविधियों के लिये जो धन राशि का आबंटन निःसंदेह उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ही है, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना है। माननीय मंत्री से मेरा केवल इतना अनुरोध है कि यह देखने के लिये कि उन लक्ष्यों की वास्तव में प्राप्ति हुई है या नहीं जिनके लिये धन खर्च किये जाते और ये धन-राशि पूरा किये गये लक्ष्यों के अनुपात में है या नहीं वे अपने मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा निरन्तर करते रहें। मुझे लगता है कि इस दिशा में अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है जिससे स्तरीय शिक्षा का लाभ निर्धनतम व्यक्तियों एवं सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मिल सके।

अच्छी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को अच्छा एवं प्रतिष्ठित नागरिक बनाना होता है जिससे कि उसमें अपने पैरों पर खड़े होने की योग्यता हो और वह एक सम्मानजनक जिन्दगी जी सके। चरित्र-निर्माण की इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसे शिक्षा में अपेक्षित स्थान दिया जाना चाहिए। यह बात जान लेनी चाहिए कि बेहतर शिक्षा राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला है और जब तक इसे मजबूत और चिरस्थायी नहीं बनाया जाता, इस पर टिकी कोई भी संरचना दृढ़ और सीधी नहीं होगी।

इसलिये, हमें चरित्र-निर्माण, राष्ट्रीय अखंडता, धर्म-निरपेक्षता, पर्यावरण और जनसंख्या की शिक्षा इत्यादि जैसे आधारभूत मूल्यों को बढ़ाने और उनके विकास पर विशेष जोर देते हुए समाज के सभी वर्गों अच्छी शिक्षा प्रदान को करने की व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारी जनसंख्या के बहुत बड़े भाग, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक गतिविधियों की मुख्य-धारा में लाया जाये जिससे वे भी राष्ट्र की संपन्नता में अपना योगदान दे सकें। दुर्भाग्य से इस साल के बजट में इस पर से ध्यान हट-सा गया लगता है जबकि पिछले साल के बजट में इसका उल्लेख था।

माननीय मंत्री स्वयं शिक्षा के प्रति समर्पित हैं इसलिये मेरे पास उनके कुछ भी खास कहने को नहीं है। तो भी मैं यह महसूस करता हूं कि अब समय आ गया है कि हमें इस दिशा में कुछ करना चाहिए और यदि हमने इस अवसर पर कुछ नहीं किया तो हमें आने वाले लम्बे समय तक

पछताना पड़ेगा। इसलिये मैं अपने कुछ विचार इस सम्बन्ध में प्रस्तुत करने का साहस कर रहा हूं, जिन पर माननीय मंत्री सभी परिप्रेक्ष्यों में ध्यान देने की कृपा करें।

आज के समाज में नैतिक स्तर में गिरावट को देखते हुए हमारी शिक्षा-प्रणाली में चरित्र निर्माण पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। चूंकि बच्चे परिवर्तनों के प्रति अधिक सहज होते हैं, इसलिए चरित्र-निर्माण की प्रक्रिया आंगनवाड़ी कक्षा से शुरू होकर उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तक जारी रहनी चाहिए। उनके लिये देश और उनके लिये अच्छी-अच्छी बातों को बार-बार बतलाते रहने का बच्चों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को शाम के समय महान व्यक्तियों और उनके कार्यों के बारे में कहानियां सुना कर उनको शिक्षित करने में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं की, जो कि शाम में खाली ही बैठे रहते है, मदद ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त बच्चों को घर में पढ़ने के लिये ऐसी पुस्तकें दी जा सकती हैं जिनमें महान व्यक्तियों की जीवनियों और उनके आदर्श कार्यों का चित्रण किया गया हो। अगले दिन के पठन-पाठन के दौरान बच्चों से उन कहानियों पर प्रश्न किये जा सकते हैं। सप्ताह में एक बार, उन महापुरुषों के जीवन और उनके कार्यों पर दृश्य-श्रवण कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जा सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा करने से इसका वांछित परिणाम कहीं ज्यादा तीव्र गति से होगा।

शिक्षा पर खर्च होने वाली इस धन का लाभ आखिर किन लोगों को मिलता है? अगर इस पहलू पर विचार करें तो पायेंगे कि इसका लाभ कुछेक संपन्न लोग या ऐसे लोग जो मियां-बीबी दोनों ही कमाते हैं, उठा पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है जिससे वे जो चाहे खरीद सकते हैं। वे अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेज सकते हैं, महंगी पुस्तकें और अन्य सहायक सामग्री खरीद सकते हैं, विशेष ट्यूशन की व्यवस्था कर सकते हैं और उन्हें विशेष कोचिंग कक्षाओं में भेज सकते हैं ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। यहां तक कि यदि वे बच्चे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला पाने में असफल रह जायें तो उनके माता-पिता प्रावैधिक शुल्क देकर भी उनका उन पाठ्यक्रमों में दाखिला करवा सकते हैं। लेकिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और दूसरे आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े छात्रों के साथ क्या होता है? उनके घरों में भी अपेक्षित वातावरण का अभाव होता है जिससे उन्हें स्कूल में आकर अध्ययन करने की प्रेरणा नहीं मिल पाती। उनके अशिक्षित और गरीब मां-बाप उनके अध्ययन में समय बिताने की अपेक्षा उनके द्वारा अपने कार्य में हाथ बंटाने को प्राथमिकता देते हैं जिससे दो पैसे का उपार्जन कर सकें। ऐसी परिस्थितियों में ऐसे छात्रों का प्रतिष्ठित पाठ्यक्रमों में नामांकन की खातिर शहरी छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करना लगभग नामुमकिन ही है।

इसलिये, समय की मांग यह है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और दूसरे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिये पचास-पचास प्रतिशत के आधार पर आदिवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाये। इन स्कूलों में उनके लिये निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा और निःशुल्क रहने और खाने-पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। इन विद्यालयों में कड़े अनुशासन का पालन होना चाहिए और साथ ही चरित्र-निर्माण, कड़ी मेहनत और समर्पण तथा देश के लिये प्रेम और आदर आदि बातों पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए जिससे ये छात्र आगे चलकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें और एक सम्मानपूर्ण जिन्दगी व्यतीत कर सकें।

निःसंदेह, स्तरीय शिक्षा प्रदान करने हेतु नवोदय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है

लेकिन इनमें दाखिला पाने के लिये छात्रों में विशेष प्रतिभा का होना आवश्यक है जिसे प्राप्त करने के लिये साधारणतया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को अवसर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वे इन विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते। आश्रमशालाओं की व्यवस्था तो पूरी तरह से असफल है क्योंकि उनमें शिक्षा का स्तर इतना कम है कि मुश्किल से 30 प्रतिशत छात्र, वह भी न्यूनतम अंकों पर, उच्चत्तर माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाते हैं। इस तरह के निम्न स्तर के आधार पर इन छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की आशा नहीं की जा सकती।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों को स्तरीय शिक्षा प्रदान करने की लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकी है। इस समस्या के समाधान का एकमात्र विकल्प आवासीय विद्यालयों की स्थापना है जिनके बारे में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। वर्त्तमान आश्रम-शालाओं को भी आवासीय विद्यालयों में परिवर्तित किया जा सकता है जिनमें सिर्फ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और दूसरे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों को दाखिला दिये जाने की व्यवस्था हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विश्व बैंक, युनीसेफ, दूसरे विकसित देश तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की धर्मार्थ संस्थाएं भी इस भलाई के कार्य मे प्रसन्नता-पूर्वक अपना सहयोग देंगी। अगर जरूरी हुआ, तो इस उद्देश्य के खातिर राजस्व अर्जित करने हेतु हम विलासिता की वस्तुओं, अर्थात केबल टी०वी०, वीडियो पार्लरों, शराब आदि पर एक अल्प कर भी लगा सकते हैं।

सभापति महोदय : श्री हरीश' आपको भाषज पढ़ने की अनुमति नही है।

श्री हरीश नारायण प्रभु झाटये : महोदय, यह बहुत ही उपयोगी भाषण है। मैं इसलिये पढ़ रहा हूं कि सभी पहलूओं को भली-भांति उजागर किया जा सके। और जिससे कोई गल्ती न रह जाये।

सभापति महोदय, : नियमानुसार आप पढ़ कर भाषण नहीं दे सकते।

श्री हरीश नारायण प्रभु झाटये : तकनीकी शिक्षा माननीय प्रधान मंत्री के आर्थिक उदारता और उद्योगों के तीव्र विकास पर बल देने के साथ ही हमें तकनीकी जन-बल और कुशल एवं अर्द्ध-कुशल मजदूरों की बड़ी संख्या में आवश्यकता पड़ेगी। मुझे पूरी तरह नहीं मालूम कि इस तकनीकी जन-बल की आवश्यकताओं के बारे में कोई आकलन किया गया है या नहीं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये हमारी क्या योजनाएं हैं? जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि तकनीकी शिक्षा की वर्त्तमान सुविधाओं का लाभ केवल धनी और शहर में रहने वाले छात्र ही कर पाते हैं। देहातों के गरीब छात्रों को तकनीकी संस्थानों में प्रवेश का अवसर मुश्किल से ही मिल पाता है क्योंकि न तो वे सरकारी कालेजों की प्रवेश-परीक्षा में शहरी छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा में मुकाबला कर पाते हैं और न ही गैर-सरकारी कालेजों में दाखिले के लिए प्रावेशिक शुल्क देने के संसाधन उनके पास होते हैं। इसलिए, विश्व-बैंक की सहायता से निर्धन छात्रों के लिए अधिकाधिक संख्या में छात्रावास-सुविधा सहित तकनीकी कालेजों की स्थापना की जानी चाहिए।

जैसा कि माननीय मंत्री अच्छी तरह जानते हैं, विश्व बैंक 1990-99 की अवधि के लिए 373.3 मिलियन राशि तक के विशेष आहरण अधिकार के रूप में हमें ऋण सहायता उपलब्ध

कराने हेतु सहमत हो गया है। फरवरी, 1992 के अन्त तक इस विशेष आहरण अधिकार के सिर्फ 6.08 मिलियन राशि का उपयोग किया गया है। यह कुछ हद तक निराशाजनक ही है।

नए उद्योगों की स्थापना और वर्तमान उद्योगों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए हमें तकनीकी शिक्षा प्राप्त जन-बल की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु योजना बनानी होगी। जन-बल की इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में पॉलिटेक्नीक संस्थानों की स्थापना करनी होगी। इस प्रकार, अगर हम गरीब छात्रों के लिए अधिक से अधिक तकनीकी कालेजों और पॉलीटेक्नीक संस्थानों की स्थापना करते हैं तो उन्हें कुछ सीखने का अवसर मिलेगा और वे राष्ट्र की विकास में अपना योगदान दे सकेंगे।

खेल-कूद : अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूदों में हमारा निराशाजनक प्रदर्शन हमारी अनियोजित आयोजना का एक उदाहरण है। 1986 के बाद ही हमने इस ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना शुरू किया है।

सभापति महोदय, : श्री हरीश, आपका समय समाप्त हो चुका है। अब आप खत्म करें।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : प्रत्येक वक्ता को 20 मिनट का समय दिया गया है। इसलिए, मुझे भी कुछ अधिक समय दें, अन्यथा मेरे साथ अन्याय होगा।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी ने सुझाव दिया था कि सभी वक्ताओं को 10 मिनट का समय दिया जाना चाहिए। आपने 10 मिनट से ज्यादा समय ले लिया है।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : पिछले एक महीने में यह मेरा पहला अवसर है।

सभापति महोदय : यह सूचना मुझे मिल चुकी है।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : ठीक है, मैं तेजी से इसे पढ़ता हूं।

अपने खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक लाने हेतु मैं निम्नलिखित चार सूत्री कार्यक्रम को लागू करने का सुझाव देता हूं :—

(1) 10 वर्ष के उम्र पर छात्रों का चयन कर लिया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए कि खेल-कूद ही उनका भविष्य है और उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में ही चमकना होगा।

(2) खेल-कूद के लिए चयनित छात्रों का शारीरिक गठन अच्छा होना चाहिए और उनमें भाग दौड़ करने की अनुकरणीय क्षमता भी होनी चाहिए। इस क्षमता के विकास के लिए उन्हें स्वास्थ्यवर्द्धक भोजन भी मिलना चाहिए।

(3) विद्यार्थियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी शिक्षकों पर होनी चाहिए और जब कभी उन्हें इसमें सफलता मिलती है, तो ऐसे शिक्षकों को भी पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

(4) जिन बच्चों ने खेलों को अपनी आजीविका के रूप में अपनाया है एवं जब कभी वे अच्छे परिणाम दिखाते हैं, तो उन्हें उचित पुरस्कार दिया जाना चाहिए। जैसे-जैसे ये खिलाड़ी ताल्लुका से जिला, जिला से राज्य और तत्पश्चात् राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक

पहुंचते हैं, तो उन्हें उचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इन चार उपायों खेल के अच्छे मैदानों तथा बेहतर खेल सामग्री उपलब्ध होने पर मुझे यकीन है कि हमारे प्रतिभावान युवा आगामी आठ-दस वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में अपनी पहचान बना सकेंगे।

महिला और बाल विकास : बच्चों के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वास्तव में, बच्चे के जन्म से पूर्व ही, उनकी भूमिका शुरू हो जाती है। इसलिए महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल स्वस्थ बच्चे के जन्म के लिए अति आवश्यक होती है। बच्चे का उचित ढंग से विकास के लिए इसे 14 वर्ष की आयु तक उसे सही शिक्षा दी जानी चाहिए। मां की निरंतर निगरानी और मार्गदर्शन तथा उचित संस्कारों की भी इस विकास प्रक्रिया में आवश्यकता होती है, और इसके साथ-साथ विकास प्रक्रिया में उनके चरित्र को इस तरह से ढाला जाना चाहिए कि आगे चलकर वे जिम्मेदार नागरिक बन सकें।

इन सभी बातों की प्राप्ति के लिए हमें अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है। एक सुशिक्षित महिला चाहे वे कामकाजी हों अथवा न हों, उचित शिक्षा और मार्गदर्शन के द्वारा बच्चे के सर्वांगीण विकास में निःसंदेह अत्याधिक योगदान दे सकेगी जिससे कि वह देश का एक सम्माननीय नागरिक बन सके।

यहां बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की आवश्यकता की बात पुनः आती है।

बेरोजगारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा दी जाए, उनके पाठ्यक्रम के दौरान ऐसी व्यवसायिक शिक्षा दी जाए जिसमें कि व्यवहारिक प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाए। यह प्रशंसनीय बात है कि माध्यमिक विद्यालयों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित व्यवसायिक शिक्षा की योजना को बड़े जोर-शोर से आरम्भ किया जा रहा है। विद्यार्थियों को ऐसे व्यवसायिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है जिनमें कि स्वरोजगार अथवा मजूरी रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। व्यवसायिक शिक्षा आठवीं कक्षा से प्रारम्भ होनी चाहिए और विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप होनी चाहिए ताकि उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने पर उनमें इस बात का पर्याप्त ज्ञान हो जाएगा कि अपनी रुचि के अनुसार ही तकनीकी पाठ्यक्रमों को अपना सकें।

मैं यह नहीं कहना चाहता कि हमारी शिक्षा नीति अच्छी नहीं है। इस नीति को तैयार करने में काफी मेहनत लगी है और इसके लिए अनेक विशेषज्ञों का सहयोग लिया गया है। निसंदेह इसमें अनेक अच्छी बातें भी हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या इस नीति के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए हैं। क्या इसकी प्रभावात्मकता का पता लगाने के लिए कभी कोई मूल्यांकन किया गया है?

यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं?

मेरी राय में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अभी हमें काफी समय लगेगा। विद्यार्थियों को केवल शिक्षा प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं है। इसके बाद क्या होता है? क्या विद्यार्थी इस योग्य बन जाते हैं कि वे अपनी आजीविका अर्जित कर सकें और एक अच्छा जीवन यापन कर सकें? यदि नहीं, तो क्या शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य विफल नहीं हो जाएगा?

आवश्यकता इस बात की है कि हमें सभी स्तरों पर कार्यान्वयन प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व निश्चित कर प्रत्येक को इसकी जिम्मेवारी सौंप देनी चाहिए। केवल तभी हम परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।

अतः मेरा यह सुझाव है कि राज्य स्तर पर एक समिति गठित की जाए जोकि विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखे, कार्य-निष्पादन क्षमता का मूल्यांकन करे और उचित कार्य करे जिससे कि परिणामोन्मुखी शिक्षा के परिणाम जाति, धर्म, स्थान अथवा लिंग, आदि से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्गों को समान रूप से मिल सकें। इस समिति में शिक्षा के क्षेत्र के सरकारी तथा गैर-सरकारी विद्वान, चरित्रवान अनुभवी और कर्तव्यनिष्ठ समाजसेवी और संसद सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए जोकि लोगों के कल्याण में रुचि रखते हों। ग्राम पंचायत स्तर पर पहले से ही कुछ समितियां कार्य कर रही हैं लेकिन वे इस समय निष्क्रिय हैं और उन्हें सक्रिय बनाने की आवश्यकता है। यदि उपरोक्त सभी कदमों को उठाया जाता है तो मुझे विश्वास है कि हमारे देश को और देशवासियों को इससे अत्यधिक लाभ पहुंचेगा।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ काफी अन्याय किया गया। वे केवल 257 रुपये प्रतिमाह ही पा रहे हैं। यह बहुत ही कम राशि है. इसे 400 रुपये कर दिया जाना चाहिए। वित्त-मंत्री को महिला और बाल विकास विभाग के मंत्री के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। इन्हें 400 रुपये दिए जाने चाहियें। सायंकाल को भी उन्हें कुछ कार्य मिलना चाहिए जिससे वे और अधिक रुपया प्राप्त कर सकें। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह अपील करता हूं कि मेरे इन सुझावों पर उचित विचार करें।

सभापति महोदय : श्री चेतन पी० एस० चौहान।

श्री के० पी० रेड्डैया यादव (मछलीपट्टनम) : इस मंत्रालय के लिए कुछ और समय दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों पर चल रही चर्चा आज ही समाप्त होने वाली है। आपको कल समय मिल सकता है।

श्री के० पी० रेड्डैया यादव : कल क्या होगा, इसके बारे में हम कुछ पता नहीं है।

सभापति महोदय : इस चर्चा को हम आज ही समाप्त करने जा रहे हैं।

श्री चेतन पी० एस० चौहान।

श्री चेतन पी० एस० चौहान (अमरोहा) : शिक्षा के बारे में बहुत से वक्ता पहले ही बोल चुके हैं और खेलों पर चर्चा कराने के बारे में सभापति महोदय ने जो आश्वासन दिया था, उसे पहले ही मना कर दिया गया है. इसलिए मैं केवल खेलों पर ही बात करूंगा।

हमारे देश में खेलों की बहुत उपेक्षा की गई है. हमारा देश गरीब हो सकता है, लेकिन प्राथमिकताएं अलग-अलग होती हैं। लेकिन चूंकि मैं स्वयं भी एक खिलाड़ी रहा हूं, इसलिए मैं उन समस्याओं का वर्णन करूंगा जोकि इस देश के खिलाड़ियों को झेलनी पड़ रही हैं।

मूल प्रश्न यह है कि जब भावी जीवन की, भविष्य की कोई गारन्टी ही नहीं है तो कोई युवा खेलों के प्रति ही समर्पित क्यों हो। इस देश में किसी खिलाड़ी का खेलों में रुझान होने का एक मात्र कारण यह है कि उसे खेल से प्रेम हो जाता है। यदि कोई खिलाड़ी कुछ अति आधुनिक खेलों जैसे कि क्रिकेट, टेनिस, गोल्फ अथवा ऐसे ही कुछ अन्य खेलों को खेलता है तो उसके लिए रुपया-पैसा आदि सहायक सामग्री की व्यवस्था भी हो जाती है।

लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, मुख्य प्रश्न गारन्टी के बारे में है। इस सभा को मैं एक और बात भी बताना चाहूंगा कि जैसा कि हम राष्ट्रीय चरित्र की बात करते हैं, समता की बात करते हैं,

अनुशासन की बात करते हैं और मानव जाति की अन्य विशेषताओं की बात करते हैं, यह भी इसी तरह का एक क्षेत्र है। खेलों के क्षेत्र से ही व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता है। अनुशासन, सहयोग, वफादारी, ईमानदारी, विश्वसनीयता और टीम-भावना जैसी विशेषतायें यहीं से आती है। एक खिलाड़ी में यह सभी विशेषतायें सहजता से आ जाती है। क्लब के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए खेलने की वफादारी खेलों से ही सीखने को मिलती है।

मुझे याद है कि जब मैं देश के लिए खेला करता था और जब भी मैं खेलने के लिए जाता था तो मेरे मन में केवल एक ही बात होती थी कि हमें अपनी टीम के लिये और अपने देश के लिए अच्छी तरह खेलना है। हम अपने खिलाड़ी-साथियो से बात किया करते थे, टीम की बैठकें बुलाया करते थे और जब कभी हम बातचीत करते तो हम एक दूसरे को यही कहा करते थे कि हमें नैतिक बल ऊंचा रखना है, उन लाखों लोगों के बारे में सोचना चाहिए जोकि रेडियो पर हमारे खेल के बारे में सुनते हैं, टी० वी० पर हमें देखते हैं और जिन्हें खिलाड़ियों से उम्मीदें हैं।

मेरा सुझाव यह है कि हमें खेल के स्तर में सुधार लाना चाहिए क्योंकि किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में, भले ही वह एशियाई राष्ट्र-मण्डल खेल हों और ओलम्पिक तो बहुत ही दूर हैं—भाग लेकर हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। दूसरे कुछ देश, यहां तक कि छोटे देश भी जोकि विकासशील देश है और कुछ अर्द्धविकसित देश भी खेलों में हमारी अपेक्षा अच्छा प्रदर्शन करते हैं।

प्रत्येक बार हमारे खिलाड़ी वापिस लौट आते हैं और जब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते तो उनके लौटने पर काफी शोर शराबा होता है। इस समय खेलों के बारे में चर्चा करने वाला भले ही कोई रिक्शा वाला हो अथवा संसद में की जाए, तो हम केवल खिलाड़ियों को असफलता की ही बात करते हैं।

मैं कुछ ऐसी बातों और कठिनायों के बारे में सुझाव देना चाहूंगा जोकि मैंने स्वयं झेली है और जोकि खिलाड़ियों ने मेरे पास आकर समय-समय पर चर्चा कर मुझे बतायी हैं।

मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि खेलों को विद्यालयों में एक अनिवार्य विषय के रूप में रखा जाना चाहिए। क्योंकि अनिवार्य विषय बन जाने पर, विद्यालय जाने वाले प्रत्येक बच्चे को खेलों को लेना पड़ेगा। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि अनिवार्य विषय बनने के नाते इस विषय के लिए भी अंक निर्धारित किए जा सकेंगे और फिर अंकों के कुल योग में इन्हें भी जोड़ा जा सकता है।

इसके अलावा, मैंने रिपोर्ट भी पढ़ी हैं। मैंने यह पाया है कि इस देश के 67 प्रतिशत विद्यालयों के पास खेल के मैदान ही नहीं हैं जोकि एक बुरी बात है और इसलिए भी अच्छी नहीं कि इस देश में विद्यालयों की संख्या इतनी अधिक है। मेरा यह सुझाव है कि जब तक किसी विद्यालय में खेल का मैदान न हो, उसे मान्यता ही नहीं दी जानी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई बहुत बड़ा खेल का मैदान हो, पर कम से कम कुछ खेल सुविधाएं तो होनी ही चाहिएं भले ही सभी प्रकार के खेलों के लिए सुविधाएं न हों, पर कुछ सुविधाएं तो होनी ही चाहिएं।

मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा कि देश का प्रतिनिधत्व करने वाले खिलाड़ियों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। इस समय ऐसे खिलाड़ियों की संख्या बहुत ही कम है। मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि गलियारों में अथवा इण्डिया-गेट पर खेलने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि की जाए। मैं

इन लोगों को खिलाड़ी नहीं मानता। जो लोग खिलाड़ी के रूप में पंजीकृत हैं, और मान्यता प्राप्त हैं, केवल वे ही वास्तविक खिलाड़ी हैं। ऐसे पंजीकृत खिलाड़ियों और पंजीकृत क्लबों की संख्या में अवश्य ही वृद्धि की जानी चाहिए।

हमारे देश में जो स्पोर्टस्-क्लब हैं, उनमें से अधिकांश के पास अपने खेल का मैदान नहीं है और जिनके पास खेल के मैदान हैं, तो वहां उन सुविधाओं का सदुपयोग नहीं हो पाता। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसे प्रत्येक स्पोर्टस-क्लब के पास सभी खेल सुविधाएं होनी चाहिएं। देखने में आता है कि इन स्पोर्ट्स-क्लबों के पास खेल सुविधाओं की अपेक्षा ताश और शराब पीने जैसी सुविधाएं होती हैं।

इन खेल सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने के लिए मैं यह सुझाव दूंगा कि जिन खेल क्लबों को सरकार द्वारा अनुदान दी जाती है, उन्हें अपने खेल सदस्य बनाने चाहिए। ये खेल क्लब

5.00 म० प०

अपने खेल सदस्य बना सकते हैं। उन्हें क्लब के लिए वोट देने का अधिकार अथवा क्लब के अन्य अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन कम-से-कम वे क्लब द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का तो उपयोग कर सकते हैं।

मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि खिलाड़ियों को केवल दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। एक तो खेलने की सुविधा तथा दूसरी खेल सामग्री की। यह भी देखा गया है कि इस समय अधिकतर खेल सामग्री बहुत महंगी होती जा रही है। यदि हम क्रिकेट की बात करें, तो एक अच्छे क्रिकेट के बल्ले की लागत 1200 रु० है। अब रियायती दर पर उपलब्ध उपकरण स्कूल, क्लबों तथा विश्वविद्यालयों को दिए जा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इससे खिलाड़ियों को खेल खेलने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

जो अन्य चीज हमने देखी है वह यह है कि अधिकतर क्लब जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वे क्लब हैं अथवा संघ हैं, उनके अपने संविधान हैं। कुछ धर्मार्थ न्यास के रूप में पंजीकृत हैं; कुछ "सोसायटी" के रूप में पंजीकृत हैं और कुछ "प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी" के रूप में पंजीकृत हैं। इन क्लबों के संविधान भी बहुत लोकतंत्रात्मक नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप, कुछ ही लोग, जो कि सचिव तथा अध्यक्ष इत्यादि हैं, उनको इन क्लबों के अधिकार प्राप्त हैं। मैं सरकार को यह सुझाव दूंगा कि एक आदर्श संविधान बनाया जा सकता है तथा उसे विभिन्न संघों तथा क्लबों को परिचालित किया जा सकता है ताकि हर वर्ष सही तरीके से चुनाव हो सकें तथा चुनाव लोकतंत्रात्मक तरीके से हो सकें। अनेक क्लबों में विद्यमान प्रतिनिधित्व प्रणाली को भी समाप्त किया जाना चाहिए।

कोचिंग के संबंध में मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश में बहुत अधिक एक ही जैसे कोच हैं। वे लोग, जिन्होंने शायद ही कभी खेल खेला हो, एन० आई० एस० अथवा किसी अन्य जगह से कोचिंग कोर्स पास करके कोचिंग का कार्य आरम्भ कर देते हैं। व्यावहारिक अनुभव का होना बहुत महत्वपूर्ण तत्व है और उसी की कमी है। मैं यह सुझाव दूंगा कि यदि खिलाड़ी को अच्छे अवसर दिए जाएं और यदि पूर्व खिलाड़ियों को, जिन्होंने हमारे देश के लिए खेला है,

जिन्होंने हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया है, बढ़ावा दिया जाए तो मुझे विश्वास है कि यह हमारे खेलों के स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

एक अन्य बात, जिसका मैं सुझाव देना चाहूंगा, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा है, खिलाड़ियों के दिमाग में जो मूल प्रश्न होता है वह यह है कि उनके भविष्य की क्या गारंटी है ? यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें इन्सान की युवावस्था समाप्त हो जाती है। उस समय तक खिलाड़ी खेल खेलने के काबिल नहीं रहते हैं और अपना कैरियर आरम्भ करने की उम्र पार कर लेते हैं। किसी अन्य कैरियर में चाहे वह राजनीति हो, शिक्षा हो, व्यवसाय अथवा किसी अन्य क्षेत्र में एक व्यक्ति अपना कैरियर 30 अथवा 35 अथवा 40 वर्ष के बाद भी आरम्भ कर सकता है; जबकि यहां एक व्यक्ति जिसने अपनी युवावस्था समाप्त कर दी हो, ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए, मैं सुझाव दूंगा कि खिलाड़ियों के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। इस समय कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की हुई है। लेकिन यह आरक्षण केवल चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए है। मैं यह सुझाव दूंगा कि द्वितीय श्रेणी अथवा तृतीय श्रेणी के स्तर पर भी आरक्षण होने चाहिएं। मैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकारी विभागों से बातचीत कर रहा हूं। उनके पास कोई अधिकार नहीं हैं। वे कहते हैं कि खिलाड़ियों की भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है। यदि आरक्षण संभव नहीं है— शायद मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के कारण, क्योंकि उससे आरक्षण का प्रतिशत 49.5 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा—मैं सुझाव दूंगा कि इन सरकारी निकायों, सरकारी विभागों, सरकारी निगमों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मार्गनिर्देश जारी किए जाएं। इन मार्गनिर्देशों के आधार पर, वे खिलाड़ियों की सीधे भर्ती कर सकते हैं।

यह बहुत अच्छा है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। मैं यह सुझाव दूंगा कि उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन की सुविधा दी जाए जिन्होंने खेलों में सराहनीय कार्य किया है तथा अर्जुन पुरस्कार अथवा अन्य पदक प्राप्त किए हैं। हमारी पेंशन योजना उन लोगों के लिए है जो बीस अथवा पच्चीस वर्ष कार्य करते हैं। चूंकि खिलाड़ी भी अपना समय, अपनी युवावस्था की कुर्बानी करते हैं, इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि उन्हें पूरे जीवन-काल के लिए 500 रु० प्रति माह की पेंशन दी जाए, जो कि खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन भी होगा।

परामर्शदात्री समिति की बैठक में मैंने कहा था कि मैं उन भाग्यवान् व्यक्तियों में से एक हूं जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। मुझे दो वर्ष तक 200 रु० प्रति माह मिलते रहे थे। यहां तक कि मैं वह पैसा लेने भी नहीं गया क्योंकि आने-जाने में ही पैट्रोल पर मेरे 60 रु० खर्च हो जाते थे। इसलिए मैं इस राशि को बढ़ाने का सुझाव दूंगा। इसी समय यदि खिलाड़ियों को पेंशन भी दी जाती है तो यह खिलाड़ियों की मदद करने में मुख्य भूमिका निभायेगा।

यहां पर ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो कि समान रूप से ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे उन्होंने पदक न जीते हों, चाहे उन्होंने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त न किया हो लेकिन समान रूप से उन्होंने राज्य स्तर अथवा राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट रूप से सराहनीय कार्य किया है। इसलिए, मैं सुझाव दूंगा कि जो खिलाड़ी राज्य की ओर से पांच वर्ष से अधिक तक खेले हैं अथवा जो पांच वर्ष तक राष्ट्रीय चैम्पियन रहे हैं, उन्हें भी इस तरह का पुरस्कार अथवा पेंशन दी जाए। उनके लिए यह बहुत बड़ा प्रोत्साहन

होगा क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जिनके योगदान को हम भूल नहीं सकते हैं। वे समान रूप से उच्च स्तर पर खेल रहे हैं और उनको भूलना नहीं चाहिए।

अन्त में, मैं इस विभाग को आवंटित बजट के बारे में कुछ कहना चाहूंगा जिसे घटाकर 57 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पिछले सप्ताह, जब माननीय मंत्री महोदया अपना वक्तव्य दे रही थीं तो मैंने बीच में हस्तक्षेप किया था और सुझाव दिया था कि यदि वह इसे 1 रु० प्रति व्यक्ति बढ़ा दें, तो भी वह एक बहुत बड़ा योगदान होगा और वह बजट जो कि 57 करोड़ रुपये है, इसे कृपया खिलाड़ियों के लिए 85 करोड़ रुपये कर दें। मैंने कुछ और बातें भी कहनी थीं लेकिन मैं उन्हें अगली बार के लिए छोड़ रहा हूं।

सभापति महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय : इससे पहले कि मैं अगले वक्ता का नाम लूं, माननीय वित्त राज्य मंत्री को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते तथा केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने के संबंध में एक वक्तव्य देना है।

———

:.08 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

(i) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते तथा (ii) केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का जारी किया जाना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोटदुखे) : महोदय, सरकार ने चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्तें नीचे दिए गए अनुसार रिलीज करने का निर्णय लिया है :

(i) केन्द्रीय सरकार के 3500 रु० से अधिक तथा 6000 रु० तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए 1-7-1991 से महंगाई भत्ते की राशि वेतन की 45% तथा 6000 रु० से अधिक वेतन पाने वालों के लिए वेतन की 39% होगी।

(ii) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए विभिन्न वेतन रेंजों में 1-1-1992 से यथा स्वीकार्य महंगाई भत्ते की संशोधित दरें निम्नलिखित होंगी :

वेतन रेंज (प्रतिमाह)	महंगाई भत्ते की दर (प्रतिमाह)
3500 रु० तक	71%
3500 रु० से अधिक और 6000 रु० तक	53%
6000 रु० से अधिक	46%

(iii) 3500 रु० प्रतिमाह से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में 1-7-1991 तथा 1-1-1992 से देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त राशि का नकद रूप से भुगतान नहीं किया जाएगा बल्कि यह राशि उनके सम्बन्धित भविष्य निधि खातों में जमा कर दी जाएगी।

(iv) 3500 रु० प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में 1-1-1992 से देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त राशि का नकद रूप से भुगतान किया जाएगा।

2. सरकार ने पेंशनभोगियों को 1-1-1992 से पेंशन राहत भी रिलीज करने का निर्णय लिया है। महंगाई राहत की संशोधित दरें नीचे दिए गए अनुसार होंगी :

पेंशन रेंज (प्रतिमाह)	महंगाई राहत की दर (प्रतिमाह)
1750 रु० तक	71%
1751 रु० तथा 3000 रु० के बीच	53%
3000 रु० से अधिक	46%

सभी मामलों में राहत का नकद भुगतान किया जाना है।

3. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता रिलीज किए जाने के आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे।

4. पेंशनभोगियों को महंगाई राहत रिलीज किए जाने के बारे में आदेश कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के जारी किए जाएंगे।

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अमर रायप्रधान। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया चर्चा के मुख्य मुद्दों तक ही सीमित रहें और विस्तार से न बोलें। अन्य सदस्यों को भी बोलना है और माननीय मंत्रीजी को जवाब देना है।

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस चर्चा में कुछ मुद्दों को प्रस्तुत करना चाहूंगा। वह शिक्षा को कुछ भी नाम क्यों न दें, चाहे वह इसे 'मानव संसाधन विकास' का ही नाम क्यों न दें, हमारा वित्त मंत्रालय नम्रता का रुख नहीं अपनाएगा। चाहे वह डा० मनमोहन सिंह हों अथवा श्री रामेश्वर ठाकुर, वे नम्रता का रुख नहीं अपनाएंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही इसे अनुत्पादक माना गया है। वही स्थिति आज भी है। इसीलिए मानव

संसाधनों के लिए बजट का प्रावधान कम-से-कम होता जा रहा है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि बच्चे देश का भविष्य हैं। वे कल के अभिभावक हैं। यदि आज हम उन पर खर्च नहीं करेंगे, तो कल पूरा राष्ट्र उसका परिणाम भुगतेगा। मैं यह सुझाव देता हूं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को निधियों के आबंटन में प्राथमिकता दी जाए।

मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने 1986 की नई शिक्षा नीति में संशोधन किए है। निश्चय ही, आपने जनार्दन रेड्डी समिति गठित की है जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और जो आपके पास उपलब्ध है। आप उसमें फिर से परिवर्तन करने जा रहे हैं। आप उसमें संशोधन कर रहे है। एक के बाद एक परिवर्तन किए जा रहे हैं। क्या आप बता सकते है कि आपकी ब्लैक बोर्ड नीति की क्या स्थिति है ? यहां अनेक संस्थान हैं— जो कि केवल अपने नाम के कारण विद्यमान हैं—लेकिन यदि आप वहां ब्लैक बोर्ड भी भेजें तो वहां ब्लैक बोर्ड रखने का भी स्थान नहीं है। यह स्थिति है।

शिक्षा को व्यवसाय उन्मुख बनाने के संबंध में, जो कि एक स्व-रोजगार कार्यक्रम है, क्या आपने इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त की है ? तीसरी पंचवर्षीय योजना से आप इस व्यवसाय उन्मुख शिक्षा पर बहुत जोर दे रहे है। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ ? क्या आप बैंकिंग क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में इसके कुल परिणामों के बारे में बता सकते हैं तथा हमारे देश में कुल बेरोजगार युवाओं के संबंध में इसके परिणामों के बारे में बता सकते है ?

यहां एक अन्य मुख्य मुद्दा है, जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि आप शिक्षा पर एक के बाद एक समिति गठित करने जा रहे हैं। क्या आप बता सकते है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक शिक्षा पद्धति पर कितनी समितियां नियुक्त की जा चुकी है ? आपको एक महत्वपूर्ण पहलू का ध्यान रखना चाहिए। लड़के और लड़कियां आपके शिक्षा विभाग की प्रयोगशाला में गिनीपिग नहीं हैं और आपको उन पर प्रयोग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

जबकि हम भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली तथा मणिपुरी भाषाओं को सम्मिलित करने की कोशिश कर रहे है, वहां हमें राष्ट्र के हित तथा त्रिभाषा फार्मूलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। यह फार्मूला बहुत पहले 1963 में लाया गया था और यह वास्तव में देश की राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय सम्मान के लिए था। यह बहुत आवश्यक है। लेकिन इसका परिणाम क्या रहा है ? क्या आप उस बारे में कोई रिपोर्ट दे सकते है ? इस त्रिभाषा सूत्र में कितनी प्रगति संभव हो सकी है ? इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री श्री अर्जुन सिंह से मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि त्रिभाषा सूत्र के बारे में वहां पर क्या स्थिति है। यदि आप वर्ष 1963 की संसदीय कार्यवाही के रिकार्ड को देखें— जिस समय यह सूत्र बनाया गया था—तो आप जान जाएंगे कि उस सूत्र की मुख्य शर्त यह थी कि पूर्वी क्षेत्र के लोग अपनी मातृभाषा, हिन्दी और अंग्रेजी सीखेंगे। दक्षिण क्षेत्रीय-वासी भी अपनी मातृभाषा हिन्दी और अंग्रेजी सीख जाएंगे। परन्तु उत्तरी क्षेत्र—जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान और दूसरे सभी स्थानों के बारे में आपने क्या सोचा है ? इस क्षेत्र के लोग हिन्दी और अंग्रेजी तथा फिर एक दक्षिणी भाषा और सीखेंगे। यह अपवाद ही है कि हरियाणा में उन्होंने काफी समय पहले यह निर्णय ले लिया था कि वे अपने राज्य में तीसरी भाषा के रूप में तेलुगु पढ़ाएंगे। परन्तु अन्ततः वे इसकी उपेक्षा ही करने

हैं। ऐसा क्यों है? वे दक्षिण भारतीय भाषा नहीं पढ़ाते हैं। दक्षिण भारतवासी उत्तर भारतवासियों के इस व्यवहार के कारण ही हिन्दी-विरोधी हो रहे हैं। उत्तर भारतवासी जो कि हिन्दी-भाषी लोग है, उन्हें तीसरी भाषा के रूप में दक्षिण भारतीय भाषा सीखनी चाहिए। परन्तु वास्तव में वे एक दक्षिण भारतीय भाषा सीखना पसन्द ही नहीं करते। अतः हिन्दीभाषी क्षेत्रों में हिन्दी उनकी प्रथम भाषा हो, अतिरिक्त हिन्दी उनकी दूसरी भाषा हो और तीसरी भाषा भी वैकल्पिक हिन्दी ही हो। राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाये रखने के लिए त्रिभाषा सूत्र लागू होना अनिवार्य है।

महोदय, खेलकूद के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि हम अपने देश में खेलकूद-संस्कृति का एक वातावरण विकसित करें और इससे हमारे समाज की ऐसी कई बुराइयां दूर हो सकती हैं जिनके कारण हमारे देश के युवाओं का उत्साह समाप्त हो रहा है। परन्तु हमें यह मानना होगा कि अभी भी हमारे खेलकूद शहरों में ही अधिक व्याप्त हैं हालांकि अधिकांश भारत ग्रामों में बसता है। हम आज तक गांवों में खेलकूद-संस्कृति का सृजन नहीं कर सके हैं। हमारा खेलकूद विभाग कोई दल विदेश भेजने और वहां के किसी दल को यहां पर बुलाने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। आज भी यदि आप रिकार्ड देखेंगे तो पाएंगे कि आप लोग विदेशों से खिलाड़ियों को लाने के लिए कितने इच्छुक हैं; परन्तु आप हमारे ग्रामीण युवाओं को अवसर क्यों नहीं दे रहे हैं? आप ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उतना धन क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में धन व्यय करें तो आपको विदेशों से बुलाने की बजाय यहीं पर ही बेहतर खिलाड़ी मिल आएंगे।

उस दिन खेलकूद राज्य मंत्री कुमारी ममता बनर्जी ने अपने भाषण के दौरान उन सार्वजनिक उपक्रमों की एक लम्बी सूची दी थी जो विभिन्न खेलों पर धन व्यय करने की पहल कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र तो आगे आयेगा ही, परन्तु जहां -तक मुझे स्मरण है, निजी क्षेत्र के बारे में कुमारी ममता बनर्जी ने केवल एक ही नाम लिया था और वह है टाटा का। और भी तो कई बड़े निजी उद्योगपति हैं। प्रश्न यह है कि वे खेलकूद को प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़कर आएंगे अथवा नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? यदि निजी क्षेत्र आगे बढ़कर नहीं आते हैं, तो मुझे कहना पड़ेगा कि माननीय मंत्रीजी को इस बारे में पहल करनी चाहिए और एक मंत्रिपरिषद स्तर की बैठक द्वारा ही कुछ दबाव डाला जा सकता है जिससे कि वे खेलकूद पर धन व्यय करने के लिए विवश हो सकें। इतने पर भी यदि वे धन व्यय नहीं करते हैं तो उनका नाम काली सूची मे डाल दिया जाना चाहिए। कम-से-कम खेलकूद पर तो उनकी पूंजी का कुछेक निर्धारित प्रतिशत आबंटित किया जाना चाहिए और यदि वे नहीं करते हैं, तब आपको अनिवार्यतः निजी क्षेत्र पर दबाव डालना होगा। तब आखिरकार आप कुछ प्राप्त कर सकेंगे। मेरे विचार से हमारे देश में खेलकूद के विकास के लिए उन पर ही कुछ धन खर्च करने के लिए कुछ दबाव डाल सकते हैं।

यहां पर मैं केवल एक बात का जिक्र करना चाहूंगा। यदि मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा, तब उन महिलाओं के प्रति यह अन्याय होगा जो आंगनबाड़ी में कार्यरत हैं। इन बेचारी महिलाओं को 275 रु० प्रतिमाह भत्ता अथवा मानदेय, आप जो इसे कहें, मिलता है। वर्तमान स्थितियों में यह राशि बहुत कम है। उन्हें सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता है और वह मानदेय राशि बहुत कम है। मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि वह इस मसले पर गौर करें और उन्हें इससे अधिक मानदेय प्रदान करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, भारत के पास सबसे बड़ी संपदा मानवीय संपदा है और मानव संसाधन विभाग का उद्देश्य भी मनुष्य की मानवीय क्षमता का, उनकी प्रतिभा का, उसके अन्तर्गत निहित उसकी सम्पूर्ण क्षमता का उसी रूप में विकास और विस्तार करना है। लेकिन मुझे यह कहते हुए आज क्षोभ और अफसोस हो रहा है कि मानव संसाधन विकास विभाग के बजट में उसकी सभी मदों में जितनी भी कटौती संभव है, करने की कोशिश की गई है।

श्रीमन्, इस देश में हमारी जनगणना के अनुसार साढ़े आठ करोड़ के करीब बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से गणना की गई, उसके अनुसार करीब 56 मिलियन बच्चे, जिनकी उम्र 16 साल से कम है, कहीं-न-कहीं, किसी-न-किसी दूसरे धंधे में लग गए हैं जो हमारे विधान और संविधान, दोनों के अनुसार निषिद्ध घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार करीब-करीब 18 मिलियन बच्चे निराश्रित हैं, उनकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं है और ऐसी हालत में बच्चों के विकास, उनकी शिक्षा, उनके व्यक्तित्व के विकास के ऊपर हमारा मानव संसाधन विकास विभाग कुछ खर्च न करे, यह बहुत आश्चर्य की बात है। हमने संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर 18 साल के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करने का संकल्प किया, लेकिन आज आधी से अधिक आबादी निरक्षर है, यह एक चिन्ता का विषय है। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री से विशेष आग्रह करना चाहता हूं। कोठारी कमीशन 1964 और 1968 में नियुक्त हुआ था। उसने अपनी संस्तुति में बहुत ही क्रांतिकारी सुझाव दिया था और वह क्रांतिकारी सुझाव पड़ोसी विद्यालयों के बारे में है। नेबरहुड स्कूल की चर्चा आज भारत में करीब-करीब लुप्तप्राय हो गई है। एक क्षेत्र विशेष की स्कूली शिक्षा होनी चाहिए जहां राष्ट्रपति का भी लड़का पढ़े, एम० पी० का भी लड़का पढ़े, अधिकारी का भी लड़का और वहां मंत्री का भी लड़का एक साथ पढ़े, तो मैं ऐसा कहता हूं कि इस देश में सामाजिक परिवर्तन को जो रफ्तार है, उसको तीव्र किया जा सकता है। एक तरह का संस्कार सभी वर्गों के बीच में हम पैदा कर सकते हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि जो पुराने हमारे देश में सुदामा-कृष्ण संस्कृति थी, उसी सुदामा-कृष्ण शिक्षा व्यवस्था का जो नया संस्करण है, उसको चरवाहा विद्यालय कहते हैं, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि जब उसकी चर्चा हम करेंगे तो हमारे देश के अंदर जो पठित मूर्ख लोग हैं, उन पठित मूर्खों के चेहरे पर मुस्कान बिगड़ने लगती है। मैं कहना चाहता हूं कि वही पड़ोसी विद्यालय है जिसकी चर्चा कोठारी कमीशन ने की थी, वही चरवाहा विद्यालय है। यह समझ का फेर है, बुनियादी चीजों को समझने की जरूरत है। जिस दिन इस देश के अंदर गरीब और अमीर का एक साथ पढ़ने का सिलसिला अनिवार्य रूप से शुरू हो जाएगा, एक सामाजिक परिवर्तन की रफ्तार इस देश में प्रारंभ हो जाएगी। उसी के साथ मैं चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा एक समान मुफ्त और अनिवार्य होनी चाहिए। यदि इस दिशा में आपने बजट प्रस्तुत किया होता तो मेरी दृष्टि से लोगों के लिए समर्थन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता।

दूसरी बात मैं माध्यमिक शिक्षा की कहना चाहता हूं। हमारे देश में माध्यमिक शिक्षा भी जिस तरह की दी जा रही है, उसमें जितने दिन पढ़ाई होती है, उसके डेढ़ गुना दिन इम्तिहान

होते हैं। इसके बारे में क्या आप सोचने को तैयार हैं ? सौ दिन कक्षाएं चलती हैं और डेढ़ सौ दिन परीक्षाएं होती हैं—कभी प्रैक्टिकल हो रहा है, कभी अर्द्ध-वार्षिक, कभी त्रैमासिक, कभी वार्षिक, कभी 60 दिन का एक टाइमटेबल और उसके बाद रिजल्ट निकलने का इंतजार। इसके बारे में हमको गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। आज की जो परीक्षा व्यवस्था है, वह संपूर्ण साल भर की पढ़ाई किसी विद्यार्थी के व्यक्तित्व का आकलन तीन घंटे की परीक्षा से कर सकते हैं ? इसके बारे में भी हमको सोचने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा जिस रूप से दी जा रही है, उसी रूप मे नहीं दी जानी चाहिए। इसके स्वरूप में परिवर्तन होना चाहिए। आजादी के दूसरे और तीसरे दशक मे हमारे देश में ब्रेन-ड्रेन की बहुत शिकायत की गई। प्रतिभा पलायन हो रहा है। हमारे देश के डाक्टर और इंजीनियर इस देश से बाहर जाकर सेवाएं दे रहे हैं। यह हल्ला इस देश में आजादी के तीसरे दशक में बहुत मचाया गया। दुनिया के बहुत से समृद्ध देश भारत के डाक्टर और इंजीनियर्स को अपने देश में लाने पर पाबंदी लगा रहे हैं, लेकिन अब उसके बाद से ही भारत के ही अंदर इस ब्रेन-ड्रेन का एक इंटरनल सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बारे में हमको सोचने की जरूरत है। उसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि आई० टी० आई०, आई० आई० टी०, इंजीनियरिंग, डाक्टरी पढ़ने के बाद, उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद, प्रतियोगी परीक्षाओं में, ऐसे तकनीकी विशेषज्ञ और ऐसे वैज्ञानिक, प्रतिभाप्राप्त नौजवान, लम्बी चौड़ी पढ़ाई करने के बाद, प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने लगे हैं। इस सम्बन्ध में हमें कुछ बुनियादी परिवर्तन अपनी वर्तमान व्यवस्था में करने होंगे। विश्वविद्यालयों की शिक्षा केवल शोध कार्यों तक ही सीमित की जानी चाहिए।

5.26 म० प०

[(श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य) पीठासीन हुईं।]

विश्वविद्यालयों से अतिरिक्त जो प्रशासकीय कार्य करने वाले लोग हैं, उनके लिए अलग से प्रबन्धकीय संस्थानों का इंतजाम किया जाना चाहिए और जो तकनीकी एवं वैज्ञानिक शिक्षाप्राप्त नौजवान हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर प्रशासकीय कार्यों की प्रतियोगिताओं में बैठने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, ऐसी मेरी विनम्र प्रार्थना है। उसका कारण है कि विश्वविद्यालयों में जो कैमिस्ट्री के छात्र हैं, गणित के छात्र हैं, इतिहास के छात्र हैं, वे अपने-अपने तकनीकी विषय का अध्ययन करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होकर किसी जिले के जिला मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट या इस सचिवालय के अंदर, एक बड़े बाबू की हैसियत से बैठा दिये जाते हैं। इससे उनकी जो प्रतिभा देश के नव-निर्माण में लगनी चाहिए, उसका समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए विश्व-विद्यालयों की परीक्षा के बारे में, विश्वविद्यालयों की शिक्षा के बारे में हमें आज गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है और वह सोच इस रूप में हो सकता है कि विश्वविद्यालयों की पढ़ाई केवल शोध कार्यों तक ही सीमित की जाए जिससे कि विश्वविद्यालयों में बढ़ती हुई भीड़ पर भी पाबंदी लगाई जा सके।

मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि आज विश्वविद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य नगण्य हो गया है। किसी जमाने में, जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा करता था तो 8 हजार विद्यार्थी, आज से 20-25 साल पहले हुआ करते थे लेकिन आज कोई बताने वाला नहीं

है कि वहां 20 हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं, 25 हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं या 35 हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं और उनकी परीक्षाएं कितने वर्षों से रुकी हुई हैं। चार वर्ष पुरानी परीक्षाएं आज हो रही हैं। जो लोग विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं, वे शिक्षा के कार्य के अलावा अन्य कई कार्यों में भी लगे हुए हैं। पूरे देश में भारत के प्रति निष्ठा और आस्था की जय बोलते हुए घूम रहे हैं तथा पहली तारीख को विश्वविद्यालय से 8,239 रु० आकर ले लेते हैं। अभी मेरे एक मित्र मिले, जो एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, मैंने उनसे पूछा कि आपका विश्वविद्यालय तो चल रहा है फिर आप यहां दिल्ली में क्यों घूम रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं आजकल ओथी-लीव पर हूं। हमारे देश में यह एक नई परम्परा चल पड़ी है। इसलिए विश्वविद्यालय के अध्यापकों के सम्बन्ध में भी हमें कुछ निश्चित करना पड़ेगा कि सप्ताह में कितने घण्टे उन्हें पढ़ाना आवश्यक है और बिना उतने घण्टे पढ़ाये, पहली तारीख को, उनका वेतन निर्गत नहीं होगा, इस बारे में निर्देश हमारे शिक्षा मंत्रालय को या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जारी करने चाहिए, ऐसा मैं सुझाव देना चाहता हूं। (व्यवधान) नहीं मेरे मित्र तो नहीं हैं, मैं यहां किसी का नाम नहीं ले रहा हूं परन्तु वहां जो स्थिति है, उसका जिक्र कर रहा हूं कि कई सालों से विश्वविद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य बिलकुल समाप्त हो गया है। इस सम्बन्ध में सरकार को सोचने की आवश्यकता है।

उसी तरह मानव संसाधन विभाग की ओर से, बहुत-सी ऐसी संस्थाएं हैं, जिन्हें करीब-करीब पूरा अनुदान, भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रथम निर्माताओं में हैं और आजाद हिन्दुस्तान के प्रथम प्रधान मंत्री थे। उनकी स्मृति में जवाहर लाल नेहरू संग्रहालय या पुस्तकालय या संग्रहागार बनाया गया है। उसकी हालत आज बहुत खराब हो रही है। करीब सवा करोड़ या डेढ़ करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से अनुदान की शक्ल में उस संस्थान को दिया जाता है लेकिन आज उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि किसी भी वी० आई० पी० के नाम पर रीवान्त संस्थान बंद रहता है। चार-चार और पांच-पांच दिन किसी वी० आई० पी० को वहां श्रद्धांजलि करने जाना है, यदि आप पठन-पाठन के लिए वहां जाना चाहें, उतने दिन उसकी मनाही है। उसके परिसर में बहुत-सी इमारतें दूसरे संस्थानों की सबलैट की जा रही है, दी जा रही हैं। शोध कार्य करने के लिए 5-5 हजार रुपये माहवार की दर से 40-40 लाख रुपया वहां दिया जाता है लेकिन पिछले 12-13 वर्षों से जवाहरलाल नेहरू ग्रंथालय या संग्रहालय में एक भी शोध कार्य हुआ नहीं। जिन विद्यार्थियों को 5-5 हजार रुपया माहवार शोध कार्य के लिए 5-5 वर्ष तक दिया गया, 21-21 हजार रुपया जिन्हें शोध प्रबन्ध प्रकाशित करने के लिए दिया गया, मैं जानना चाहता हूं कि मानव संसाधन मंत्री जी इस सदन के सामने उसकी सफाई करें कि जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम और लाइब्रेरी से कितने शोध प्रबन्ध पिछले 10 वर्षों में या 15 वर्षों में प्रकाशित किए गए, उसकी जवाबदेही सदन के सामने आनी चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 31 हजार रुपए खर्च करके नेहरू-एडविना करैस्पोंडेंस बाहर से मंगाए गए और आज वे उस संग्रहालय से गायब हैं। इसके बारे में कोई पूछने वाला है? संग्रहालय का पैसा खर्च करके सामग्री मंगाई जाती है, लेकिन यदि उनका अध्ययन करने के लिए वहां जाएं, तो वे चीजें संग्रहालय में से गायब कर दी जाती हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि संग्रहालय की गतिविधियों की जानकारी के लिए सदन की एक समिति गठित करें, जो सम्पूर्ण ब्योरा इस सदन के सामने उपस्थित करे।

तीसरी बात मैं स्पोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे मित्रों ने बहुत सारी सलाह दी, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो परम्परागत खेलों से जुड़े हुए लोग हैं, उनको नहीं ढूंढा जा रहा है। इस देश के अंदर कुछ लोग हैं जिनको तीरंदाजी का प्रशिक्षण परम्परा से तैराकी की कला परम्परा से प्राप्त है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण इस देश की मुख्य धारा में उनका समावेश नहीं हो पाता है जिसका नतीजा है कि भारत का पराभव होता है दुनिया के मंचों पर जहां हमारे खेल-खिलाड़ी जाते हैं। ओलम्पिक और एशियाड में हमारे देश का कोई पुरस्कार नहीं मिलता है। मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि सघन पैमाने पर एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और ग्रामीण तथा अतिनिर्धन इलाकों में जो इस तरह के खेलों से जुड़े हुए परिवार और प्रतिभावान लोग हैं, उनको प्रारंभ से ही वहां से निकालकर स्पोर्ट कालेज में उनकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी लेकर शासन की ओर से उनका पढ़ाई-लिखाई का इंतजाम होना चाहिए।

इसी तरह से इस देश में जो पुरानी चीजें हैं, उनके बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अर्कोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया, इसके विभाग का एक हिस्सा है। उसकी ओर से सर्वेक्षण का कार्य होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता इस देश की सबसे पुरानी सभ्यता है। अफसोस की बात है, उसकी लिपि क्या थी, यह हिन्दुस्तान के लोग आज तक पढ़ नहीं पाए। आर्कलौजिकल सर्वे आफ इंडिया का जो बजट है, उसको कम किया गया। हिन्दुस्तान में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, जिनके टीलों का ठीक से सर्वेक्षण न होने के कारण भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, भारत की जो पुरानी संस्कृति है जिससे दुनिया में हम भारत के मस्तक को ऊंचा कर सकते हैं, उसका हम पूरा-पूरा आकलन इस देश में नहीं कर पा रहे हैं।

मैडम, इन्हीं चन्द सुझावों के साथ, चूंकि आपकी भी इच्छा है और माननीय मंत्री जी भी काफी व्याकुल हैं, मैं सिर्फ एक बात युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के ऊपर कह कर समाप्त करूंगा।

युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन भारत के अंदर क्षेत्रीय विषमता बढ़ा रहा है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां गरीबी है। उच्च शिक्षा का कार्य अपने आर्थिक साधनों के अभाव में वे राज्य नहीं कर पा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी तरफ से जो अनुदान विसर्जित करता है, उसमें भेदभाव है। जो गरीब राज्य हैं, उनको जिस पैमाने पर उच्च शिक्षा और शिक्षा संस्थानों को, जिस अनुपात में अनुदान दिया जाना चाहिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उस कसौटी को स्वीकार नहीं कर रहा है। समुन्नत राज्यों को भारी संख्या में अनुदान दिए जा रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि राज्यों का शैक्षिक पिछड़ापन उसके अनुदान की एक कसौटी होनी चाहिए। इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं तीन अन्य सदस्यों को बुलाऊंगी जिनके नाम इस प्रकार हैं : श्री आनन्द अहीरवार, श्री पी० सी० थामस और श्री सनत कुमार मण्डल।···(व्यवधान)···वे

कहते हैं कि सूची में कोई नाम नहीं है। या तो सदन का समय बढ़ाया जाए या मंत्रीजी उत्तर दें।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : सभापति महोदया, इधर से भी तीन नामों की सूची दी गई है।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदया, हमारा प्वाइंट बड़ा स्पष्ट है, अगर आप टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के 3 सदस्यों को आपने बोलने का मौका दिया है, तो हमारे भी इतने ही सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाए।

अभी कुमारमंगलम जी ने कहा कि अब मंत्रीजी जवाब देंगे, तो फिर आपने उधर से सदस्यों को बोलने का समय दिया है, फिर आपने जनता पार्टी दल के एक सदस्य को भी बोलने का मौका दिया है। जब ऐसा है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सदस्यों को बोलने का समय दिया जाए।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : सदन का समय बढ़ाया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : सभापति महोदया, जो भी नियम होगा, वह सबके लिए समान बनाएंगे। अभी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अभी यहां से 3 सदस्य बोल रहे हैं, तो फिर इधर से भी बोलने का समय दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ ऐसे भी दल हैं जिन्होंने इस वाद-विवाद में कोई भाग नहीं लिया।

इसलिए मैं उनमें से कुछ को बुला रही हूं। लेकिन उस सूरत में हमें वाद-विवाद का समय बढ़ाना होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : सभापति महोदया, नियम तो सबके लिए समान होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : महोदया, कृपया मेरा अनुरोध सुनें। मैं सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि दलों की संख्या कुछ भी हो सदन को सभी दलों के

विचार सुनने चाहिए, इसलिए अध्यक्ष सभी दलों जैसे बी० जे० पी०, कांग्रेस आदि सभी दलों को कुछ समय दे रहे हैं। अब अन्य दलों जैसे तेलगूदेशम, असम गण परिषद और अन्य दलों को केवल एक या दो मिनट का समय दिया गया है। लगभग इतना ही समय दिया गया है। मैं निवेदन करता हूं कि यह अच्छी प्रथा नहीं है। कांग्रेस के लगभग एक दर्जन सदस्य लगभग एक ही बात दोहरा रहे थे।... (व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री आनन्द अहिरवार (सागर) : सभापति महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर इस सदन में हुई चर्चा के दौरान सदन के सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण और सामयिक सुझाव रखे हैं। मैं स्वयं को उन रचनात्मक सुझावों से जोड़ना चाहता हूं जिस पर अमल किए जाने से हमारी शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा और शिक्षा से रोजगार के अनुकूल अवसर मिल सकेंगे। रोजगार के मौजूदा निराशाजनक स्थिति में यह समय की मांग है कि शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान कर युवाओं, बेरोजगारों को भटकने की जगह हम उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में पहल करें।

संसद में जब-जब इस विषय पर चर्चा हुई तब-तब इस बात पर जोर दिया गया कि शिक्षा को और व्यावहारिक और रोजगारोन्मुख बनाया जाए। लेकिन रोजगार मुहैया कराने के अनुपात में बेकारी बढ़ती गई।

सभापति महोदया, युवाओं और छात्रों के बीच से मैं आया हूं। युवा होने के नाते मुझे इस वर्ग की पीड़ा का पूरा अहसास है और मैं जानता हूं कि बेकारी की दुर्दशा ने उन्हें भटकने के लिए विवश कर दिया है। अल्फा, सिख स्टूडेंट फैडरेशन, झारखंड आन्दोलन से जुड़े युवा और 1973 से 1977 के बीच गुजरात और बिहार में हुए छात्र आन्दोलनों की पृष्ठभूमि का जब हम अध्ययन करते हैं और कारणों के अलावा इस वर्ग में सबसे ज्यादा असंतोष बेकारी जैसे सवालों को लेकर रहा है। मान्यवर, यह एक ऐसा सवाल है जिससे प्रत्येक घर प्रभावित है। मैंने रोजगार कार्यालयों में लम्बी कतार देखी है। मैंने रोजगार के अभाव में उन्हें अपने घरों में अभिभावकों के बीच अपमानित होते देखा है। मैंने देखा है कि इस निराशा से युवा आत्महत्या की तरफ अपनी सोच विकसित कर रहे हैं। गलत राह पर विवश हो रहे हैं। यह एक ऐसी त्रासदी है जिसका कोई हल नहीं है।

पश्चिमी देशों की तुलना में जब मैं भारत को देखता हूं तो पाता हूं कि पिछले चालीस-बयालीस वर्षों में हमारे यहां शिक्षा का जो स्तर रहा है, बढ़ती बेकारी उसका एक प्रमुख कारण है। 1970 और 1980 दशक में पहले यदि जाब-ओरिएंटेड शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया जाता तो बेकारी की समस्या पर हम एक हद तक काबू पा गए होते। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका।

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं की तरफ जो खेल-कूद में विशेष योग्यता रखते हैं। सांस्कृतिक रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि होने से विशेष योग्यता प्राप्त ऐसे छात्र समुदाय, जो राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी-न-किसी रूप में ख्याति पाए हुए होते हैं, उन्हें उनके कार्य के अनुसार रोजगार मुहैया कराने की बचनबद्धता हो।

साथ ही खेल एवं सांस्कृतिक प्रोग्राम, जो मजहबों और कार्य से उठकर आपसी भाईचारे का रास्ता दिखाने के साथ देश की एकता और अखंडता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया खत्म कीजिए।

श्री आनन्द अहिरवार : ऐसे प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं और युवाओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, खेलों को महत्व देकर तेजी से सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए।

इस देश में बनती-गिरती सरकारों की यह त्रासदी रही है कि नई शिक्षा नीति की फाइलें जरूरत से ज्यादा मोटी होती गईं। जब भी सरकारें बदलीं, उन सरकारों ने शिक्षा नीति में अपनी सोच जड़ दी। यह बातें ठीक वैसी ही है जैसे विद्यार्थियों पर किताबों का बोझ बढ़ता गया है। इन सवालों से निपटने के लिए हालांकि सरकार ने आब्जेक्टिवकरण से कुछ काम लिया है, लेकिन शिक्षा और रोजगार का तालमेल कम होता गया। उदाहरण के लिए कोई छात्र इस मंसूबे से एम० एस० सी० करता है कि वह वैज्ञानिक या प्रोफेसर बनेगा लेकिन बेकारी की स्थिति में वह अपनी उम्र बचाने के चक्कर में निम्न वर्ग की क्लर्की ज्वाइन करने पर मजबूर हो जाता है तो उस स्थिति में उसका विज्ञान और उसके सिद्धांत पढ़ना व्यर्थ हो जाता है।

मैं आज सुबह वर्ष 1978 का राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के चौथे सर्वेक्षण की रिपोर्ट पढ़ रहा था। उस रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि 4,76,636 प्राथमिक स्कूलों में से 3,44,990 स्कूलों के पास बैठाने के लिए जगह नहीं थी। इनमें 98,925 हजार स्कूल तो खुले आसमान के नीचे चल रहे हैं।

शिक्षा की इस मौजूदा हालात के कारण आज अभिभावक पब्लिक स्कूलों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। नवोदय विद्यालय वयस्क शिक्षा ओपन स्कूलों की पहल भी बहुत लाभकारी साबित हो ऐसा नहीं है क्योंकि जिस उद्देश्य से इन शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की गई उसमें हम उतने खरे नहीं उतर पाये हैं। लेकिन दूरदर्शन सलाहकार समिति की उस रिपोर्ट के निष्कर्ष से मैं अपने आपको एक हद तक संतुष्ट पाता हूं। डा० पी० सी० जोशी की अध्यक्षता में बने कार्य दल की उस रिपोर्ट में कहा गया है कि रेडियो दूरदर्शन का माध्यम साक्षरता की दीवार को फांदने में समर्थ है और वह स्कूली शिक्षा के स्तर पर भी पहुंचने में समर्थ है। वह निरक्षर जनता को इस योग्य बना सकता है कि वह साक्षर हुए बिना विविध किस्म की जानकारी प्राप्त कर सके।

सभापति जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विद्वानों के सामने जब यह कहा था कि निरक्षरता स्वस्थ लोकतंत्र में बाधा नहीं है और साक्षरता नजरिया को संकुचित बनाती है, व्यापक नहीं, तब उनका यह मतलब था कि डिग्री से ज्यादा व्यक्ति की समझ को लोकतंत्र के लिए वह स्वस्थ मानते थे। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि शैक्षिक विकास के सरकारी पहल को ही पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए। शिक्षा आम लोगों तक खास कर गरीबों, आदिवासियों, अनुसूचित जातियों, कमजोर वर्गों तक पहुंचे, इसके लिए यह जरूरी है कि उसे और अधिक आकर्षित बनाया जाए। शिक्षा और उनके संस्थानों के पैसे में बढ़ते प्रभाव के व्यवसायीकरण को खत्म किया जाना चाहिए। हाल के वर्षों में फर्जी कालेजों और इंजीनियरी संस्थानों की बढ़ती संख्या यह बताने का काम कर रही है कि सरकारी संस्थान या तो पंगु हैं या फिर कमजोर हैं। इस सोच को खत्म करने के लिए सरकार शिक्षा के व्यवसायीकरण पर तत्काल पाबंदी लगाने का कार्य करे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि आप अधिक समय लेंगे तो हमें वाद-विवाद का समय बढ़ाना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री आनन्द अहिरवार : मैं पांच मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। डा० अम्बेडकर जन्म शताब्दी वर्ष यह चल रहा है। इसमें मेरा सुझाव है कि जितनी भी शैक्षिक संस्थाएं और अन्य सामाजिक संस्थाएं जो समाज के उत्थान में लगी हुई हैं और उनके नाम से कार्यरत संस्थाओं को राज्यवार मुआवजा प्रदान कराकर विशेष प्राथमिकता देते हुए उन्हें उनके नाम पर केन्द्रीय सहायता राशि अधिक-से-अधिक दी जाए।

सभापति महोदया, मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में विश्वविद्यालयों को मेचिंग ग्रांट वित्तीय अभाव की बात कहकर नहीं दे पा रही है। इससे विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। इसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयों पर लाखों-करोड़ों रुपये के ओवर ड्राफ्ट है—जैसे कि डा० सर हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर पर 80 लाख रुपये का ओवर ड्राफ्ट है। जो स्थापित विश्वविद्यालय है, वह उन्हें अनुदान नहीं दे रहे हैं। सागर में एक ही व्यक्ति द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश का यह सबसे पुराना विश्वविद्यालय और हिन्दुस्तान का चौथे नम्बर का विश्वविद्यालय है। केन्द्रीय अनुदान राशि भी सही समय पर और उचित मात्रा में नहीं मिल पा रही हैं। डा० हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय को आठवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया जाए। ये तमाम स्थितियां ऐसी हैं जिसके लिए राज्य की सरकार सीधे जिम्मेदार है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि इस विश्वविद्यालय को आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए सरकार राजनैतिक आक्षेप लगा रही है। कमोबेश यही स्थिति राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों और स्कूलों की भी है। सागर में एक खुला विश्वविद्यालय का केन्द्र खोला जाए और सेंट्रल स्कूल जो पब्लिक के लिए प्रस्तावित था, कुछ कारणवश नहीं खोला गया है, उसको शीघ्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाए। आदरणीय श्री अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के बारे में काफी जानते हैं। जब यह मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने उस समय सागर के लिए काफी कुछ काम किया। मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ कहना चाहता हूं कि सागर को पूर्व के वर्षों में जो इस तरह से अनदेखा किया गया है, अब नहीं किया जाएगा।

इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

"कौन कहता है, आसमान में छेद नहीं हो सकता,
एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री सनत कुमार मण्डल बोलेंगे। श्री मण्डल, आप कृपया संक्षेप में बोलें, और केवल मुद्दों पर ही बोलें।

श्री सनत कुमार मण्डल (जयनगर) : महोदया, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदया, मैं अपनी मातृभाषा बंगला में बोलना चाहूंगा।

*मैं सरकार की शिक्षा नीति का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि बजट में शिक्षा का उद्देश्य और कार्य ही प्रतिबिम्बित नहीं हुआ है। शिक्षा जीवन और लोगों से प्राप्त अनुभवों का निष्कर्ष है। शिक्षा के मूल को विद्यार्थी के जीवन और उसकी पसंद से जोड़ा जाना चाहिए जो उसे जीवन पर्यन्त प्रभावित करती रहे और सामाजिक परिवर्तनों के लिए पहल करने के लिए उसकी मार्गदर्शक बनी रहे।...(व्यवधान)...

श्री राम नाईक (उत्तर बंबई) : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है।

सभापति महोदय : मण्डल जी, ठहरिए एक मिनट। हां तो नाईक जी, आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है।

श्री राम नाईक : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सदन की बैठक 6 बजे समाप्त होनी है और यहां लम्बा वाद-विवाद चल रहा है। मंत्री महोदय को उत्तर देना है और उन्हें वाद-विवाद को समाप्त करने के लिए कम-से-कम 15-20 मिनट का समय मिलना चाहिए। और यदि वक्ता इस तरह से बोलते रहे तो उन्हें समय नहीं मिल पाएगा। हम उनका भाषण सुनना चाहते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं जानना चाहते हैं और केवल 10-12 मिनट का समय शेष रह गया है।

सभापति महोदय : मैं आपसे सहमत हूं। अतः मैं समझती हूं कि हमें समय बढ़ा देना चाहिए।

श्री राम नाईक : हम समय बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। हम इसे फिर स्पष्ट कर रहे हैं।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : क्यों ? जब वे चाहते हैं तो समय बढ़ा दिया जाता है और जब दूसरे लोग समय बढ़ाना चाहते हैं, तो वे समय नहीं बढ़ाना चाहते।

सभापति महोदय : यदि सदन समय नहीं बढ़ाना चाहता है तो तब बेशक मंत्री महोदय को अवसर दिया जाना चाहिए।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : आप इस पर मतदान करा लें और सदन की राय ले लें।

श्री मु० विजय कुमार राजू (नरसापुर) : कार्य मंत्रणा समिति ने हमारे ग्रुप को पांच मिनट का समय देने का सुझाव दिया है। आपने अभी तक हमें वह अवसर नहीं दिया परन्तु आपने बहुत से सदस्यों को उनकी मर्जी से बोलने की अनुमति दी है।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : कार्य मंत्रणा समिति ने हमें समय दिया है लेकिन यहां पर वे समय का पालन नहीं कर रहे हैं।

---

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

5.48 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

***श्री सनत कुमार मण्डल** : शिक्षा का उद्देश्य अपनी यात्रा निचले स्तर से शुरू करना और सामाजिक समस्याओं और दशाओं का बोध कराते हुए लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करना है। शिक्षा के इस सार्वभौमिक दृष्टिकोण का उपयोग आम नागरिक के फायदे के लिए किया जाना चाहिए। शिक्षा को ज्ञान और समझ को जागरूक बनाने में कार्यबल का कार्य करना चाहिए तथा इसे व्यक्तिगत रचनात्मक योग्यता विकसित करने में सहायक होना चाहिए। यदि असमानता दूर करने के लिए प्रत्येक को शिक्षा का अवसर सुलभ कराना ही पर्याप्त नहीं है। लक्ष्य तक पहुंचने के हेतु वातावरण तैयार करने के लिए भी सभी प्रयास किए जाने चाहिए। असमानताएं दूर करने तथा समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के प्रयास होते रहने चाहिए। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि शिक्षा के क्षेत्र में मौजूदा स्थिति आशावादी नहीं है। एक ओर तो हमारे पास विकसित भविष्योन्मुखी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं, जिनमें बड़े-बड़े शहरों में रहने वाले कुछ चुनिन्दा लोगों के बच्चों के लिए सभी प्रकार की नवीनतम सुविधाएं उपलब्ध हैं; और दूसरी ओर समाज का बहुत बड़ा वर्ग, जो गांवों में रह रहा है, छोटे स्कूलों में शिक्षा ले रहा है जिनमें न्यूनतम मूल सुविधाओं का भी अभाव है। शिक्षा के क्षेत्र में यह पूरे समाज का प्रतिबिम्ब है, जो शिक्षा नीति के संबंध में सरकार की असफलता को प्रदर्शित करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कार्य स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही शुरू हो गया था। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा नीति के बारे में जाकिर हुसैन समिति और कोठारी समिति जैसी कई समितियां गठित की गई थीं। कोठारी आयोग 1964-66 में गठित किया गया था। इसका उद्देश्य शिक्षा के समग्र विकास के लिए सरकार को शिक्षा का ढांचा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के लिए सरकार को परामर्श देना था। इस आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिन मूल सिद्धांतों पर बल दिया गया था उन्हें कार्यान्वित करके सरकार ने योजना लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया क्योंकि इसने जिम्मेदारी निश्चित नहीं की या वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की। परिणामस्वरूप शिक्षा के अवसर स्तर, गुणवत्ता, विषयवस्तु, उपादेयता और वित्तीय कारकों ने एक गंभीर चिंताजनक रूप ले लिया है। इस संबंध में सरकार पूरी तरह से असफल रही है। 14 वर्ष की उम्र तक के लड़कों और लड़कियों को शिक्षा अनिवार्य बनाने के लिए वर्ष 1960 लक्ष्य वर्ष था। लेकिन यह काम 1992 तक भी पूरा नहीं हुआ है। इस संबंध में सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए आबंटित धनराशि का अधिकांश भाग उच्च शिक्षा पर व्यय किया जाता है। प्राथमिक और हाई स्कूल स्तर की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप निरक्षरता बढ़ती रही है। कहा जा सकता है कि देश में

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

निरक्षरता ने अभिशाप का रूप धारण कर लिया है और पूरे देश का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है।

सरकार को माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। सरकार को प्रशासनिक और शैक्षणिक खर्चों के लिए भी वित्तीय सहायता देनी चाहिए। जिम्मेदारी न लेते हुए, शिक्षा के प्रसार के लिए केवल नारों से ही कोई भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है।

हमारे देश में, शहरों और गांवों के बीच शिक्षा के क्षेत्र में असमानता अभी भी व्याप्त है। नई शिक्षा नीति के नाम पर 1985 में नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए थे जिससे शिक्षा के क्षेत्र में भेद-भाव उत्पन्न हो गया। किसी देश का राष्ट्र के लिए दो तरह की शिक्षा नीति अच्छी नहीं होती है।

संसाधन जुटाने की दिशा में पहला कदम युवाओं और खेलों का विकास तथा महिलाओं और बच्चों का उत्थान होना चाहिए। राष्ट्र के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कृषि, चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा की शिक्षा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, वास्तव में यह नहीं किया गया है।

शिक्षा की विषय-सूची, पाठ्यक्रम, प्रक्रिया और स्तर से संबंधित प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इसके पश्चात् शिक्षकों की भूमिका और उसकी योग्यताओं पर विचार किया जाना चाहिए। शिक्षकों के उचित प्रशिक्षण पर बल देने की जरूरत है, जिससे उन्हें बेहतर और अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सके। तीसरे, शिक्षा-नीति को सही ढंग से लागू करना, उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाने पर निर्भर करता है। लेकिन इस सम्बन्ध में बजट में कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा, संस्कृति के विकास के लिए सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान देना भी आवश्यक है। बच्चों में सौंदर्य बोध मूल्यों के प्रति चेतना जगानी चाहिए जिससे कि वे बेहतर अभिरुचि का अर्थ समझ सकें। इस सम्बन्ध में विद्वानों और बुद्धिजीवियों को अपने विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। ललितकलाओं, पुरातत्व-विज्ञान, लोक-परम्पराओं आदि को महत्व दिया जाना चाहिए।

शिक्षा को महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन के माध्यम के रूप में किया जाना चाहिए। यद्यपि महिलाओं के उत्थान संबंधी कार्यक्रमों को शिक्षा-विभाग के सभी कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। लेकिन इस सम्बन्ध में अब तक कोई उपलब्ध प्राप्त नहीं हुई है। महिलाओं की उन्नति और बेहतरी के लिए बजट में नई योजनाओं का उल्लेख किया गया है। लेकिन अधिकांश योजनाएं अभी भी विचाराधीन ही हैं। ऐसा दृष्टिकोण इस देश के लिए शर्मनाक है, जिसे स्वतंत्रता मिले 45 वर्ष हो चुके हैं। दैनिक समाचार-पत्र महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं से भरे रहते हैं। रोजाना इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। ये बढ़ती हुई घटनाएं सरकार की शिक्षा नीति की असफलता को ही उजागर करते हैं। आज का बालक ही कल का नागरिक है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए। समय बहुत ही सीमित है।

श्री समर कुमार मण्डल : मैं सिर्फ दो मिनट ही लूंगा। लेकिन, बच्चों के स्वास्थ्य की देख-भाल, उनके आहार और शिक्षा के संबंध में बजट में कहां कोई प्रावधान है?

अन्त में, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संबंध में एक या दो शब्द कहना चाहूंगा। इन कार्यकर्ताओं को सुबह से शाम तक कार्य करना पड़ता है, लेकिन इन्हें बहुत ही कम वेतन दिया जाता है। इन कार्यकर्ताओं के लिए धन-राशि में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। महिलाओं और बच्चों की स्थिति सुधारने में आई० सी० डी० एस० परियोजनाओं की मदद ली जा सकती है। मेरी राय में, यह परियोजनाएं सभी प्रखण्डों में चालू की जानी चाहिए।

खेलों में हमारा प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा है। हमारे यहां बहुत से प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं, किन्तु वे सुविधाओं और अवसरों के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारे यहां खेल-कूद का अलग विभाग है लेकिन यह अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से नहीं निभा पाया है। यही कारण है कि 85 करोड़ जनसंख्या में से एक भी उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाने में असफल रहा है और हमें इस क्षेत्र में कोई भी सफलता नहीं मिल सकी है। अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है जहां उन्हें इस प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती और जिसके फलस्वरूप वे राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। खेल संबंधी कोई भी सुविधा गांवों में उपलब्ध नहीं है। इन खिलाड़ियों की क्षमता में सुधार कैसे हो सकता है। वे अपनी शक्ति में इसलिए सुधार नहीं कर पाते हैं क्योंकि सरकार के पास इनके लिए कोई योजना और नीति नहीं है।

अत: मैं सरकार की अनुदान मांगों का विरोध करता हूं। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, समय निर्धारित करते समय उपाध्यक्ष महोदय में इस सदन ने यह पढ़कर बताया था कि एक सदस्यीय दल को भी बोलने के लिए समय दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : आप एक सदस्यीय पार्टी हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। दूसरे वाद-विवाद में आपको समय दिया जाएगा।

श्री याइमा सिंह युमनाम : लेकिन महोदय, मुझे समय नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपको मिलेगा।

श्री सू० विजय कुमार राजू (नरसापुर) : महोदय, हमारे ग्रुप को सिर्फ पांच मिनट दिए गए हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ग्रामीण विकास पर बोल सकते हैं, जो कल शुरू होने वाली है।

श्री सू० विजय कुमार राजू : श्री के० पी० रेड्डय्या यादव एक या दो मिनट के लिए बोलना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इससे आपको संतुष्टि नहीं मिल पाएगी क्योंकि आप अपना दृष्टिकोण पेश नहीं कर पाएंगे। आप ग्रामीण विकास पर बोल सकते हैं।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : यह सत्ता पक्ष के लिए भी उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपको समय मिलेगा।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : समय का प्रश्न नहीं है, महोदय हम स्वयं भी नहीं बोलना चाहेंगे अगर सदन हमें सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस और भा०ज०पा० सदस्यों को ही बार-बार समय दिया जा रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदय, यह तो सदस्यों के संख्या पर निर्भर करता है।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : तब मुझे आप पहले बैच में ही समय दें।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है। इस सदन में आपके सदस्यों के अनुपात में ही आपको समय दिया जाता है।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : तब आप हमारे पार्टी की बजट के बारे में दृष्टिकोण को कैसे सुन पाएंगे। (व्यवधान)

श्री दाइका सिंह बुमनाम : क्या मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता हूं ? (व्यवधान) मैं पांच कटौती प्रस्तावों का प्रस्तुतकर्त्ता हूं। मुझे इन्हें प्रस्तुत करने को अनुमति दी गई है। लेकिन दो मिनट का समय मुझे नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं व्यवस्था संबंधी आपके प्रश्न पर अपना निर्णय दूंगा। आप सदन के इस परम्परा से अवगत हैं कि किसी पार्टी को उसके सदस्यों की संख्या के अनुपात में समय दिया जाता है। अगर आपकी पार्टी सदस्यों की संख्या सदन में ज्यादा है, तो आपके पार्टी को ज्यादा समय मिलेगा। अगर आपकी पार्टी में सिर्फ एक सदस्य है तो जाहिर है कि आपको बहुत ही सीमित समय मिलेगा। तो भी, हम एक सदस्यीय पार्टी को भी बोलने के लिए समय देने की कोशिश करते हैं। उन्हें दो या तीन मिनट का समय दिया जाता है लेकिन वे बोलने में कम-से-कम 10 से 15 मिनट लगा ही देते हैं। इसमें कठिनाई यही आती है। हम आपको निश्चय ही समय देंगे जब दूसरे विषय पर बहस होगी।

श्री भू० विजय कुमार राजू : महोदय, कम-से-कम मुझे पांच मिनट का समय बोलने के लिए दें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। लेकिन आप उन विषयों को नहीं दुहरायेंगे जिनका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। यही एक शर्त है।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : हम इससे सहमत नहीं हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ऐसा नहीं है।

श्री राम नाईक : मेरा प्वाइंट यह है कि हम सदन का समय बढ़ाने को तैयार हैं या नहीं। (व्यवधान) कोई पूर्वानुमान तो नहीं लगाया जा सकता लेकिन फिर भी हमें अपनी बात कहनी चाहिए। मुद्दा यह है कि सदन आज 6 बजे स्थगित हो जाएगा। माननीय मंत्री कल जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि कल कुछ समस्या है। वे परसों जवाब दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : तब तो आपकी पूरी कार्य-सूची ही गड़बड़ा जाएगी।

श्री राम नाईक : हम इसमें कोई सहायता नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : आपको दूसरे विभागों के बारे में भी बहस करनी है।

श्री राम नाईक : सो तो है। या तो मंत्री जी को उपलब्ध होना चाहिए था या समय पुनर्निर्धारित किया जाना चाहिए था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करें? माननीय सदस्य निर्धारित समय से ज्यादा ले लेते हैं। तो इससे कठिनाई उत्पन्न हो जाती है।

(व्यवधान)

6.00 म० प०

श्री राम नाईक : महोदय, आप शुक्रवार को सत्ता पक्ष के एक सदस्य द्वारा गणपूर्ति का प्रश्न उठाने की घटना से अवगत होंगे। सामान्यतया, गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य के दौरान गणपूर्ति का प्रश्न नहीं उठाया जाता है लेकिन ऐसा किया गया। हमें भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं लेकिन अन्ततः उन अधिकारों से हमें वंचित होना पड़ा। चूंकि हमारे अधिकार का हनन हुआ है, इसलिए यह आपकी दृष्टि में ला रहे हैं और समय बढ़ाने में अपनी सहमति जता रहे है। अब इस सम्बन्ध में इस सदन को और आपको निर्णय करना है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमें लगातार बैठना चाहिए...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे इस तरह बाधा न डालें। श्री थामस, यह जरूरी नहीं है। मैं इसके लिए पूर्णतया सक्षम हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री के बोलने तक सभी सदस्यों से बैठे रहने का अनुरोध करता हूं। श्री नायक, आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं।

श्री राम नाईक : हमें आपका अनुरोध स्वीकार है। लेकिन सत्ता पक्ष द्वारा जो व्यवहार किया गया, वह बहुत ही अशोभनीय था और ऐसा कभी संसदीय इतिहास में पहले नहीं सुना गया। चूंकि आप अनुरोध कर रहे हैं, इसलिए हम इसे मान रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डय्या पांच मिनट बोलेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डय्या, इस तरह से नहीं । मैं आपको एक मौका दे रहा हूं । आप वहां बैठ कर फैसला न करें।

(व्यवधान)

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपका आभारी और कृतज्ञ हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सीधे मुद्दे पर आइये ।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : आज हम मानव संसाधन विकास और शिक्षा मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन अनुदान मांगों पर बहस कर रहे है । राष्ट्रीय अखंडता भी एक विषय है । इसलिए, महोदय, आज मैं तेलुगू में बोलना चाहता हूं और मुझे आशा है कि मेरे हिन्दी-भाषी भाई राष्ट्रीय अखंडता के खातिर मुझे ऐसा करने में पूरा सहयोग देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : तेलुगू एक बहुत ही अच्छी भाषा है । आपको इस भाषा में बोलना चाहिए और हम लोग इसका अनुवाद सुन लेंगे ।

*__श्री के० पी० रेड्डय्या यादव__ (मछलीपटनम) : अध्यक्ष महोदय, आज हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं । आज राष्ट्रीय एकता समय की मांग है । अतः महोदय मैं तेलुगू में बोलना चाहता हूं । मैं यह देखना चाहता हूं कि हिन्दी क्षेत्र के मेरे बंधु संसद सदस्य कितनी तन्मयता से मेरी बात सुनते है और राष्ट्रीय एकता के लिए अपना प्रेम दर्शाते है, जिसके आस-पास मानव संसाधन विकास मंत्रालय घूमता है ।

अध्यक्ष महोदय : तेलुगू एक अच्छी भाषा है । आप तेलुगू में बोलिए और हम अपना अनुवाद सुनेंगे ।

*__श्री के० पी० रेड्डय्या यादव__ : अध्यक्ष महोदय, मैं उन मुद्दों को नहीं उठाना चाहता जिनके बारे में माननीय सदस्य पहले ही बोल चुके हैं । मैं केवल उन्ही मुद्दों के बारे में बोलूंगा जिन पर पहले विचार प्रकट नहीं किए गए हैं । मैं नए मुद्दों और सुझावों के बारे में ही बोलूंगा । महोदय, माननीय सदस्यों को सुनने के बाद बचपन से जो मेरे मन में संदेह थे वह और गहरे हो गए हैं । यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है । मैं इस माननीय सभा, जहां हिन्दी का बोलबाला है, के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं । माननीय सदस्य भाषण तभी ध्यान से सुनते हैं जब यह हिन्दी में किया जाता है । यह माननीय सभा जानती है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी ने किस प्रकार राष्ट्रीय एकता के लिए त्रिभाषा सूत्र बनाया और उसे लागू किया । महोदय आज हमें यह देखना है कि मेरी भाषा तेलुगू जो हिन्दी के बाद सबसे अधिक सदस्यों द्वारा बोली जाती है, इस माननीय सदन

*मूलतः तेलुगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

में उसकी ओर किस प्रकार ध्यान दिया जाता है। आंध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु और और महाराष्ट्र में लोग तेलुगू बोलते हैं। हिन्दी के बाद तेलुगू में ही अधिकतर लोग बोलते हैं। लेकिन इस मधुर भाषा को क्या स्थिति प्रदान की गई है? मैं एक कड़वा सच अध्यक्षपीठ के ध्यान में लाना चाहता हूं। हिन्दी भाषा के संवर्धन के लिए दी गई राशि अन्य सब भाषाओं के लिए दी गई राशि में कहीं अधिक है। यह भेदभाव बरतने का क्या कारण है? मैं और अनेक राज्यों में तेलुगू बोलने वाले व्यक्ति इसका कारण जानना चाहते हैं। हिन्दी के बाद यह सबसे अधिक प्रसिद्ध भाषा है और अधिकतम लोग इसे बोलते हैं। लेकिन फिर भी मेरी भाषा का कोई स्थान नहीं है। इसके लिए बजट में नाममात्र का धन दिया गया है। न केवल मेरी भाषा बल्कि देश के भिन्न-भिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषाओं की उपेक्षा की जा रही है। हिन्दी के अलावा हर भाषा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। केन्द्र सरकार अन्य भाषाओं के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? केन्द्र सरकार इस प्रश्न का उत्तर दे। सभी भाषाओं के साथ न्याय किया जाना चाहिए।

महोदय, कलाओं के संवर्धन के लिए क्या बजट में कुछ राशि का प्रावधान किया गया है: सभी मुख्य नृत्यों जैसे मणिपुरी, ओडिसी, भरतनाट्यम और कुचीपुडी के संवर्धन के लिए धन दिया जा रहा है। यह भारतीय संस्कृति के चार स्तंभ हैं। लेकिन महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि कुचीपुडी नृत्य के प्रचार, प्रसार के लिए अधिक कुछ नहीं किया जा रहा है। शायद पूर्व अथवा पश्चिम में कोई इस उत्कृष्ट नृत्य शैली के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि कुचीपुडी नृत्य शैली का इतिहास अत्यंत वैभवशाली रहा है और उनसे अनुरोध करता हूं कि हमारी इस महान नृत्य शैली को बनाए रखने तथा इसके संवर्धन के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराएं। यह हमारा बहुमूल्य खजाना है। किसी भी कीमत पर हमें इसका संरक्षण करना है। दुर्भाग्यवश, सरकार के संरक्षण के अभाव में यह समाप्त हो रहा है। यह केवल श्री वेम्पति चिमा सत्यम के अथक प्रयासों के कारण चल रहा है। वह इस शैली के महान नर्तक हैं। वह अकेले ही कुचीपुडी नृत्य शैली के संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इस कला के संवर्धन के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया तथा उन्होंने जो भी कमाया वह इसके संवर्धन के लिए लगा दिया। महोदय, कुचीपुडी का इतिहास अत्यंत वैभव है। एक समय राजा औरंगजेब ने अपने विरोधियों पर जजिया कर लगाया था। उस समय जब लोगों को अपनी संस्कृति को संरक्षण देने के लिए धमकी दी जाती थी तब श्री सिद्धावेन्द्रा योगी ने आंध्र प्रदेश में सभी तूफानों, जिनसे भारतीय संस्कृति को खतरा था, का सामना किया और इस बहुमूल्य कला को बनाए रखने के लिए अनेक प्रयास किए। ऐसे व्यक्तियों ने इसका संरक्षण किया। अब हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम इस कार्य को आगे बढ़ाएं। अतः महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि यदि वह हमारी वैभवशाली संस्कृति के संवर्धन में रुचि रखते हैं तब वह कुचीपुडी से श्री सिद्धेन्द्रा कलाक्षेत्रम के लिए एक करोड़ रुपये के अनुदान की घोषणा करें, जोकि देश में कुचपुडी नृत्य सिखाने का एकमात्र संस्थान है। विश्व के सभी भागों, पूर्व में जापान से लेकर पश्चिम में अमरीका तक के निवासी यहां आते हैं, यहां 5-20 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति आते हैं जो कुचीपुडी नृत्य सीखते हैं। कुचीपुडी में इन विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधा नाममात्र की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसके साथ पर्यटन और मत्स्य पालन

जोड़ दिया है। यह बड़ी हैरानी की बात है। भारत सरकार कला और संस्कृति के विकास के लिए करोड़ों रुपया व्यय कर रही है। सरकार कुचीपुडी के विकास के लिए कम-से-कम करोड़ रुपया तो दे ही सकती हैं।

महोदय, अनेक माननीय सदस्यों, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया, वे खेलों के विकास के बारे में विस्तार से अपने विचार प्रकट किए हैं। अतः मेरे लिए इस विषय पर बोलने के लिए कुछ शेष नहीं है। मैं संक्षेप में प्राथमिक शिक्षा के बारे में बोलूंगा। हमने इस पर गहराई से चर्चा की थी। इस बारे में मैं एक प्रमुख बात बताना चाहता हूं। दूसरे देशों में लोग किसी देश विदेश की संस्कृति का मूल्यांकन इस बात से करते हैं कि उस समाज में अध्यापक की स्थिति क्या है। विदेशी लोग हमारी संस्कृति का अनुमान इस बात से लगाते हैं कि हमने अपने अध्यापकों को क्या दर्जा दिया है। यदि संस्कृति शिक्षा पर निर्भर है तब शिक्षा अध्यापक पर निर्भर है। अध्यापक वह स्तंभ है जिस पर समाज टिका होता है। अब प्राथमिक शिक्षा और अध्यापकों का बहुत अधिक महत्व है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

***श्री के० पी० रेड्डय्या यादव** : महोदय, मैं एक मिनट और लूंगा। अध्यापक की वर्तमान स्थिति क्या है, चाहे वह प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक हो चाहे सेकेंडरी विद्यालय का अध्यापक हो, चाहे कॉलेज का अध्यापक हो? देश में सबसे अधिक उनकी उपेक्षा की जाती है। अध्यापक की स्थिति बजट में शिक्षा के लिए दिए गए धन पर निर्भर नहीं करती है। हमें अध्यापकों के प्रति अपने रवैये को बदलना होगा। यह तभी संभव है जब सामाजिक परिवर्तन हो। यदि हम अध्यापकों के प्रति अपना रवैया नहीं बदलते हैं तब हम आज के बच्चों को कल का गौरवशाली नागरिक बनाने का सपना नहीं देख सकते हैं। अतः सभी, विशेष रूप से विधायकों और संसद सदस्यों पर इसकी जिम्मेदारी है। विद्यालय और कालेज शिक्षा के मंदिर हैं। वह अधिक पवित्र स्थान हैं। हमें यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम राजनीतिज्ञ, शैक्षणिक संस्थाओं के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह मंडल अध्यक्ष हो, युवा कांग्रेस अध्यक्ष हो अथवा जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का हो, हर बात पर असहाय अध्यापकों को धमकी देता है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

***श्री के० पी० रेड्डय्या यादव** : अतः मेरा सबसे अनुरोध है कि अध्यापकों के स्थानांतरण के मामले में दखल न दें। हम देश की शिक्षा प्रणाली में हस्तक्षेप न करें। तभी हमारे अध्यापकों का सम्मान होगा। तभी वे हमारी युवा पीढ़ियों को कल के गौरवशाली नागरिक बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपने 10 मिनट का समय ले लिया है।

***श्री के० पी० रेड्डय्या यादव** : महोदय, मैं अध्यक्षपीठ के आदेशों का पालन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*मूलतः तेलुगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, यद्यपि मैं बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं फिर भी मैं सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किए गए प्रयासों की प्रशंसा करता हूं। यह अच्छी बात है कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। यह आवश्यक भी है। तेजी से बदलते विश्व को देखते हुए मेरा प्रस्ताव है कि आज के विश्व के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन किया जाए। समय के अभाव के कारण मैं इसका औचित्य नहीं बता सकता लेकिन मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री महोदय गंभीरता से इस पर विचार करें। शिक्षा नीति को पुनः बनाने और इसे सभा पटल पर रखने का यह सही समय है।

दूसरे, महोदय, चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, अतः शिक्षा का केन्द्रीय बोर्ड होना चाहिए ताकि यह बोर्ड राज्य और केन्द्र के सभी विचारों का समन्वय कर सके। मैं इसका इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा कहना है कि व्यापक स्तर पर इस बोर्ड को पुनः गठित किया जाए न कि राजनीतिक आधार पर। इसमें सुदूर क्षेत्रों के प्रतिभाशाली तथा प्रमुख व्यक्तियों को लेना चाहिए।

धन के बारे में मेरा कहना है कि वह पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्घाटन करते हुए दिवंगत राजीव जी ने आश्वासन दिया था कि कोठारी की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसरण में आठवीं योजना के दौरान मानव संसाधन विकास के लिए 6% बजटीय प्रावधान किए जाएंगे। इसका कार्यभार हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री श्री राव, जो उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री थे, को सौंपा गया था। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि नयी शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में निधि की कमी बाधा नहीं बनेगी। महोदय, परन्तु केवल तीन प्रतिशत धनराशि ही प्रदान की गई है। मैं समझता हूं कि यदि राजीव जी जीवित होते तब इस आठवीं योजना में कम-से-कम छः प्रतिशत तो अवश्य देते।

अब मैं अपने कटौती प्रस्तावों पर आता हूं। अपने राज्य के विकास के सम्बन्ध में मैं मणिपुर राज्य में एक इंजीनियरी कालेज की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं।

महोदय, श्री नेहरू ने कहा था कि देश का भविष्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। परन्तु देश का वह क्षेत्र, वह दूरस्थ क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। उनके पास तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। अतएव मैं सरकार से मणिपुर में एक इंजीनियरी कालेज की स्थापना का आग्रह करता हूं और महिलाओं की शिक्षा के लिए भी मैं सरकार से राजकीय बालिका पालिटेकनीक विद्यालय की स्थापना के लिए सहायता देने का अनुरोध करता हूं ताकि पोलिटेकनिक में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालिकाओं को भी सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि चूंकि मणिपुर कला और संस्कृति में अपना प्रचुर योगदान दे सकता है, अतः सरकार को जवाहर लाल नेहरू नृत्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी इत्यादि के लिए कुछ और निधि प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि देश में राष्ट्रीय अखंडता लाने में शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अतः हमें और अधिक निधि प्रदान करके राज्यों के लिए धन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे राज्य हैं, जिनका कार्यसंचालन राज्य की अपनी आय से किया जा सकता है, परन्तु

कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनका काम राज्य की अपनी आय से नहीं चल सकता। शिक्षा के क्षेत्र में भी वे कुछ व्यवस्था करने में असमर्थ हैं। अतः जिन राज्यों की अपनी आय नहीं है और वे केन्द्र द्वारा प्रदान की गई अनुदानों पर ही निर्भर है, उन राज्यों को देश के कल्याण के लिए केन्द्र द्वारा और अधिक निधियां प्रदान की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में बहुत कुछ चर्चा हो चुकी है। जैसा कि सभी ओर से कहा गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बजट प्रस्तावों के अन्दर जितनी धनराशि निर्धारित होनी चाहिए उसका सर्वथा अभाव रहा है। देश की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए और देश की आवश्यकताओं को देखते हुए सिर्फ तीन-चार प्रतिशत राशि रखी है, यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

मान्यवर, मानव सबसे बड़ा संसाधन है और कहीं वह मानव बन जाये तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। किन्तु आज जिस प्रकार से मानव का अधोपतन हो रहा है भारत में रहने वाले लोग चाहे वे जातिवाद का शिकार हो रहे हों, चाहे सांप्रदायिकता का शिकार हो रहे हों, चाहे क्षेत्रवाद का शिकार हो रहे हों, चाहे आतंकवाद का शिकार हो रहे हों, चाहे बेरोजगारी का शिकार हो रहे हों, चाहे उग्रवाद का शिकार हो रहे हों या युवा आक्रोश पनप रहा हो या चारों ओर असंतोष की काली घटाएं विखण्डन और राष्ट्र के विघटन की प्रवृत्ति जन्म ले रही हो, इन सबके पीछे एकमात्र कारण है कि जिस मानव का निर्माण होना चाहिए शिक्षा के माध्यम से, वैसे मानव का निर्माण नहीं हो रहा है। प्रारम्भ में किशोरावस्था से ही, बाल्यावस्था में बालक में जैसे संस्कारों का बीजारोपण होना चाहिए उन संस्कारों का विकास करने का शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में अवसर उपलब्ध होना चाहिए वह हम सब कुछ करने के बावजूद उसमें असफल रहे हैं। परिणाम यह है कि शिक्षा के बारे में यह कहा जाता है :

निकले हैं कहां जाने के लिए, पहुंचेंगे कहां यह मालूम नहीं।
इन राहों में भटकने वालों को, मंजिल की दिशा मालूम नहीं॥

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1947 से लेकर 1992 तक हमेशा हम सुनते रहे हैं, छोटे-से-छोटे नेता से लेकर बड़े-से-बड़े नेता के मुंह से कि शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए। हमने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई थी। उसके बाद उसकी कमियों को दूर करने के लिए राममूर्ति समिति बनी, 42 वर्ष के बाद भी शिक्षा का स्वरूप स्पष्ट रूप से राष्ट्र के सामने होना चाहिए। कभी 10+2+3 और कभी 10+4, कभी क्या और कभी क्या? कभी लर्निंग बाई अर्निंग, कभी वोकेशनल एजुकेशन, कभी क्राफ्ट सेंटर, कभी टीचर्स सेंटर, कभी चाइल्ड सेंटर। हम शिक्षा में आज हमेशा नये-नये प्रयोग होते रहे हैं और इससे शिक्षा का ढांचा अस्त-व्यस्त होता जा रहा है। यह वास्तव में बड़ा ही कष्टप्रद है। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत शिक्षा के बारे में कोई निश्चित नीति होनी चाहिए।

मान्यवर, दो कमियां बहुत बड़ी हैं जिनकी ओर ध्यान नहीं गया। एक तो हमारे देश के

अन्दर नौकरी को डिग्री के साथ जोड़ दिया गया, परिणाम यह हुआ कि इसमे कोरी सैद्धांतिक शिक्षा ही दी जाने लगी। श्रम के बारे में निष्ठा होनी चाहिए, मानवीय मूल्यों के प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए, हमारी शिक्षा में सांस्कृतिक, राष्ट्रीय मानवीय और सामाजिक मूल्यों को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। अगर राष्ट्र में हम इमोशनल एण्ड नेशनल इंटीग्रेशन—भावनात्मक एवं राष्ट्रीय एकता – पैदा करना चाहते हैं तो हमें दी जाने वाली शिक्षा में राष्ट्रीयता के संस्कार भी देने पड़ेंगे, देशभक्ति के संस्कार भी देने पड़ेंगे, मानवीय मूल्यों और संवेदनशीलता के मूल्यों की शिक्षा भी देनी पड़ेगी और तब कहीं जाकर उनके संस्कारों के विचार आ पायेंगे। इस देश की मिट्टी को उपचार मानना होगा और अलगाववाद की भावना नहीं पनपेगी और यह सोचेंगे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर नागालैंड तक हमारा राष्ट्र एक है। तो इसलिए डिग्रियों को नौकरी के साथ जोड़ दिया गया है, इसके बारे में चिन्तन करने की आवश्यकता है। सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यों को शिक्षा में स्थान देना आवश्यक है। नौकरी के साथ जो अंग्रेजी को जोड़ दिया गया है, मैं समझता हूं कि यह राष्ट्र की जनता के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार है। भारतीय भाषाओं को पढ़कर कोई भी व्यक्ति जो पूर्ण शिक्षा प्राप्त करता है, उसे नौकरी प्राप्त होनी चाहिए लेकिन अफसोस है कि जो अंग्रेजी का ज्ञान रखने वाले हैं—माता-पिता की धारणा ऐसी बन गई है कि जो लोग इंगलिश स्कूल में पढ़ते हैं, जो टाई लगाकर जाते हैं, वह नौकरी प्राप्त कर सकेगा। गरीब का लड़का जो अच्छी नौकरी प्राप्त नहीं कर पायेगा, परिणाम यह होता है कि सारे देश में ऐसी प्रवृत्ति पैदा हो गयी है कि गली-गली में कुकुरमुत्तों की तरह पब्लिक स्कूल अंग्रेजी माध्यम से खुल गये हैं जिनमें कोई व्यवस्था नहीं है, अध्यापकों को पूरा वेतन नहीं मिलता है। उनका शोषण किया जाता है, उनकी योग्यता के लिए शिक्षा का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है और वहां पर शिक्षा के माध्यम से एक तरह से व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाकर प्रसार किया जाता है। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की अत्यंत आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कैपिटेशन फीस के बारे में बड़ी आवाज उठी थी। दक्षिण में जो इंजीनियरिंग कालेजेज हैं या जो दूसरी बड़ी-बड़ी संस्थायें हैं, उनमें कैपिटेशन फीस उसी तरह से ली जा रही है, उसको रोकने के लिए क्या हुआ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इस पर भी विचार किया जाये।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय विद्यालयों में कई वर्षों से काफी रिक्त स्थान पड़े हैं, जिनको शीघ्र ही भरा जाना चाहिए। तमिलनाडु तक उदाहरण है जहां कई वर्षों से कई स्थान रिक्त पड़े हैं। बच्चों की पढ़ाई भी हुई, इम्तिहान भी हो गये, अब उन रिक्तियों का क्या हुआ? इन सब पर विचार करने की आवश्यकता है।

अन्त में केवल एक बात कहकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। व्यावसायिक शिक्षा को क्षेत्र विशेष की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वहां की परिस्थिति, वहां के लोगों का रुझान दृष्टिगत रखते हुए वहां के व्यवसाय विशेष का प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था विद्यालयों में की जाये तो ठीक है। स्कूल इज नाट ए वर्कशाप—स्कूल वर्कशाप नहीं है—हमारे आई०टी०आई०ज० हैं, पालिटैक्निक हैं, इंजीनियरिंग कालेजेज हैं, उनके अन्दर जो पढ़ाई होती है, उनकी तरफ ध्यान देकर उनका विकास होना चाहिए परन्तु प्राइमरी स्कूल पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। आप्रेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत जो कमियां रही हैं, उन कमियों का निराकरण करके उसकी जांच होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : मुझे केवल कुछ मिनट के लिए बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

प्रारम्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित विद्यासागर ग्रामीण विश्वविद्यालय को पर्याप्त मात्रा में निधि प्रदान की है।

पंडित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर की यह उनकी पुण्यतिथि का शताब्दी वर्ष है। वह केवल बंगाल के ही नहीं बल्कि भारत के भी उन्नीसवीं शताब्दी के नवजागरण के एक महान प्रवर्तक थे।

विश्वविद्यालय द्वारा पंडित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर की पुण्य तिथि का शताब्दी वर्ष मनाने के लिए एक समिति बनाई गई है। उन्होंने विश्वविद्यालय में बंगाली साहित्य में पंडित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर के नाम पर एक पीठ की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है।

मैं माननीय मंत्री जी से पीठ के सृजन के लिए पर्याप्त निधि प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। परन्तु संबंधित व्यक्तियों को कार्य संचालन के लिए दिल्ली आना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना राज्यों में ही की जाये।

ग्रामीण खेलों को वरीयता दी जानी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि 'नेशनल स्कूल आफ ड्रामा' को अपना और विकास करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैं भी इसी विषय पर कुछ कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, देखते हैं।

श्री पी० सी० थामस : मेरा पहला मुद्दा यह है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए वास्तव में ही नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए। छात्रों का बचपन खत्म होता जा रहा है। उनको इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि वे उनकी अपनी सोचने-समझने की शक्ति समाप्त होती जा रही है और उनका विकास नहीं हो पा रहा है।

दूसरे, मेरा सुझाव है कि प्राथमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों को बहुत कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए नवोदय विद्यालयों में एरणाकुलम जिले में एक घटना घटी है। यह बताया जाता है कि यह घटना छात्र के प्रति अपनाए गए अत्यन्त कड़े रुख के कारण ही हुई थी। छात्र वहां से लापता हो गया है। उसका कोई पता नहीं है। उसका नाम अभिलाष जॉय है।

मैं एक अलग से पत्र भी लिख रहा हूं। वह फरवरी से ही लापता है। उसका कोई पता नहीं है।

व्यवसायीकरण पर पुनः कहा गया है। मैं उस बारे में जिक्र नहीं करूंगा।

मेरा अगला प्रश्न एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले के संबंध मे है। मेरा सुझाव है कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिकरण को रोका जाना चाहिए। मेरे विचार मे इसके लिए सभी दलों की सहमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। मुझे केरल की एक घटना की जानकारी है जब 'जमा दो' पद्धति शुरू की गई थी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने विषय पर ही बोलिये। इन घटनाओं को छोड़िये। आप उनके बारे में माननीय मंत्री जी को लिख सकते हैं।

श्री पी० सी० थामस : हर दूसरी जगह पर 'जमा दो' पद्धति उद्देश्यहीन रही। परन्तु जब इसे केवल राजनीतिकरण के लिए ही आरम्भ किया गया था तब सभी विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था और तब इसका कड़ा विरोध हुआ था। इस संबंध में आंदोलन भी हुआ जो भारी धन और छात्रों के भविष्य के नुकसान के साथ ही समाप्त हुआ। इसके तुरन्त पश्चात् वे सत्ता में आ गये और उन्हें भी उसी नीति का अनुसरण करना पड़ा। उन्होंने भी उसी 'जमा दो' पद्धति को चलाया जिसे वहां पर प्री-डिग्री बोर्ड कहा जाता है।

युवा कल्याण और खेलकूद के संबंध में विद्यालयों में कई ग्रामीण क्रीड़ास्थलों का प्रबंध किया जा रहा है। मेरे विचार से केरल में पिछले तीन वर्षों से प्रतिबन्ध होने के कारण अथवा चूंकि भूतपूर्व सरकार द्वारा लेखा-जोखा नहीं दिया गया था। अतः वहां पर किसी भी विद्यालय को कोई भी नई अनुदानें नहीं दी जा रही हैं। यह एक अत्यन्त दुखद स्थिति है। उनका इसमें कोई दोष नहीं है फिर भी उन्हें कोई अनुदान नहीं दी जा रही हैं। मेरा सुझाव है कि इसकी पुनरीक्षा की जायें और यदि धनराशि के लेखा-जोखा में कोई त्रुटि पाई जाती है अथवा किसी विद्यालय द्वारा अपना लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उसका असर नये अध्यापकों पर नहीं पड़ना चाहिए।

मेरा अन्तिम प्रश्न संस्कृति से संबंधित है। केरल में युवा समारोह आयोजित किये जाते हैं और प्रत्येक विंग के सर्वोत्तम व्यक्ति को उसके बाल्यावस्था से लेकर आगे तक पुरस्कार दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी परम्परा का अनुपालन किया जाना चाहिए जैसा कि अनेक राज्यों में यह किया जा रहा है। सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए प्रतियोगिताएं और युवा कार्यक्रम आयोजित किए जायें और कला और सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रत्येक विंग में सर्वोत्तम व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाए।

मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपने विचार सदन के सामने रखूंगा। आज इस सदन में शिक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान मांगों पर विचार हो

रहा है। शिक्षा हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है, समाज की रीढ़ है। जब समाज की रीढ़ और लोकतंत्र की रीढ़ कमजोर हो जाएगी तो निश्चित रूप वह समाज या लोकतंत्र चल नहीं सकता है। पिछले 45 वर्षों में हमारी सरकार ने या हमने निश्चित रूप से शिक्षा की ओर उतना ध्यान नहीं दिया है, जितना हमें देना चाहिए था। यदि हमने ध्यान दिया होता तो आज 45 वर्षों की आजादी के बाद भारत में केवल 52.11 परसेंट लोग ही शिक्षित न होते, जो आंकड़ा 1991 के सर्वे में बताया गया है। हमारे देश में बराबर शिक्षा की उपेक्षा की जाती रही है।

शिक्षा वह प्रकाश है जो मनुष्य को चेतना देता है, मनुष्य के चारित्रिक और नैतिक ज्ञान को मजबूत करता है, उसके उत्तरदायित्वों का ज्ञान कराता है। यही वजह है कि आज हमारे देश के लोग चारित्रिक बल और नैतिक बल के मामले में कमजोर हो गए हैं क्योंकि हमने शिक्षा की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया।

जब हम अपने अतीत की ओर दृष्टिपात करते हैं, हमारे देश में अनेकों विद्वान ऐसे हुए हैं जिनकी विद्वता का लोहा पूरा विश्व मानता था। आप सभी स्वामी विवेकानन्द के नाम से परिचित हैं लेकिन हमारे बीच आज कोई वैसा विद्वान नहीं है। आज स्थिति यह है कि हमारे विद्वान यदि कहीं जाते हैं तो उनका अनादर किया जाता है, उन्हें सम्मान नहीं मिलता है। उसका कारण है कि हम शिक्षा के मूल सिद्धांतों से हट गए हैं।

एक जमाना था जब हमारे देश में द्रोण जैसे आचार्य हुआ करते थे, अर्जुन जैसे छात्र हुआ करते थे लेकिन न आज वैसे आचार्य आपको दिखाई देंगे और न वैसे छात्र ही आपको मिलेंगे। उन दिनों हमारी शिक्षा व्यावसायिक नहीं होती थी। आज हमारे देश में शिक्षा की दोहरी नीति चलती है—एक तरफ हमने कुछ निजी स्कूलों को केवल मात्र धनवान वर्ग के लिए छोड़ दिया है जो अपने बच्चों की पढ़ाई पर काफी पैसा खर्च करते हैं और दूसरी तरफ हम गरीबों के बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाते हैं जिनकी शिक्षा निश्चित रूप से सैकेण्डरी स्कूल लेवल तक जाते-जाते समाप्त हो जाती है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप धनवान वर्ग के लोगों पर किसी तरह का कुठाराघात करें लेकिन जो मानवीय दृष्टि से उचित है, क्योंकि शिक्षा का सवाल ऐसा है, जिसे मानवीय दृष्टि से देखा जाना चाहिए। उस दृष्टि से मैं चाहूंगा कि गरीब लोगों के बच्चों की पढ़ाई की आप कोई व्यवस्था जरूर करें और कम-से-कम इंटरमीडिएट स्तर तक की शिक्षा बच्चों को मुफ्त देने की व्यवस्था देश में करें। आज देश में जो स्थिति है, उसमें आवश्यक है कि इंटरमीडिएट स्तर तक की शिक्षा सरकार की ओर से मुफ्त दी जाए।

महोदय, मैं यहां बिहार प्रान्त से आता हूं और बिहार का परसेंटेज शिक्षा के मामले में बहुत नीचे है, यानी केवल नाम मात्र 38.52 परसेंट लोग ही हमारे प्रान्त में शिक्षित हैं। बिहार का स्थान भारत के मानचित्र में सबसे नीचे है, बिहार शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़ा है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि आप एक सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में खुलवाएं क्योंकि बिहार की बराबर उपेक्षा की गई है।

इसलिए मैं चाहूंगा कि जहां आप दोहरी शिक्षा नीति को देश में समाप्त करें, माननीय स्वर्गीय जगजीवन राम ने भी कहा था कि जब तक शिक्षा में दोहरी नीति को हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में एक लकीर को हम खड़ा करते जाएंगे। इससे मानव-मानव में समानता नहीं आएगी। सभी शिक्षण संस्थान एक समान हों, ऐसी व्यवस्था हम करें, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में, इस बजट में जो आपने मुफ्त शिक्षा पर कुछ कटौती ज्यादा की है, इस बजट में आपने जो प्रावधान किया है, धन दिया है, वह बिल्कुल अपर्याप्त है और जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि केवल 4-5 परसेंट प्रावधान ही किया गया है, इतने महत्वपूर्ण विभाग को देखते हुए, वह बहुत कम है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप इस पर फिर से विचार करें और शिक्षा पर जो आप व्यय करते हैं, उसे बढ़ाएं तथा बिहार के लिए अधिक-से-अधिक व्यवस्था करें, धन दें।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए इस सभा को चर्चा करने का अवसर दिया गया है। यह संयोग ही है कि इस विभाग का कार्यभार मेरे पास है परन्तु वास्तविकता यह है कि आपने ही इस सभा मे इस पर चर्चा करने की सहमति बनाई है ताकि देश जान सके कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विभाग से संबंधित मुद्दों के बारे में सभा के क्या विचार हैं।

मैं आपका इसलिए भी आभारी हूं कि शुरुआत में ही यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि इस चर्चा में खेलकूद, महिला और बाल विकास विषयों पर विशेष जोर दिया जाएगा और राष्ट्रीय गतिविधि के इन दो क्षेत्रों के प्रति आपकी गहन चिन्ता स्पष्ट है और जिन पर कि निश्चित रूप से माननीय सदस्यों को और देश में भी सर्वोच्च वरीयता दी जानी चाहिए।

कई माननीय सदस्यों ने मेरे प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है और उन्होंने यह भी बताया है कि वे मानव संसाधनों को देखना नहीं चाहेंगे बल्कि मंत्रालय के उन वित्तीय संसाधनों को देखना चाहेंगे जिन्हें इस समय उपलब्ध प्रतिशत से अधिक बढ़ाया जाना है। संभवत: कोई भी नहीं, सिवाय एक अत्यन्त विद्वान प्राध्यापक के, जो इस सभा की एक अत्यन्त जानी-मानी सदस्या है और वह हैं श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य, जो इस मामले को अत्यन्त स्पष्ट रूप में रख सकती थी, जैसा कि उन्होंने मेरी सहयोगी कुमारी ममता बनर्जी, जो यहां उपस्थित नहीं हैं, के बारे में टिप्पणी करके दिखाया है परन्तु मेरे विचार से उन्होंने वह टिप्पणी मेरे लिए भी की थी और इसीलिए मैं उनकी टिप्पणी को उद्धृत करना चाहूंगा। जो कुछ भी उस दिन कुमारी ममता बनर्जी ने कहा था, उससे उनकी यह धारणा बनी कि उन्होंने एक पुराने अमरीकन गीत से उद्धरण लिया था—मैं नहीं जानता कि एक अमरीकी गीत ने उन्हें कहां आकर्षित किया लेकिन जो शब्द उन्होंने हमें यहां सुनाए थे वे बहुत अर्थपूर्ण थे। उन्होंने कहा "आई वुड, इफ आई वुड बट आई एम नॉट" (मैं करूंगी, यदि मैं कर सकी लेकिन मैं नहीं कर सकती)।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : वह अमरीकी सरकार की नीति के संदर्भ में कहा गया है न कि अमरीकी लोगों अथवा उनके गीतों के संदर्भ में।

श्री अर्जुन सिंह : ठीक है, चाहे वह अमरीकी गीत के संदर्भ में है अथवा अमरीकी लोगों के संदर्भ में है, कम-से-कम वह आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन चूंकि इसने आपका ध्यान आकर्षित किया है और आपने वह सभा में कहा है, मैं समझता हूं कि आप स्वयं यह कहना चाहती थीं कि मैं करूंगी, यदि मैं कर सकी, लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे सम्मानित साथी श्री मनमोहन सिंह ने धनराशि का आबंटन नहीं किया है। लेकिन, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मैं नहीं कर सकता पर समाप्त नहीं कर दूंगा, मैं इसे आपकी अनुमति से समाप्त करूंगा तथा सभा में सभी पक्षों से मिल रहे समर्थन के कारण मैं कोशिश करूंगा और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि यह खोखला वचन नहीं है। जिस समय आबंटन को अन्तिम रूप दिया जा रहा था मुझे यह लग रहा था कि तैयार होने वाला प्रारूप ऐसा था कि किसी कारण से अथवा अन्यथा, इस विभाग के क्रियाकलापों के लिए आबंटित की जा रही राशि में कुछ कमी की गई थी। मैंने प्रधान मंत्री, योजना आयोग तथा वित्त मंत्री के साथ दोनों मौखिक तथा लिखित रूप में निरन्तर बातचीत कर रहा हूं और मैं इस सभा को आश्वासन देने की स्थिति में हूं कि जैसे ही संसाधनों में कोई वृद्धि की जाएगी—जो कि उम्मीद है कि की जाएगी—इस विभाग को सबसे पहले उस वृद्धि का लाभ मिलेगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मैं समझता हूं कि यहां कटौती प्रस्तावों मे अधिक वृद्धि के प्रस्ताव होंगे।

श्री अर्जुन सिंह : जहां तक कि कटौती प्रस्तावों का संबंध है, मुझे विधान सभा में इसका काफी अनुभव है। जब मैं विपक्ष में था तब मैं भी कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किया करता था। मुझे बहुत निराशा होती थी जब मंत्री महोदय जवाब देते समय कटौती के चार प्रस्ताव उठाकर उन पर काफी लम्बे जवाब देते तथा अन्य कटौती प्रस्तावों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। निसन्देह, इस सभा में सभी सदस्य बोल नहीं सकते हैं। इसलिए कुछ लोग, जिन्हें बोलने का अवसर मिलता है वे सहज ही अपने कटौती प्रस्तावों पर बोलते हैं। वे अन्य लोगों के कटौती प्रस्तावों पर नहीं बोले। मैंने इस चतुराई के बारे में इसलिए उल्लेख नहीं किया है क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, बल्कि मुझे यह विश्वास है कि पूर्ण लोकतंत्रात्मक प्रणाली ज्ञान तथा जानकारी को आपस में बांटने के नियम पर आधारित होती है। यदि हमें सभा का सदस्य होने के नाते जानकारी दी जाती है तो सभा के अन्दर हमारा कार्य तथा जनता के प्रतिनिधि के रूप में हमारा कार्य अपने आप ही बेहतर होगा। इसीलिए मैं उसी प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहूंगा जिसको मैंने वहां आरम्भ किया था। मैं सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि जिन सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं तथा जिनको अगले पखवाड़े तक उन्हें सभा में उठाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को उनके कटौती प्रस्तावों में उल्लिखित मदों पर जहां तक सम्भव होगा, एक लिखित जवाब भेजूंगा ताकि उनको इस बारे में जानकारी मिल सके।

इसलिए, मैं चाहता हूं कि आप भी मेरा साथ दें। मैं यहां सभा में इस स्थिति में नहीं हूं कि उन मुद्दों पर पर्याप्त रूप से तथा उनकी संतुष्टि के अनुरूप बातचीत करूं जिन पर कि उन्होंने

यहां अपने विचार अभिव्यक्त किए जो कि प्रत्यक्ष रूप से एक घटना अथवा एक विशिष्ट चीज से जुड़े हुए हैं। निश्चय ही, मैं नीति के व्यापक मुद्दों तथा चिन्ता के विशिष्ट विषयों पर ही बातचीत करूंगा। मैं विशेष मुद्दों पर ही बातचीत करूंगा। मैंने उन सबको ध्यान में रखा हुआ है। मैं आपको इस बारे में लिखित रूप में भी दूंगा तथा यदि आप समझते हैं कि किसी सूचना की कमी है, तो मैं आपके द्वारा यह बताए जाने पर उसको प्रस्तुत करूंगा तथा इस संबंध में आपको पूर्णतः संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा।

महोदय, चूंकि आपने खेल तथा महिला तथा बाल विकास को विशेष जोर देने के लिए चुना है, इसलिए मैं खेलों के बारे कुछ कहना चाहूंगा। आपको याद होगा कि पिछले सत्र में भी मैंने ऐसा ही अनुरोध किया था और फिर भी, आपके द्वारा पूरी कोशिशों के बावजूद भी ऐसा नहीं हो सका।

अध्यक्ष महोदय : इस वर्ष भी, क्योंकि आप इस विषय को देख रहे हैं, इसलिए यह मामला उठाया गया है।

श्री अर्जुन सिंह : नहीं महोदय, यह आपके कारण है।

मैं निश्चय ही इस बारे में बहुत उत्सुक था क्योंकि मैं भी इस देश के नागरिकों में से एक हूं जो कि बहुत निराशा तथा दुःख महसूस करते हैं जबकि राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई घटना होती है, तथा हम टेलीवीजन सैट से चिपक कर बैठ जाते हैं और अन्त में परिणाम ऐसे होते हैं कि जो शायद हमें हतोत्साहित कर देते हैं। लेकिन यह सत्य भी है कि हम टी० वी० सैट के करीब तभी जाते हैं जब कोई विशेष कार्यक्रम होता है। यह एक सत्य है कि खेल भी एक क्रिया है जो कि आवधिक अथवा तदर्थ नहीं हो सकती है। भारत जैसे बड़े देश में, यह एक ऐसी क्रिया जिसे ठीक निचले स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक कायम रखना है। किसी कारण से अथवा अन्यथा ऐसा नहीं हुआ अथवा ऐसा बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से हुआ है जिसके कारण मैं समझता हूं कि खेल के क्षेत्र में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है।

जो क्रियाकलाप इसके अन्तर्गत आते हैं वह बहुत व्यापक हैं। मेरी साधारण राय में जिसके लिए यह कहना गलत है कि एक विभाग, एक प्राधिकरण, एक सरकार उससे प्रभावी ढंग से निपट सकती है। इसमें राज्य सरकारें, विभिन्न अन्य एजेंसियां शामिल हैं और जो कुछ महत्वपूर्ण है और जो प्राथमिकताएं हैं, उन पर समग्र रूप से विचार करना आवश्यक है। एक बार आपका यह विचार बन जाता है तो आपको नीति तैयार करनी होती है और यही कारण है कि मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आप सभा को अपना परामर्श देने की अनुमति दें।

अनेक माननीय सदस्यों ने इस बारे में बहुत स्पष्टवादी वक्तव्य दिए हैं। यहां कुछ सदस्य स्वयं भी खेल जगत की बड़ी-बड़ी हस्तियां हैं। मैं आपको केवल यह आश्वासन दूंगा कि जो कुछ भी यहां कहा गया है वह मामले का अन्त नहीं है। जो कुछ भी विचार आपके द्वारा व्यक्त किए गए हैं उन पर हमारे द्वारा न केवल ध्यान दिया जाएगा बल्कि जैसे ही यह सत्र समाप्त होगा, हम इस विषय पर बातचीत आरम्भ करेंगे—अथवा शायद इससे पहले राज्य सरकारों, अन्य खेल प्राधिकरणों, अन्य संघों तथा जो भी इसमें शामिल हैं उनसे बातचीत शुरू करेंगे। बातचीत का आधार वही होगा जो कि आपने सभा में कहा है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य यह देखना होगा

कि इसे खेलकूद सम्बन्धी नीति में कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है और इसके फलस्वरूप विश्व में इस देश का प्रदर्शन कैसा होगा। मैं आशा करता हूं कि मानसून सत्र में मिलने से पहले मैं सभा में एक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकूंगा। मुझे उम्मीद है की कि इस विषय में आपकी चिन्ता तथा आपकी राय भी व्यक्त करेगा।

जहां तक कि महिला तथा बाल विकास के प्रश्न का संबंध है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रत्येक घर तथा प्रत्येक परिवार प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। हम उस राय को व्यक्त करने की कोशिश नहीं कर सकते जो कि इस देश की अनेक शताब्दियों से विकसित महिला तथा शिशु की परिवार में, समाज में तथा देश में केन्द्रीय स्थिति की प्रकृति से मेल न खाती हो। जैसा कि श्रीमती मालिनीजी ने कहा है, मुझे इस बात का भी ज्ञान है कि यहां ऐसे क्षेत्र भी हैं, जिनमें पूर्णतः कुप्रथाएं लागू हैं, ऐसे क्षेत्र जहां बहुत दुखद सत्य हमारे सामने आते हैं, जहां समाज महिला तथा बच्चों से न केवल अनुचित व्यवहार ही करता है बल्कि उन्हें मनुष्य की दृष्टि से भी नहीं देखता है। अब, हम चुप रहकर यह सब नहीं होने दे सकते और इसलिए वर्षों से, पिछले 45 वर्षों में इस देश की महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण तथा अधिकार देने की कोशिश की गई है। ताकि वे न केवल राष्ट्र-निर्माण के क्रियाकलापों में ही अपनी भूमिका अदा कर सकें बल्कि एक व्यक्ति विशेष के रूप में भी सम्मान अर्जित कर सकें तथा इस देश का नागरिक होने के नाते उन्हें सभी अधिकार मिल सकें। जो नहीं हो सका है, इस बारे में हम जानते हैं, लेकिन कोशिश जारी है और इस प्रयत्न में सरकार का हाथ नहीं है। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रयत्न के लिए प्रेरणा जनता से मिलती है तथा मुझे विश्वास है कि यह प्रेरणा ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगी जहां इस प्रकार की शिकायतों से न केवल प्रभावपूर्ण तथा निवारक तरीके से निपटा जाएगा बल्कि अन्ततोगत्वा उन्हें होने ही नहीं दिया जाएगा। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए तथा यही हमारी कोशिश होनी चाहिए।

समय-समय पर जो सुझाव दिए गए थे उनमें से कुछ को कार्यान्वित कर दिया गया है। उदाहरण के लिए इस बात की आवश्यकता को महसूस किया गया था कि महिलाओं के अधिकारों के लिए एक आयोग होना चाहिए। इसमें कुछ विवाद था क्योंकि एक राय यह भी थी कि महिलाओं के अधिकारों के लिए एक आयुक्त होना चाहिए। पिछले सत्र में इससे सम्बन्धित अनेक प्रश्न पूछे गए थे, माननीय सदस्यों ने यह महसूस किया था कि दोनों चीजों को कार्यान्वित किए जाने की स्थिति में विरोध होगा। तब मैंने माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दिया था कि इस अधिनियम को लागू किया जाएगा और आयोग की नियुक्ति की जाएगी और इसकी नियुक्ति की गई है। आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में जो शंकाएं बनी हुई हैं, उनके बारे में हमने निर्णय किया है कि जो आयोग नियुक्त किया है, वह स्वयं इस बात पर विचार करेगा कि क्या किया जाना है और हम आयोग की राय तथा परामर्श के अनुसार कार्य करेंगे।

महोदय, दीदी यहां नहीं हैं। उन्होंने इस मामले में बहुत भावपूर्ण तरीके से हस्तक्षेप किया था तथा कहा था कि यह आयोग शायद उस तरह से कार्य नहीं कर सकेगा जैसी कि कल्पना की गई थी। यदि वह सभा में होती तो मैं उन्हें बताता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इस अधिनियम को पास करते समय जो कुछ भी कहा गया था, वह किया जाएगा। स्वयं सरकार ने इस

आयोग को प्रभावी आयोग बनाने की जो जिम्मेवारी ली है, उससे बचने का प्रश्न ही नहीं उठता।

महोदय, एक और शंका भी व्यक्त की गई कि हम उन बच्चों के बारे में क्या करने का प्रयास कर रहे हैं जिनका शोषण किया जा रहा है और जिनके हित के लिए कोई स्पष्ट नीति अथवा कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया। बाल मजदूर, निराश्रय, नशा करने वाले आदि भारत के फूल जैसे ऐसे ही दुर्भाग्यपूर्ण बच्चे हैं जोकि यद्यपि मेरे विभाग का इन बातों से सीधा संबंध नहीं है, सम्मानीय सभा को मैं यह सूचित कर सकता हूं कि इस बारे में सरकार को केवल गहरी चिन्ता ही नहीं है, अपितु कल्याण मंत्रालय और श्रम मंत्रालय द्वारा विशिष्ट परियोजनाएं भी आरम्भ की गई हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, क्या मैं एक स्पष्टीकरण की मांग कर सकता हूं ? जब हमें इस बात का पता चला कि बाल मजदूरी के निवारण संबंधी संयुक्त राष्ट्र अनुबंध पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किये तो हमारा सिर शर्म के मारे झुक गया। क्या आप इस बारे में आश्वासन दे सकते हैं कि आप ऐसा करने हेतु कारवाही करेंगे और वास्तव में इस बात का पता लगाकर इसे वास्तविक रूप दिलाने की दिशा में आवश्यक कदम उठायेंगे ?

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से इस मामले का कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं श्रम मंत्री को इस तथ्य से अवगत करा दूंगा और मुझे विश्वास है कि वे इस पर प्रतिक्रिया करेंगे तथा इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

दूसरी बात जो मैं यहां बताना चाहता हूं, वह संस्कृति के बारे में है। मैं शिक्षा में संस्कृति को अधिक वरीयता दे रहा हूं। मैं समझता हूं कि सभा इस बारे में मुझसे सहमत होगी कि किसी भी समुदाय अथवा राष्ट्र की सांस्कृतिक रूपरेखा ही अन्ततः इसके समूचे ढांचे को अवधारित करती है। यह हमारा सौभाग्य है कि विगत कई शताब्दियों से देश में हो रही अत्यधिक उलट-फेर के बाद भी, इस देश की संस्कृति को सुरक्षित रखा गया है। इसे कायम रखा गया है और यहां तक कि इस देश के लोगों में इसका विकास किया है। भले ही कुछ सरकारें भारतीय संस्कृति की मौलिक अवधारणा के विपरीत ही क्यों न रही हों, इस देश के लोगों ने भारत की संस्कृति को पोषित किया, उसकी सुरक्षा की और उसको बढ़ाया है। इसलिए, मेरे विचार से देश की सांस्कृतिक रूपरेखा की प्रत्येक बात का अपेक्षाकृत काफी अधिक महत्व है और वास्तविक शिक्षा केवल तभी आ सकती है जबकि हमें अपने सांस्कृतिक ढांचे की सही समझ हो। सरकार कोई भी रही हो, इस पर मैं बारीकी में नहीं जाना चाहता, लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ है। लेकिन एक प्रयास अवश्य हुआ है कि हमें अपने देश की सांस्कृतिक छवि के बारे में एक केन्द्रीय विचारधारा अपनानी चाहिए। कम-से-कम एक सर्वसम्मत धारणा तो हमें अवश्य ही बना लेनी चाहिए कि देश की इस सांस्कृतिक छवि को किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है और किस तरह से उसका विकास किया जा सकता है। सम्पन्न भारतीय संस्कृति में से फूटने वाली विचार-धाराएं इतनी विविध है, इतनी विभिन्न और अपने-अपने महत्व में इतनी दूरगामी हैं कि मेरे

विचार से भारत में और विदेशों में किसी भी व्यक्ति के लिए यह कहना संभव नहीं है कि भारतीय संस्कृति की सही परिभाषा क्या है। यही हमारे बहुसंख्यक समाज की विचारधारा है। हमारी आस्थाओं का और यहां तक कि हमारे अतीत के विश्वासों का प्रतीक है। हमारे जीवन में ये बातें किस तरह से परिलक्षित होती हैं, किस तरह से इसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और किस तरह से हम यह देखना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर का मानवीय तत्व इस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के भीतर मुरझा जाता है अथवा खिल उठता है जिसमें वह रहता है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि भारत की सांस्कृतिक छवि ऐसी होनी चाहिए जोकि साम्प्रदायिकता, संकीर्णता और तंग विचार-धारा से परे हो और जोकि अनिवार्यतः मानवीय हो, धर्मनिरपेक्ष हो, दूरदर्शी हो और उदार हो ताकि उसमें केवल इस देश की हजारों वर्षों की अच्छी बातों का ही समावेश न हो अपितु उसमें इस तरह की क्षमता होनी चाहिए कि हमारी संस्कृति की द्योतक सभी बातों को परिलक्षित कर सके। अलगाववाद और विभाजन जैसी बातों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। यदि ऐसा कोई प्रयास किया जाता है अथवा प्रतिगामी सामाजिक अथवा राजनैतिक मनोवृतियों को परिलक्षित किया जाता है तो मेरे विचार से अपनी मातृभूमि पर गर्व करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी प्रतिगामी प्रवृत्तियों के विरुद्ध आवाज उठानी होगी और यदि आवश्यक हुआ तो अपनी पूरी शक्ति और मनोबल के साथ उनके विरुद्ध लड़ना होगा।

कुछ बातों को विशेष तौर पर उठाया गया है। इसलिए उनके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। यह कहा गया है कि इस देश की लोक संस्कृति और जनजातीय संस्कृति को संरक्षण नहीं मिल रहा है और इसका अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है और इस संबंध में जो धनराशि आबंटित की गई है इससे शायद सरकार की मनोवृत्ति परिलक्षित होती है। मैं हर बार एक ही बात को दोहराना नहीं चाहता। मैं सभा को केवल यह सूचित करना चाहूंगा कि लोक संस्कृति और जनजातीय संस्कृति का विकास करना ही उन्हें अस्तित्व प्रदान करना नहीं है। केवल इसका ही विकास नहीं किया जा सकता। इस तरह से हम कोई अकेला कार्यक्रम नहीं अपना सकते और ऐसा करने से तो इनका अंत हो जाएगा। कृपया किसी एक मद अथवा दूसरे मद के अंतर्गत बजट संबंधी आबंटन से ही सरकार के प्रयास और ईमानदारी को न आंकिए। वास्तविकता यह है कि सांस्कृतिक क्षेत्र के किसी भी कार्यकलाप में यदि इस देश की जनजातीय तथा लोक संस्कृति को हृदयंगम नहीं किया जाता तो उस कार्यकलाप का कोई अर्थ ही नहीं है।

आपने 'इंदिरा गांधी सेन्टर आफ आर्ट्स' का उल्लेख किया है। मैं जानता हूं कि कभी-कभार इस केन्द्र का विचार बहुत से लोगों को अनावश्यक कारणों की वजह से पसंद नहीं आता। मैं इस केन्द्र के कार्यकलापों की एक संक्षिप्त रूपरेखा आपको देना चाहूंगा और यह बताना चाहूंगा कि जो कुछ आप स्वयं जिस ढंग से चाहते थे, उन सभी बातों का किस तरह से प्रत्यक्ष समावेश इसमें किया गया है। यद्यपि इस सेन्टर का नाम श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है, जोकि सही भी है तथापि यह केन्द्र केवल श्रीमती इंदिरा गांधी की विचारधारा और उनके जीवन के कार्यों से ही सम्बद्ध नहीं है। स्पष्टतः श्रीमती इंदिरा गांधी ही उस समय देश की प्रधान मंत्री थीं। लेकिन प्रधान मंत्री होने के अलावा, उनमें एक सच्चे भारतीय के सच्चे मानवीय गुणों की क्षमता कूट-कूट कर भरी थी। महोदय, उनके नाम पर रखे गए इस संस्था का अधिकार-पत्र बहुत ही व्यापक है।

मैं केवल आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि इस अधिवेशन में केवल समकालीन संस्कृति का संरक्षण और विकास करना ही शामिल नहीं है, इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों, जो कि केन्द्र के कार्यकलापों को स्वयं देखने में वास्तव में इच्छुक हैं, से मेरा अनुरोध है कि हम इसके निदेशक श्रीमती कमला वात्स्यायन जोकि स्वयं भी एक महान संवेदनशील व्यक्तित्व की महिला हैं, से अनुरोध करेंगे कि वे आपको केन्द्र दिखाएंगी और वहां जाने पर आप यह देखेंगे कि यह संस्था देश के लिए, आप लोगों के लिए किस तरह की परम्पराओं का सर्जन कर रही हैं। वहां आपको संगीत, कला, दृश्य-कला और विभिन्न कलात्मक वस्तुएं उच्च कोटि की देखने को मिलेंगी जोकि हमारी भावी पीढ़ी एक सौ वर्ष बीतने तक खो बैठती और फिर हममें से शायद ही कोई जानता कि भारत के पास किसी समय इतनी मूल्यवान उत्कृष्ट कलाएं थीं। वहां एक ग्रन्थालय का भी निर्माण किया जा रहा है। विश्व के किसी भी देश में घटित होने वाले हर प्रकार के कार्यक्रमों के चित्र इस संस्था में रखे जा रहे हैं। देश की लोक तथा जनजातीय कला संबंधी वृत्त-चित्र भी इसमें रखे हैं। भावी पीढ़ी आएगी और चली भी जाएगी किन्तु शायद इतिहास की ताकत, समय की ताकत हमारे स्मृति-पटल से इन बातों को दूर नहीं कर सकेगी कि कुछ समय पहले क्या-क्या होता रहा है।

7-00 म० प०

इस देश में क्या-क्या होता रहा है। प्रत्येक देश में क्या-क्या होता रहा है। यह केन्द्र लोक तथा जनजातीय कला पर तैयार कर रहे वृत्तचित्र के द्वारा इस देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रख रहा है।

अतः, मेरा यह अनुरोध है कि जब भी आप सफलता का आकलन करें तो घटनाक्रम के पूरे दृश्य को सामने रखें और यदि फिर भी किसी वस्तु की कमी है, तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि हमारा यह कहने का बिल्कुल इरादा नहीं है कि हमने ही सब कुछ किया है और कुछ भी किया जाना शेष नहीं है। और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आपके विचार और आपके सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। मैं इस समस्या को हल करूंगा। लेकिन पहले आप एक बार केन्द्र देख आयें।

अब मैं शिक्षा के बारे में बोलूंगा, जो कि स्पष्टतः एक ऐसा विषय है जिस पर प्रत्येक माता-पिता का अपना ही दृष्टिकोण है। इसलिए जब कोई यह कहता है कि शिक्षा पर बहुत से दृष्टिकोण हैं, तो बहुत से लोग बहुत-सी बातें और सुझाव देने लगते हैं।

[हिन्दी]

सर, मनमोहन सिंह जी ने कहा, आमूल परिवर्तन करने की बात कही जाती है। यह कौन कहता है—आमूल परिवर्तन ? फेरेंड्स कहते हैं, आम लोग कहते हैं, तो इस आवाज को हमें एक ऐसी आवाज नहीं समझना चाहिए, सब उसे नजरअंदाज इस लिए कह रहे हैं क्योंकि मेरा बच्चा इफ्लास्ड है, मेरा पोता या पोती इफ्लास्ड है, इसलिए मैं भी शिक्षा के बारे में अपनी नजर बनाता हूं। कोई बड़ा है, छोटा है, उसका इससे कोई मतलब नहीं है और जब वह दृष्टिकोण हम अपना बनाते हैं और उसको व्यक्त करते हैं तो स्वाभाविक है कि बहुत-सी चीजें सामने आती हैं और कभी-कभी यह मुश्किल हो जाती है कि हम किस चीज को स्वीकार करें और किस चीज

को स्वीकार न करें। इसलिए आवश्यकता होती है कि समय-समय पर एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण बनाने की कोशिश की जाए, उसमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण का समावेश हो, व्यक्तिगत आधार को नजर-अन्दाज न किया जाए, लेकिन एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी बनना चाहिए और यह हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आजादी के बाद से इस महत्वपूर्ण विषय पर ऐसे-ऐसे बड़े विद्वानों ने विचार करके अपनी राय दी है जो इस देश के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वरदान सिद्ध होगा।

डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डा० कोठारी, अनेकों ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने समूचे देश के शैक्षिक जगत के बारे में न केवल अपने अनुभवों से, बल्कि सारे राष्ट्र के दृष्टिकोण से अपनी बातें सोची हैं, उनको कहा है, वह आज हमारे पास विद्यमान हैं, यह हमारा सौभाग्य है और हम उनसे सीख सकते हैं, उनसे ले सकते हैं और उनके ऊपर नयी इमारत बना सकते हैं। यही 1986 के नेशनल पालिसी ऑफ एजूकेशन ने किया है, जब स्वर्गीय श्री राजीव जी ने इस नेशनल पालिसी ऑफ एजूकेशन को बनाने के लिए सारे राष्ट्र में एक चर्चा का आह्वान किया, एक डिबेट हुआ; उस वक्त भी यह आलोचना की गई थी कि कई दफा शिक्षा नीति बन चुकी, बिगड़ चुकी, सुधर चुकी, अब राजीव जी कौन-सी नई बात कहने वाले हैं। मैं केवल आपको स्मरण दिला रहा हूं यह बात हुई थी लेकिन राजीव जी ने उस वक्त यही कहा था कि शिक्षा की नीति कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकती है, एक बदलते हुए समाज के लिए इसकी सार्थकता, उपयोगिता और इसका स्वरूप तीनों बदलते रहेंगे, आवश्यकता इस बात की है कि हम तीनों का आकलन करके एक मापदंड बना सकें और वह मापदंड राष्ट्र का मापदंड हो।

[हिन्दी]

सर पालिसी ऑफ एजूकेशन, केवल दो-तीन पैराग्राफ मैं इसलिए कोट करना चाहता हू ताकि वह सही परिवेश में, बैकग्राउंड में, कांटेक्स्ट में, हम आगे की बात कह सकें, मैं उसे कोट कर रहा हूं :

[अनुवाद]

मैं "शिक्षा नीति : पृष्ठभूमि सन्दर्भ" 6 से उद्धृत करता हूं :

"हरेक देश अपनी अनूठी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान को व्यक्त करने और उसे बढ़ावा देने तथा समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी शिक्षा पद्धति विकसित करता है। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्रता के बाद के भारत में शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय विकास 'सामान्य नागरिकता और संस्कृति के भाव को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय अखण्डता को सशक्त बनाना था।

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के ढांचे पर आधारित होगी जिसमें अन्य लचीले घटकों सहित एक सामान्य सार शामिल है। सामान्य सार में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक अनिवार्यताएं और राष्ट्रीय पहचान को प्रोत्साहन देने के लिए अन्य आवश्यक विषय शामिल होंगे। ये तत्व विषय संबंधी परिधि की सीमाएं तोड़ेंगे और भारत की सामान्य सांस्कृतिक विरासत, समतावाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षवाद, लिंग भेद समाप्त करने, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक बाधाओं को दूर करने, छोटे परिवार के

मानदण्ड का पालन करने और वैज्ञानिक मनःस्थिति को समझने जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए जाएंगे, सभी शैक्षिक कार्यक्रम लोकतान्त्रिक मूल्यों का कड़ाई से पालन करते हुए चलाए जाएंगे···"

इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतिपादित की गई है। इस बारे में मैं एक बात कहूंगा। मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि तब से जो काम होने चाहिए थे वे सब ईमानदारी से किए गए हैं। केवल डींग मारने वाला ही ये सब कहेगा। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं ? लेकिन इतना मैं अवश्य कह सकता हू कि कांग्रेस सरकार द्वारा उस समय से उठाया गया हरेक कदम राष्ट्रीय नीति के प्रतिपादन के परिप्रेक्ष्य में ही है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है, मैं इसे राजनैतिक मामला नहीं बना रहा हूं, दो अन्तरावर्ती वर्षों में क्योंकि यह कदम श्री राजीव गांधी द्वारा उठाया गया था, इसलिए उसकी हरेक बात का नकारा गया या उसे अनुचित समझा गया, परन्तु मैं सदन को सूचित करता हूं कि राममूर्ति समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और यह रिपोर्ट हमारे पास है और कहीं-कहीं पर मामूली परिवर्तनों के अलावा प्रोफेसर रामामूर्ति ने इस नीति को संचालित करने वाले मूल निर्देशों का न केवल अनुमोदित और रेखांकित ही किया है, बल्कि यह भी कहा है कि इस देश में इस नीति को अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने इसमें कुछेक परिवर्तन भी किए हैं जिसके लिए वह बिलकुल अधिकृत थे। मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि मैं यह नहीं चाहता हूं कि इस देश की शिक्षा नीति किसी विवाद या राजनीति का विषय बने,। इसलिए राममूर्ति सिफारिशें चाहे कुछ भी हों, सी० ए० बी० की एक समिति यह देखने के लिए नियुक्त की गई थी कि उन्हें व्यापक नीति ढांचे में कैसे सम्मिलित किया जा सकता है। उस समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं। मैंने एक कार्ययोजना तैयार कर ली है। मेरा प्रयास होगा कि 12 या 15 तारीख तक इस सदन के इस सत्र में अवकाश के लिए उठने से पहले इस मामले पर सी० ए० बी० में चर्चा करने के बाद मैं इस सम्मानीय सदन मे एक दस्तावेज प्रस्तुत करूं, जो इस नीति की रूपरेखा होगी। यह देश हमारी राष्ट्रीय पहचान को बनाए रखने तथा हमें प्रगति और आधुनिकता के साधन उपलब्ध कराने के लिए व्यापक परिप्रेक्ष्य और व्यापक ध्येय मे इसका अनुसरण करता रहेगा, जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है।

नवोदय विद्यालयों के बारे में कुछ मुद्दे उठाए गए थे। नवोदय विद्यालय इस नीति में उल्लिखित मदों मे से एक मद थी और यह उन मुद्दों में से एक था जिन पर बहुत अधिक मतभेद था और जो अभी भी कायम हैं, तथापि वे धारणाएं अब वास्तविकता के साथ धीरे-धीरे पकड़ में आ रही हैं और नई धारणाएं उभर कर आ रही हैं। मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं, किसी राज्य का उल्लेख नही कर रहा हूं। लेकिन यह प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और मुझे आशा है कि निकट भविष्य में नवोदय विद्यालयों की योजना राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत योजना हो जाएगी। हमने निर्णय लिया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में देश के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय होगा और इसके लिए हम सुविधाएं देंगे, धन देंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि श्री राजीव गांधी की इस सकल्पना को न केवल पूरा किया जाए, कार्यान्वित किया जाए बल्कि यह समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए अत्यधिक उपयोगी साधन बन जाए और समाज के कमजोर वर्ग कौशल प्राप्त कर सकें, जिसे वे अन्य कारणों से प्राप्त नहीं कर सके हैं।

विद्यालयों के कार्य न करने या उनके गलत कार्यकरण के बारे में कुछ मुद्दे उठाए गए हैं।

हम उनको सुधारने की कोशिश करेंगे और जो कुछ यहां पर कहा गया है, हम उस पर ध्यान देंगे। यदि कोई कमियां या बुराइयां हैं तो उन पर ध्यान दिया जाएगा।

उसके बाद प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न उठाया गया था। इस बारे में मैं सभा के लिए प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त न करने के लिए इस सदन के साथ खेद प्रकट करने और कुछ हद तक नैराश्य में शामिल होने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद एक निश्चित समय सीमा के भीतर इस लक्ष्य को प्राप्त करने पर बल दिया गया था। हालांकि हमने काफी प्रगति की है फिर भी अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस ढंग से सभी राजनीतिक दल, सभी सरकारें चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हों, अब उन्होंने हठ प्रतिज्ञा की है कि इस राष्ट्रीय ध्येय को प्राप्त करना होगा। अपने विचारों को उनकी प्रतिज्ञा और प्रत्यक्ष ज्ञान बोध पर आधारित करते हुए मैं समझता हूं कि इस शताब्दी के अंत तक इस देश में सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना संभव हो सकेगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे संसाधन बढ़ें। हमें इस दिशा में सभी प्रयास करने चाहिए। जब भारत जैसा देश कोई निर्णय लेता है तो मुझे विश्वास है कि इस निर्णय को कार्यान्वित किया जाएगा। महोदय, मैं इस तथ्य से भी उत्साहित हूं कि हम देख चुके हैं कि देश में साक्षरता के सम्पूर्ण प्रयास में किस नाटकीय ढंग से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने महत्वपूर्ण स्थिति ग्रहण कर ली है। इस संबंध में कुछ संदेह, कुछ अवरोध थे। लेकिन अब केरल, पांडिचेरी, महाराष्ट्र द्वारा पथ-प्रदर्शन करने से और पश्चिम बंगाल के इस दिशा में आगे बढ़ जाने से देश के मध्य भाग के कुछ राज्यों के अलावा ऐसे कोई राज्य नहीं हैं, जिनमें से एक राज्य से मैं भी संबंध रखता हूं और जिसके लिए मुझे अत्यन्त खेद है, जो उस तरह से इस कार्य को आरम्भ नहीं कर पाये हैं जैसी कि उन्हें इस दिशा में शुरुआत करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस दिशा में यह शुरुआत की जाएगी और यह शुरुआत सच्चे अर्थों में की जाएगी। मुख्य मंत्रियों और शिक्षा मंत्रियों से मेरी पारस्परिक बातचीत ने मुझे यह कहने के लिए उत्साहित किया है। मुझे विश्वास है कि शताब्दी के अन्त तक भारत यूनेस्को द्वारा निर्धारित समान साक्षरता के मानदण्ड को प्राप्त कर लेगा। मैं कोई साहसिक घोषणा नहीं कर रहा हूं और न ही मैं ऐसी बात कह रहा हूं जिसे मैं सपनों की बात समझता हूं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साक्षरता मिशन अब इस देश में जन आन्दोलन बन गया है। जब भारत के लोग उठेंगे, जागृत होंगे और आगे बढ़ेंगे तो इसमें संदेह नहीं कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएं।

माध्यमिक और व्यावसायिक शिक्षा के बारे में कुछ कहा गया है। इस सरकार द्वारा नई नीति पर की गई कतिपय पहलों के बारे में कुछ सदस्यों के मत कुछ भी हों, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जहां तक इस देश के युवाओं को कौशल प्रदान करने का प्रश्न है, वह एक बहुत अच्छी मांग है, क्योंकि देश ने आर्थिक पुनर्जागरण के लिए की गई पहलों का लाभ उठाना आरंभ कर दिया है। हम सभी को देश के लोगों और युवाओं को ये कौशल और साधन सुलभ कराने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे विचार से पूरे देश में शिक्षा का व्यावसायीकरण करने के लिए एक बहुत कल्पनाशील और साहसिक कार्यक्रम से यह कौशल आएगा। मैं इस तथ्य से भी उत्साहित हुआ हूं कि अनेक सरकारी उपक्रमों, निजी उपक्रमों ने इस देश में व्यावसायिक मार्गदर्शन के माध्यम से उन लोगों को, जिन्होंने कौशल प्राप्त किया है, न केवल उनके बोझ को कम करने के प्रति बल्कि उन्हें

कमाने के लिए उनसे किए गए अनुरोध के प्रति सकारात्मक रुख दिखाया है। हमारे संसाधन इस समय सीमित हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि औद्योगीकरण का तेजी से विकास होने के साथ ये मांगें इतनी व्यापक हो गई हैं कि हमें पर्याप्त संसाधन जुटाने होंगे। इस देश के विकास के लिए हम एकतरफा दृष्टिकोण नहीं अपना सकते हैं। जहां इस तरह की शुरुआत हो रही है, जहां उसकी आवश्यकता है और हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं हैं।

अतः यह हमारे शैक्षणिक कार्यक्रमों, देश को साधन सुलभ कराने संबंधी भावी कार्यक्रमों के के मामले में अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक क्षेत्र बनने जा रहा है।

चूंकि बहुत से माननीय सदस्यों ने खुद न बोलकर मुझे वो सब बलने का अवसर दिया है जो मैं बोलना चाहता था, अतः मैं अधिक नहीं बोलूंगा। मैं केवल एक-दो बातें कहना चाहता हूं जिनका कुछ माननीय सदस्यों ने सभा में विशेष उल्लेख किया है, यद्यपि उनमें से कुछ लोग इस समय मौजूद नहीं हैं। इंदौर से माननीय सदस्या श्रीमती महाजन ने एक स्थिति स्पष्ट की थी, जो मध्य प्रदेश में कुछ पुस्तकों के बारे में थी और जिन्हें बोझ कम करने के लिए पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है जैसा कि उन्होंने तथा वहां की सरकार ने कहा कि बच्चों के कंधों पर अतिरिक्त बोझ था। मैं खुद इसका समर्थन करता हूं। वास्तव में सरकार ने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया है जो यह सुनिश्चित करने के उपायों की सिफारिश करेगा कि ऐसा होता है। मैं यहां पर किसी से तर्क नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करूंगा कि वह "गांधी, बुद्ध, राजा राम मोहन राय, ईसा मसीह और मोहम्मद को हमारे बच्चों पर बोझ न समझे"। वे कभी बोझ नहीं हो सकते हैं।

यदि हम इतिहास के इन महान व्यक्तियों के बारे में जानें, तो हमारी ज्ञान में वृद्धि होगी और संभवतः इससे हमें इस देश का एक अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा भी मिलेगी। इन बातों के बारे में हमें चौथी कक्षा में जानकारी मिले या आठवीं कक्षा में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो हम विभिन्न धर्मों पर एक दस्तावेज या किताब इस सदन में वितरित करवा दें, जिससे हमें सूचना और जानकारी तो प्राप्त होगी ही, साथ ही हमें अपनी उस संकीर्ण विचारधारा से भी छुटकारा मिल जाएगा, जिसके कारण हम भारत की आत्मा को चोट पहुंचाते हैं और इसका तिरस्कार करते हैं। और अब, वे यह कह रहे हैं कि हम छात्रों का बोझ कम कर रहे हैं जिसे उन्होंने हमारे और एन० सी० ई० आर० टी० के कहने से बढ़ा दिया था। मैं यहां पूर्णतया स्पष्ट करना चाहूंगा कि एन० सी० आर० ई० टी० ने इस देश के किसी भी सरकार को कभी भी इस तरह की सुझाव नहीं दिया है।

यही माननीय सदस्य और दूसरे लोगों ने यह भी कहा था कि नेहरू युवा केन्द्रों में कुछ भी काम नहीं हो रहा है और इसकी न आगे और न पीछे कोई श्रृंखला है। कुछ शब्द तो हमारे कोश में ऐसे हैं जिनका अर्थ मैं समझ ही नहीं पाता। ऐसा ही एक शब्द है श्रृंखला। हम कैसी श्रृंखला का निर्माण करना चाहते हैं—आगे की, पीछे की या बगल की ? यह सब ठीक है। जहां तक मैं समझता हूं नेहरू युवा केन्द्र योजना की परिकल्पना सन 1970 में की गयी थी। उस समय भी यह महसूस किया गया था कि एक बहुत ही धूर्त और व्यापक कार्यक्रम के माध्यम से हम देश के युवाओं के मस्तिष्क में जहर भरा जा रहा है। यह योजना किसी भी पार्टी को ऊपर उठाने के लिए नहीं है,

बल्कि यह राष्ट्रीय चेतना को उभारने के लिए है, उस राष्ट्रीय चेतना को जिससे विचार बनते हैं, मनन होता है और फिर सृजन होता है जो हमारी वैचारिक प्रक्रिया को राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय अखंडता के वृहत धारा से भटकने नहीं देती। मैं समझता हूं कि इसका उद्देश्य बहुत ही महान था। इस योजना में कुछ असफलताएं भी मिलती हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इसे खिड़की से फेंक दिया जाना चाहिए। कम से कम हम तो ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे। यह तो हमारी घोषणा पत्र का भाग है कि हम देश में ज्यादा से ज्यादा नेहरू युवा केन्द्रों की स्थापना करेंगे जो देश के युवाओं के लिए जीवन के हरेक क्षेत्र में योग्यता हासिल करने की खातिर ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अखंडता, धर्म निरपेक्षता, राष्ट्र, लोगों, गरीबों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, और उन सभी के लिए जिनका लक्ष्य राष्ट्रवाद है, कार्यक्रम शुरू करने का केन्द्रीय स्तंभ बनेंगे। इस संबंध में यदि समन्वय की कोई कमी हो तो यह बताने हेतु मैंने मुख्य मंत्री को पत्र लिखे हैं। हमने यहां बैठक भी आयोजित की थी। उसके बारे में बात तो सभी करते हैं लेकिन जब मैं पत्र लिखता हूं तो कोई जवाब ही नहीं देता। मैं सभा को इस संबंध में अन्धेरे में नहीं रखना चाहता। कुछ लोग ऐसे हैं जो देश भर में फैले नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा प्रज्वलित दीए को बुझता हुआ देखना चाहते हैं क्योंकि ये जो (ज्ञान की) ज्योति प्रज्वल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रकाश उस अन्धेरे से लड़ता है, जिसको ये लोग फैलाना चाहते हैं। इसलिए ये केन्द्र उनके ध्यान, आकर्षण और साथ ही आक्रमण का भी केन्द्र बन गए हैं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : कामों के आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए। इतना समय हो गया है उनके परिणामों के माध्यम से मूल्यांकन करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए।

श्री अर्जुन सिंह : मैं एक नहीं दस बार मूल्यांकन करने को तैयार हूं। लेकिन मूल्यांकन करने के लिए कोई हाथ तो बढ़ाए। केवल भाषण दे देने से या एक बात कहने से न आपको मानना चाहिए, न हमें मानना चाहिए। जब दिमाग खुला हो, आप करें मूल्यांकन, क्योंकि खुले दिमाग से ही मूल्यांकन का निष्कर्ष ठीक होगा। जब दिमाग बन्द होगा तो मूल्यांकन सही नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

मैं इस विशाल सभा से और इसके माध्यम से देश की विशाल और चौकस जनता से एक अनुरोध करने के बाद अपनी समाप्त करना चाहूंगा। और वह यह कि कई मुद्दे हैं, जिन पर हमारे मतभेद हो सकते हैं, और विभिन्न अवधारणाओं के प्रति हमारी सोच में अन्तर हो सकता है, परन्तु एक बात ऐसी है, जिस पर देश विभिन्न विचारों और मतभेदों को नहीं झेल सकता है और वह है देश की एकता, अखंडता और भविष्य।

शिक्षा सिर्फ प्रशासनिक गतिविधि तक सीमित नहीं रहनी चाहिए और ऐसा हो भी नहीं सकता है और न ही इसकाउ पयोग किसी खास विचारधारा को उभारने या खंडन करने में किया जाना चाहिए, ऐसा करना संभव भी नहीं है। बल्कि इसका प्रयोग तो लोगों को जानकारी देने और उन्हें शक्ति प्रदान करने के लिए होना चाहिए, जिससे वे इस देश के योग्य नागरिक बनने में स्वत: सक्षम ही सकें और स्वयं ही यह देख सकें, समझ सकें, फैसला कर सकें और तदनुसार निर्णय कर सकें कि उनके लिए, समाज के लिए और देश के लिए क्या सही है और क्या गलत। उसी शक्ति का संचार करने के लिए हमारा विभाग सभी प्रकार की गतिविधियों से लैस है और महोदय, मुझ पूरा विश्वास

है कि आपकी और इस सभा की मदद, मार्गदर्शन और सहारे से हम अपने प्रयत्न में जरूर सफल होंगे। (व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुराई) : माननीय मंत्री ने इन्दिरा महिला योजना के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : मुझे मालूम नहीं था कि मेरे आदरणीय दोस्त श्री अय्यर आ चुके हैं। मैंने पीछे देखा ही नहीं था। मैं इस एक बात से सहमत हूं कि कुछ विशिष्ट कारणों से, जिनका उल्लेख श्री मणि शंकर अय्यर सदन में कर चुके हैं, इन्दिरा महिला योजना जड़ नहीं जमा पायी है। इस देश में अभी भी हम कुछ विशिष्ट विचारधारा के गुलाम बने हुए हैं। अपनी मर्जी और प्राधिकार को विभाग के ऊपर थोपना इनमें से एक है। सामान्य रूप से यह विचार प्रचलित है कि जब हम अपनी शक्ति का उपयोग करने की स्थिति में न हों, तभी समन्वय के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं अपने सीमित अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में व्यवहारिक रूप से समन्वय, समन्वय न होकर महज रुकावट बन कर रह जाता है।

लेकिन मैं श्री मणि शंकर अय्यर और इस सभा को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इन्दिरा महिला योजना को इस प्रकार का दृष्टिकोण या विचारधारा का शिकार नहीं बनने दिया जायेगा, क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री ने स्वयं ही इसका भार ग्रहण किया है। इस योजना को लागू करने के लिए जिस मूलभूत संरचना और आवश्यक बातों की जरूरत पड़ेगी, वे मुहैया कराई जायेंगी।

मैं उन राज्य सरकारों से अपील करता हूं, जिनके साथ हम मिलकर कार्य कर रहे हैं कि वे इस योजना को इन्दिरा जी के नाम के रूप में न देखें, बल्कि इसे इस देश की महिलाओं की योजना के रूप में देखें—एक ऐसी योजना जो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में सहारा देगी, इस आत्म-निर्भरता से वे देश और समाज के लिए खड़ी हो सकेंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही हम इस कार्य को पूरा करने में सक्षम होंगे, इस योजना को भारत के उत्तम प्रयासों के सर्वोत्तम अध्यायों में स्थान प्राप्त होगा।

[हिन्दी]

डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी (खेड़ा) : सिन्धी विकास बोर्ड के बारे में नहीं बताया कृपा करके बताइये।

श्री अर्जुन सिंह : मैं चिट्ठी लिखूंगा।

[अनुवाद]

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय) : महोदय, मैं 50 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, जो कि एक बहुत विशाल क्षेत्र है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री का कार्य सिर्फ एक राष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें पूरे उप-महाद्वीप, 179 भाषाओं, 500 उप-भाषाओं और बोलियों से जूझना है। उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि हमें समन्वय की नीति अपनानी चाहिए। इसके लिये मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य कभी नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैंने श्रीमती इन्दिरा गांधी का, जो महानतम नेताओं में से एक थीं, हमेशा ही सफलतापूर्वक समर्थन किया। उन्होंने मुझे अपने समुदाय के, जोकि एक पिछड़ा वर्ग है, वर्गीकरण

को अस्वीकार कर देने पर बधाई दी थी। उन्होंने कहा था : "यह सही है कि सभी समुदाय में कमजोर वर्ग होते हैं, लेकिन मुझे भी 'पिछड़ा' शब्द अमान्य है। अगर मैं आपके रास्ते पर होती, तो सामाजिक शब्दकोष से 'पिछड़ा' शब्द हमेशा के लिए निकाल देती।"

मैं माननीय मंत्री को माध्यमिक शिक्षा को संवर्ती सूची में शामिल करवाने के लिए बधाई देता हूं। मैं माननीय मंत्री की तरफदारी इसलिए करना चाहता हूं, क्योंकि वह हमारी एकमात्र उस राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं में से एक हैं, जिस पार्टी के सदस्य होने का सौभाग्य मुझे कभी नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : यह एक औपचारिक भाषण नहीं हो जाना चाहिए।

श्री फ्रैंक एन्थनी : धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए केन्द्रीय सरकार को आश्वस्त करना चाहिए कि कुछ राज्यों में क्षेत्रीयता, भाषायी और शैक्षिक कट्टरपन में संलग्न होने की प्रवृत्ति नहीं पनपेगी। यह एक महान कार्य होगा। मैं उन्हें इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें पहले ही बधाई दे चुके हैं और उनको बधाई देने में हम सब आपके साथ हैं।

(व्यवधान)

श्री फ्रैंक एन्थनी : मेरी तो एक घंटा तक बोलने की इच्छा थी लेकिन अध्यक्ष महोदय ने जल्दी खत्म करने को कहा है। इसलिए मैं बैठ जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि किसी माननीय सदस्य को अपने कटौती प्रस्ताव पर अलग से मतदान कराने की इच्छा न हो तो अब मैं सभी प्रस्तावित कटौती प्रस्तावों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों के साथ सभा के मतदान हेतु रखना चाहूंगा।

अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन अनुदानों की मांगों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 47 से 50 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 6 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1992-93 के लिए मानव संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदान (सामान्य) की मांगें

मांग की संख्या	मांग का नाम	26 मार्च, 1992 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांगों की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3		4	
मानव संसाधन विकास मंत्रालय					
47	शिक्षा विभाग	28563,00,000	9,00,000	143619,00,000	43,00,000
48	युवा कार्य और खेल विभाग	1844,00,000	33,00,000	9235,00,000	168,00,000
49	कला और संस्कृति	2102,00,000	—	10557,00,000	—
50	महिला और बाल विकास	8144,00,000	17,00,000	40719,00,000	83,00,000

अध्यक्ष महोदय : सभा को मंगलवार, 7 अप्रैल, 1992 को 11.00 बजे म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित किया जाता है।

7.31 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 7 अप्रैल, 1992/18 चैत्र, 1914 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली 53